

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 श्रावण 1934 (श0)

(सं0 पटना 400)

पटना, शुक्रवार, 17 अगस्त 2012

समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय)

> अधिसूचनाएं 9 अगस्त 2012

बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2012

सं० 10 / प्र०गृ०स्था०—21 / 2002—1695—किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख एवं संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 (2006 का 33) द्वारा यथासंशोधित की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है। यथा:—

अध्याय—1 प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः—(1) यह नियमावली ''बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2012'' कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
 - 2. परिभाषा:-जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में
 - (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख एवं संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2000 (2000 का 56) द्वारा यथा संशोधित किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2006 (2006 का 33);

- (ख) ''परित्यक्त'' से ऐसा लावारिस और परित्यक्त बालक से अभिप्रेत है, जो समिति द्वारा सम्यक् जॉच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया गया है;
- (ग) "बालक के सर्वोत्तम हित" से अभिप्रेत है किशोर या बालक का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक विकास सुनिश्चित करने के लिए लिया गया निर्णय;
- (घ) ''बाल दुरूपयोग '' से अभिप्रेत है बुरा बर्ताव करना जिसमें निम्नलिखित में से कोई भी सम्मिलित है:—
 - I. शारीरिक, मानसिक, यौन, या भावनात्मक बुरा बर्ताव,
 - II. शब्द या कार्य के माध्यम से ऐसा कोई कार्य करना जिससे बालक की गरिमा तिरस्कृत होती हो,
 - III. जीने की बुनियादी आवश्यकताओं से उन्हें वंचित करना ।
- (ड.) ''हितैषी'' से अभिप्रेत है ऐसी कोई प्रक्रिया और निर्वचन, दृष्टिकोण, वातावरण एवं व्यवहार जो मानवीय विचारशील एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो;
- (च) ''सामुदायिक सेवा'' का अभिप्राय है कानून का उल्लंधन करने वाले किशोरों द्वारा अन्य न्यायिक उपचार और शक्तियों के स्थान पर समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा, जो तिरस्कारपूर्ण और अमानवीय न हो।

जिसके उदाहरण निम्नलिखित हो सकेंगे (सिर्फ गैर जोखिम भाग):-

- (I) पार्क की सफाई करना / बाग लगाना।
- (II) परिचर्या गृहों / वृद्धाश्रमों में वृद्धों की सेवा करना।
- (III) स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करना।
- (IV) विकलांग बच्चों की सेवा करना।
- (V) सामुदायिक स्तर पर वृद्धजनों की देखभाल करना।
- (VI) सामूहिक कार्य।
- (VII) अपने आवास क्षेत्र में मानवता से संबंधित कार्यो में सम्मिलित होना।
- (छ) ''निरोध'' से अभिप्रेत है विधि का उल्लंधन करने वाले किशोरों के मामले में सुधारात्मक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ''संरक्षणात्मक अभिरक्षा'' ;
- (ज) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र;
- (झ) ''पोषक देखरेख'' से अभिप्रेत है बाल कल्याण समिति के आदेशनुसार सीमित अवधि के लिए देख—रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालक को पोषक माता—पिता की देख—रेख में रखा जाना;
- (ञ) "सामूहिक परामर्श" से अभिप्रेत है राज्य सरकार या किसी मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठन द्वारा आयोजित किसी सामूहिक परामर्श योजना में किशोर को भाग लेने हेतु किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा—16 के अधीन दिया गया आदेश;
- (ट) ''वैयक्तिक देखरेख योजना'' किसी किशोर या बालक के लिए ऐसी व्यापक विकास योजना है, जो उस किशोर या बालक की आयु विशिष्ट और लिंग विशिष्ट आवश्यकताओं तथा उस किशोर और बालक के मामले के पूर्ववृत पर आधारित हो, जिसे किशोर या बालक का खोया आत्मसम्मान, गरिमा और स्वाभिमान लौटाने और उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से

उसके और माता—पिता / अभिभावक (यदि उपलब्ध हो तो) के साथ परामर्श करके तैयार किया गया हो और इस योजना में किशोर अथवा बालक की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी:

- 1. स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएँ;
- 2. भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ;
- शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकतयाएँ;
- 4. विश्राम, सृजनात्मकता एवं खेलकूद;
- भावनात्मक लगाव और नातेदारी;
- 6. सभी प्रकार के शोषण, उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार से संरक्षण;
- समाज की मुख्यधारा में शामिल करना; तथा
- निर्मृक्ति तथा प्रत्यावर्तन के पश्चात उसका अनुवर्तन।
- (ठ) ''संस्था'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की क्रमशः धारा 8, धारा 9, धारा 34, धारा 34 की उपधारा (3) तथा धारा 37 के अधीन स्थापित, प्रमाणित या मान्यता प्राप्त एवं रिजस्ट्रीकृत कोई पर्यवेक्षण गृह या कोई विशेष गृह या कोई बाल गृह या कोई आश्रय गृह;
- (ड) "अधीक्षक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो संस्था के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए नियुक्त हो;
- (ढ) "अनाथ" से अभिप्रेत है ऐसा बालक जिसका माता—पिता या इच्छुक एवं सक्षम विधिक अथवा नैसर्गिक संरक्षक नहीं है;
- (ण) ''सुरक्षित स्थान'' से अभिप्रेत है विधि का उल्लंधन करने वाले किशोर अथवा बालक के लिए अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) और धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित एवं मान्यता प्राप्त कोई संस्था;
- (त) "मान्यता प्राप्त व्यक्ति", "मान्यता प्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) और (झ) के अनुसार मान्यता प्रदान किए गए व्यक्ति, जिसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त माना गया हो या वे संस्थाएँ, जिनको सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त माना गया है। यह किसी विशिष्ट बच्चे के लिए प्रत्येक मामले के आधार पर अस्थायी अवधि के लिए किया जायेगा। ये संस्थान किसी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो सकते हैं।
- (थ) ''पंजीकरण'' से अभिप्रेत है वैसी सभी संस्थाएँ या अभिकरण या स्वैच्छिक संगठन जो धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन देख—रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को आवासीय देखमाल या कोई अन्य देखभाल प्रदान करने के लिए पंजीकृत हैं;
- (द) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (ध) "निराश्रित और कामकाजी बालक" से अभिप्रेत है वे बालक जो इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) (1) के अधीन अधिकथित उपबंधों के अनुसार जीवन—निर्वाह, देखरेख, संरक्षण एवं सहायता के दृश्यमान साधनों से रहित हों;
- (न) ''अभ्यर्पित बच्चे'' से अभिप्रेत है समिति की राय में शारीरिक, भावनात्मक एवं ऐसे सामाजिक कारणों से त्यागा गया बालक जो माता–पिता या अभिभावक के वश में नहीं है;
- (3) उन सभी शब्दों और पदों, जो अधिनियम में पिरभाषित और प्रयुक्त हैं किंतु इस नियमावली में पिरभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं।

अध्याय—II विधि का उल्लंधन करने वाले किशोर

3. **किशोर न्याय बोर्ड —**राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक जिला में किशोर न्याय बोर्ड का गठन करेगी।

4. किशोर न्याय बोर्ड की सरचना :--

(1) बोर्ड में, यथास्थिति, एक महानगरीय मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम 1 महिला होगी, न्यायपीठ का गठन करेंगे।

परिषद का प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेगा तथा उनके त्वरित निपटान के लिए यथावश्यक उपाय करेगा।

- (2) प्रत्येक ऐसी न्यायपीठ को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- (3)(I) बाल मनोविज्ञान अथवा बाल कल्याण में विशेष ज्ञान रखने वाले या इस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त मजिस्ट्रेट को बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
 - (II) ऐसा विशेष ज्ञान रखने वाला या प्रशिक्षण प्राप्त प्रधान मजिस्ट्रेट उपलब्ध न होने की स्थिति में, राज्य सरकार प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में उन्हें अभिहित किए जाने के तुरन्त बाद या अधिमानतः होने के अधिकतम एक माह के अन्दर बाल मनोविज्ञान अथवा बाल कल्याण विषय का ऐसा अल्पाविध प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जो वह आवश्यक समझे।
- (4) दो सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के नियम 99 के अधीन गठित चयन समिति की अनुशंसा पर निर्मित नामों के पैनल से की जाएगी।
- (5) राज्य सरकार / केन्द्र सरकार की स्कीमों और कार्यक्रमों के अनुसार, राज्य सरकार बोर्ड के सभी सदस्यों को बाल मनोविज्ञान, बाल कल्याण, बाल अधिकार, किशोर न्याय के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों का यथावश्यक प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास प्रदान करेगी।

5. बोर्ड का कार्यकाल:-

- (1) बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा सदस्यों की नियुक्ति भी उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों के लिए होगी।
- (2) कोई सामाजिक कार्यकर्ता बोर्ड के सदस्य के रूप में बोर्ड के अधिकतम दो लगातार कार्यकाल के लिए नियुक्ति का पात्र होगा।
- (3) बोर्ड के सदस्य की पुन:नियुक्ति सदस्यों के कार्य मूल्यांकन राज्य सरकार की जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा बिहार सरकार तथा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति जिसका गठन नियम 99 के द्वारा हुआ है की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड की बैठकों में उनकी भागीदारी तथा मामलों के निपटारे में उनके योगदान का आवश्यक रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् किया जाएगा।
- (4) कोई सदस्य किसी भी समय, एक मास की लिखित पूर्व सूचना देकर त्याग पत्र दे सकेगा अथवा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकेगा।
- (5) बोर्ड में हुई किसी रिक्ति को चयन समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल में से किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा तथा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति बोर्ड के शेष कार्यकाल के दौरान पद धारण करेगा।

6. बोर्ड के सदस्यों की अईताएँ:-

- (1) बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता की आयु 35 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी, उसे सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास, विधि अथवा समाज विज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो तथा कम से कम पाँच वर्ष तक वह स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल अधिकार एवं अन्य बाल कल्याण से संबंधित प्रशासनिक उपायों की योजना एवं कार्यान्वयन में सिकृय रूप से संबद्ध रहा हो।
- (2) उप नियम (1) के अनुसार अहर्ता वाला उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पाने की स्थिति में चयन सिमित उप नियम (1) में उल्लखित विषयों में स्नातक के साथ 3 वर्ष अनुभव प्राप्त उम्मीदवार की अनुशंसा कर सकती है।
- (3) कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होगा, यदि वह:--
 - (क) किसी विधि के अधीन दोषी सिद्ध हुआ हो;
 - (ख) बच्चों के दुर्व्यवहार अथवा बाल श्रमिकों को रोजगार पर लगाने अथवा अन्य किसी मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले या अनैतिक कार्य में शामिल रहा हो;
 - (ग) ऐसा कोई अन्य व्यवसाय कर रहा हो, जिसके कारण वह इस बोर्ड के कार्य के निष्पादन पर आवश्यक समय एवं ध्यान न दे सकता हो;
 - (घ) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित अर्हताएँ एवं अनुभव को पूरा न करता हो और ऐसे मामले में चयन सिमित विधिवत जॉच करके और इस तथ्य के सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्ति का आवेदन अस्वीकार करेगी और रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की गई सूची में से अगले व्यक्ति के नाम की सिफारिश करेगी।
- 7. **बैठक एवं यात्रा भत्ते**—बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा अवधारित यात्रा एवं बैठक भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

8. बोर्ड की बैठकें:--

- (1) बोर्ड अपनी बैठकें संप्रेषण गृह या न्यायालय परिसर से भिन्न किसी ऐसे अन्य उपयुक्त स्थान, जो अधिनियम के अधीन संचालित हो, में करेगी।
- (2) राज्य सरकार आधारभूत संरचना यथा बोर्ड कक्ष, प्रतीक्षालय, कार्यालय कक्ष, अभिलेखागार, सभा भवन, शौचालय / मूत्रालय और स्रक्षित पेय जल स्विधा एवं अन्य कार्यालय उपसाधन प्रदान करेगी।
- (3) राज्य सरकार परिषद को सचिवालीय सहायता प्रदान करेगी।
- (4) जहाँ बोर्ड अपनी बैठकें आयोजित करेगा, वे पिरसर बालकों के अनुकूल होंगे तथा वे किसी भी स्थिति में, न्यायालय जैसे नहीं दिखेंगे, उदाहरणार्थ बोर्ड के सदस्यों के आसन मंच पर नहीं होंगे और बैठने की व्यवस्था एक समान होगी और वहाँ पर साक्षियों का कटघरा भी नहीं होगा।
- (5) परिषद की कार्यवाही एक सम्मेलन की भाँति होगी जिसमें किशोर न्याय परिषद के सदस्यगण, किशोर, माता—पिता, परिवीक्षा पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, विधिक प्रतिनिधि इत्यादि, कार्यवाही में भाग लेंगे।
- (6) यह राज्य सरकार के पंचांग का अनुश्रवण करेगा।

- (7) बोर्ड की बैठक सप्ताह में कम से कम एक बार होगी लेकिन बैठक की बारंबारता प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा विस्तारित की जा सकेगी। राज्य सरकार भी विशेष या साधारण आदेश से सप्ताह में बैठकों की संख्या का विस्तार कर सकेगी।
- (8) वर्ष में बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की न्यूनतम तीन चौथाई उपस्थिति आवश्यक होगी।
- (9) बोर्ड का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक बैठक में न्यूनतम पाँच घंटे उपस्थित रहेगा।
- (10) बोर्ड की कार्यवाही किसी एक सदस्य के कार्यवाही के किसी भी चरण में अनुपस्थित रहने पर अविधिमान्य नहीं होगी।
- (11) किसी मामला का अंतिम निष्पादन कम से कम दो सदस्यों के द्वारा होगा जिसमे एक प्रधान मजिस्ट्रेट होगा।
- (12) मामले में या अंतरिम आदेश यदि कोई हो में मतिभन्नता की स्थिति में बहुमत की राय अभिभावी होगी, परन्तु जहाँ ऐसा कोई बहुमत नहीं है वहाँ प्रधान मिजस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी। ऐसी स्थिति में प्रधान मिजस्ट्रेट उन परिस्थितियों को अभिलिखित करेगा जिसके कारण प्रधान मिजस्ट्रेट को अंतिम निर्णय लेना पड़ा।
- 9. बोर्ड के कार्य:-(1) बोर्ड अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेगा यथा:-
 - (क) विधि का उल्लंघन करने वाले किशारों के मामलों का न्यायनिर्णयन एवं निपटान करना;
 - (ख) अधिनियम की धारा 23 से 28 के अधीन आने वाले अपराधों का संज्ञान लेना;
 - (ग) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए कार्यरत संस्थाओं को मॉनीटर करना और ध्यान में आई किर्मियों के मामलों में बोर्ड के सुझावों के आधार पर सुधार के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करना;
 - (घ) यथास्थिति संबंधित सरकारी कर्मियों अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा बोर्ड के किसी आदेश का अनुपालन न किए जाने के मामले पर विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करना;
 - (ड़) आवश्यक अवसंरचना या सुविधाएँ प्रदान अथवा सृजित करने के लिए जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी करना, ताकि इस अधिनियम की मूल भावना के अनुसार न्याय एवं उपचार के न्यूनतम मानक बनाए रखे जा सकें।
 - (च) देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले मामलों के संबंध में समिति के साथ सम्पर्क बनाए रखना;
 - (छ) विधि की सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से मामलों की त्वरित जाँच एवं निपटान को सुगम बनाने के लिए अन्य जिलों के बोर्डों के साथ सम्पर्क करना;
 - (ज) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली अकल्पित परिस्थितियों से निपटने तथा किशोरों के सर्वोत्तम हित में ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना;
 - (झ) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के विषय में अपने समक्ष प्रस्तुत की गई तिमाही सूचना जिला, राज्य बाल संरक्षण इकाई एवं संबंधित राज्य सरकार तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को भी अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन समीक्षा के लिए भेजना;
 - (ञ) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर सौंपे गए अन्य कार्य करना।

- (ट) बोर्ड किसी मीडिया के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करेगा जो विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित किसी ऐसी बात को प्रकाशित करेगा जिससे किशोर की पहचान हो जाए।
- (ठ) यदि किशोर को माता—पिता / अभिभावक की देख—रेख में जमानत पर मुक्त नहीं किया जा सका हो तो बोर्ड किशोर को यथास्थिति संप्रेक्षण गृह में या किसी सुरक्षित स्थान में रखने का आदेश करेगा,
- (ड)(i) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कोई बालिका सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच पुलिस के प्रभार में न लिया जाए,
 - (ii) परन्तु यदि ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए कि ऐसे समय में पुलिस को बालिका का प्रभार लेना पड़े तो बोर्ड यह सुनिश्चित करे की वैसी बालिका को किसी योग्य महिला या उस बालिका के योग्य महिला रिश्तेदार या किसी सुरक्षित स्थान में अथवा संप्रेक्षण गृह में रखा जाए।
- (ढ) जाँच के दौरान किसी चरण में यदि बोर्ड का समाधान हो जाए कि जाँच के प्रयोजनार्थ किशोर का उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं है तो उसकी उपस्थिति से अभिमुक्ति प्रदान करते हुए जाँच की कार्रवाई किशोर के अनुपस्थिति में जारी रहेगा।
- (ण) बोर्ड किसी जाँच का अंतिम निष्पादन परिवीक्षा पदाधिकारी / केस वर्कर से प्रतिवेदन लिए बिना नहीं करेगा।
- (त) बोर्ड परिवीक्षा पदाधिकारी को सामाजिक जाँच करने और बोर्ड को देने का निदेश दे सकता है तथा यह भी निदेशित कर सकता है कि किशोर की मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सा संबंधी समस्याओं के मामले में पेशेवर / विशेषज्ञ की राय ले, परन्तु बोर्ड पेशेवर को यह भी निदेशित कर सकता है कि वह विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे के संबंध में विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
- (थ) चिकित्सा महाविद्यालयों / अस्पतालों के शिशु / मनोचिकित्सा विभाग पेशागत राय देने हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में अभिस्वीकृत किए जाएँगे।
- (2) सभी किशोरों के मामलों में किशोर न्याय बोर्ड निम्नांकित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करेंगे:-
 - (क) पीड़ित बच्चे / गवाहों को न्यायालय की कार्यवाहियों के संबंध में उनकी भूमिका से अवगत कराया जाए।
 - (ख) उनके विचार सुने जाएँ और उनका सम्मान किया जाए।
 - (ग) उन्हें कम से कम अस्विधा हो और उनकी एकांतता का सम्मान किया जाए।
 - (घ) कार्यवाही में विलम्ब को कम किया जाए।
 - (ङ.) पीड़ित बच्चा से आक्रमक प्रश्न करने या प्रतिपरीक्षण करने से बचा जाए और, यदि आवश्यक हो तो यह न्यायाधीश के माध्यम से किया जाय।
 - (च) कमरे के अन्दर विचारण की व्यवस्था हो।
 - (छ) पीड़ित किशोर की पहचान सुरक्षित रहे।
 - (ज) पीड़ित किशोर न्यायिक प्रक्रिया के लिए तैयार हो और यदि बच्चा न्यायालय जाने के लिए तैयार न हो तो अधिकथित के अभियोजन में हड़बड़ी न की जाए।
 - (झ) अनुसंधान कर्त्ता पीड़ित किशोर के चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता अभिनिश्चित करे और जब परीक्षण कर लिया जाए तब यह सुनिश्चित करे कि बहु पुनर्परीक्षण से बचा जाए।
 - (ञ) चिकित्सीय जाँच माता—पिता/अभिभावक/सामाजिक कार्यकर्त्ता/परामर्शी (काउंसेलर) की उपस्थिति में हो।

- (ट) दुराचार की घटना के बाद, किशोर की गवाही सामाजिक कार्यकर्ता / परामर्शी की उपस्थिति में यथाशीघ्र अभिलिखित की जाए।
- (ठ) जहाँ कहीं आवश्यक हो, पर्याप्त अनुवाद निर्वचन किए जाएँ तथा ऐसे अनुवादकों, निर्वचनकर्त्ताओं की सेवा ली जाए जो बच्चों के जरूरतों के प्रति संवेदनशील हों।
- (ड) मानसिक रूप से पीडित किशोर के मामले में किशोर की ओर से गवाही सक्षम सेवा प्रदाता दें।
- (ढ) पीड़ित किशोर / साक्षी की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए।

10. पुलिस एवं अन्य अभिकरणों द्वारा पेशी के पूर्व एवं पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई:--

- (1) पुलिस अधिकारी, कानून के उल्लंघन के आरोपी किशोर को पकड़ते ही, इन सबको सूचित करेंगे:
 - (क) संबद्ध पुलिस थाने के नामनिर्दिष्ट किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी, ताकि वह इस मामले का प्रभार लें।
 - (ख) विधि का उल्लंघन के अभिकथित किशोर के माता—पिता या संरक्षक को उस किशोर के पकड़े जाने के साथ—साथ बोर्ड के पते, जहाँ किशोर को प्रस्तुत किया जाएगा, और उस तारीख, किशोर की भौतिक अवस्थिति एवं समय की सूचना देगा, जब माता—पिता या संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना हो;
 - (ग) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी, जिससे कि वह किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य पारिस्थितिक तथ्यों के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकें, जो कि बोर्ड के जाँच कार्य में सहायक हो।
- (2) किशोर के पकड़े जाने के तुरंत पश्चात् उसे बाल कल्याण अधिकारी को सौंपा जाएगा तथा वह अधिकारी अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार किशोर को चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा और जहाँ अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (2) में अभिकथित उपबंधों के अनुसार ऐसा कोई किशोर या बाल कल्याण अधिकारी नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो अथवा वह कुछ शासकीय कारणों से उपलब्ध न हो तो वहाँ किशोर को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी ही उसे बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 10 उपधारा—1 के अनुरूप 24 घंटे के अन्दर प्रस्तुत करेगा,
- (3) बोर्ड की बैठक आयोजित न होने की दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकथित उपबंधों के अनुसार बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष किशोर को प्रस्तुत किए जाने पर प्राप्त आदेश का अनुसमर्थन बोर्ड की अगली बैठक में कराने की आवश्यकता होगी।
- (5) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को पकड़ने वाली पुलिस किसी भी दशा में उसे हवालात में नहीं भेजेगी या प्रभारी किशोर या बाल कल्याण अधिकारी को सौंपने में विलम्ब नहीं करेगी, यदि ऐसा कोई अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया गया हो।
- (6) किसी जिले में सभी नामनिर्दिष्ट किशोर या बाल कल्याण अधिकारियों एवं विशेष किशोर न्याय पुलिस इकाई के सदस्यों की सूची, उनके सम्पर्क के ब्यौरे सहित प्रत्येक पुलिस थाने में प्रमुख रूप से दर्शाई जाएगी।

- (7) पुलिस या किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के विषय में उपलब्ध सम्पूर्ण एवं तथ्यपरक सूचनाएँ एकत्र करेंगे और किशोर के माता—पिता या संरक्षकों से सम्पर्क करेंगे और उन्हें विधि का उल्लंघन करने वाले उस किशोर के व्यवहार की जानकारी देंगे।
- (8) पुलिस या किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी, समाजिक कार्यकर्त्ता के सहयोग से प्रत्येक किशोर की केस डायरी में उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं उसे जिन परिस्थितियों में पकड़ा गया, एवं अभिकथित अपराध को भी अभिलिखित करेगा जिन्हें वह तत्काल बोर्ड को भेजेगा।
- (9) पुलिस या किशोर / बाल कल्याण अधिकारी किशोर को पकड़ने की अपनी शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में करेंगे, जिनमें 5 वर्ष से अधिक का दण्ड दिया जा सकता है (जिन अपराधों के लिए वयस्कों को 5 वर्ष से अधिक कारावास का दण्ड दिया जा सकता है)।
- (10) ऐसे मामलो में, जहाँ ऐसा प्रतीत हो कि किशोर को पकड़ा जाना उसके हित में है, उन मामलों में पुलिस अथवा बाल कल्याण अधिकारी संबंधित किशोर को देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद बालक मानते हुए उसके साथ व्यवहार करेंगे और उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करने के समय अपनी रिपोर्ट में किशोर की देख-रेख एवं संरक्षण की जरूरत को दर्शाएँगे तथा बोर्ड से इन नियमों के नियम 13(1) (ख) के अन्तर्गत उपयुक्त आदेश पारित करने का अनुरोध करेंगे।
- (11) अन्य सभी मामलों में जिनमें अपराध गंभीर प्रकृति के नहीं हों, (जिन अपराधों के लिए वयस्कों को 5 वर्ष से कम अविध के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है) तथा जहाँ किशोर के हित में उसे पकड़ा जाना आवश्यक नहीं है वहाँ पुलिस या किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी उनके आरोप उनके बालक या प्रतिपाल्य द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की प्रकृति के बारे में लगाए गए हैं उन अपराधों की प्रकृति तथा उस बालक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की सूचना बोर्ड को भेजी गई है, जिसे पश्चातवर्ती सुनवाई के लिए किशोर को बुलाने की शक्ति होगी।
- (12) राज्य सरकार केवल उन्हीं स्वैच्छिक संगठनो को मान्यता प्रदान करेगी, जो परिवीक्षा सेवाएँ, परामर्श, मामला संबंधित कार्य, सुरक्षित स्थान जैसी सेवाएँ प्रदान करने और पुलिस या विशेष किशोर न्याय पुलिस इकाई के किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी के साथ सहयुक्त हो तथा जिनके पास संरक्षण अभिकरणों के रूप में वे क्षमताएँ, सुविधाएँ, विशेषज्ञता हो, जिनके द्वारा वे किशोर को पकड़े जाने के समय, किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं कथित अपराध के साथ—साथ जिन परिस्थितियों में किशोर को पकड़ा गया, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट तैयार करने में पुलिस या जिन परिस्थितियों में किशोर को अधिकारी की सहायता कर सके बोर्ड के समक्ष किशोर को प्रस्तुत किए जाने तक उसकी देखरेख कर सकें और उस किशोर को चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में पुलिस की सहायता कर सके।
- (13) पकड़े गए किशोरों तथा जितनी अवधि तक उन्हें पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन की देखरेख में रखा गया, उस अवधि के दौरान उन किशोरों को सुरक्षा तथा भोजन एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने का दायित्व उनका होगा।

11. आयु के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:-

- (1) किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड इस नियमावली के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति ऐसे बालक या विधि का उल्लंधन करने वाले किशोर की आयु का निर्धारण इस प्रयोजन के लिए आवेदन किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर करेंगे।
- (2) न्यायालय या बोर्ड या सिमिति प्रथम दृष्टया किशोर या बालक होने का विनिश्चय, यथास्थिति, बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की शारीरिक बनावट अथवा दस्तावेजों, यदि उपलब्ध हों, के आधार पर करेगी तथा उसे, यथास्थिति संप्रेक्षण गृह या कारागार भेजेगी।
- (3) बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड या समिति आयु निर्धारण जॉच करने के लिए निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करेंगे:—
 - (क) (I) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; तथा / अथवा
 - (II) जहाँ पहली बार गया (प्ले स्कूल छोड़कर) उस स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र और उसके उपलब्ध न होने पर;
 - (III) नगर निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र; और
 - (ख) उपर्युक्त खण्ड (क) के (I), (II) अथवा (III) अथवा न्यायालय, परिषद् या सिमिति आवश्यक समझती हो की अनुपलब्धता में ही सम्यक रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड की राय ली जायेगी जो किशोर अथवा बालक की आयु का निर्धारण करेगा। यदि आयु का बिल्कुल सही निर्धारण न किया जा सकता हो तो, यथास्थिति, न्यायालय अथवा बोर्ड या सिमिति कारणों का अभिलेख करते हुए यदि आवश्यक समझे तो बच्चे अथवा किशोर को छः महीने कम की आयु का लाभ दे सकती है और ऐसे किसी मामले में, यथास्थिति, ऐसे साक्ष्य अथवा चिकित्सा बोर्ड के अनुमान को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करते समय बोर्ड या न्यायालय या सिमिति किशोर या बालक की आयु के संबंध में निष्कर्ष तथा उपर्युक्त खण्ड (क) के उपखण्ड (I), (II) और (III) में विनिर्दिष्ट साक्ष्य अथवा इन तीनों की अनुपस्थित में खण्ड (ख) में दर्शाए गए चिकित्सा बोर्ड के आयु संबंधी अनुमान को ऐसे बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु के संबंध में साक्ष्य के रूप में दर्ज करेंगे।
- (4) सम्यक रूप से गठित बोर्ड अपनी चिकित्सीय राय संबंधित प्राधिकार को आदेश प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर सौंप देंगे।
- (5) यदि उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट साक्ष्यों के आधार पर यह पाया जाता है कि अपराध करने की तारीख को बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु 18 वर्ष से कम थी, तो यथास्थिति न्यायालय या बोर्ड या समिति लिखित आदेश पारित करेंगे जिसमें इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किशोर या बालक की आयु अभिकथित होगी एवं यह घोषणा होगी कि वह किशोर है या नहीं और इस आदेश की प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(6) इस नियमावली के प्रावधानों का दुरूपयोग न हो इसके लिए समाज कल्याण विभाग, निदेशक, समाज कल्याण या संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी पर्यवेक्षण गृह में रह रहे विधि का उल्लंघन करने वाले वैसे किशोरों, जो प्रत्यक्ष रूप से 18 वर्ष के उपर दिखते हों, के उम्र का सत्यापन, सम्यक रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड के द्वारा करा सकेगी। उक्त चिकित्सा बोर्ड उम्र सत्यापन का अंतिम प्रतिवेदन अधिकारी सत्यापन के आदेश की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर भेज देगें।

12. प्रस्तुत करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ:--

- (1) अधिनियम की धारा—10 के उपधारा—2 के अधीन बनाई गई नियमावली के अनुसार बोर्ड परिवीक्षा पदाधिकारी को फार्म—III में आदेशित करेगा या अन्यथा सामाजिक अनुसंधान कराकर किशोर के चिरत्र एवं पूर्व इतिहास का प्रतिवेदन देने के लिए करेगा तािक उसे किसी संस्थान में या परिवार के साथ रखने या अन्यथा अधिनियम के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय स्थान पर रखे जाने के सर्वोतम तरीका का निर्धारण किया जा सके।
- (2) परिवीक्षा पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में किशोर के पुनर्वास से संबंधित सलाह बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए देगा। परिवीक्षा पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किशोर की नियमित रूप से मानिटरींग की जाएगी तथा बोर्ड को उनकी गतिविधि की अद्यतन जानकारी दी जाएगी।
- (3) किशोर के सर्वोत्तम हित में बोर्ड निश्चित तौर पर पिरवीक्षा पदाधिकारी, या ऐसे अन्य व्यक्ति या अभिकरण जो संबंधित किशोर के मामले से प्रत्यक्षतः संबद्ध से एक समय सीमा के अन्दर प्रतिवेदन मांगेगा।
- (4) बोर्ड किशोर से संबंधित मामले की सुनवाई यथासंभव कमरे के अन्दर कर सकेगा तथा बोर्ड कार्यवाही के समय संबंधित किशोर या उनके प्रतिनिधि या उस मामले से संबंधित व्यक्ति को ही उपस्थित रहने की अनुमित प्रदान कर सकेगा। अन्य किसी को जिसका उस बच्चा विशेष के मामले से संबंधित नहीं है, उन्हें उस कमरे में उपस्थित रहने की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए।
- (5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के प्रतिकूल, जॉच किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण), अधिनियम, 2000 की धारा—14 के अनुसार ही की जाएगी।
- (6) किशोर को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उस किशोर को प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों, व्यक्तियों, अभिकरणों द्वारा संबंधित किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा जिन परिस्थितियों में उसे पकड़ा गया, उन पस्थितियों एवं अभिकथित अपराध करने के आरोप का ब्यौरा दर्शाने वाली रिपोर्ट का बोर्ड पुनर्विलोकन करके प्रथम संक्षिप्त जाँच में उसी दिन निम्नलिखित आदेश पारित करेगा:—
 - (क) यदि किशोर द्वारा विधि के उल्लंघन का साक्ष्य निराधार पाया जाता हो अथवा वह किशोर विधि का उल्लंघन करने के छोटे—मोटे मामले में शामिल रहा हो तो मामले का निष्पादित कर देने का;
 - (ख) किशोर को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यदि किशोर को स्पष्ट शब्दों में देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद माना गया हो तो उस किशोर से संबंधित मामले को समिति को अंतरित कर देने का;
 - (ग) किशोर को यथास्थिति, उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त संस्थाओं या परिवीक्षा अधिकारियों की देखरेख या अभिरक्षा में छोड़े जाने का प्रपत्र I में आदेश, इस निदेश के साथ कि अगली तारीख को जाँच के लिए किशोर को हाजिर किया या कराया जाए;

- (घ) प्रपत्र **II में दिए गए आदेशानुसार** किशोर के किसी गंभीर अपराध में लिप्त होने के मामलों में संप्रेक्षण गृह या उपयुक्त संस्था में रखना;
- (ड़) जिन मामलों में जाँच कार्य के लंबित रहते किशोर को छोड़ा जा रहा हो, उन सभी मामलों में बोर्ड सुनवाई की जो अगली तारीख अधिसूचित करेगा, वह प्रथम संक्षिप्त जाँच के पश्चात अगले 15 दिनों के ही भीतर ही होगी और बोर्ड प्रपत्र —III में जारी आदेश के द्वारा संबद्ध परिवीक्षा अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता से सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट मांगेगा
- 13. जाँच:-_(1) बोर्ड निष्पक्ष एवं त्वरित जाँच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा अर्थात्:--
 - (क) जाँच कार्य आरंभ करते समय, बोर्ड यह समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के साथ पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अधिवक्ता या परिवीक्षा अधिकारी भी हैं, दुर्व्यवहार नहीं किया गया है और ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया गया हो तो बोर्ड सुधारात्मक उपाय करेगा;
 - (ख) इस अधिनियम के अधीन सभी मामलों में कार्यवाहियाँ यथासंभव साधारण ढंग से की जाएँगी तथा यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा कि जिस किशोर के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की गयी है, उसे कार्यवाही के दौरान बाल अनुकूल वातावरण मिले;
 - (ग) बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक किशोर को उसे सुने जाने का अवसर दिया जाएगा और वह जाँच में शामिल होगा;
 - (घ) छोटे—मोटे अपराधों के मामलों का निपटान यदि विशेष किशोर न्याय पुलिस इकाई अथवा पुलिस थाने में ही न किया जा सका है, तो उन मामलों को बोर्ड संक्षिप्त कार्यवाही अथवा जॉच के माध्यम से एक माह के भीतर निपटाएगा, जबिक जघन्य अपराधों के मामलों में जिनमें 5 वर्ष या इससे अधिक अविध के कारावास का दंड दिया जा सकता हो, उन मामलों में विस्तृत जाँच प्रक्रिया चलाई जा सकेगी;
 - (ड.) गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जाँच में भी बोर्ड सुनवाई की वही प्रक्रिया अपनाएगा, जो सम्मन वाले मामलों के विचारण में अपनाई जाती है।
 - (2) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित जाँच के दौरान गवाहों के परीक्षण के समय बोर्ड इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि जाँच कार्य पूर्णतः प्रतिकूल कार्यवाही के रूप में न किया जाए तथा बोर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, तािक किशोर से प्रश्न किए जा सकें और किशोर के पुनरुद्धार संबंधी अधिकारों के अनुकूल उपधारणाओं के आधार पर कार्यवाही की जा सकें।
 - (3) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के परीक्षण करने व उसका कथन अभिलिखित करने के समय बोर्ड किशोर से बाल अनुकूल रीति में सवाल—जवाब करेगा, तािक वह किशोर सहज हो सके और जिन अपराधों का आरोप उस पर लगाया गया है, न केवल उनके बारे में, बिल्क जिस घर, सामाजिक परिवेश में एवं प्रभाव के अधीन वह रहा, उन सभी के विषय में तथ्यों एवं परिस्थितियों का वर्णन बिना किसी भय के कर सके।

- (4) व्यान का अंतर्वस्तु और परिखित जिसमें वह दिया गया हो को ध्यान में रखते हुए परीक्षण अभिलेखन बोर्ड जैसा उचित समझे उस प्रारूप में कर सकता है।
- (5) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बोर्ड, उस किशोर के पकड़े जाने की परिस्थितियाँ एवं उसके कथित अपराध का ब्यौरा दर्शाने वाली पुलिस की रिपोर्ट तथा बोर्ड के प्रपत्र—III में जारी आदेशानुसार परिवीक्षा अधिकारी या स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रपत्र—IV में प्रस्तुत की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोट और विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार कर सकेगा।
- (6) बोर्ड द्वारा प्रत्येक जाँच कार्यवाही प्रथम संक्षिप्त जाँच की तारीख से चार मास के भीतर पूरी की जाएगी और केवल उन अपवादात्मक मामलों में बोर्ड कारण को अभिलिखित करते हुए जाँच कार्य की अविध दो मास के लिए बढ़ा सकेगा, जिनमें विभिन्न देशों के नागरिक शामिल हों, आरोपियों की संख्या ज्यादा हो तथा गवाहों को प्रस्तुत करने में अनअपेक्षित विलंब हो।
- (7) गंभीर अपराधों के मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में चार या छह माह से अधिक विलंब होने पर कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।
- (8) जिन मामलों में किशोर पर गंभीर अपराध करने के आरोप लगाए जाने के कारण कार्यवाही में छह मास से अधिक देरी होती है तो बोर्ड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को आवधिक रिर्पोट भेजेगा, जिसमें देरी का कारण तथा मामले को शीघ्र निपटाने हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा दर्शाया जाएगा।

14. विधिक सहायता:-

- (1) बोर्ड के समक्ष कार्यवाही ऐसे वातावरण में की जाएगी जो प्रतिकूल न हो और जांच प्रक्रिया के दौरान परामर्श एवं निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार जैसे सभी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाएगा।
- (2) बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार "विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर" को कानूनी सेवा प्रदान करने हेतु अधिवक्ता को नामनिर्दिष्ट करेगा। उनकी सेवा किशोर को शोषण एवं दुर्व्यवहार से राहत दिलाने के लिए भी प्राप्त की जा सकेगी।
- (3) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के विधि अधिकारी विधि का उल्लंघन करने वाले सभी किशोरों को निःशुल्क विधिक सहायता सेवाएं प्रदान करेंगे।
- (4) जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के विधि अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे बोर्ड द्वारा मांगें जाने पर अपनी विधिक सेवाएं प्रदान करें।
- (5) बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के माता—पिता से संपर्क करने तथा उन किशोरों के विषय में सामाजिक एवं पुनर्वासात्मक सूचना प्राप्त करने जैसे अर्ध विधिक कार्यों के लिए छात्र विधिक सेवा स्वयंसेवियों और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवियों को अभिनियोजित कर सकेगा।
- (6) बोर्ड ऐसे किसी मीडिया के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करेगा जो विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित किसी ऐसी बात को प्रकाशित करे जो कि किशोर के पहचान को इंगित करता हो।

- (7) बोर्ड जाँच के दौरान किशोर की उपस्थिति को उन्योचित करते हुए किशोर के अनुपस्थिति में जाँच की कार्यवाही आगे बढ़ा सकेगा।
- (8) बोर्ड किशोर की मनोचिकित्सीय/मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में विशेषज्ञ राय प्राप्त कर सकेगा।

15. जांच कार्य की समाप्ति एवं निपटान के विकल्प:-

- (1) बोर्ड सभी जांच कार्य चार मास की निर्धारित अविध के भीतर समाप्त करेगा तथा अभिकथित अपराध में किशोर की संलिप्तता पाए जाने पर अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित निपटान के संबंध में सात आदेशों में से कोई एक आदेश पारित करेगा।
- (2) कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व, बोर्ड परिवीक्षा अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करेगा और रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार करेगा।
- (3) बोर्ड द्वारा पारित सभी निपटान आदेशों में, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के लिए अनिवार्य रूप से वैयक्तिक देखरेख योजना को शामिल किया जाएगा। यह वैयक्तिक देखरेख योजना संबंधित किशोर एवं यदि संभव हो तो उसके परिवार से विचार—विमर्श के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी।
- (4) जिन मामलों में बोर्ड संबंधित किशोर को सलाह अथवा ताकीदकर या सामूहिक विचार विनिमय में किशोर की भागीदारी के पश्चात निर्मुक्त करता है या उसे सामुदायिक सेवा करने का निर्देश देता है, उन मामलों में बोर्ड जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को ऐसे वैयक्तिक परामर्श, सामूहिक परामर्श एवं सामुदायिक सेवा की व्यवस्था कराने का आवश्यक निर्देश भी देगा।
- (5) जिन मामलों में बोर्ड किसी विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को परिवीक्षा पर छोड़ते हुए उसे उसके माता—पिता या सरंक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखे जाने का निर्देश देता है, उन मामलों में जिस व्यक्ति की देखरेख में उस किशोर को रखा गया, उस व्यक्ति को प्रपत्र—V में यह लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि अधिकतम तीन वर्षो तक वह किशोर का अच्छा व्यवहार एवं कल्याण सुनिश्चित करेगा।
- (6) बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को प्रपत्र—VI में प्रतिभूति के बिना मुचलके पर छोड़ने का निर्णय ले सकेगा।
- (7) यदि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को उपयुक्त संस्था या विशेष गृह में रखा जाता है तो बोर्ड इस बात का ध्यान रखेगा कि वह उपयुक्त संस्था या विशेष गृह उस किशोर के माता—पिता अथवा संरक्षक के निवास स्थान के ज्यादा से ज्यादा निकट हो।
- (8) जिस मामले में बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उसके माता—पिता या संरक्षक या किसी उपर्युक्त व्यक्ति की देखरेख में रखता है, या जहां किशोर को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उपर्युक्त संस्था की देखरेख में रखता है, उस मामले में बोर्ड यह आदेश दे सकेगा कि उस किशोर को परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहना होगा, निगरानी की अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी।

- (9) जिस मामले में बोर्ड यह विनिश्चय करता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाए, उस मामले में बोर्ड ऐसे किशोर को उपयुक्त देखरेख संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए निकटतम समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आवश्यक आदेश देगा।
- (10) जहां बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर ने परिवीक्षा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, उस मामले में बोर्ड संबंधित किशोर को विशेष गृह में निरूद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगा।
- (11) जहां विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु 16 वर्ष हो गई है तथा उसके द्वारा किया गया अपराध इतना गंभीर है कि बोर्ड को यह विश्वास है कि उस किशोर को विशेष गृह में रखा जाना न तो स्वयं उसके और न ही उस विशेष गृह में रहने वाले अन्य किशोरों के हित में है, उस मामले में बोर्ड संबंधित किशोर को सुरक्षित स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से रखे जाने का आदेश देगा।
- (12) विधि का उल्लंघन करने वाले विशेष श्रेणी के किशोरों को विशेष गृह के स्थान पर अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर निरूद्ध करने के अनुपालन की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।
- (13) किसी भी मामले में किसी किशोर को निरूद्ध किए जाने की अवधि अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(1) के खंड (छ) में उपबंधित अधिकतम अवधि से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

16. विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों हेतु संस्थाएं:--

- (1) राज्य सरकार स्वयं अथवा मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन से एकरारनामा कर लड़कों और लड़िकयों के लिए अपेक्षानुसार हरेक जिला में या जिलों के समूह में अलग—अलग संप्रेक्षण गृह अथवा विशेष गृह स्थापित करेंगी।
- (2) संप्रेक्षण गृह अथवा विशेष गृह 12 वर्ष तक की आयु के 13—15 वर्ष आयु—वर्ग के तथा 16 या इससे अधिक आयु के लड़कों और लड़कियों के लिए अलग—अलग आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
- (3) प्रत्येक संस्था अपने कर्मचारियों, वहां रहने वाले किशोरों और बालकों, दोनो के उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम, यदि कोई हो, की प्रति रखेगी।
- (4) राज्य सरकारें, नियम का सरलीकृत और बालोपयोगी रूपान्तर क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करवाकर उन्हें उपलब्ध कराएगी।
- (5) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को इस अधिनियम और राज्य के नियमों के उपबंधों के अनुसार सभी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और उनका अनुरक्षण किया जाएगा।

17. निर्मुक्ति:--

- (1) अधीक्षक विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे किशोरों का एक रोस्टर तैयार करेगा, जिन्हें वहां रहने का अविध की समाप्ति के पश्चात बोर्ड के आदेशानुसार रिहा किया जाना है।
- (2) निर्मुक्ति के कम से कम तीन माह पूर्व संबंधित अधीक्षक, पिरवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामले का कार्यकर्त्ता द्वारा प्रत्येक मामले को इस नियमावली के नियम 63 के

- अधीन गठित प्रबंध समिति के समक्ष रखा जाएगा, ताकि किशोर की निर्मुक्ति और निर्मुक्ति के पश्चात् समाज की मुख्य धारा में उसका प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके।
- (3) निर्मुक्ति, वैयक्तिक देखरेख योजना के अधीन तैयार निर्मुक्ति—पूर्व और निर्मुक्ति के पश्चात योजना तथा इस नियमावली के नियम—62 के अधीन गठित प्रबंध—सिमित द्वारा समय—समय पर समीक्षित योजना के अनुसार की जाएगी तथा निर्मुक्ति के सभी मामलों में निर्मुक्ति की तारीख से काफी पहले आवश्यक कार्रवाई और तैयारी शुरू कर दी जाएगी जिसमें निर्मुक्ति के पश्चात परिवीक्षा पदाधिकारी द्वारा दो वर्षों तक अनुवर्ती पर्यवेक्षण की तैयारी भी शामिल होगी।
- (4) किशोर की निर्मुक्ति की सूचना और निर्मुक्ति की सही तारीख की सूचना माता—पिता अथवा संरक्षक को समय रहते दी जाएगी और माता—पिता अथवा संरक्षक को निर्मुक्ति की तारीख पर किशोर को ले जाने के लिए संस्था में उक्त तारीख को आमंत्रित किया जाएगा।
- (5) यदि माता—पिता अथवा संरक्षक निर्धारित तारीख को किशोर को ले जाने के लिए नहीं आ जाते हों तो उसे संस्था के मार्गरक्षी द्वारा ले जाया जाएगा तथा लड़की को महिला मार्गरक्षी द्वारा ले जाया जाएगा जो उसे उनके माता—पिता/अभिभावक की अभिरक्षा में सुपुर्द कर देगा।
- (6) किशोर की निर्मुक्ति या निर्मोचन के समय किशोर को कपड़ों तथा प्रसाधन का जरूरी सामान देगा।
- (7) यदि किशोर का कोई संरक्षक या माता पिता नहीं है तो उसे किसी परवर्ती देखभाल संगठन / बाल कल्याण समिति के पास अथवा उसका रोजगार लग जाने की स्थिति में उस व्यक्ति के पास जिसने किशोर को नियोजन में लिया है भेजा जाए।
- (8) लड़िकयों की संस्था का प्रभारी अधिकारी लड़की की सहमित और बोर्ड के अनुमोदन के अधीन, अठारह वर्ष से अधिक आयु की लड़की को सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार परवर्ती देखरेख कार्यक्रम में प्रवेश दिलाकर या उसे कोई लाभदायक रोजगार या नौकरी दिलाकर या उसका विवाह कराकर उसे समाज की मुख्यधारा में लाने में उसकी सहायता कर सकता है।
- (9) अधीक्षक किसी किशोर के निरोध की अविध की समाप्ति पर प्रपन्न—VII में निर्मोचन का आदेश देगा और बोर्ड एवं निदेशक, समाज कल्याण को सात दिनों के अन्दर की गई कार्रवाई की सूचना देगा और यदि निर्मुक्ति की तारीख रविवार को या किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन पड़ती हो तो किशोर को उससे एक दिन पश्चात् निर्मोचित किया जाएगा और निर्मोचन रजिस्टर में इस आशय की प्रविष्टि की जाएगी। यदि अधीक्षक किशोर की निर्मुक्ति नियत तिथि को कराने में असफल रहता/रहती हो या आदेश के कार्यान्वयन में असफल रहता/रहती हो तो वह विभागीय कार्यवाही सिहत अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा।
- (10) उपर्युक्त मामलों में, अधीक्षक, राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित दरों पर जीवन निर्वाह हेतु धन और यथास्थिति रेल अथवा सड़क या दोनों के किराये का भुगतान करने का आदेश देगा।

- (11) उपयुक्त मामलों में, अधीक्षक किशोर को कोई कार्य या व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए यथावश्यक लघु औजार दे सकता है, लेकिन उनका अधिकतम मूल्य निर्मुक्ति उपरांत योजना के एक भाग के रूप में संस्था द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक नहीं होगा।
- (12) जहाँ विधि का उल्लंघन करनेवाला किशोर की मुक्ति के पश्चात जाने हेतु कोई स्थान नहीं हो या कोर्स पूरा होने के पश्चात एवं संस्थान में ठहरने हेतु अविध समाप्त होने पर, अधीक्षक, सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के अध्यधीन, उसे कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था होने तक ठहरने की अनुमित दे सकेगा या उसे किसी अन्य उत्तर रक्षा गृह में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

18. अधिनियम की धारा 21, 22, 23, 24, 25 और 26 के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया:-

- (1) अधिनियम की धारा 21 के अधीन अभिकथित उपबंधों के उल्लंघन की दशा में:
 - (क) बोर्ड द्वारा प्रकाशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रचार—माध्यमों द्वारा ऐसे उल्लंघन का संज्ञान लिया जाएगा और अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार आवश्यक जाँच शुरू की जाएगी तथा उपयुक्त आदेश पारित किए जाएँगे और जहाँ राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अधिनियम की धारा 21 के अधीन उल्लंघन का स्व—प्रेरणा से संज्ञान लिया है, वहाँ आयोग संबंधित जिले या राज्य के जिला अथवा राज्य बालक संरक्षण इकाई को यह निर्देश देते हुए सूचित करेगा कि बोर्ड के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- (2) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के भाग जाने की दशा में चौबीस घंटे के भीतर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:—
 - (क) संस्था के अधीक्षक उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर पुलिस इकाई को किशोर अथवा बालक के विवरण सिहत एक रिपोर्ट तत्काल भेजेगा, जिसके साथ उसका पहचान चिह्न और फोटो भेजा जाएगा और रिपोर्ट की एक-एक प्रति बोर्ड, जिला बालक संरक्षण इकाई और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भी भेजी जाएगी।
 - (ख) आश्रय गृहों अथवा ड्रॉपइन सेंटरों से भिन्न संस्थाओं के अधीक्षक गार्डों को अथवा संबंधित कर्मचारियों को किशोरों की तलाश में ऐसे स्थानों, जैसे रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों तथा अन्य स्थानों पर भेजेगा, जहाँ उसके जाने की संभावना हो सकती है;
 - (ग) माता-पिता अथवा संरक्षकों को बच्चे के ऐसे भाग जाने के बारे में तत्काल सूचित किया जाएगा; और
 - (घ) आश्रय गृह अथवा ड्रॉपइन सेंटरों से भिन्न संस्था का प्रभारी अधिकारी बच्चे के भाग जाने के मामले की जाँच करेगा और बोर्ड अथवा समिति और संबंधित प्राधिकारियों को अपनी रिपोर्ट भेजेगा और यह रिपोर्ट इन नियमावली के नियम 63 के अधीन गठित प्रबंधन समिति की आगामी बैठक में पुनर्वलोकन के लिए रखी जाएगी।
- (3) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के खिलाफ अपराध, जो धारा 23, धारा 24, धारा 25 और धारा 26 में निर्दिष्ट हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अधीन संज्ञेय होने के साथ—साथ या तो जमानतीय या अजमानतीय होंगे और ये कार्यविधियाँ तदनुसार पुलिस, बोर्ड तथा संबंधित प्राधिकारियों और अधिकारियों पर लागू होगी।

अध्याय—III देख—रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक

19. बाल कल्याण सिमिति— प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण सिमिति होगी, जिसका गठन अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अनुसार, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सिमिति को सुचारू रूप से चलाने हेतु राज्य सरकार आवश्यक संरचना, मानव एवं वित्तीय संसाधन प्रदान करेगी।

20. बाल कल्याण समिति की संरचना:-

- (1) समिति में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी।
- (2) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नियम 100 के अधीन इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।
- (3) सिमिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करते समय चयन सिमिति यथासंभव यह सुनिश्चित करेगी कि उनमें से कोई भी किसी दतक ग्रहण अभिकरण या बाल संस्थान से न हो।
- (4) राज्य सरकार, सिमिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को बाल मनोविज्ञान, बाल कल्याण, बाल अधिकार, सामाजिकरण और पुनर्वास, किशोर न्याय के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में सुसंगत विधि यथावश्यक प्रशिक्षण तथा अभविन्यास प्रदान करेगी।

21. समिति का कार्यकाल:-

- (1) समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा और समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल तक होगा।
- (2) समिति के अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम दो लगातार निर्धारित कार्यकाल हेतु नियुक्ति के पात्र होंगे।
- (3) समिति के सदस्यों के कार्यकाल में विस्तार राज्य सरकार द्वारा उनके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर तथा चयन समिति की सिफारिश पर होगा।
- (4) सिमिति के कार्यकाल के पूरा हो जाने पर निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, राज्य सरकार वर्तमान सिमिति की अविध समाप्त होने से पूर्व नई सिमिति का गठन करेगी; जिसके पश्चात वर्तमान सिमिति सभी अभिलेख तथा सूचनाएँ नव गठित सिमिति को सौंप देगी।
- (5) सिमिति के अध्यक्ष और सदस्य एक महीने की लिखित सूचना देने के पश्चात किसी भी समय पद त्याग कर सकेंगे अथवा इस अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के अनुसार पद से हटाए जा सकेंगे।
- (6) समिति में किसी भी आकस्मिक रिक्ति को चयन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा तथा वह व्यक्ति समिति के शेष कार्यकाल हेतु पद धारण करेगा।

22. समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अर्हताएँ:-

- (1) सिमिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में चयन किए जाने वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताओं में से किसी एक अर्हता के साथ—साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होगाः
 - (i) वैसा व्यक्ति जो सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, बाल विकास, शिक्षा, समाज शास्त्र, विधि, अपराध शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो, जब ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो सामाजिक विज्ञान की किसी एक क्षेत्र में कम से कम स्नातक हो।
 - (ii) शिक्षक, डॉक्टर अथवा सामाजिक कार्यकर्ता, जो बच्चों से संबंधित कार्य में संलग्न हो।
- (2) समिति के अध्यक्ष या सदस्य की आयु नियुक्ति / विस्तार के समय न्यूनतम 35 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष हो।
- (3) अध्यक्ष पद के लिए विधि में डिग्री प्राप्त व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (4) (2) उप नियम (1) के अर्हता के अनुसार जिला में उपयुक्त पात्र नहीं मिल पाने की स्थिति में चयन समिति उल्लिखत उप नियम (1) के विषयों में स्नातक के साथ 3 वर्ष अनुभव प्राप्त की अनुशंसा कर सकती है।
- (5) किसी व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य बनाने पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि वहः
 - (i) पूर्व में दोषसिद्ध हो चुके हों;
 - (ii) किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल उत्पीड़न के कार्य अथवा बाल श्रमिक के नियोजन में अंतर्वलित रहा हो;
 - (iii) ऐसा पूर्णकालिक व्यवसाय कर रहा हो, जिसके कारण इस अधिनियम तथा इस नियमावली के अनुसार समिति के कार्य के लिए आवश्यक समय एवं ध्यान नहीं दे सकता हो
 - (iv) इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन विहित अर्हताएं एवं अनुभव पूरा न करता हो, एसे मामलों में चयन सिमित जांच कर लेने के बाद तथा ऐसे तथ्यों व सिद्ध होने पर उसके आवेदन को रदद करेगी तथा रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की गई नामों की सूची में से दूसरे व्यक्ति के नाम की अनुशंसा करेगी।
- 23. बैठक एवं यात्रा भत्ता—समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा अवधारित यात्रा एवं बैठक भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यह भत्ता एक हजार रूपये प्रति बैठक प्रति सदस्य से कम न होगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों के भत्ते का भुगतान निदेशक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।

24. समिति की बैठकें:-

- (1) सिमिति अपनी बैठकें बाल गृह के परिसर अथवा बाल गृह के निकट किसी स्थान अथवा इस अधिनियम के अधीन चलाई जा रही किसी संस्था के उपयुक्त परिसर में आयोजित करेगी।
- (2) देखदेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चे अथवा बच्चों की सूचना मिलने पर यदि परिस्थितियाँ ऐसी हों कि बच्चों को समिति के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता, समिति बच्चे अथवा बच्चों तक पहुंचने के लिए स्वतः जाएगी और ऐसे बच्चे अथवा बच्चों के लिए सुविधाजनक स्थान पर अपनी बैठक आयोजित करेगी।
- (3) परिसर जहां समिति अपनी बैठकों का आयोजन करती है, बाल हितैषी होगा तथा किसी भी रूप में न्यायालय की तरह नहीं दिखेगा। उदाहरणार्थ समिति किसी मंच पर नहीं बैठेगी एवं बैठने की व्यवस्था एक समान होगी और वहां गवाहों के लिए कठघरा नहीं होगा।
- (4) सिमिति सप्ताह में कम से कम एक दिन बैठक आयोजित करेगी, जिसमें राज्य सरकार लंबित मामले अथवा कार्य के आधार पर वृद्धि कर सकेगी।
- (5) एक वर्ष में समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति तीन चौथाई आवश्यक होगी।
- (6) सिमिति के प्रत्येक सदस्य शासकीय कार्य के घंटे के दौरान प्रत्येक बैठक में कम से कम पाँच घंटे उपस्थित रहेंगे। कार्य के लंबित रहने की स्थिति में राज्य सरकार कार्य अविध को बढा सकेगी।

25. समिति के कार्य एवं शक्तियां:— समिति, अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात्:—

- (क) समिति के समक्ष पेश किए गए बच्चों का संज्ञान लेना एवं ग्रहण करना।
- (ख) समिति के समक्ष लाए गए मामले में विनिश्चय शीघ्रातिशीघ्र करना।
- (ग) देखरेख और संरक्षण योग्य जरूरतमंद ऐसे बालकों, जो विषम परिस्थितियों में रहने के कारण सिमिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में नहीं हैं, के पास जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार के सहयोग से पहुंचना।
- (घ) बच्चे की सुरक्षा और उनके हित को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों के बारे में आवश्यक जांच करना।
- (ङ) बाल कल्याण अधिकारियों अथवा परिवीक्षा अधिकारियों अथवा गैर—सरकारी संगठनों को सामाजिक जांच करने तथा समिति को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देना।
- (च) प्रत्येक बच्चों की देखरेख के लिए योजना तैयार करना।
- (छ) बच्चों की आवश्यक देख-रेख, संरक्षण तथा तत्काल आश्रय स्निश्चित करना।
- (ज) जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य दत्तक संसाधन अभिकरणों तथा अन्य अभिकरणों के साथ अनुवर्त्ती कार्रवाई तथा समन्वय के अतिरिक्त माता पिता अथवा संरक्षकों अथवा उपयुक्त व्यक्ति अथवा उपयुक्त संस्थान को आवश्यक निर्देश जारी करने सहित बच्चों के लिए उपयुक्त पुनर्वास एवं उनका पुनः स्थापन सुनिश्चित करना।
- (झ) आश्रय एवं देखभाल के जरूरतमंद बच्चों को ग्रहण करने के लिए बाल/आश्रय/पालना गृहों के अधीक्षक को निर्देश देना।

- (ञ) समिति द्वारा निपटाए गए प्रत्येक मामले के सार के साथ मामले का विस्तृत अभिलेख तैयार करना और उसका रख—रखाव करना।
- (ट) बच्चों के लिए, बच्चों के अनुकूल वातावरण प्रदान करना।
- (ठ) राज्य सरकार को बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए "उपयुक्त संस्थाओं" की सिफारिश करना।
- (ड) विनिर्दिष्ट मामलों में अस्थायी अवधि के लिए उपयुक्त व्यक्ति तथा उपयुक्त संस्था की घोषणा करना।
- (ढ) बच्चे को गोद लेने के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करना।
- (ण) अपने क्षेत्राधिकार के गुमशुदा बच्चों के संबंध में जानकारी रखना तथा आवश्यक अनुवर्त्ती कार्रवाई करना।
- (त) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद मामलों के संबंध में बोर्ड के साथ संपर्क बनाए रखना।
- (थ) राज्य सरकार के सहयोग से संस्थाओं में बच्चों की स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए प्रत्येक संस्था का, जहां देखरेख और संरक्षण के लिए या दत्तक ग्रहण के लिए बालक भेजे जाते हैं कम से कम तीन मास में एक दौरा करना तथा आवश्यक कार्रवाई का सुझाव देना।
- (द) बालकों के शोषण एवं बाल उत्पीड़न को रोकने के उद्देश्य से अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन बालकों से संबंधित संस्था एवं अभिकर्ताओं पर नियंत्रण रखना।
- (ध) जिला बाल संरक्षण अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, श्रम विभाग तथा बच्चों की देखरेख और संरक्षण में संलग्न अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- (न) जब कभी अपेक्षित हो सामाजिक जांच, पुनःस्थापन एवं पुनर्वास सिहत उपर्युक्त के लिए कॉरपोरेट सेक्टर तथा गैर सरकारी संगठनों से सम्पर्क करना एवं नेटवर्क बनाना।
- (प) बच्चों एवं व्यस्कों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से सुझाव पेटिका का रखरखाव करना तथा आवश्यक कार्रवाई करना।
- (फ) सिमति, जिला बाल संरक्षण इकाईयाँ किसी स्वयंसेवी संस्था की मदद से, विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, कॉरपोरेट एवं सामुदायिक अभिकरण की सूची तैयार करेगा ताकि बच्चों का पुनर्वास एवं सामाजिक पुनः एकीकरण प्रदान किया जा सके।
- (ब) किशोर के पुनर्वास या पुर्नस्थापन तथा त्वरित जॉच को सुकर बनाने हेतु अन्य जिलों की समितियों एवं अन्य संबंधित निकायों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- (भ) जब कभी अपेक्षा की जाए, किशोरों तथा अन्य संबंधित बातों से संबंधित मासिक सूचना तैयार करना और इसे जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य बाल संरक्षण इकाई को भेजना।
- (म) देख-रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद किशोर के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों को करना।
- (य) बाल कल्याण समिति स्थानीय प्राधिकार को बेसहारा बच्चों का, आवश्यक जाँचोपरान्त, जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश कर सकती है।

26. समिति से संबंधित प्रक्रिया:-

- (1) बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों की उपस्थिति होगी; जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित हो सकते हैं।
- (2) जब समिति बैठक में नहीं हो, तो किसी एक सदस्य द्वारा लिये गये निर्णय को समिति की अगली बैठक में अनुसमर्थन कराना अपेक्षित होगा।
- (3) मामले को निपटाने हेतु समिति बच्चे की आयु, विकासात्मक स्तर, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे की राय तथा बाल कल्याण अधिकारी अथवा परिवीक्षा पदाधिकारी मामले पर कार्य कर रहे कार्यकर्त्ता की सिफारिशों को ध्यान में रखेगी।
- (4) मामले के अंतिम निष्पादन के लिए समिति के आदेश को कम से कम दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे।

27. समिति के समक्ष किसी बालक को पेश करना:-

- (1) देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों को समिति के समक्ष यात्रा में लगे समय को छोड़कर चौबीस घंटे के भीतर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा पेश किया जाएगा:—
 - (क) किसी पुलिस अधिकारी अथवा विशेष किशोर न्याय पुलिस इकाई अथवा नामनिर्दिष्ट पुलिस अधिकारी:
 - (ख) कोई लोक सेवक;
 - (ग) चाइल्ड लाइन, पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे अन्य स्वैच्छिक संगठन अथवा अभिकरण:
 - (घ) सामाजिक कार्यकर्ता;
 - (ड़) लोक भावना से युक्त कोई नागरिक, अथवा
 - (च) स्वयं बच्चे द्वाराः
- (2) जब कभी उपर उल्लिखित व्यक्ति देख—रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद किशोर को अपने प्रभार में लेगा तब इसकी सूचना यथाशीघ्र पुलिस नियंत्रण कक्ष और चाईल्ड लाईन को देगा जिसमें किशोर का ब्यौरा, किस स्थिति में मुक्त कराया गया तथा किस समय एवं किस स्थान से मुक्त कर प्रभार में लिया गया, की जानकारी दी जाएगी। किशोर को प्रभार में लेने वाला व्यक्ति अपना ब्यौरा यथा नाम, पता और संगठन जिसमें वह कार्य कर रहा हो तथा मुक्तिदल के सदस्यों के संबंधित अन्य सुसंगत ब्यौरा भी दिया जाएगा।
- (3) दो वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ नहीं हों के मामले में व्यक्ति अथवा संगठन बच्चे का फोटो के साथ लिखित रिपोर्ट समिति को चौबीस घंटे के भीतर भेजेगा तथा जैसे ही बालक चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ होगा उसे चिकित्सा प्रमाण–पत्र के साथ समिति के समक्ष यथाशीघ्र पेश करेगा।
- (4) सिमिति उसकी जानकारी में लाए गए मामले का स्वतः संज्ञान ले सकती है तथा जहां आवश्यक हो, देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बच्चे तक पहुंच सकती है। ऐसे कार्य करने में सिमिति को जिला अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार आवश्यक समर्थन एवं सहायता प्रदान करेगी।

- (5) सिमिति की बैठक में नहीं होने की स्थिति में, बच्चे को सिमिति के समक्ष पेश किए जाने तक माता—पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति अथवा उपयुक्त संस्था की सुरक्षा में रखने के लिए अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन अभिकथित उपबंधों के अनुसार, सिमिति के किसी एक सदस्य के समक्ष बालक को पेश किया जा सकता है।
- (6) एक सदस्य तक भी नहीं पहुंच पाने की स्थिति में अथवा समय कार्य—समय से परे हो बालक को गैर—सरकारी संगठनों अथवा चाइल्ड लाइन अथवा पुलिस द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के लिए पंजीकृत उपर्युक्त संस्थान ले जाया जाएगा तथा बालक को सिमित के समक्ष प्रस्तुत करने के समय तक ऐसे संस्थान में रखा जाएगा।
- (7) संबंधित संस्थान, सिमिति के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को ऐसे बालक के बारे में सूचित करेगा तथा चौबीस घंटे के अंदर बालक को सिमिति के समक्ष पेश करेगा और ऐसे मामलों में देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चे को संस्थान तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को सिमिति के समक्ष करते समय उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा। यदि संस्थान सरकारी बाल गृह हो तो बालक को सिमिति की अगली बैठक के दौरान पेश किया जा सकेगा।
- (8) सिमिति के समक्ष बालक को जो कोई पेश करेगा उसे उन परिस्थितियों की रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिनके अधीन बालक उनकी जानकारी में आया हो तथा उनके द्वारा पुलिस एवं गुमशुदा व्यक्ति तलाश दल को सूचित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन अथवा किसी पुलिस कर्मी द्वारा बच्चे को सिमिति के समक्ष पेश करने की दिशा में उन्हें बच्चे के परिवार को खोजने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों की रिपोर्ट भी पेश करेगा।
- (9) सिमिति के समक्ष बालक को पेश करने अथवा संस्था में उसके प्रवेश के लिए बच्चे की किसी सामान्य चिकित्सक अथवा स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच कराना आवश्यक नहीं होगा।
- (10) सिमिति, खोए हुए बच्चों के साथ—साथ हिंसा, शोषण एवं बाल उत्पीड़न के मामलों में पुलिस शिकायत एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में सहायता करेगी तथा जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा जिला या राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण अथवा स्वैच्छिक संगठनों में उपलब्ध विधि अधिकारी के माध्यम से अपेक्षित विधिक सहायता का प्रबंध करेगी।
- (11) प्रत्येक समिति उसके द्वारा प्राप्त किए गए देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों के बारे में तिमाही प्रतिवेदन जिला अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार को भेजेगी।
- (12) समिति द्वारा इन कार्यवाहियों के दौरान बालक को बालक हितैषी वातावरण प्रदान किया जाएगा।
- (13) सिमिति के पास अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा मानिसक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का पैनल होगा, जो बाल उत्पीड़न के मामलों के निष्पादन में सिमिति की सहायता करेंगे तथा जब ऐसे बच्चों से संबंधित मामलों को नियमित आपराधिक न्यायालय में सुनवाई के लिए लाया जाएगा, तब ये पीड़ित बच्चों को विधि सेवाओं की सुलभता के लिए लोक अभियोजक अथवा सहायक लोक अभियोजक से विचार विमर्श भी करेंगे। बालिका के मामले में, लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक यथासंभव महिला होगी।
- (14) जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायता से बच्चों के कुटुम्ब को खोजने के सभी संभव प्रयास किए जाएंगे तथा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों, चाइल्ड लाइन अथवा पुलिस की भी सहायता ली जाएगी।

- (15) जाँच लंबित रहने तक, सिमित बच्चे की आयु एवं लिंग को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट सेवाओं वाले नामनिर्दिष्ट सुरक्षित स्थानों पर भेजेगी तथा ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार परिवहन की व्यवस्था करेगी अथवा व्यय के लिए वास्तविक किराये पर आधारित आवश्यक बजटीय आवंटन करेगी।
- (16) बच्चों के साथ सादे कपड़े में पुलिस अधिकारी अथवा स्वैच्छिक संगठन का प्रतिनिधि मार्गरक्षी होगा अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से समिति द्वारा उपयुक्त कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी तथा बालिका के मामले में उसके साथ महिला मार्गरक्षी होगी।
- (17) जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार द्वारा समिति को अधिनियम की धारा 34 के अधीन यथाविधित उपयुक्त सुविधाओं तथा क्षमता के साथ सभी मान्यता प्राप्त बाल संरक्षण संस्थाओं की सूची, बच्चों से संबंधित सभी संसाधन सेवाओं की सूची तथा संपर्क सूत्रों की सूची प्रदान की जाएगी।
- (18) सिमित जाँच लंबित रहने एवं बच्चे के पुनःस्थापन तक, जैसा भी मामला हो, माता—िपता, संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए प्रपन्न—VIII में आदेश करते समय ऐसे माता—िपता, संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति को प्रपन्न—IX में वचनबंध देने के लिए निदेश देगी।
- (19) जब कभी समिति जाँच लंबित होने तक बच्चे को किसी संस्था में रखने के लिए आदेश करेगी, तो सिमिति ऐसी संस्था के अधीक्षक को अल्पावधि स्थापन के आदेश की प्रति गृह तथा माता—पिता अथवा संरक्षकों एवं पिछले अभिलेखों का ब्यौरा **प्रपत्र—X** में भेजेगी।
- (20) जब समिति अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के उप—खंड (च) के अधीन प्रत्यर्पण के एक भाग के रूप में बच्चे को किसी उपयुक्त संस्था में रखने के लिए आदेश करती है, समिति ऐसे संस्थान के अधीक्षक को प्रपत्र—XI में पुनः स्थापन के आदेश की एक प्रति भी भेजेगी।
- (21)(क) सिमिति को यह भी समाधान कर लेना चाहिए कि बच्चे के साथ पुलिस या अन्य व्यक्ति के द्वारा बाल कल्याण सिमिति तक पहुँचाने में कोई उत्पीड़न तो नहीं किया गया है।
 - (ख) सिमति, प्रतिभूति पर या प्रतिभूति के बिना अंतिम निष्पादन किए जाने तक बालक को उसके माता–पिता / अभिभावक की देख–रेख में मुक्त कर सकेगी।
 - (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक के हित का महत्व सर्वोपिर है, सिमिति, कार्यवाही का संचालन अनौपचारिक तौर पर करेगी।
 - (घ) देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के हित को कुप्रभावित करने से संबंधित कोई बात प्रकाशित करने के लिए समिति किसी मीडिया के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करेगी।
 - (ङ) सिमति, देख—रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालक से पूछताछ करेगी तथा उनके बयान को दण्ड प्रक्रिया संहिता—1973 में यथा विनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभिलिखित करेगी।
 - (च) सिमित जाँच के दौरान, किसी भी चरण में यदि सिमित का समाधान हो जाए कि बालक की उपस्थित जाँच के लिए आवश्यक नहीं हैं तो उसकी उपस्थित का त्याग करते हुए बालक की अनुपस्थित में भी जाँच की कार्रवाई जारी रखेगी।
- (22) बालक को, जहाँ तक संभव हो, उनके माता—पिता अथवा अभिभावक के निवास स्थान के निकटतम संस्थान में रखा जाएगा, बशर्ते बालक का माता—पिता अथवा संरक्षक द्वारा शोषण अथवा उत्पीड़न न किया गया हो।

28. जाँच प्रक्रिया:--

- (1) जब किसी बालक को समिति के समक्ष पेश किया जाता हो, समिति प्रपत्र—XII में आदेश देकर बच्चे को जाँच करने के लिए परिवीक्षा पदाधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता अथवा बाल कल्याण अधिकारी को सौंपेगी।
- (2) सिमिति, व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करने तथा उपयुक्त पुनर्वास की व्यवस्था के लिए विवरण या विशिष्टियों की जाँच करने के बारे में संबद्ध व्यक्ति अथवा संगठन को निदेश देगी।
- (3) परिवीक्षा पदाधिकारी अथवा मामले के कार्यकर्ता अथवा बाल कल्याण अधिकारी द्वारा की गई सभी जाँचों का विवरणी प्रपन्न—XIII के अनुसार होगी तथा उसमें बच्चे की पारिवारिक स्थिति के मूल्यांकन का विस्तृत ब्यौरा भी दिया जाएगा एवं लिखित रूप में यह स्पष्ट करना होगा कि बालक को उसके परिवार में पुनःस्थापित करना उसके हित में होगा या नहीं।
- (4) जाँच चार माह के भीतर अथवा समिति द्वारा यथानियत उससे कम अविध में ही पूरी की जाएगी; परन्तु समिति, बच्चों के सर्वोत्तम हित में तथा अभिलिखित कारणों से विशेष परिस्थितियों में उक्त अविध को बढा सकेगी।
- (5) जाँच पूरी होने के पश्चात् यदि बालक को बाल गृह में रहने का आदेश दिया जाता हो तो सिमिति, गृह के अधीक्षक को ऐसे बालक की तिमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा प्रगति की वार्षिक समीक्षा के लिए सिमिति के समक्ष पेश करने के लिए निदेश देगी।

29. बाल गृह:--

- (1) राज्य सरकार स्वयं अथवा स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से, निम्नलिखित निर्दिष्ट रीति से देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों के लिए पृथक् गृहों का स्थापना करेगी:
 - (क) अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) तथा इस नियमावली के नियम 82 के अधीन सभी बाल गृह शिशु देख—रेख संस्थान के रूप में रजिस्ट्रीकृत होंगे ।
 - (ख) नियम 83 में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार सभी बाल गृह प्रमाणित होंगे ।
 - (ग) सभी बाल गृह उनके द्वारा देखरेख और संरक्षण के लिए प्राप्त प्रत्येक बालक के विषय में संबद्ध समिति को रिपोर्ट देंगें।
 - (घ) 10 वर्ष से कम आयु के लड़कों और लड़िकयों को एक ही गृह में रखा जा सकता है किंतु 5 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों एवं लड़िकयों के लिए अलग—अलग सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।
 - (ङ) प्रत्येक बाल गृह में उपयुक्त सुविधाओं के साथ 0—5 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए अलग—अलग सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
 - (च) 10 वर्ष से 18 वर्ष तक के लड़के एवं लड़िकयों के लिए अलग—अलग बाल गृह स्थापित किए जायेंगे।
 - (छ) उम्र समूह 10—18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 10—15 वर्ष तथा 15—18 वर्ष के दो समूहों में अलग—अलग किए जाएगें।

- (2) प्रत्येक बाल गृह, व्यापक रूप में बाल संरक्षण केन्द्र होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य किशोर गृह राज्य सरकार या अन्य किसी सम्बद्ध स्वैच्छिक संगठन नियमित पुनरीक्षण के अलावा इस नियमावली के नियम 62 के अधीन गठित प्रबंध समिति के माध्यम से समुदाय एवं स्थानीय गैर—सरकारी संगठनों की भागीदारी के द्वारा बच्चे के देखरेख के लिए समेकित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना होगा तथा जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार इन बाल गृहों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा करेगी।
- (3) ऐसे केन्द्रों के कार्यकलाप निम्नलिखित पर केन्द्रित होंगी:--
 - (क) अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक बच्चे के लिए निजी दायित्व योजना तैयार करना तथा उसका अनुसरण करना, विशेष रूप से बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक आवश्यकताओं, शिक्षा, कौशल विकास, संरक्षण तथा विशिष्ट आवश्यकताओं; यदि कोई हो, की पूर्ति करना।
 - (ख) परिवार आधारित गैर—संस्थागत सेवाएं— जैसे कि पोष्य परिवार देखरेख, दत्तक ग्रहण एवं प्रायोजन।
 - (ग) संघर्ष अथवा आपदा की स्थिति में तथा संक्रमित अथवा ठीक न होने वाली बीमारियों से प्रभावित किशोरों अथवा बच्चों को उपेक्षा से बचाने के लिए परिवार परामर्श, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोसामाजिक उपायों तथा प्रायोजन के माध्यम से विशषेज्ञ सेवाएं।
 - (घ) चाइल्ड लाइन (नि:शुल्क हैल्प लाइन) के माध्यम से आपातकालीन सेवाओं का विस्तार।
 - (ङ) छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा स्कीम से संकेन्द्रण।
 - (च) बच्चों को समर्थक सेवाएँ प्रदान करने वाले संगठनों और व्यक्तियों से सम्पर्क।
 - (छ) बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने वाले इच्छुक स्वंयसेवियों को अवसर प्रदान करना।
 - (ज) यह सुनिश्चित करना कि बालक का परिवार के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो और परिवार के साथ संबंध स्थापित हो।
 - (झ) हिंसात्मक परियोजना के विकल्प जैसा सामूहिक परामर्श की व्यवस्था करना।

30. आश्रय गृह:-

- (1) देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चे यथा गली कूची के बच्चे तथा घर से भागे हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार खुद या स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से अपेक्षित संख्या में आश्रय गृहों अथवा ड्रॉपइन—सेंटरों की स्थापना में सहायता करेगी।
- (2) आश्रय गृहों में शामिल है:--
 - (क) अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी आश्रय, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए अल्प—अविध गृह।
 - (ख) चार महीनों की अधिकतम अवधि के लिए बालकों को तात्कालिक देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के लिए अंतःकालीन गृह।

- (ग) दिन में देख—रेख या रात्रि आश्रय सुविधाओं के जरूरतमंद बालकों के लिए चौबीस घंटे खुले रहने वाले ड्रॉपइन सेंटर।
- (3) आश्रय—गृहों अथवा ड्रॉपइन सेंटर में कपड़े, भोजन, स्वास्थ्य देखरेख एवं पोषण, सुरक्षित पेयजल एवं सफाई के मामलों में बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रहने एवं खाने की सुविधाएं होंगी।
- (4) इस नियमावली के नियम 47(2)(घ) के अनुसार लड़िकयों एवं लड़कों के लिए अलग—अलग आश्रय—गृह होंगे।
- (5) सभी आश्रय—गृहों में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श तथा मनोरंजन की अपेक्षित सुविधाएं होंगी अथवा स्वैच्छिक संगठनों अथवा कॉरपोरेट —क्षेत्र के सहयोग से इनकी व्यवस्था की जाएगी।
- (6) समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई, सरकारी कर्मचारी, चाइल्ड लाइन, स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बच्चे स्वयं ऐसे आश्रय–गृहों में बच्चों को भेज सकेंगे तथा बच्चे स्वयं इन गृहों में जा सकेंगे।
- (7) सभी आश्रय—गृह, समिति, गुमशुदा व्यक्ति के लिए गठित ब्यूरो अथवा विशेष किशोर न्याय पुलिस इकाई एवं जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य बाल संरक्षण इकाई को आश्रय गृह की सुविधाओं का उपयोग करने वाले बच्चों का उनके फोटो के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- (8) अधिनियम की धारा 32, धारा 33, धारा 38 एवं धारा 39 के अधीन जाँच एवं मामले के निष्पादन के लिए आश्रय गृह द्वारा समिति के समक्ष बच्चे को पेश करने की आवश्यकता होगी, जो इस नियमावली के नियम 30 (2) (ग) में यथोल्लिखित ड्रॉपइन सेंटरों से भिन्न केवल आश्रय गृहों पर ही लागू होगी।
- (9) आश्रय गृहों में बच्चों की समुचित देखभाल, संरक्षण, विकास, पुनर्वास एवं समेकन की जरूरतों के लिए प्रभारी थाना प्रभारी, बाल कल्याण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाएं प्रदान की जाएगी।
- (10) विशेष परिस्थितियों में समिति के अनुमोदन छोड़कर किसी भी बच्चे को अल्पाविध निवास गृह में सामान्यतः एक वर्ष से अधिक की अविध हेतु नहीं रखा जाएगा।
- 31. बालकों के यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए दिशानिर्देश—राज्य सरकार, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, अन्य सक्षम पदाधिकारी और अभिकरण तथा प्रत्येक व्यक्ति बच्चों के सर्वोत्तम हित में, बालकों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु समय—समय पर राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देशों का पालन करेंगे।

अध्याय -IV पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन

32. पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन— पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन का मुख्य उद्देश्य बालकों को उनके सम्मान और स्वाभिमान को पुनः स्थापित करने तथा जहाँ कहीं संभव हों, उनके ही परिवार में पुनर्वास के माध्यम से अथवा अन्यथा वैकल्पिक देखभाल कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता करना है तथा दीर्घकालीन संस्थागत देखभाल अंतिम प्रयास होगा।

33. दत्तक ग्रहण:-

- (1) दत्तक ग्रहण का मुख्य उद्देश्य ऐसे बालक को, जिसकी उसके जन्मदाता माता—पिता द्वारा देखभाल नहीं की जा सकती है, स्थायी वैकल्पिक परिवार प्रदान करना है।
- (2) दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी मामलों के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा जारी किए गए तथा अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दिशार्निदेश लागू होंगे।
- (3) अनाथ और परित्यक्त बालकों के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी, अर्थात्:--
 - (क) जहाँ कहीं भी विशिष्ट दत्तक अभिकरण पिरत्यक्त बालक प्राप्त करते हों, 24 घंटे के भीतर पुलिस थाना को इसकी सूचना देंगे।
 - (ख) विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे सभी अनाथ और पिरत्यक्त बालकों को, जिन्हें दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाना है, ऐसे बालकों की प्राप्ति के समय से, यात्रा में लगे समय को छोडकर, चौबीस घंटे के भीतर, समिति के समक्ष पेश करेंगे।
 - (ग) कोई बालक दत्तक ग्रहण हेतु तब पात्र हो जाता है, जब समिति अपनी जाँच पूरी कर लेती है तथा बालक को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित कर देती है।
 - (घ) ऐसी घोषणा प्रपत्र—XIV में की जाएगी।
 - (ड.) किसी बालक को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करते समय उस बालक को समिति के समक्ष अवश्य पेश किया जाएगा।
 - (च) जब कभी पुलिस को किसी परित्यक्त शिशु के बारे में सूचना प्राप्त होती है, पुलिस उस शिशु को अपने अधिकार में लेगी तथा शीघ्र चिकित्सा सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए व्यवस्था करेगी।
 - (छ) तत्पश्चात्, बालक को विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा मान्यता प्राप्त और प्रमाणित बाल गृह अथवा किसी सरकारी अस्पताल के शिशु इकाई में रखा जाएगा, तत्पश्चात् चौबीस घंटे के भीतर बालक को समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।
 - (ज) किसी बालक को पिरत्यक्त घोषित करने और दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त प्रमाणित करने की प्रक्रिया:-
 - (i) किसी परित्यक्त बालक के मामले में, मान्यताप्राप्त अभिकरण चौबीस घंटे के भीतर उस पुलिस स्टेशन में, जिसकी अधिकारिता में बालक परित्यक्त पाया गया था, फाइल की गई रिपोर्ट की प्रति के साथ समिति के समक्ष रिपोर्ट करेगा और बालक को पेश किया जाएगा।

- (ii) समिति जाँच प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी द्वारा की गई जाँच भी है और जो एक मास के भीतर प्रपत्र—XIII में निष्कर्षों वाली अपनी रिपोर्ट समिति को देगा।
- (iii) विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा यह कथन करने वाली एक घोषणा की जाएगी कि दो वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए कम से कम एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में अधिसूचित करने के पश्चात् भी बालक के लिए कोई दावा करने वाला / वाली नहीं है तथा दो वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए टेलीविजन अथवा रेडियो पर या किसी अन्य प्रचलित तरीके से अतिरिक्त उद्घोषणा की जाएगी तथा गुमशुदा व्यक्ति तलाश दल अथवा ब्यूरो को अधिसूचित किया जाएगा।
- (iv) उपरोक्त (iii) में कथित उपाय, दो वर्ष से कम आयु के बालकों के मामले में बालक के पाए जाने के समय से साठ दिन की अवधि के भीतर किए जायेंगे तथा दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के मामले में, यह अवधि चार माह होगी।
- (v) अधिसूचना की अवधि, इस उप नियम के खंड (ii) के अधीन की जाने वाली जाँच और रिपोर्ट पेश करने के साथ-साथ चलेगी।
- (vi) सिमिति, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण की इस उपनियम के खंड (ii) और (iii) के अधीन घोषणा सिहत जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने पर बालक को विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।
- (vii) सात वर्ष से अधिक आयु के किसी भी बालक को, जो समझ सकता है तथा अपना विचार व्यक्त कर सकता है, बालक का कथन बाल कल्याण समिति के समक्ष रिकार्ड किया जायेगा तथा बालक की सहमति के बिना दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त घोषित नहीं किया जायेगा।
- (4) अभ्यर्पित बालकों के मामले में, निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी, अर्थात् :
 - (क) अभ्यर्पित बालक, ऐसा बालक है जिसे समिति द्वारा सम्यक जाँच प्रक्रिया के पश्चात् उस रूप में घोषित किया गया है तथा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने के लिए 'अभ्यर्पित' है। अभ्यर्पित बालक निम्नलिखित में से कोई होगा :--
 - (i) असहमति से बने संबंधों के परिणामस्वरूप जन्मा बालक;
 - (ii) अविवाहित माँ अथवा विवाहेत्तर संबंध से जन्मा बालक;
 - (iii) ऐसा बालक, जिसके मामले में जन्मदाता माता—पिता में से एक की मृत्यु हो गई हो तथा जीवित माता ∕ पिता उसकी देखभाल करने में असमर्थ हैं ;
 - (iv) कोई बालक, जहाँ उसके माता—पिता अथवा अभिभावक अपने नियंत्रण से परे शारीरिक, भावनात्मक तथा सामाजिक कारणों से उसका त्याग करने के लिए मजबूर हैं।

- (ख) सिमिति द्वारा माता—पिता को समझाने, उन्हें दत्तक ग्रहण के पिरणामों को बताने तथा माता—पिता द्वारा बालकों को रखने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे तथा यदि माता—पिता बालक को रखने के इच्छुक नहीं हैं, तब, ऐसे बालकों को शुरू में पालन—पोषण देखरेख में रखा जाएगा तथा उनके प्रायोजकों की व्यवस्था की जाएगी।
- (ग) यदि अभ्यर्पण अपरिहार्य है तो समिति के समक्ष गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर **प्रपत्र-XV** में अभ्यर्पण विलेख निष्पादित किया जायेगा।
- (घ) दत्तक ग्रहण अभिकरण, अभ्यर्पण के बाद जन्मदाता माता या पिता अथवा माता—पिता को पुनः विचार करने के लिए दिए गए दो मास के समय के पूरा होने तक इंतजार करेगा।
- (ड.) जन्मदाता माता पिता अथवा माता—पिता द्वारा अभ्यर्पित बालक के मामले में, माता—पिता द्वारा अभ्यर्पण दस्तावेज समिति के समक्ष निष्पादित किया जाएगा।
- (च) सिमिति सम्यक जाँच के पश्चात् केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार साठ दिनों की पुनः विचार की अविध के पश्चात् यथास्थिति **प्रपत्र—XIII** में अभ्यर्पित बालक को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।
- (5) अधिनियम की धारा 41 के प्रयोजनों के लिए न्यायालय' से ऐसा सिविल न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी दत्तक ग्रहण और संरक्षता के मामलों पर अधिकारिता हो तथा इसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश का न्यायालय, परिवार न्यायालय और व्यवहार न्यायालय भी हैं।

34 . पालन-पोषण देखभाल:-

- (1) जिन बालकों को दत्तक ग्रहण में नहीं रखा जा सकता है, उनके लिए इस अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अनुसार, यथास्थिति, परिवीक्षा अधिकारी अथवा केस वर्कर अथवा सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रपन्न—XVII में पालन पोषण देखभाल का आदेश जारी किया जाएगा और पालन—पोषण देखभाल की अवधि बच्चे की जरूरत पर निर्भर करेगी।
- (2) राज्य सरकार, अपना स्वयं का पालन पोषण देखभाल कार्यक्रम तैयार करेगी, जिससे बालकों का संस्थानिकरण कम किया जा सके तथा प्रत्येक बालक का पारिवारिक वातावरण में पालन पोषण हो सके।
- (3) राज्य सरकार पालन पोषण देखभाल कार्यक्रम तैयार करने में बोर्डों अथवा समितियों, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों एवं बालकों के लिए वैकल्पिक देखभाल संबंधी कार्य कर रहे संगठनों से विचार विमर्श करेगी।
- (4) बच्चों के गैर संस्थानिकरण करने एवं उन्हें पालन—पोषण देखभाल में रखने का निर्णय बाल कल्याण समिति की स्वीकृति से लिया जाएगा।

35. पालन पोषण देखभाल के लिए परिवारों के चयन हेतू मापदंड:--

- (1) इस नियमावली के नियम 34 के अन्तर्गत आने वाले बालकों के मामलों में, पालन—पोषण देखभाल के लिए परिवारों के चयन हेतु निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे, अर्थात—
 - (i) पोषक माता-पिता का परिवार के साथ स्थायी भावनात्मक सामंजस्य होना चाहिए,
 - (ii) पोषक माता-पिता की अपनी ऐसी आय होनी चाहिए, जिसमें वे बालक की जरूरत को पूरा करने में समर्थ हों अथवा वे पालन पोषण देखभाल भत्ते के संदाय पर निर्भर न हों;
 - (iii) परिवार की मासिक आय पोष्य बालकों की देखरेख करने के लिए पर्याप्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित होगी;
 - (iv) यह निर्धारित करने के लिए कि पिरसर में रहने वाले पिरवार के सभी सदस्य, चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ्य हैं, एच०आई०बी० (हयूमेन इम्यूनो डेफिशिंएंसी वायरस) एवं हैपटाईटेस–बी संबंधी जाँचों सिहत उनकी चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए;
 - (v) पोषक माता—पिता में बाल देख—रेख का अनुभव तथा अच्छी बाल देखभाल प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए:
 - (vi) पोषक माता-पिता शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने चाहिए;
 - (vii) घर में पर्याप्त स्थान एवं बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिए;
 - (viii) पालन पोषण देखभाल करने वाला परिवार शिशु रोग विशेषज्ञ से बालक के नियमित जाँच कराने, बालक के स्वास्थ्य एवं उनके रिकॉर्ड की देखरेख सहित अभिकथित किए गए नियमों का पालन करने का इच्छुक होना चाहिए;
 - (ix) परिवार ऐसे करार पर हस्ताक्षर करने का तथा जब कभी ऐसा करने को कहा जाए, बालक को विशेष दतक ग्रहण अभिकरण को वापस करने का इच्छ्क होना चाहिए;
 - (x) पोषक माता पिता को प्रशिक्षण अथवा अभिविन्यास कार्यक्रमों में हिस्सा लेने को इच्छुक होना चाहिए:
 - (xi) पोषक माता पिता को बालक को अभिकरण द्वारा अनुमोदित शिशु रोग विशेषज्ञ के पास नियमित जाँच (शिशुओं के मामले में मास में कम से कम एक बार) के लिए ले जाने का इच्छुक होना चाहिए;
 - (xii) एकल माता पिता को विपरीत लिंग के बच्चे को पालन—पोषण देख—रेख में नहीं दिया जा सकता यदि उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष से कम हो;
- (2) पोषक माता—पिता के चयन में जाति, धर्म, जातीय परिस्थिति, विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा या पालन पोषण देखभाल स्थापन का विनिश्चय करने में बालक की दशा या स्वास्थ्य और उसका सर्वोत्तम हित प्रमुख होगा;
- (3) प्रपत्र XVI के अनुसार, बाल कल्याण अधिकारी अथवा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किये गए व्यापक मूल्यांकन के बाद अधिनियम की धारा 2 के खंड (1) में अभिकथित उपबंधों के अनुसार, बच्चे को पालन—पोषण हेतु देने के पहले पोषक माता—पिता को समिति द्वारा 'उपयुक्त व्यक्ति' द्योषित किया जाएगा;

- 36. पूर्व दतक ग्रहण—पालन पोषण—पूर्व दतक ग्रहण पालन—पोषण देखभाल के मामले में, अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) तथा धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित संगत दिशा—निर्देशों में अन्तर्विष्ट उपबंध लागू होंगे।
- 37. भरण-पोषण अनुदान—भरण पोषण करनेवाला माता-पिता यदि रक्त नातेदार हो तो उसे बालक के भरण पोषण के लिए समय समय पर नियत की जाने वाली राशि भुगतान की जाएगी। भरण पोषण करनेवाले परिवार को राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनानुसार राशि दी जायेगी।

38. लक्ष्य-समूह:-

- (1) असमर्थ परिवारों से या संस्थानों से आने वाले बच्चे या जिनके जैविक माता—पिता या तो अक्षम है या संकट की स्थिति में है और बच्चे की देख—रेख एवं संरक्षण देने में असमर्थ है, वे भरण पोषण देख—रेख के लिए लक्ष्य समूह होंगे।
- (2) जिन बच्चों को विभिन्न कारणों से दत्तक ग्रहण हेतु नहीं दिया जा सकता, उनपर भरण पोषण देख—रेख के लिए विचार किया जा सकता है।
- 39. कार्यकम का कार्यान्वयन— भरण पोषण देख-रेख का कार्यान्वयन प्रत्येक जिला में बाल कल्याण समिति द्वारा किया जायेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई तथा अधीक्षक, बाल गृह द्वारा निम्नांकित कार्यों का संपादन करेंगे :
 - (क) भरण पोषण करने वाले परिवार का चयन करना,
 - (ख) भरण पोषण करने वाले परिवारों को दत्तक ग्रहण हेतु समीक्षा करना, उनका अभिविन्यास करना और उन्हें प्रशिक्षित करना।
 - (ग) परिवारों और बच्चे को परामर्श-सहयोग एवं जानकारी प्रदान करना होगा,
 - (घ) परिवार और बच्चे के बीच के संबंधों के बारे में पाक्षिक समीक्षा करना,
 - (ड.) यदि जैविक परिवार उपलब्ध हो तो इस संबंध को बनाए रखेगा बशर्त्ते वह सुरक्षित संबंध हो,
 - (च) बालक के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने हेतु पालन पोषण करने वाले परिवार में रह रहे बालक के पुनर्वास संबंधी उपायों के लिए निरंतर शिक्षा के रूप में या व्यावसायिक प्रशिक्षण या किसी शिल्प के विकास कार्यक्रम के माध्यम से हल निकालना:
 - (छ) परामर्श एवं अन्य समर्थन प्रदान करना,
 - (ज) बाल कल्याण समिति बालकों की प्रगति का अनुश्रवण करेगा।

40. (1) पालन-पोषण करने हेतु योग्य व्यक्तियों को मान्यता देना :--

(i) पालन पोषण करने वाले माता—पिता के रूप में मान्यता प्राप्त करने का नियमावली के अधीन मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति बाल कल्याण समिति के समक्ष आवेदन करेगा। आवेदन के साथ वह अन्य पित/पत्नी यिद कोई हो, की सहमित तथा अपने पिरवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में रिजस्ट्रीकृत व्यवसायिक चिकित्सक का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसी राजपत्रित पदाधिकारी से चिरत्र प्रमाण पत्र या स्थानीय स्थानिक कल्याण संघ से अनुशंसा अनुलग्न करेगा/करेगी।

- (ii) मान्यता प्रदान करने या वापस लेने का निर्णय कल्याण पदाधिकारी और / या स्वयंसेवी संगठन के प्रतिवेदन का गहन परीक्षण के उपरान्त बाल कल्याण समिति के द्वारा लिया जाएगा।
- (iii) सिमिति पालन पोषण देखरेख में रखे गए बालक के अभिरक्षा का एक योग्य व्यक्ति से दूसरे योग्य व्यक्ति को अंतरण, उनके कारणों की सम्यक व्याख्या करते हुए कर सकेगी। संबद्ध व्यक्ति, सिमिति के ऐसे आदेश के 24 घंटों के भीतर बालक की अभिरक्षा अंतिरित कर देगा ऐसा नहीं करने पर सिमिति विधि सम्मत उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

2. स्वयंसेवी संगठन का विनियोजन:--

- (i) इस नियमावली के अधीन विनियोजन का इच्छुक कोई संगठन नियमों, उप विधियों, संगम—अनुच्छेद, सोसायटी या संगठन को चलाने वाले संघ के सदस्यों की सूची, पदधारकों की एक—एक प्रति तथा संगठन द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट बालक देख—रेख सेवाओं की स्थिति एवं पूर्व के रिकॉर्ड दर्शाने वाले विवरण के साथ बाल कल्याण समिति को आवेदन करेगा, जो संगठन की क्षमता का सत्यापन करने के पश्चात नियोजन की प्रस्वीकृति इस नियमावली के अधीन इस शर्त पर दे सकेगा कि वह संगठन अधिनियम एवं इसके अधीन समय—समय पर बनाए नियमों में निर्धारित मापदंडों का अनुपालन करेगा।
- (ii) स्वयंसेवी संगठन सम्बद्ध बाल कल्याण सिमिति को बालक देख—रेख में दिए जाने से संबंधित सिमिति द्वारा यथानिर्देशित सभी प्रतिवेदन, सिमिति द्वारा विहित समय—सीमा के भीतर, प्रस्तुत करेगा। इन प्रतिवेदनों में प्रपत्र—XVI में आच्छादित बिंदुओं सिहत सभी आवश्यक विवरण होंगे।
- (iii) सिमिति के निदेशानुसार स्वयंसेवी संगठन द्वारा प्रस्तुत सभी प्रतिवेदन के लिए उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान बाल कल्याण सिमित सुनिश्चित करेगी।
- 41. पालक माता—पिता के द्वारा किया जाने वाला एकरारनामा—पालन—पोषण देख—रेख अवधि के दौरान, पालन—पोषण करने वाले माता—पिता निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करने के लिए बाल कल्याण समिति के साथ एक एकरारनामा करेगा :—
 - (i) कि पालक माता-पिता यह सुनिश्चित करेगा बच्चे को समुचित शिक्षा प्रदान की जाए;
 - (ii) कि बच्चे को प्यार और स्नेह के साथ व्यवहार किया जाएगा और बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा;
 - (iii) कि बच्चे के साथ दुराचरण नहीं किया जाएगा;
 - (iv) पालक माता—पिता जैविक माता—पिता को आने की अनुमित देंगे और बालक की देख—रेख एवं विकास हेतु उनके विचारों का सम्मान करेंगे;
 - (v) पालक माता—पिता, बाल कल्याण समिति एवं राज्य सरकार के निदेशों का अनुपालन सम्यक तत्परता से करेंगे :
 - (vi) बालक के भावी योजना के संबंध में विचार—विमर्श हेतु जब भी बुलाया जाएगा, पालक माता—पिता बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित होंगे;
 - (vii) पालक माता—पिता कल्याण पदाधिकारी या अधिकृत स्वयंसेवी संगठन के समक्ष बालक के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवहार, चाल—चलन एवं समय—समय पर यथापेक्षित बालक के संबंध में किन्हीं अन्य बातों की जानकारी देंगे;

- (viii) सिमिति द्वारा जब कभी ऐसा आदेश दिया जाए पालक माता—पिता, बालक को बाल कल्याण सिमिति को वापस कर देगा:
- (ix) यदि बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो तो पालक माता—पिता अविलम्ब इसकी सूचना कल्याण पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति एवं स्वयंसेवी संगठन को देगा;
- (x) पालक माता—पिता आवासीय पता—परिवर्तन की सूचना बाल कल्याण समिति एवं सम्बद्ध स्वयंसेवी संगठन को देगा;
- (xi) एक सप्ताह से अधिक के लिए बच्चे को बाहर ले जाने की स्थिति में पालक माता—पिता बाल कल्याण समिति की लिखित पुर्वानुमति लेगा;
- (xii) यदि पालन—पोषण देख—रेख में रखा गया बच्चा गुम हो जाये तो पालक माता—पिता इसकी सूचना अविलम्ब पुलिस को देगा;
- (xiii) बच्चों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, बिना इनकार के करनी होगी;
- (xiv) विशिष्ट मामलों में अधिरोपित किन्हीं अन्य शर्त्तो का अनुपालन पालक माता पिता करेंगे;
- (xv) पालक माता—पिता इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि शर्त्तों के उल्लंधन करने या बच्चों के साथ दुराचार की स्थिति में बच्चे को उनके अभिरक्षा से वापस ले लिया जाएगा। शारीरिक या यौन दुराचार के मामले में पालक माता—पिता के विरुद्ध अपराधिक कार्रवाई चलाई जाएगी।

42. राज्य सरकार की भूमिका:--

- (1) राज्य सरकार, राज्य के संसाधन को ध्यान में रखते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु निधि आवंटित करेगी। निदेशक, समाज कल्याण योजना के प्रभावकारी कर्यान्वयन के लिए नोडल प्राधिकारी होंगे।
- (2) समाज कल्याण विभाग या राज्य बाल संरक्षण समिति :--
 - (i) बाल कल्याण समिति के माध्यम से पालन पोषण देख-रेख कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगा;
 - (ii) योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगा;
 - (iii) पालक माता—पिता द्वारा शर्त्तों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में, आवश्यक जाँच करने के उपरांत एवं बाल कल्याण समिति को सूचित कर पालक माता—पिता की मान्यता समाप्त कर देगा:
 - (iv) जागरूकता लाने, समन्वय एवं नेटवर्किंग कार्य करने वालों को प्रशिक्षण के संबंध में उपयुक्त कदम उठाएगा;
- (3) जिला बाल संरक्षण इकाई या बाल गृह के अधीक्षक / केस कार्यकर्त्ता / सामाजिक कार्यकर्त्ता:--
 - (क) अभिलेखों एवं केस संचिकाओं तथा विहित प्रपत्र में अनुवर्ती प्रतिवेदनों को संधारित करेगा;
 - (ख) सिमिति को आविधक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें लेखा, व्ययन, पालन—पोषण देख—रेख करने वाले परिवार को सहायता एवं बालक के विकास के ब्यौरे होंगे;
 - (ग) योजना का कार्यान्वयन हेतु एक या अधिक अर्हता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्त्ता की नियुक्ति करेगा जिसे 5000/- (पॉच हजार) रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा जिसे सरकार आदेश द्वारा समय-समय पुनरीक्षण कर सकेगी।

43. प्रयोजन:-

- (1) राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों, बाल कल्याण समितियों, अन्य सुसंगत सरकारी अभिकरणों तथा कारपोरेट क्षेत्र के परामर्श से प्रायोजन कार्यक्रम तैयार करेगी।
- (2) राज्य सरकार जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाइयों की सहायता से, जोखिम में रह रहे परिवारों और बालकों की पहचान करेगी तथा बाल शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं, के लिए प्रायोजन के रूप में आवश्यक समर्थक सेवाएँ प्रदान करेगी।
- (3) बाल गृह और विशेष गृह अधिनियम की धारा 43 में यथा अभिकथित प्रायोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे।
- (4) प्रायोजन प्राप्त करने वाली संस्थाएँ कार्यक्रम के लिए सभी प्राप्तियों और संदायों के उचित और पृथक लेखा संधारित करेगी।
- (5) बोर्ड अथवा सिमिति किसी किशोर अथवा बालक को सहायता देने के लिए प्रपत्र **XVIII** में एक आदेश करेगी तथा इसकी एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अथवा राज्य सरकार बाल संरक्षण इकाई अथवा राज्य सरकार को भेजेगी।
- (6) राज्य सरकार, व्यक्तियों, संस्थानों, कॉरपोरेट क्षेत्रों, वित्तीय संस्था, उद्योग इत्यादि को बदले में किसी लाभ की आशा किए बिना निम्नलिखित को प्रायोजित या समर्थित करने की अनुमित दे सकेगी:—
 - (i) बच्चे को बालश्रम से वापस लेने के लिए किसी भी बच्चा या उसके परिवार को प्रायोजन के अधीन सहायता दी जाएगी;
 - (ii) बाल व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम एवं बालक के आचरण में सुधार से संबंधित कोई क्रियाकलाप,
 - (iii) सांस्कृतिक कार्यक्रम, पिकिनक, अवकाश—शिविर, चिकित्सीय सहायता, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, विशेष चिकित्सीय सहायता, अंतर विद्यालय खेल—कूद कार्यक्रम, रचनात्मक कला, प्रतियोगिता तथा प्रख्यात व्यक्तियों को शामिल करते हुए सेमिनार।
 - (iv) कोई भी रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण सह पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना, सामुदायिक महाविद्यालय इत्यादि;
 - (v) पुस्तकालयों की स्थापना, खेलकूद कार्यक्रम, कला एवं प्रतियोगिता इत्यादि या कोई अन्य विकासात्मक कार्यक्रम
 - (vi) आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं की अभिवृद्धि निर्माण या रद्दों बदल इत्यादि।
- (7) निदेशक, समाज कल्याण किसी संस्था के अधीक्षक को निदेशक, समाज कल्याण को संसूचित करते हुए कोई प्रायोजन स्वीकार करने की अनुमति देगा।
- (8) अधीक्षक जो किसी प्रायोजित को स्वीकार करेगा वह इसका उचित लेखा संधारित करेगा और विशेष त्रैमासिक प्रतिवेदन निदेशक, समाज कल्याण को भेजेगा।
- (9) जिला बाल संरक्षण इकाई या क्रियाकलापों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत निरीक्षण के दौरान प्रायोजन से संबंधित सुसंगत का अभिलेखों का सत्यापन करेगा और अनुवर्तन के लिए प्रतिवेदन निदेशक, समाज कल्याण को भेजेगा।

44. पश्चातवर्ती देखभाल संगठन:--

- (1) राज्य सरकार सामाजिक पुनर्समेकन हेतु किशोरों अथवा बालकों के विशेष गृहों एवं बाल गृहों को छोडने के पश्चात उनके लिए पश्चातवर्ती देखभाल कार्यक्रम तैयार करेगी।
- (2) धारा 16 के उपधारा (2) के अधान बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किशोरों के समायोजन हेतु समय—समय पर यथा विहित रीति से राज्य सरकार "सुरक्षित स्थान" अधिसूचित करेगी।
- (3) इस अधिनियम की धारा 44 द्वारा पश्चातवर्ती देखभाल कार्यक्रम 18–21 वर्ष के उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनके पास कहीं जाने का कोई स्थान नहीं है अथवा अपनी सहायता करने में असमर्थ हैं।
- (4) जब बोर्ड या समिति किसी किशोर अथवा 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चे को पश्चातवर्ती देखभाल कार्यक्रम के अधीन रखने के लिए प्रपन्न XIX में आदेश करती हो तो ऐसे आदेश की एक प्रति जिला और राज्य बाल संरक्षण इकाई तथा निदेशक, समाज कल्याण को भेजी जाएगी, जो पश्चातवर्ती देखभाल की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सूचना की प्रति संबद्ध गृह के अधीक्षक को उपलब्ध करा दी जायेगी।
- (5) पश्चातवर्ती देखभाल में रखे गए व्यक्ति पर बोर्ड अथवा समिति की अधिकारिता होगी।
- (6) इन संगठनों का उद्देश्य ऐसे बालकों को समाज के प्रति अनुकूल होने के लिए समर्थ बनाना है तथा इन अन्तःकालीन गृहों में इनके निवास के दौरान इन बालकों को संस्था आधारित जीवन से सामान्य जीवन में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- (7) सभी किशोर या बालक उत्तर रक्षा कार्यक्रम के तहत, क्रमांकित, सभी सुनिश्चित योजनाओं एवं कार्यक्रम के जो राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संचालित हैं, के लिए निश्चित रूप से लाभार्थी समझे जायेंगे।
- (8) कार्यक्रम के मुख्य संघटकों में निम्नलिखित होंगे:--
 - (क) 18—21 वर्ष की आयू के युवाओं के लिए अस्थायी आधार पर सामुदायिक समूह आवास;
 - (ख) व्यवसायिक प्रशिक्षण रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं आवास किराया या भरण पोषण के अन्य व्यय, प्रति योगदान के लिए प्रोत्साहित करना।
 - (ग) धीरे—घीरे राज्य की सहायता के बिना आत्मिनर्भर बनने के लिए तथा अपने उपासन के माध्यम से पर्याप्त रकम बचाने के पश्चात समूह गृह से निकलकर अपने स्वयं के गृह में निवास करने के लिए प्रोत्साहित करना;
 - (घ) इन समूहों से उनकी पुनर्वास योजनाओं पर विचार—विमर्श करने तथा उसकी उर्जा हेतु सृजनात्मक अभिव्यक्ति का मार्ग प्रदान और उनके जीवन में आने वाली संकटमय अवधि पर काबू पाने के लिए नियमित रूप से सम्पर्क में रहने वाले अभिजात परामर्शदाता के लिए व्यवस्था करना।
- (9) पश्चातवर्ती देखभाल कार्यक्रम में युवाओं को उनके द्वारा किए गए आवेदन तथा ऐसे ऋण की आवश्यकता के सम्यक सत्यापन एवं आवश्यक व्यावासियक सलाह के आधार पर उद्यम / क्रियाकलाप स्थापित करने के लिए ऋणों की व्यवस्था की जाएगी और इस संबंध में पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम में युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) उत्तर रक्षा संगठन उत्तर रक्षा कार्यक्रम में नामांकित व्यक्ति के नाम से मतदाता पहचान—पत्र, बैंक बचत खाता, आवास प्रमाण—पत्र इत्यादि, जैसे दस्तावेज जारी कराना सुलभ कराएगा।

45. सम्पर्क एवं समन्वयन:--

- (1) राज्य सरकार, यथास्थिति, बोर्ड अथवा सिमिति के माध्यम से किशोरों अथवा बालकों के पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्समेकन को सुकर बनाने के लिए विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, कारपोरेट एवं अन्य सामुदायिक अभिकरणों के बीच प्रभावी सम्पर्क स्थापित करेगी।
- (2) राज्य सरकार, इस अधिनियम और नियमों के प्रभावी कियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तरों पर प्रत्येक विभाग को भूमिका और उतरदायित्व का पता लगाएगी तथा उन्हें अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित करेगी।
- (3) राज्य सरकार, इन विभागों के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा संचेतना पैदा करने की व्यवस्था किसी समृचित अभिकरण के साथ समय—समय पर करेगी।
- (4) राज्य सरकार, राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य उपाय, नशा मुक्तिकरण तथा विधिक सहायता सेवाओं जैसी विशेषज्ञ सेवाओं एवं तकनीकी सहायता हेतु स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ प्रभावी नेटवर्क और सम्पर्क स्थापित करेगी।
- (5) कार्यशाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल–कूद शिविर, परामर्श एवं मनोरंजन सेवाओं के आयोजन के लिए अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों की स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 46. पीड़ित सहायता केन्द्र—पीड़ित बालक जिसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाता है या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लाए गए किशोरों द्वारा किए गए अपराध के पीड़ित अवसर तत्काल सहायता या चिकित्सीय, कानूनी, आर्थिक, परामर्शी या अन्य तरह के पुनर्वास, विषयक अनुवर्ती कार्रवाई के अपेक्षा वाले होते हैं। ऐसी तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए, निदेशक, समाज कल्याण के द्वारा निम्नलिखित सदस्यों वाला "सेवा केन्द्र" गठित किया जा सकेगा:—
 - (1) अधीक्षक, विशेष गृह/सम्प्रेक्षण गृह-सदस्य/सचिव
 - (2) निकटवर्ती सरकारी अस्पताल का चिकित्सा पदाधिकारी -सदस्य
 - (3) एक जिला विधि सेवा प्राधिकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिवक्ता-सदस्य
 - (4) जिला परवीक्षा पदाधिकारी-सदस्य
 - (5) बच्चों के पुनर्वास में संलग्न हो तथा निदेशक, समाज कल्याण द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सामाजिक कार्यकर्त्ता—सदस्य।
 - (6) निदेशक, समाज कल्याण द्वारा नामनिर्दिष्ट एक बाल परामर्शी / शिशु रोग विशेषज्ञ –सदस्य

"पीड़ित सेवा केन्द्र" को बाल गृह / पर्यवेक्षण गृह / जिला परवीक्षा कार्यालय से संबद्ध किया जा सकता है। तात्कालिक सहायता सदस्य विशेष द्वारा अकेले या समूह के रूप में प्रदान की जा सकती है। सदस्यगण महीना में एक बार या उससे अधिक, बैठक कर सकते हैं और मामले की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं। ऐसे कार्य जिला परवीक्षा पदाधिकारी के समन्वय से बच्चे के प्रति, शारीरिक दुराचार, यौन दुराचार, आर्थिक दुराचार, मानसिक दुराचार या भावनात्मक दुराचार के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने या अन्य सुधारात्मक उपाय हेतु किया जायेगा।

अध्याय-V

संस्थाओं के लिए देखभाल के मापदंड

47. भौतिक संरचना:-

- (1) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों हेतु गृहों का संचालन अलग—अलग परिसरों से होगा।
- (2) प्रत्येक संस्था में आवास निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होगा अर्थात:-
 - (क) संप्रेक्षण गृह
 - (i) लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग संप्रेक्षण गृह;
 - (ii) शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा किए गए अपराध की प्रकृति पर पर्याप्त ध्यान देते हुए किशोरों का उनकी आयु के आधार पर, अधिमानतः 7–11 वर्ष, 12–16 वर्ष और 16–18 वर्ष, वर्गीकरण और पृथक्करण।

(ख) विशेष गृह

- (i) दस वर्ष से अधिक की आयु की लड़िकयों तथा 11-15 और 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों के लिए अलग-अलग विशेष गृह;
- (ii) शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा किए गए अपराध की प्रकृति के आधार पर किशोरों का वर्गीकरण और पृथक्करण।
- (iii) परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 16 के उपबंध (2) के अधीन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किशोरों के आवासन के लिए राज्य सरकार समय—समय पर यथा विहित रीति से "सुरक्षित स्थान" अधिसूचित करेगी।

(ग) बाल गृह

- (i) दस वर्ष से कम आयु की लड़कियों और लड़कों को एक ही गृह में रखा जा सकता है किन्तु 5—10 वर्ष की आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों के लिए नहाने और सोने की व्यवस्था अलग—अलग होगी;
- (ii) 11—15 तथा 16—18 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों हेतु अलग—अलग बाल गृह;
- (iii) शिशुओं के लिए उपयुक्त सुविधाओं के साथ 0—5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों हेतु अलग सुविधाएँ

(घ) आश्रय गृह

- (i) लड़कियों और लड़कों हेतु अलग–अलग आश्रय गृह
- (ii) 10 वर्ष से अधिक की आयु की लड़िकयों और 11—15 और 16—18 वर्ष की आयु—वर्ग के लड़कों हेतु अलग—अलग आश्रय गृह।

(3) 50 किशोरों अथवा बालकों वाले संस्थान हेतु भवन अथवा आवास हेतु मानक इस प्रकार है:--

- (i) 2 शयनागार या सोने का कमरा
- (ii) दो कक्षाएँ
- (iii) रोगी कक्ष / प्राथमिक उपचार कक्ष

- (iv) रसोईघर और भोजन कक्ष, भण्डार गृह
- (v) मनोरंजन कक्ष और पुस्तकालय
- (vi) स्नान-गृह/शौचालय
- (vii) परामर्श और मार्गदर्शन कक्ष
- (viii) कार्यालय कक्ष
 - (ix) अधीक्षक कक्ष
 - (x) अधीक्षक के लिए आवास
 - (xi) किशोर न्याय बोर्ड / बाल कल्याण समिति हेतु कक्ष
- (xii) किशोरों / बालकों की कुल संख्या के अनुसार खेलने हेतु यथेष्ट रकवा का खेल-मैदान
- (4) अधीक्षक संस्थान में ही रहेगा तथा उसे क्वार्टर उपलब्ध कराया जाएगा और यदि न्याय संगत कारणों से वह गृह में रहने में समर्थ न हो तो (निदेशक, बाल संरक्षण की पूर्व अनुज्ञा से) संस्थान के कर्मचारीवृंद में से कोई अन्य वरिष्ठ सदस्य संस्थान में रहेगा तथा बालकों या किशोरों की समग्र देखभाल का पर्यवेक्षण करने की स्थिति में होगा और किसी संकट और आपतिक स्थिति में निर्णय लेगा।
- (5) (i) नियम 47(3) में अभिकथित मानकों के अनुसार आवास के स्तर का यथासंभव अनुपालन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित सुविधाओं में से कोई न्यूनतम शामिल होंगी:
 - (क) शयनागार या रहने का कमरा:- 40 वर्ग फुट प्रति किशोर या बालक
 - (ख) प्रसाधन एवं स्नानगार- हर 8 बच्चों पर कम से कम एक
 - (ग) कक्षा के कमरे :- 25 किशोरों या बालकों के लिए 300 वर्ग फुट की हरेक कक्षा
 - (घ) रोगी कक्ष / प्राथमिक उपचार:- प्रत्येक कमरा 375 वर्ग फुट का
 - (ड.) कार्यशाला :- प्रति किशोर या बालक 75 वर्ग फुट
 - (च) खेल का मैदान:— प्रत्येक संस्थान में किशोरों की संख्या के आधार पर पर्याप्त खेल का मैदान कराया जाएगा।
- (ii) दुर्घटनाओं के निवारण के लिए उपयुक्त और समतल फर्श होगा।
- (iii) पर्याप्त रोशनी, रोशनदान, गर्म और ठंडा रखने की व्यवस्था, सुरक्षित पेयजल, और लिंग, आयु और निःशक्तों की सुगमता के अनुसार स्वच्छ शौचालय होंगें।
- (iv) अधिनियम के अधीन सभी संस्थान प्राथमिक उपचार किट, रसोई में अग्निशमन यन्त्र, शयनागार, भण्डार कक्ष, परामर्श कक्ष, की व्यवस्था करेंगे, विधुत उपकरणों, समुचित भंडारण, खाद्य पदार्थों के निरीक्षण की आविधक समीक्षा की जाएगी तथा जल भंडारण एवं आपातकालीन रोशनी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

48.कपड़े और बिस्तर—कपड़े और बिस्तर, मानक और जलवायु— विषयक परिस्थितियों के अनुसार होंगे। कपड़ों और बिस्तर हेतु प्रत्येक किशोर या बालक की आवश्यकताएँ और न्यूनतम मानक इस नियमावली की अनुसूची—1 में विनिर्धारित हैं।

49. स्वच्छता और सफाई—प्रत्येक संस्थान में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, अर्थात्ः

- (क) पर्याप्त उपचारित पेयजल हेतु जल फिल्टर लगाए जाएंगे;
- (ख) नहाने और कपड़े धोने, परिसर के रख—रखाव और साफ—सफाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था:
- (ग) समुचित जल निकास प्रणाली;
- (घ) कचरे के निस्तारण के लिए व्यवस्था;
- (ड़) मच्छरदानी उपलब्ध कराकर मच्छरों से संरक्षण;
- (च) वार्षिक कीटाणु (पेस्ट) नियंत्रण;
- (छ) आठ बच्चों के लिए कम से कम एक शौचालय के अनुपात में पर्याप्त रोशनी वाले और हवादार शौचालयों की पर्याप्त संख्या:
- (ज) कपड़ों की धुलाई के लिए पर्याप्त स्थान;
- (झ) साफ और मिक्खयों के प्रवेश रहित रसोई तथा बर्तनों को धोने के लिए पृथक स्थान;
- (ञ) बिस्तर और कपड़ों को धूप में सुखाने के लिए स्थान;
- (ट) रोग कक्ष / प्रथम उपचार कक्ष / चिकित्सा केन्द्र में स्वच्छता बनाए रखना;

50. दिनचर्याः-

- (1) प्रत्येक संस्थान में बाल समिति के परामर्श से किशोरों या बालकों के लिए दिनचर्या विकसित होगी, जिसे संस्थान में विभिन्न प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (2) दिनचर्या में अन्य बातों के साथ—साथ नियमित और अनुशासित जिन्दगी, व्यक्तिगत साफ—सफाई, शारीरिक व्यायाम, योग, शैक्षणिक कक्षाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सुव्यवस्थित मनोरंजन और खेल, नैतिक शिक्षा, सामूहिक क्रियाकलाप, प्रार्थना और सामुदायिक गायन और शनिवार तथा छुट्टियों के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे।

51. पोषण और आहार मानक':--

संस्थान द्वारा निम्नलिखित पोषण और आहार मानकों का अनुसरण किया जायेगा अर्थात्ः

- (क) बालकों को नाश्ते सहित दिन में चार बार भोजन दिया जाएगा।
- (ख) संतुलित आहार तथा न्यूनतम पोषण मानकों के अनुसार स्वाद में भिन्नता तथा इन नियमों की अनुसूची—2 में उपवर्णित आहार मानकों को सुनिश्चित करने के लिए पोषण विशेषज्ञ या चिकित्सक की सहायता से व्यंजन सूची तैयार की जाएगी।
- (ग) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संस्थान अनुसूची—2 में निर्धारित पोषण मानकों और आहार मानकों का कड़ाई से पालन करेगा।
- (घ) किशोरों या बच्चों को छुट्टी के दिनों तथा त्यौहारों पर विशेष भोजन प्रदान किया जाएगा।
- (ङ.) नवजात एवं बीमार किशोर या बच्चों को चिकित्सक की सलाह के अनुसार विशेष आहार प्रदान किया जायेगा।

52. चिकित्सकीय देखभाल:-

- (क) प्रत्येक संस्थान मासिक चिकित्सकीय जाँच के आधार पर प्रत्येक किशोर या बालक का चिकित्सा अभिलेख रखेगी तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगी कि चिकित्सा अभिलेख में वजन और लंबाई का अभिलेख, बीमारी और उपचार तथा अन्य शारीरिक अथवा मानसिक समस्याओं का अभिलेख शामिल हो:

- (ग) किशोर या बालकों की नियमित चिकित्सा जाँच तथा उपचार हेतु चिकित्सा सुविधाओं, जिसमें सभी कार्य दिवसों में चिकित्सक उपलब्ध कराना शामिल है. का प्रबंध करेगा।
- (घ) छोटी—मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त चिकित्सा उपकरण, जिसमें आपातकालीन दवाइयों और उपभोग्य वस्तुओं के स्टॉक वाला प्राथमिक उपचार किट शामिल होना चाहिए।
- (ड.) समस्त कर्मचारीवृंद को प्राथमिक उपचार करने की प्रशिक्षण प्रदान करेगी;
- (च) स्थानीय प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालयों, अन्य अस्पतालों, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों तथा मनश्चिकित्सकों और मानिसक स्वास्थ्य संस्थानों के साथ उनके चिकित्सकों और विद्यार्थियों द्वारा नियमित दौरे के लिए तथा संस्थाओं में आविधक स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए संबंध स्थापित करेगी;
- (छ) प्रतिरक्षण टीकाकरण हेतु आवश्यक प्रबंध करेगी साथ ही उसके संबंध में उचित अभिलेख संधारित करेगी:
- (ज) संक्रामक रोगों के प्रकोप के मामले में निवारक उपाय करेगी;
- (झ) विकृत स्वास्थ्य के मामलों या गंभीर मामलों को निकटतम सिविल अस्पताल या मान्यता प्राप्त उपचार केन्द्रों में भेजने के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगी;
- (ञ) बीमार बच्चों को निर्बाध चिकित्सा निगरानी में रखेगी;
- (ट) दाखिले के समय चिकित्सा प्रमाण-पत्र का आग्रह किए बिना किशोर या बालक को प्रवेश देगी;
- (ठ) किशोर या बालक के माता—पिता या संरक्षक की पूर्व सहमित के बिना शल्य चिकित्सा तब तक नहीं करेगी जब तक माता—पिता को ढूंढ पाना कठिन हो तथा चिकित्सा अधिकारी की राय में किसी किशोर या बालक की स्थिति ऐसी है कि उसकी शल्य चिकित्सा में विलंब से किशोर या बालक को अनावश्यक पीड़ा, उसके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचने की संभावना हो या संस्था के प्रभारी अधिकारी की इस आशय की लिखित सहमित प्राप्त किए बिना उसका शल्य—उपचार नहीं करेगी;
- (ड) संस्था प्रत्येक किशोर या बालक को नियमित परामर्श प्रदान करेगी या इसका प्रबंध करेगी या ऐसी सेवाएं, जिनमें संस्था के परिसर में परामर्श सत्रों के लिए पृथक् कमरे शामिल हैं, उनके लिए जिनकी उन्हें जरूरत है विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों को सुनिश्चित करेगी;
- (ढ) ऐसे बालकों, जिन्हें विशेष नशीले पदार्थों का सेवन छुड़ाने तथा पुनर्वास कार्यक्रम की जरूरत है, को अर्हता प्राप्त कार्मिकों द्वारा चलाए जा रहे उपयुक्त केन्द्रों में भेजगी, जहाँ इन कार्यक्रमों में संबंधित बच्चे की आयु, लिंग तथा अन्य विनिर्देशों को अपनाया जाएगा;

53. मानसिक स्वास्थ्य:-

- (1) प्रत्येक किशोर या बालक के मानसिक स्वास्थ्य अभिलेख का संबंधित संस्थाओं द्वारा रख—रखाव किया जाएगा।
- (2) दोनों प्रकार के परिवेश आधारित अन्तःक्षेप, जो बालकों के लिए समर्थ परिवेश और व्यक्तिगत चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं, यह प्रत्येक बालक के लिए जरूरी है तथा इसे सभी संस्थाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

स्पष्टीकरण:— इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, परिवेश आधारित अन्तःक्षेप पुनःनिरोग होने की एक प्रक्रिया है जो किसी संस्था में संस्कृति और परिवेश को समर्थ बनाने के लिए प्रारंभ होती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक बालक की योग्यताओं का पता लगाया जाता है तथा उनके पास चुनाव करने और अपनी जिन्दगी के संबंध

में निर्णय लेने के अधिकारी है और पहचान स्थापित करते हैं और ऐसे अंतःक्षेप का बालक पर महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रभाव होता है।

- (3) किसी संस्था का परिवेश शोषण से मुक्त होना चाहिए, ताकि किशोर या बालक अपनी परिस्थितियों का सामना कर सकें तथा वे पुनः आत्मविश्वास प्राप्त कर सकें।
- (4) किसी संस्था में किशोर या बालकों की देखभाल में लगे सभी व्यक्ति वातावरण को अनुकूल बनाने में भाग लेंगे तथा चिकित्सकों के साथ सहयोग करेंगे।
- (5) व्यक्तिगत चिकित्सा एक विशेषीकृत प्रक्रिया है तथा प्रत्येक संस्था इसके लिए महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सकों के साथ सहयोग करेंगे।
- (6) प्रत्येक संस्था में किशोर या बालक के लिए विशेषीकृत तथा नियमित चिकित्सा के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जो बालक मार्गदर्शन केन्द्रों, मनोविज्ञान और मनःचिकित्सा विभागों जैसे बाह्य अभिकरणों अथवा इस तरह के सरकारी और गैर—सरकारी अभिकरणें से भी प्राप्त की जा सकती है।
- (7) प्रत्येक किशोर या बालक के लिए संस्था से संबद्ध मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श से बाल कल्याण समिति अधिकारी द्वारा एक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल योजना विकसित की जाएगी तथा इसे संबंधित किशोर या बालक की व्यक्तिगत देखभाल योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
- (8) प्रत्येक मामले की फाइल में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों को रखा जाएगा तथा इसे प्रत्येक बालक के लिए देखभाल योजना में सिम्मिलित किया जाएगा।
- (9) इन देखभाल योजनाओं के प्रति मास इन नियमों के नियम 62 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति के समक्ष तथा प्रत्येक तिमाही में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (10) किसी भी किशोर या बालक के प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा रोग निदान किए बिना मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा नहीं दी जाएगी।

54. शिक्षा:--

- (1) प्रत्येक संस्था, सभी किशोर या बालकों को उनकी आयु या सामर्थ्य के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, संस्था के भीतर या बाहर औपचारिक, अनौपचारिक एवं जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करेगी।
- (2) शैक्षणिक अवसर, जिनमें विद्यालय, ब्रिज विद्यालय, मुक्त विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा तथा जहाँ आवश्यकता हो विशेष शिक्षाविदों से शिक्षा और आगत शामिल है, उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (3) जहाँ कहीं आवश्यक हो, संस्थाओं के विद्यालय जाने वाले बालकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण सेवा प्रदान की जाएगी। यह सेवा स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करके अथवा प्रशिक्षण केन्द्रों से जोड़ करके प्रदान की जाएगी।

55 व्यावसायिक प्रशिक्षण:-

- (1) प्रत्येक संस्था किशोरों या बालकों को लाभदायक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
- (2) इस प्रयोजनार्थ संस्थाएं तकनीकी अनुदेश संस्थान, जन शिक्षण संस्थान, विशेषज्ञता—प्राप्त सरकारी और निजी संगठनों या उद्यमों, अभिकरणों या गैर—सरकार संगठनों अथवा रोजगार दिलाने वाले अभिकरणों के साथ संपर्क (नेटवर्किंग) स्थापित करेंगी।
- (3) संस्था के अधीक्षक 16–18 वर्ष के बच्चों को प्रशिक्षु के रूप में भेजने का सम्यक प्रयास करेगा।

56. मनोरंजन सुविधाएं:-

- (1) संस्थाओं में सभी किशोरों या बालकों को मार्गदर्शन के अंतर्गत मनोरंजन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) मनोरंजन सेवा के अंतर्गत चहार दीवारी के भीतर और बाहर खेले जाने वाले खेल, संगीत, टेलीविजन, पिकनिक और सैर, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पुस्तकालय शामिल हैं।
- (3) प्रत्येक संस्थान, मनोरंजन के क्रियाकलापों के लिए सभी बच्चों को प्रयाप्त मात्रा में सामग्री, खिलौना, खेल सामग्री मुहैया कराएगा।
- **57. किशोरों या बालकों की संस्थागत व्यवस्था**—(1) संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले नए किशोर के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगाः—
 - (क) इन किशोरों को स्वीकार करना तथा इनकी तलाशी लेना;
 - (ख) किशोरों के व्यक्तिगत सामान और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का विसंक्रमण और भण्डारण करना;
 - (ग) उन्हें स्नान कराना व उनके बाल कटवाना (यदि उनके धर्म के अनुसार ऐसा करना प्रतिषिद्ध न हो);
 - (घ) उन्हें प्रसाधन सामग्री; पहनने के लिए नए कपड़े, बिस्तर तथा अन्य जरूरी सामान और उपस्कर देना (मानदण्डों के अनुसार);
 - (ड.) जहाँ कहीं आवश्यक हो तथा ऐसे किसी किशोर की दशा में चिकित्सीय जाँच और उपचार कराना जो संक्रामक रोग, मानसिक रोग या अन्य किसी प्रकार से आदी हो गया हो;
 - (च) किसी संक्रामक रोग से पीड़ित और विशेष देखभाल के अपेक्षित बालकों को विशेष रूप से इस प्रयोजनार्थ निर्धारित शयनशाला या वार्ड या अस्पताल में अलग से रखा जाएगा;
 - (छ) किशोरों की तात्कालिक और अत्यावश्यक जरूरतों की पूर्ति की जाएगी, जैसे परीक्षा देना, उनके माता—िपता को उनसे मिलने के लिए पत्र भेजना, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाना इत्यादि तथा बोर्ड के आदेशानुसार किशोर की आयु का प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- (2) इन संस्थाओं के साथ संबद्ध परिवीक्षा अधिकारियों या बाल कल्याण अधिकारियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं या परामर्शदाताओं या अन्य स्वयंसेवी सामाजिक कार्यकर्ताओं या पेशागत प्रशिक्षित अथवा परामर्शदाताओं में से कोई एक व्यक्ति ऐसी संस्था में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक नए बालक या किशोर की दशा में विशिष्ट कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- (3) संस्था में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक नए किशोर को उस संस्था और उसके कामकाज से परिचित कराया जाएगा और उसे निम्नलिखित बातों की जानकारी भी दी जाएगी:—
 - (क) व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई;
 - (ख) संस्थागत अनुशासन और व्यवहार संबंधी मानक, वृद्धों और अध्यापकों के लिए आदर;
 - (ग) दैनिक कार्यकलाप, साथियों के साथ व्यवहार, विकास संबंधी अवसरों का इष्टतम उपयोग; और
 - (घ) संस्था के भीतर उसके अधिकार, उत्तरदायित्व और दायित्व।
- (4) नामनिर्दिष्ट अधिकारी किशोर या बालकों का नाम प्रवेश रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा उसे उपयुक्त आवास सुविधा आवंटित करेगा।
- (5) अभिलेख के लिए किशोर का फोटो तत्काल खींचा जाएगा और किशोर या बालक द्वारा नामित व्यक्ति के साथ मामला कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी या कल्याण अधिकारी अन्वेषण और पत्राचार आरंभ करेगा।

- (6) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि संस्था को किशोर या बालक से प्राप्त उसका व्यक्तिगत सामान सुरक्षित अभिरक्षा में रख गया है तथा व्यक्तिगत सामान रिजस्टर में दर्ज भी किया गया है और यह सामान किशोर या बालक को संस्था छोडते समय वापस किया जाना चाहिए।
- (7) संस्था में प्रवेश प्राप्त किशोर के शैक्षणिक स्तर एवं व्यावसायिक अभिरूचि का मूल्यांकन शिक्षक, कर्मशाला पर्यवेक्षक एवं अन्य तकनीकी कर्मी के द्वारा संचालित जाँच एवं अंतवीक्षा के आधार पर होगा। बाह्य विशेषज्ञ तथा समुदाय आधारित कल्याण अभिकरण, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, बाल निदेशन क्लिनिक, अस्पताल एवं स्थानीय चिकित्सक, खुला विद्यालय या जन शिक्षण संस्थान से आवश्यक सम्पर्क स्थापित किया जाएगा।
- (8) संस्था में प्रवेश पाने वाले किशोर या बालक के मामले का विवरण प्रपत्र—XX में रखा जाएगा, जिसमें किशोर या बालक की सामाजिक—सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित सूचना होगी और ये सूचना, यथासंभव सभी उपलब्ध स्रोतों, जैसे कि किशोर या बालक के घर, माता—पिता या अभिभावकों, नियोक्ताओं, विद्यालय, मित्रों और समुदाय के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।
- (9) किशोर या बालक की रिहाई के पूर्व योजना तथा विशेष गृहों से मुक्त हुए किशोरों या बालकों के मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई के सुविचारित कार्यक्रम विद्यमान सरकारी और स्वैच्छिक कल्याण संगठनों के सहयोग से सभी संस्थाओं में तैयार किए जाएंगे।
- (10) किसी किशोर या बालक के बिना अनुमित के संस्था से चले जाने अथवा संस्था के भीतर अपराध करने की दशा में संबद्ध संस्था के अधीक्षक द्वारा इस मामले की सूचना पुलिस और संबद्ध किशोर या बालक के परिवार को, यदि ज्ञात हो, भेजी जाएगी और किशोर या बालक के गुम रहने की स्थिति में उसे ढूंढने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों सिहत उक्त घटना की परिस्थितियों की विस्तृत रिपोर्ट, यथास्थिति, बोर्ड या सिमति को भेजी जाएगी।
- (11) संस्थागत देखरेख में रहने वाले प्रत्येक किशोर या बालक के पूर्ववृत्त, परिस्थितियों और व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर उसके पुनर्वास और समाज में उसको पुनः सिम्मिलित करने के उद्देश्य से उसके लिए व्यक्तिगत देख–रेख योजना तैयार की जाएगी और व्यक्तिगत देखरेख योजना निम्निलिखित दिशानिर्देशों पर आधारित होगीः
 - (क) किसी भी संस्था में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक बालक के लिए उसके प्रवेश की तारीख से एक मास के भीतर प्रभारी अधिकारी, परामर्शदाता बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता के साथ व्यक्तिगत देखरेख योजना प्रपन्न—XXI के अनुसार तैयार करेगाः
 - (ख) सभी देखरेख योजनाओं में किशोर या बालक के पुनरुद्धार, पुनर्वास, पुनःसम्मिलित करने और अनुवर्ती योजना शामिल होगी;
 - (ग) किशोर या बालक की रिहाई या उसे उसके परिवार या उसकी पोषक देखरेख करने वालों या दत्तक माता—पिता के पास वापस भेजने के विकल्पों सिहत उसके उपयुक्त विकास और पुनर्वास के लिए इस नियमावली के नियम 62 के अधीन गठित प्रबंधन सिमित उक्त देखरेख योजना का तिमाही आधार पर पुनर्विलोकन करेगी;
 - (घ) किशोर या बालक की देखरेख योजना तैयार करते समय उनकी सलाह भी ली जाएगी;
 - (ड.) किशोरों या बालकों के स्थानांतरण या पुनरुद्धार या घर वापसी के मामलों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त देखरेख योजना का कार्यान्वयन जारी रहे।

- 58. प्रतिषिद्ध वस्तुएँ— कोई भी व्यक्ति संस्था में प्रतिषिद्ध वस्तुएँ लेकर नहीं आएगा, अर्थात्:-
 - (क) आग्नेयास्त्र या अन्य कोई अस्त्र—शस्त्र, चाहे उसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित हो या नहीं (जैसे कि चाक्, ब्लेड, लाठी, भाला और तलवार);
 - (ख) अल्कोहल और किसी प्रकार की स्प्रिट;
 - (ग) भाग, गांजा, अफीम या अन्य कोई स्वापक या मनःप्रभावी पदार्थ;
 - (घ) तम्बाकू सिगरेट, गुटखा या
 - (ड.) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश के द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई वस्तु।

59. तलाशी लेने और निरीक्षण के समय पाई गई वस्तुएं:--

- (1) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि संस्था में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक किशार की तलाशी बगैर उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित किये ली जाए, उसके व्यक्तिगत सामान का निरीक्षण किया जाए तथा उसके पास पाए गए धन या अन्य किसी मूल्यवान वस्तु को उस अधीक्षक / प्रभारी पदाधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए।
- (2) बालिकाओं की तलाशी संस्था की महिला सदस्य द्वारा ली जाएगी और बालकों और बालिकाओं दोनों की तलाशी शिष्टता और सम्मान को ध्यान में रखते हुए ली जाएगी।
- (3) किसी किशोर के पास पाए गए धन, मूल्यवान वस्तुओं और अन्य वस्तुओं का अभिलेख प्रत्येक संस्था में "व्यक्तिगत सामान रिजस्टर" में रखा जाएगा।
- (4) व्यक्तिगत सामान रिजस्टर में प्रत्येक किशोर के संबंध में की गई प्रविष्टियां एक साक्षी की उपस्थिति में उस किशोर को पढ़कर सुनाई जाएंगी और ऐसी प्रविष्टियों की शुद्धता के प्रतीक के रूप में उक्त साक्षी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे तथा इन प्रविष्टियों पर अधीक्षक प्रति हस्ताक्षर करेगा।
- **60. वस्तुओं का निपटान**—किसी संस्था में प्राप्त या रखे गए किशोर के धन या मूल्यवान वस्तुओं का निम्नलिखित रीति में निपटान किया जाएगा:—
 - (क) किसी किशोर के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे किसी संस्था में भेजे जाने का निदेश देते हुए जारी किए गए आदेश पर अधीक्षक ऐसे किशोर का धन और उसकी आय समय—समय पर अभिकथित रीति से उसके नाम पर जमा कराएगा;
 - (ख) किशोर का धन अधीक्षक के पास रखा जाएगा और उसकी मूल्यवान वस्तुएं, बिस्तर, कपड़े और अन्य वस्तुएं, यदि कोई हो, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे;
 - (ग) जब ऐसे किशोर को एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित किया जाता हो, तब उसकी पूर्ण धनराशि, मूल्यवान वस्तुएं और अन्य वस्तुएं बालक के साथ उस संस्था के अधीक्षक को भेजे जाएंगे, जिसमें उसे स्थानान्तरित किया गया हो, साथ ही साथ उनका पूरा एवं सही विवरण तथा प्राक्कलित मूल्य भी होगा।
 - (घ) ऐसे किशोर को रिहा करते समय सुरिक्षत अभिरक्षा में रखी गई उसकी मूल्यवान और अन्य वस्तुओं और उसके नाम में जमा धनराशि यथास्थिति उसके माता—पिता या अभिभावकों को सौंपी जाएगी और इस विषय में रिजस्टर में प्रविष्टि की जाएगी, जिस पर अधीक्षक हस्ताक्षर करेगा;

- (ड.) जब संस्था में किसी किशोर की मृत्यु हो जाती है, तब मृतक द्वारा छोड़ी गई मूल्यवान और अन्य वस्तुओं तथा उसके नाम में जमा धनराशि अधीक्षक द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपे जाएंगे, जो उन पर अपना दावा सिद्ध करता है और एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करता है;
- (च) ऐसी मूल्यवान और अन्य वस्तुओं तथा धनराशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इस प्राप्ति की रसीद ली जाएगी;
- (छ) यदि ऐसे किसी किशोर की मृत्यु या उसके भाग जाने की तारीख से छह मास के भीतर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता तो मृतक की मूल्यवान और अन्य वस्तुएं और उसके नाम पर जमा धनराशि का इस नियमावली के नियम संख्या 62 के अधीन गठित प्रबंधन समिति के विनिश्चय के अनुसार निपटान किया जाएगा। अधिनियम की धारा 61 में यथावर्णित रीति से निधि में जमा की जाएगी।

61. मामले की फाइल का रखरखाव :--

- (1) प्रत्येक किशोर और बालक की मामला (केस) फाइल संस्था में रखी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होंगीः
 - (क) किशोर के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या अभिकरण की रिपोर्ट;
 - (ख) अधीक्षक, पिरवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी, परामर्शदाता और केस कार्यकर्ता की रिपोर्ट;
 - (ग) पिछली संस्था से प्राप्त जानकारी, अगर कोई हो;
 - (घ) किशोर से प्रारंभिक वार्तालाप की रिपोर्ट उसके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, समुदाय, मित्रों से प्राप्त जानकारी तथा अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त जानकारी;
 - (ड.) अतिरिक्त जानकारी का स्रोत;
 - (च) कर्मचारियों से प्राप्त पर्यवेक्षण रिपोर्ट;
 - (छ) चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त नियमित स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट, नशामुक्ति कार्यक्रम की प्रगति की रिपोर्ट, जहाँ कहीं आवश्यक हो, मनोवैज्ञानिक परामर्श या मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अन्य किसी कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट;
 - (ज) बुद्धिलिब्धि (आई०क्यू०) परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, शैक्षिक या व्यावसायिक परीक्षाओं के परिणाम;
 - (झ) सामाजिक इतिवृत्त (सोशल हिस्ट्री) ;
 - (ञ) मामला विशिष्ट कार्यकर्ता और अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत सार और विश्लेषण;
 - (ट) प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रम तथा विशेष सावधानियां रखे जाने के संबंध में अनुदेश
 - (ठ) प्रदान की गई छुट्टियां और अन्य विशेषाधिकार;
 - (ड) विशेष उपलब्धियां तथा नियमों का उल्लंघन, यदि कोई हो;
 - (ढ) तिमाही प्रगति रिपोर्ट;
 - (ण) प्रपत्र—XXI में यथाविहित रिहाई—पूर्व कार्यक्रम, रिहाई के उपरांत योजना एवं अनुवर्ती योजना सहित व्यक्तिगत देखरेख योजना;
 - (त) संस्था से अनुपस्थित रहने या पर्यवेक्षणाधीन रिहाई की अनुमित;
 - (थ) रिहाई;

- (द) अनुवर्ती रिपोर्टे;
- (ध) वार्षिक फोटोग्राफ;
- (न) **प्रपत्र—XX** में यथाविहित मामले का सम्यक रूप से भरा गया इतिवृत्त;
- (प) सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार, यदि कोई हो, विभिन्न मामलों में रिहाई के उपरांत अनुवर्ती रिपोर्ट; तथा
- (फ) टिप्पणियाँ।
- (2) संस्थाओं और बोर्ड या समिति द्वारा रखी गई सभी मामलों की फाइलें यथासंभव कम्प्यूटरीकृत और नेटवर्क में भी प्रविष्ट की जाएगी तािक ये आंकड़े राज्य और जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य सरकार को केन्द्रीय रूप से उपलब्ध हो सकें।

62. प्रबंधन समिति :--

- (1) संस्था के प्रबंधन और उसमें रहने वाले किशोर और बालकों की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए प्रत्येक संस्था की प्रबंधन समिति होगी, जो जिला बाल संरक्षण इकाई के आदेश से गठित की जायेगी।
- (2) किशोर या बालकों की व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार उनकी समुचित देख-रेख और उपचार सुनिश्चित करने के लिए उनकी आयु, अपराध की प्रकृति या अपेक्षित देखरेख की प्रकृति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा स्थगन आदेश की अवधि के आधार पर उनको समूहों में सिम्मिलित किया जाएगा।
- (3) प्रबंधन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगेः
 - 1. जिला बाल संरक्षण अधिकारी (जिला बाल संरक्षण इकाई) अध्यक्ष
 - 2. अधीक्षक सदस्य सचिव
 - 3. परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला (केस) कार्यकर्ता सदस्य
 - 4. जिला चिकित्सा अधिकारी सदस्य
 - 5. मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता सदस्य
 - कार्यशाला पर्यवेक्षक या व्यवसाय अनुदेशक सदस्य
 - 7. अध्यापक सदस्य
 - 8. किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति का सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य
 - प्रत्येक बाल समिति से किशोर या बालक प्रतिनिधि (सभी आयु वर्गो के बालकों
 या किशोरों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मासिक चक्रानुक्रम के आधार पर)—सदस्य
 - 10. वरीय नागरिक फोरम एवं / या स्थानिक कल्याण संघ से एक प्रतिनिधि सदस्य
 - 11. एक गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि सदस्य
- (4) जहाँ स्वैच्छिक संगठन व्यावसायिक और तकनीकी सेवाएं, जैसे शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोसमाजिक देखरेख, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम तथा कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हों, वहाँ प्रबंधन समिति ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि को अपनी बैठकों में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।
- (5) जिन जिलों में, जिला बाल संरक्षण इकाइयों का गठन नहीं किया गया है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर या उसके द्वारा नामित व्यक्ति इस समिति का अध्यक्ष होगा।

- (6)(क) प्रबंधन समिति निम्नलिखित पर विचार करने और उनका पुनर्विलोकन करने के लिए प्रति मास बैठक करेगी—
 - (i) अभिरक्षात्मक देखरेख या संस्था में देखरेख, आवास, कार्यकलाप का क्षेत्र और अपेक्षित पर्यवेक्षण या अन्तःक्षेप का स्वरूप;
 - (ii) चिकित्सा सुविधाएं और उपचार;
 - (iii) भोजन, पानी, स्वच्छता और आरोग्य संबंधी दशाएं:
 - (iv) किशोरों और बालकों के संबंध में मानसिक स्वास्थ्य अन्तःक्षेप:
 - (v) किशोरों और बालकों की व्यक्तिगत समस्याएं, विधिक सहायता सेवाओं और संस्थागत समायोजन की व्यवस्था के फलस्वरूप व्यक्तिगत देखरेख योजनाओं की तिमाही समीक्षा;
 - (vi) व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर:
 - (vii) शिक्षा और जीवन कौशल विकास कार्यक्रम;
 - (viii) सामाजिक समायोजन, मनोरंजन, सामूहिक क्रियाकलाप, मार्गदर्शन और परामर्श;
 - (ix) किशोरों और बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवासीय कार्यक्रमों की प्रगति, समायोजन और उपांतरणों का पुनर्विलोकन;
 - (x) रिहाई या पुनरुद्धार के उपरांत पुनर्वास कार्यक्रम और पश्चातवर्ती देखरेख सेवाओं के सहयोग से दो वर्ष की अविध के लिए अनुवर्ती योजना।
 - (xi) रिहाई या पुनरुद्धार पूर्व तैयारियाँ
 - (xii) रिहाई या पुनरुद्धार;
 - (xiii) रिहाई या पुनरुद्धार के उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई;
 - (xiv) आधारभूत संरचना और उपलब्ध सेवाओं सहित देखरेख के न्यूनतम मानक;
 - (xv) दैनिक कार्यक्रम;
 - (xvi) बालकों की आवासीय अवधि के दौरान उनके शैक्षिक, व्यावसायिक कार्यकलापों, मनोरंजन तथा रुचि के कार्यकलापों में सामुदायिक भागीदारी और स्वैच्छिक सहयोग;
 - (xvii) यह अवलोकन करना कि इस अधिनियम और नियमावली के अधीन यथापेक्षित सभी रिजस्टर संस्था द्वारा रखे जाते हैं, इन रिजस्टरों की जाँच और सत्यापन हो, मासिक पुनर्विलोकन बैठकों में सम्यक रूप से इन पर मुहर लगाई जाए तथा इन पर हस्ताक्षर किए जाएं;
- (xviii) बाल समितियों से संबंधित विषय;
- (xix) अन्य कोई मामला, जो अधीक्षक द्वारा उठाया जाए।
- (ख) अधीक्षक या बाल कल्याण अधिकारी प्रत्येक किशोर या बालक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट उसके मामले से संबंधित फाइल में तैयार करेगा और इस रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थिति जिला बाल संरक्षण इकाई और बोर्ड या समिति को भेजेगा।
- (7) प्रबंधन समिति प्रत्येक संस्था में शिकायत—निवारण तंत्र स्थापित करेगी और बाल—सुझाव—पेटी किसी ऐसे स्थान पर रखी जाएगी, जहाँ किशोर या बालक आसानी से आ सकते हों और यह स्थान

संस्था के कार्यालय के स्थान से दूर और बच्चों के निवास या कमरों या शयनशालाओं के निकट होगा।

- (8) (क) बाल—सुझाव—पेटी की चाबी प्रबंधन—समिति के अध्यक्ष के पास रहेगी और प्रबंधन समिति का अध्यक्ष या उसके द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से नामित कोई प्रतिनिधि, बाल समिति के सदस्यों की उपस्थित में, सप्ताह में एक बार इस पेटी की जाँच करेगा।
 - (ख) यदि कोई ऐसी समस्या या सुझाव हो, जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है, तो प्रबंधन—समिति का अध्यक्ष उस विषय में विचार—विमर्श करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन—समिति की आपात् बैठक बुलाएगा।
 - (ग) आपात् बैठक बुलाने के लिए गणपूर्ति पाँच सदस्यों से होगी, जिनमें बाल सिमतियों के दो सदस्य, प्रबंधन सिमति का अध्यक्ष, यथास्थिति बाल कल्याण सिमति या बोर्ड का सदस्य तथा संस्था का अधीक्षक सिम्मिलत हैं।
 - (घ) संस्था के अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए जाने या उसके विरूद्ध ऐसी कोई शिकायत किए जाने की स्थिति में वह आपात बैठक में भाग नहीं लेगा और उसके स्थान पर प्रबंधन समिति के अन्य किसी उपलब्ध सदस्य को शामिल किया जाएगा।
 - (ड.) सुझाव पेटी के माध्यम से प्राप्त सभी सुझावों और आपात् बैठक में किए गए विनिश्चयों के परिणामस्वरूप की गई कार्रवाई या अपेक्षित कार्रवाई के विषय पर प्रबंधन समिति की मासिक बैठक में विचार—विमर्श किया जाएगा और इस विषय का पुनर्विलोकन किया जाएगा।
- (9) प्रत्येक संस्था में बाल—सुझाव—पुस्तिका रखी जाएगी, जिसमें शिकायतें और उन शिकायतों पर प्रबंधन समिति द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा सम्यक रूप से अभिलिखित किया जाएगा और प्रबंधन समिति की प्रत्येक मासिक बैठक के पश्चात् उक्त अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना बाल—समिति को दी जाएगी।
 - (10) बोर्ड या समिति छः मास में कम से कम एक बार बाल-सुझाव-पुस्तिका का पुनर्विलोकन करेगी।

63. बाल समितियाँ:-

- (1) प्रत्येक संस्था का अधीक्षक 6—10 वर्ष, 11—15 वर्ष और 16—18 वर्ष के तीन भिन्न आयु समूहों के लिए बाल समितियाँ गठित कराएगा और ये बाल समितियाँ केवल बालकों द्वारा गठित की जाएगी। गृह में स्वास्थ्य एवं सफाई समिति, शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण समिति, खेल—कूद और सांस्कृतिक समिति, मनोरंजन समिति आदि हो सकेंगे।
- (2) इन बाल-समितियों को निम्नलिखित कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा:-
 - (क) संस्था की दशा में सुधार;
 - (ख) संस्था में देख—रेख से संबंधित जिन मानकों का अनुपालन किया जा रहा है, उन मानकों का पुनर्विलोकन करना;
 - (ग) दैनिक-कार्यक्रम और आहार मापदंड की तैयारी करना;
 - (घ) शैक्षिक, व्यावसायिक और मनोरंजन योजनाओं को विकसित करना;
 - (ड.) संकट से निपटने में एक दूसरे की सहायता करना;
 - (च) साथियों और देखभाल करने वालों के हाथों द्वयवहार और शोषण की रिपोर्ट करना;
 - (छ) वॉल पेपर या न्यूज लेटर या पेंटिंग या संगीत या थिएटर के माध्यम से अपने विचारों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति;

- (ज) प्रबंधन समिति के माध्यम से संस्था का प्रबंधन।
- (3) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि बाल समितियाँ प्रति मास अपनी बैठकें करें और अपने कार्यकलापों और कार्यवाहियों का ब्यौरा, रिजस्टर में अभिलिखित करें तथा इसे प्रबंधन समिति की मासिक बैठकों के समक्ष प्रस्तुत करें।
- (4) अधीक्षक सुनिश्चित करेगा कि समितियों को कारगर ढंग से अपना कार्य करने के लिए लेखन सामग्री, स्थान और मार्गदर्शन सहित आवश्यक सहायता और सामग्री प्रदान की जाए।
- (5) स्थानीय स्वैच्छिक संगठन या परामर्शदाता निम्नलिखित कार्य करने में बाल समितियों की सहायता कर सकेगाः
 - (क) उनके नेता का चयन;
 - (ख) मासिक बैठकों का संचालन;
 - (ग) बाल-समितियों के कामकाज के नियम विकसित करना और इनका अनुपालन करना;
 - (घ) अभिलेख और बाल सुझाव पुस्तिका और अन्य सुसंगत दस्तावेज रखना;
 - (ड.) अन्य कोई अभिनव कार्यकलाप।
- (6) प्रबंधन—सिमिति, बाल—सिमितियों की स्थापना और कामकाज के बारे में अधीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त करेगी और अपनी त्रैमासिक बैठकों में इन रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी और जहाँ अपेक्षित हो आवश्यक कार्रवाई करेगी।

64. पुरस्कार और उपार्जन :--

- (क) अधीक्षक द्वारा संस्था के प्रबंधन द्वारा समय—समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर पुरस्कार किसी किशोर या बालक को उसके नियमित कार्य और अच्छे अनुभव व्यवहार के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा; और रिहाई के समय वह पुरस्कार उस किशोर या बालक को लेने के लिए आने वाले उसके माता—पिता अथवा अभिभावक अथवा स्वयं बच्चे को देकर रसीद ली जाएगी।
- (ख) जब कभी किसी किशोर या बालक के द्वारा ईमानदारी के रूप में अच्छी सेवा, सफाई या परोपकारी व्यवहार किया जाता है तब उसे एक पीत—चिन्ह (येलो टोकन) अधीक्षक द्वारा निर्गत किया जायेगा। जब बुरा कार्य करेगा तब एक बार में एक पीत—चिन्ह वापस ले लिया जायेगा। इस प्रकार जब किसी किशोर के पास 10 पीत चिन्ह हो जाए तब उसे नकद पुरस्कार के साथ सार्वजनिक तौर पर पुरस्कृत किया जायेगा।

65. किशोरों या बालकों से मिलना और उनके साथ सूचना का आदान-प्रदान :--

- (1) किशोर या बालक के माता—पिता और रिश्तेदारों को महीने में एक बार उससे मिलने की अनुमित दी जाएगी अथवा विशेष परिस्थिति में अधीक्षक द्वारा यथानिर्धारित मुलाकात की अविध के अनुसार मास में एक से अधिक बार भी बालक से मिलने की अनुमित उसके माता—पिता या रिश्तेदारों को दी जाएगी, सिवाय उन मामलों में जब यह पाया जाता हो कि उन माता—पिता या रिश्तेदारों या अभिभावकों ने ही बालक के साथ हिंसा, दूव्यवहार और शोषण किया था।
- (2) संस्था में रह रहे किशोरों या बालकों को पत्रों को प्राप्त करने से रोका नहीं जाएगा और उन्हें यह स्वतंत्रता होगी कि वे यथोचित समय पर जितने चाहे पत्र लिखें, तथा यदि किशोरों या बालकों के माता—पिता, अभिभावक या रिश्तेदारों का पता मालूम हो, तो संस्था यह सुनिश्चित

- करेगी कि प्रत्येक किशोर या बालक प्रतिमास अपने अभिभावकों को एक पत्र लिखे, जिसका डाक महसूल संस्था द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा।
- (3) अधीक्षक किसी भी किशोर या बालक को या उसके द्वारा लिखे गए किसी पत्र का पिरशीलन कर सकेगा तथा पर्याप्त समझे गए कारणों से वह ऐसे पत्र को देने या भेजने से इन्कार कर सकेगा और इस प्रयोजनार्थ रखी गई पुस्तक में अपने कारणों को लेखबद्ध करके पत्र समिति को भेजेगा।
- (4) विशेष परिस्थिति में, या बोर्ड या समिति के आदेशानुसार, अधीक्षक किसी किशोर या बालक को अपने माता—पिता या अभिभावक या रिश्तेदार से दूरभाष पर बातचीत करने की अनुमति देगा।
- 66. किसी किशोर या बालक की मृत्यु— किसी संस्था में किसी किशोर या बालक की मृत्यु होने या उसके द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की दशा में निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जाएगी:—
 - (1) संस्था में किसी किशोर या बालक की अप्राकृतिक मृत्यु होने या उसके द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की दशा में संस्था के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि मृत्यु—समीक्षा और शव—परीक्षण यथाशीघ्र किया जाए।
 - (2) किसी प्राकृतिक कारण से या रोगग्रस्त होने के कारण किसी किशोर या बालक की मृत्यु की दशा में अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करेगा, जिसमें मृत्यु का कारण दर्शाया जाएगा तथा इस मामले की लिखित सूचना तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने, बोर्ड या समिति, राष्ट्रीय अथवा राज्य—बालक—अधिकार—संरक्षण आयोग, जिला—बाल—संरक्षण—इकाई या राज्य—बाल—संरक्षण—इकाई या अन्य किसी संबंधित प्राधिकारी तथा उस किशोर या बालक के माता—पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को भेजी जाएगी।
 - (3) अकस्मात् मृत्यु या हिंसा के परिणामस्वरूप मृत्यु या आत्महत्या या दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की दशा में मामला—(केस) कार्यकर्ता या परिवीक्षा—अधिकारी या कल्याण—अधिकारी द्वारा इस घटना की सूचना, अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी को तुरंत दी जाएगी तथा अधीक्षक तत्काल, निकटवर्ती पुलिस थाने, बोर्ड या समिति और मृतक किशोर या बालक के माता—पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को सूचित करेगा।
 - (4) यदि संस्था में प्रवेश पाने के चौबीस घंटे के भीतर किसी किशोर या बालक की मृत्यु हो जाती है तो संस्था का अधीक्षक उस पुलिस थाने के अधीक्षक, जिसकी अधिकारिता में यह मामला आता हो और जिला चिकित्सा अधिकारी या निकटवर्ती सरकारी अस्पताल तथा मृतक किशोर या बालक के माता—पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को इस विषय में अविलम्ब सूचित करेगा।
 - (5) अधीक्षक, उस निकटवर्ती मजिस्ट्रेट को, जो मृत्यु समीक्षा कार्यवाही करने के लिए सशक्त हो, तथा यथास्थिति बोर्ड या समिति को तत्काल इस मामले की सूचना देगा।
 - (6) संस्था के अधीक्षक व चिकित्सा अधिकारी उस बालक की मृत्यु की परिस्थितियों का ब्यौरा दर्ज करके एक रिपोर्ट संबंधित मिजस्ट्रेट, जिस पुलिस थाने की अधिकारिता में यह मामला आता हो, उस थाने के प्रभारी अधिकारी, सिमिति और जिला चिकित्सा अधिकारी या जिस निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में निरीक्षण और मृत्यु के कारण की जांच हेतु किशोर या बालक का शव भेजा गया हो, उस अस्पताल को भेजेंगें और अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी मृत्यु के कारण के विषय में अपने

- विचार अभिलिखित करेंगे और इसकी रिपोर्ट उस पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को देंगे, जिसकी अधिकारिता में यह मामला आता हो।
- (7) ऐसे किसी किशोर या बालक की मृत्यु के कारणों और अन्य ब्यौरों के संबंध में पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच की कार्रवाई के लिए अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध रहेंगे।
- (8) मृत्यु—समीक्षा होते ही मृतक किशोर या बालक का शव उसके माता—पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को सौंपा जाएगा अथवा किसी दावेदार के उपस्थित न होने की दशा में उस किशोर या बालक के ज्ञात धर्म के अनुसार अधीक्षक की देखरेख में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

67. किशोर या बालक से दुर्व्यवहार और उसका शोषण :-

- (1) प्रत्येक संस्था बालकों को दुराचार, उनका शोषण, उपेक्षा और उससे दुव्यवहार से निवारण एवं संरक्षा के प्रोटोकॉल जिसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर किया जायेगा का पालन किया जाना सुनिश्चित करेगी।
- (2) संस्था का अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि कोई दुराचार, उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार नहीं हुआ है और इसमें कर्मचारियों का इस बात से अवगत रहना भी शामिल है कि शोषण, उपेक्षा, दुर्व्यवहार का अर्थ क्या है और ऐसे शोषण, उपेक्षा और दुर्व्यवहार के प्रारंभिक संकेत क्या होते है तथा ऐसे मामलों में कौन सी कार्रवाई करनी है।
- (3) किसी भी संस्था में बालकों की देखरेख और संरक्षण के उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा उनके साथ शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार की दशा में, जिसमें उनकी उपेक्षा सिम्मिलित है, निम्निलिखित कार्रवाई की जाएगी:—
 - (i) दुर्व्यवहार और शोषण की घटना की सूचना प्राप्त होने पर संस्था के कर्मचारियों द्वारा यह रिर्पोट तत्काल अधीक्षक को की जानी चाहिए।
 - (ii) शारीरिक, यौन या भावनात्मक दुव्यर्वहार का आरोप जानकारी में आने पर अधीक्षक बोर्ड या समिति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो विशेष अन्वेषण का आदेश देगी।
 - (iii) बोर्ड या सिमिति ऐसे मामले को दर्ज करने तथा ऐसी घटनाओं का सम्यक संज्ञान लेने और आवश्यक अन्वेषण करने का स्थानीय पुलिस थाने या विशेष किशोर पुलिस इकाई को निदेश देगी।
 - (iv) बोर्ड या समिति यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी कि समस्त जांच कार्य संपन्न हो और किशोर या पीड़ित बच्चे को विधिक—सहायता और परामर्श उपलब्ध कराए जाए।
 - (v) बोर्ड या समिति ऐसे किशोर या बालक को किसी अन्य सुरक्षित संस्था, या स्थान या उपयुक्त व्यक्ति को स्थानान्तरित करेगी।
 - (vi) संस्थाओं में किशोरों या बालकों की बाबत किए गए किसी अन्य अपराध की दशा में बोर्ड या समिति उसका संज्ञान लेगी और स्थानीय पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा किए जाने वाले आवश्यक अन्वेषण की व्यवस्था करेगी।

- (vii) संस्था का अधीक्षक प्रबंधन—समिति के अध्यक्ष को भी सूचित करेगा और ऐसी घटना और उस पर की गई अनुवर्ती कारवाई की रिपोर्ट की एक प्रति प्रबंधन—समिति की अगली बैठक के समक्ष रखेगा।
- (viii) बोर्ड या समिति प्रत्येक संस्था में गठित किशोर समिति से, दुराचार और शोषण संबंधी तथ्य की जाँच हेतु विमर्श कर सकता है और उससे निपटने में संबंधित स्वैच्छिक संगठनों, बाल अधिकारों के विशेषज्ञों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों अथवा संकट अन्तःक्षेप केन्द्रों से सहायता प्राप्त कर सकेगी।

68. भयंकर रोगों या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीडित किशोर या बालक :--

- (1) जब इस अधिनियम उपबंधों के अधीन किसी उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्था की देख—रेख में रखा गया बालक किसी ऐसे रोग या ऐसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित पाया जाता हो, जिसके लिए लम्बे चिकित्सीय इलाज की आवश्यकता हो या वह किसी स्वापक (नारकोटिक ड्रग) या मनः प्रभावी पदार्थ का आदी हो तो उस बालक को सक्षम—प्राधिकारी के आदेश से अनुमोदित संस्था में रहने की शेष अविध या ऐसी अविध के लिए उस प्रयोजनार्थ स्थापित किसी स्थान पर रखा जायगा जिसे जो उस बालक की समुचित चिकित्सा के लिए चिकित्सा—पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवश्यक समझा गया हो।
- (2) जहाँ उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन बालक के हटाने का आदेश देने वाले सक्षम प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता हो कि बालक रेाग से या शारीरिक या मानसिक शिकायत से चंगा हो गया है, फिर भी अभिरक्षा में रहने योग्य है तो संस्था को भेजने के प्रभारी व्यक्ति को या उस उपयुक्त व्यक्ति को, जिससे या जिनसे वह हटाया गया हो को आदेश करेगा अथवा यदि बालक गृह में रखे जाने लायक नहीं रह गया हो तो उसे उनमुक्त करने का आदेश करेगा।
- (3) जहाँ सांसर्गिक या संक्रामक रोग से ग्रसित बालकों के मामले में उपनियम (1) के अधीन कार्रवाई कर ली गई हो वहाँ शक्ति सम्पन्न उप नियम (1) के अधीन सशक्त सक्षम प्राधिकारी उक्त बालक को यथा स्थिति उसके माता पिता या अभिभावक के पास पुनर्वापसी के पूर्व, समाधान कर होने पर कि ऐसी कार्रवाई उक्त बालक के हित में होगी यथास्थिति उसके माता—पिता या अभिभावक को बुला कर समाधान कर लेगा कि वैसे माता—पिता या अभिभावक बालक को पुनः संक्रमित नहीं करें।
- (4) जिस स्थान पर सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर या निकटवर्ती जिले या राज्य में गंभीर मनोरोगों या शारीरिक रोग और संक्रमण से पीड़ित किशोर या बालक की देखरेख और संरक्षण के लिए इस अधिनियम की धारा 57 के अधीन यथावश्यक संगठन मौजूद नहीं है, उस स्थान पर राज्य सरकार ऐसे किशोर या बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथावश्यक संगठनों की स्थापना करेगी।

69. किशोर या बालकों की अनुपस्थिति की छुट्टी :--

- (1) किसी संस्था में रहने वाले किशोर या बालक को संस्था की देखरेख में परीक्षा या नामांकन कराने के लिए या परिवार में विवाह जैसे विशेष अवसरों पर या मृत्यु या दुर्घटना या गंभीर बीमारी के आपातकालीन समय में अवकाश पर जाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (2) यात्रा के समय को छोड़कर सामान्य रूप से अधिकतम सात दिनों की अल्पकालिक छुट्टी अधीक्षक द्वारा सिफारिश की जाती है, किंतु ऐसी छुट्टी बोर्ड या समिति द्वारा मंजूर की जाएगी।

- (3) किशोर के माता—िपता या अभिभावक या किशोर या बालक की ओर से अधीक्षक छुट्टी के लिए बोर्ड या सिमिति को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसमें छुट्टी का प्रयोजन और छुट्टी की अविध का स्पष्ट उल्लेख करते हुए किशोर या बालक को छोड़ने का अनुरोध होगा।
- (4) अनुपस्थिति की छुट्टी के आवेदन पर विचार करते समय बोर्ड या सिमिति, किशोर या बालक या उनके माता—पिता या अभिभावकों को सुनेगी और यदि बोर्ड या सिमिति यह समझती है कि ऐसी छुट्टी को मंजूर करना किशोर या बालक के हित में है तो समुचित आदेश दिया जाएगा और बोर्ड या सिमिति परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी से एक रिपोर्ट उस दशा में मांग सकेगा, जब किशोर या बालक या संबंधित माता—पिता या अभिभावक द्वारा दी गई प्रारंभिक सूचना उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं है।
- (5) छुट्टी मंजूर करने का आदेश जारी करते समय या पर्यवेक्षण के अधीन मुक्त करते समय सक्षम प्राधिकारी छुट्टी के आदेश के साथ छुट्टी की अविध तथा शर्तों का उल्लेख करेगा और यिद छुट्टी की अविध के दौरान इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो किशोर या बालक को संस्था में वापस बुलाया जा सकेगा।
- (6) माता—िपता या अभिभावक किशोर या बालक के मार्गरक्षक की व्यवस्था करेगा और जहां यह संभव नहीं है, वहां अधीक्षक परिवार के स्थान तक और वहां से वापस आने के समय किशोर या बालक के मार्गरक्षण की व्यवस्था करेगा। यदि किशोर या बालक के माता—िपता या अभिभावक मार्गरक्षण के लिए इच्छुक हो किंतु आर्थिक रूप से सक्षम न हों, तो अधीक्षक उनके लिए नियमों के अधीन यथा अनुमान्य यात्रा खर्च की व्यवस्था करेगा।
- (7) यदि किशोर या बालक छुट्टी की अवधि के दौरान परिवार से भाग जाता हो तो इनके माता—पिता या अभिभावक द्वारा संस्था के अधीक्षक को तत्काल सूचित किया जाना अपेक्षित है तथा उन्हें ढूंढ़ने का प्रयास किया जाना आवश्यक है और यदि वे पाए जाते हैं तो इन्हें तत्काल संस्था में वापस लाया जाएगा।
- (8) यदि किशोर या बालक चौबीस घंटे के भीतर नहीं पाया जाता हो तो अधीक्षक निकटतम पुलिस थाने और गुमशुदा व्यक्ति—ब्यूरो को इसकी सूचना देगा किंतु किशोर या बालक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल अनुशासनिक कारवाई नहीं की जाएगी और अधिनियम के अधीन अभिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- (9) यदि किशोर या बालक के माता—पिता या अभिभावक छुट्टी की अवधि में इनकी उचित देखरेख नहीं करते हों या निर्धारित अवधि के भीतर किशोर या बालक को संस्था में वापस नहीं लाते हों तो आगे से ऐसे अवसरों पर छुट्टी से इन्कार किया जा सकेगा।
- (10) यदि किशोर या बालक मंजूर की गई छुट्टी के अवसान पर संस्था में वापस नहीं आता है तो बोर्ड या समिति किशोर का प्रभार संभालने तथा उसे संस्था में वापस लाने के लिए ऐसे मामले को, पुलिस को सौंप देगी।
- (11) ऐसी छुट्टी की अविध संस्था में किशोर या बालक के ठहरने की अविध की गणना करते समय संस्था में रहने की अविध में शामिल होगी, और छुट्टी की अविध के पश्चात् संस्था से अनुपिश्यित रहने की अविध संस्था में रहने की अविध से अपवर्जित की जाएगी।

70. निरीक्षण:-

- (1) राज्य सरकार इस नियमावली के नियम 100 के अधीन गठित चयन—समिति की सिफारिश पर राज्य, जिला या नगर स्तर पर निरीक्षण समिति का गठन तीन वर्षों के लिए करेगी।
- (2) निरीक्षण समितियां इन संस्थाओं का दौरा करेंगी और संस्था की स्थितियों, सुरक्षा हेतु प्रक्रियाओं की उपयुक्तता, कल्याण एवं स्थायित्व का निरीक्षण करेगी, संस्थाओं द्वारा अनुपालित देखरेख और संरक्षण के मानकों का पुनर्विलोकन करेंगी, बाल अधिकारों के उल्लंघन की किसी भी घटना के प्रति सर्तकता और इस नियमावली के नियम 62 और 63 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति के कार्यों और बाल समिति के कार्यकलापों की जांच—पड़ताल करेंगी और समुचित निदेश देंगी।
- (3) यह दल संस्था के सुधार और विकास हेतु सुझाव भी देगा।
- (4) इस दल में न्यायिक, राज्य सरकार, बोर्ड या समिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग, चिकित्सा या अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों, स्वैच्छिक संगठनों और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों सहित सात सदस्य होंगे।
- (5) प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा।
- (6) निरीक्षण दौरे में कम से कम तीन सदस्य होंगे।
- (7) दल संस्थाओं को या तो सूचित करके दौरा करेगा या औचक दौरा करेगा।
- (8) दल अपने दौरे में बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनसे बेझिझक सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत करेगा।
- (9) बालकों के बारे में निष्कर्षों और सुझावों पर सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।
- (10) निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट, निष्कर्ष तथा सुझाव जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को भेजे जाएंगे।

71. सामाजिक लेखा-जोखा :--

- (1) राज्य सरकार, बोर्ड या सिमित या विशेष किशोर पुलिस इकाई, जहां अपेक्षित हो, की स्थापना से सम्बद्ध मामलों की, बोर्ड या सिमित या विशेष किशोर पुलिस इकाई के कामकाज की, संस्थाओं और कर्मचारियों के कामकाज की, दत्तक ग्रहण अभिकरणों के कामकाज की, किशोर न्याय के बालक अनुकूलन प्रशासन और राज्य में इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से सम्बद्ध अन्य किसी भी मामले का अनुश्रवण और मूल्यांकन करेगी।
- (2) मानसिक स्वास्थ्य, बालक देख-रेख और संरक्षण एवं लोक दायित्व के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को शामिल करके एवं इनके सहयोग से सामाजिक लेखा जोखा कराया जाएगा।

72. वापस भेजा जाना और अनुवर्ती कार्रवाई :--

(1) बोर्ड या सिमिति, किशोर या बालक और इनके माता—पिता या अभिभावक की समुचित सुनवाई और साथ ही साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए बोर्ड या सिमिति द्वारा निदेशित पर्यवेक्षण अधिकारियों या बाल कल्याण अधिकारियों की रिपोर्टों और मामले के निर्णय के लिए बोर्ड या सिमिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए सम्बद्ध कागजात या रिपोर्ट के आधार पर किशोर या बालक को वापस भेजने का आदेश देगी।

- (2) बोर्ड या समिति प्रपत्र—XXII के अनुसार, मार्गरक्षण के आदेश की प्रति के साथ वापस भेजे जाने के आदेश की प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार का भेजेगी जो किशोर या बालक को वापस भेजने के लिए निधि उपलब्ध कराएगी।
- (3) वापस भेजे जाने के मामले में यथास्थिति कार्यकर्ताओं या परामर्शदाताओं या बाल कल्याण अधिकारियों या पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं के रूप में वापस भेजने की योजना तैयार की जाएगी और यह इस नियमावली के नियम 62 के अधीन स्थापित प्रबंध समिति के पुनर्विलोकन और सिफारिश पर आधारित होगी।
- (4) पुलिस के अतिरिक्त बोर्ड या सिमिति भी किशोरों या बालकों को वापस भेजने के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेगी।
- (5) किशोरियों या बालिकाओं को महिला मार्गरक्षण दल के साथ भेजा जाएगा।
- (6) यदि सक्षम प्राधिकारी का निदेश हो तो यात्रा और अन्य आकस्मिक खर्चों सहित किशोरों या बालकों को वापस भेजने के लिए किये गये व्यय जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार द्वारा वहन किय जाएंगे।
- (7) जब कोई किशोर या बालक अपने घर वापस नहीं जाना चाहता तो बोर्ड या सिमति अपने अभिलेख में इस बात को दर्ज करेगी तथा उसे घर जाने हेतु न तो बाध्य किया जाएगा, और न ही समझाया जाएगा, विशेष रूप से यदि बाल कल्याण अधिकारी या पर्यवेक्षण अधिकारी की सामाजिक जांच रिपोर्ट से यह निश्चित हो गया हो कि परिवार में पुनः जाना किशोर या बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है, या माता—पिता या अभिभावक किशोर या बालक को पुनः वापस लेने से इनकार करते हो।
- (8) बालक को वापस भेजने में सहायता हेतु बोर्ड या सिमिति द्वारा समानुदर्शित बाल कल्याण पदाधिकारियों या परवीक्षा पदाधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनुवर्ती योजना तैयार की जाएगी, जो व्यक्तिगत देखभाल योजना के भाग रूप में होगी।
- (9) सम्बद्ध बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी या गैर—सरकारी संगठन दो वर्षों की अविध तक तिमाही अनुवर्ती रिपोर्ट बोर्ड या समिति को तथा इसकी एक प्रति उस संस्था के अधीक्षक को भेजेगा, जहाँ किशोर या बालक रह रहा हो।
- (10) अनुवर्ती रिपोर्ट में किशोर या बालक को वापस भेजने के पश्चात् उसकी स्थिति तथा किशोर या बालक की असुरक्षा में उतरोत्तर कमी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाने वाली इनकी जरूरतों के बारे में स्पष्ट उल्लेख होगा।
- (11) अधीक्षक किशोर या बालक की केस फाइल में अनुवर्ती रिपोर्ट भी रखेगा तथा अगली बैठक में इसे, इस नियमावली के नियम 62 के अधीन गठित प्रबंधन—समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (12) अधीक्षक अनुवर्ती रिपोर्टों की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को भी भेजेगा।
- (13) जहाँ सरकारी कार्यकर्ताओं या गैर—सरकारी संगठनों के न होने के कारण अनुवर्ती कार्रवाई सम्भव नहीं हो, वहाँ सम्बद्ध जिला—बाल—सरक्षण—इकाई बोर्ड या समिति को जरूरी सहायता प्रदान करेगी।

73. आगन्तुक पुस्तिका:-

- (1) प्रत्येक संस्था में आगन्तुक पुस्तिका रखी जाएगी, जिसमें वहां आने वाले व्यक्ति अपने आगमन की तारीख और उचित सुझावों को लेखाबद्ध करेंगे।
- (2) संस्था का अधीक्षक ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई या निदेशक, समाज कल्याण को भेजेगा। प्रविष्टियां भेजते समय अपनी इच्छानुसार अपना स्पष्टीकरण अथवा अन्य अभ्युक्तियां दे सकेगा, जिस पर नामनिर्दिष्ट अधिकारी यथावश्यक आदेश जारी कर करेगा।

74. रिजस्टरों का रखा जाना—अधीक्षक, अधिनियम द्वारा यथापेक्षित जरूरी तथा इन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रिजस्टरों और प्रपत्रों को अपने कार्यालय में रखेगा। रिजस्टरों, फाइलों या पुस्तिकाओं की सूची में कम से कम निम्निलिखत सामग्री शामिल होगी:—

- (क) प्रवेश और उन्मुक्ति रजिस्टर
- (ख) पर्यवेक्षण रजिस्टर
- (ग) चिकित्सा फाइल या चिकित्सा रिपोर्ट
- (घ) पोषण आहार फाइल
- (ड.) स्टाफ रजिस्टर
- (च) लॉग-बुक
- (छ) आदेश पुस्तिका
- (ज) बैठक पुस्तिका
- (झ) रोकड़ बही
- (ञ) बजट विवरण फाइल
- (ट) जाँच रिपोर्ट फाइल
- (ठ) व्यक्तिगत देखरेख योजना के साथ व्यक्तिगत केस फाइल
- (ड) बाल सुझाव पुस्तिका
- (ढ) आगुंतक पुस्तिका
- (ण) कर्मचारी संचलन रजिस्टर
- (त) व्यक्तिगत सामान रजिस्टर
- (थ) प्रबंधन समिति की कार्यवृत्त रजिस्टर
- (द) बाल समितियों की कार्यवृत्त रजिस्टर
- (ध) कर्मचारियों और किशोरों या बालकों की उपस्थिति रजिस्टर
- (न) परिवाद एवं की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन रजिस्टर
- (प) अंतःवासियों को पुरस्कार एवं दंड रजिस्टर

75. गृहों के कार्मिक या कर्मचारी:-

- (1) प्रत्येक गृह के कार्मिकों की संख्या, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- (2) गृह के आकार, क्षमता, कार्यभार, कार्यों के वितरण और कार्यक्रमों की अपेक्षा के अनुसार संस्थागत, संगठनात्मक ढाँचा निश्चित किया जाएगा।
- (3) किसी गृह में पूर्णकालिक कर्मचारियों में आवश्यकतानुसार, अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी (पर्यवेक्षण गृह या विशेष गृह की दशा में), मामला कार्यकर्ता (बाल गृह या आश्रय गृह या परवर्ती देखरेख

संगठन की दशा में), परामर्शदाता, शिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदेशक, चिकित्सीय कर्मचारीवृंद, प्रशासनिक कर्मचारीवृंद, अवधायक (केयरटेकर), स्वयंसेवक, भंडारपाल, रसोइया, हेल्पर, धोबी, सफाई कर्मचारी तथा माली शामिल हो सकेंगे।

- (4) अंशकालिक कर्मचारीवृंद में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक चिकित्सक और समय—समय पर अपेक्षित अन्य वृत्तिक सम्मिलित हो सकेंगे।
- (5) गृह के कर्मचारी अधीक्षक के नियंत्रण और सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में रहेंगे, जो आदेश द्वारा उनकें विनिर्दिष्ट विशिष्ट दायित्वों को अवधारित करेगा और समय—समय पर किए गए ऐसे आदेशों से संबद्ध प्राधिकारी को अवगत रखेगा।
- (6) अधीक्षक के अधीनस्थ कर्मचारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण अधिनियम की कानूनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- (7) कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (8) 100 किशोरों या बालकों की क्षमता वाली किसी संस्था के लिए निम्नलिखित पैटर्न पर कर्मचारियों की नियुक्ति का सुझाव है:—

क्र0सं0	कर्मचारी / अधीक्षक	पदों की संख्या
1	2	3
1	प्रभारी पदाधिकारी (अधीक्षक)	1
2	परामर्शदाता (हर 50 बालकों के लिए एक)	2
3	परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता	2
4	गृह माता या गृह पिता (हर 20 बालकों के लिए एक)	5
5	शिक्षक (अंशकालिक या स्वैच्छिक)	2
6	चिकित्सक	1
7	पारा—चिकित्सकीय कर्मचारीवृंद	2
8	भंडारपाल सह लेखापाल	1
9	कला और हस्तशिल्प—सह—संगीत शिक्षक	१ (अंशकालिक)
10	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक—सह—योग प्रशिक्षक	1 (अंशकालिक)
11	वाहन चालक	1
12	रसोईया	2
13	सहायक (हेल्पर)	2
14	सफाई कर्मी	2
15	माली	1 (अंशकालिक)
16	सुरक्षा गार्ड	4
कुल योग		30

(9) शिशुओं को रखने वाली संस्थाओं या 12 वर्ष तक के बच्चे या वैसे बच्चे जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से ग्रसित बच्चों की दशा में आया और पारा—चिकित्सकीय कर्मचारियों की व्यवस्था आवश्यकता के अनुसार की जाएगी।

76. संस्था के अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व :---

- (1) अधीक्षक का प्रमुख उत्तरदायित्व संस्था के रख—रखाव का होगा तथा किशोरों या बालकों और कर्मचारीवृंद को आवश्यकता पड़ने पर हर समय उपलब्ध रहने के लिए संस्था के परिसर में ही रहेगा और यदि संस्था के परिसर में आवास सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो अधीक्षक संस्था के परिसर में आवास सुविधा उपलब्ध कराए जाने तक संस्था के निकट ही किसी स्थान पर रहेगा।
- (2) अधीक्षक के सामान्य कर्तव्यों और कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:
 - (क) अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों का अनुपालन;
 - (ख) बोर्ड या समिति के आदेशों का अनुपालन;
 - (ग) किशोरों या बालकों को प्यार, स्नेह, देखरेख, विकास और कल्याण का घरेलू वातावरण प्रदान करना:
 - (घ) संस्था में देखरेख के न्यूनतम मानकों को बनाए रखना;
 - (ड.) भवन और परिसरों का समुचित रखरखाव;
 - (च) संस्था का प्रतिदिन निरीक्षण करना एवं चक्कर लगाना, खाद्य सामग्री के अलावा परोसे जाने वाले भोजन आदि का उचित भण्डारण तथा निरीक्षण सहित सुरक्षा उपाय तथा आवधिक निरीक्षण;
 - (छ) किशोरों या बालकों के अनुशासन और कल्याण का पर्यवेक्षण और मॉनीटर करना;
 - (ज) यथास्थिति, प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रमों या सुधारात्मक कार्यकलापों सहित सभी संस्थागत कार्यकलापों, कार्यक्रमों तथा प्रचालनों का नियोजन, कार्यान्वयन और समन्वयन;
 - (झ) आकस्मिकताओं से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई जिसमें नियमित अग्निड्रिल और खाली कराने की योजना भी शामिल है;
 - (ञ) संस्था के परिसर के भीतर दुर्घटना और आग से बचाव के निवारक उपाय सुनिश्चित करना;
 - (ट) जल भण्डारण, बिजली—संयत्र, आपातकालीन रोशनी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था;
 - (ठ) संयंत्रों और उपस्करों का सावधानीपूर्वक संचालन;
 - (ड) सांसर्गिक या संक्रामक रोगों से पीडित किशोरों या बालकों को अलग-अलग रखना;
 - (ढ) दैनिक रूटीन का पालन और अनुपालन करना;
 - (ण) केस फाइल में किशोर या बालक की मासिक रिपोर्ट को फाइल करना;
 - (त) संस्था में स्थानीय और राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन;
 - (थ) किशोरों या बालकों के भ्रमण या सैर अथवा पिकनिक का आयोजन करना;
 - (द) बजट तैयार करना तथा वित्तीय ममालों पर नियंत्रण;
 - (ध) कार्मिकों को कार्यो का आवंटन;
 - (न) कार्मिकों के कल्याण तथा कर्मचारीवृंद के अनुशासन पर ध्यान देने सिहत कार्यालय प्रशासन का पर्यवेक्षण;
 - (प) सभी अनुशासनिक मामलों में त्वरित, कठोर और विचारशील कार्रवाई;

- (फ) प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करना और आवश्यक सहायता प्रदान करना;
- (ब) अधिनियम और नियमावली के अधीन अपेक्षित सभी अभिलेखों और रजिस्टरों का रखरखाव;
- (भ) जब कभी आवश्यक है, जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार के साथ सम्पर्क, समन्वयन तथा सहयोग करना; और
- (म) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक किशोर को विधिक रूप से प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तथा निःशुल्क विधिक सहायता और अन्य आवश्यक सहायता मिल रही है, जिला बाल संरक्षण इकाई के विधि अधिकारी से समन्वय करना और जहाँ कहीं जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन नहीं हुआ है, वहाँ जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- (य) बाल समितियों को संगठित करना एवं आवश्यक समर्थन प्रदान करना।
- (3) अधीक्षक को अन्य दायित्व भी है: यथा
 - (i) नियमों एवं विनियमों के बाल अधिकारों को सभी संभव तरीके से सुनिश्चित करना;
 - (ii) वह कर्मचारियों पर नियंत्रण रखेगा और संस्था के सुचारू तथा प्रभावी कार्य संचालन के लिए अनुदेश निर्गत करेगा;
 - (iii) अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारी अपना दायित्व का निर्वाह नियमों एवं विनियमों के अनुसार कर रहे हैं तथा बालकों को गुणात्मक एवं पूरी मात्रा में भोजन, बच्चों की अभिरूची एवं जरूरत के अनुसार शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल रहा है, बजट और लेखा पर तथा संस्था के वित्तीय प्रबंधन, पर नियंत्रण रखेगा, संस्था के उत्तरोतर विकास के लिए योजना एवं गैर योजना स्क्रीमों का प्रस्ताव करेगा;
 - (iv) संस्था के अधीक्षक महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेजों, विलेखों, एकरारनामा, कर्मचारियों के निजी फाईलों, अभिलेख, बच्चों की कीमती वस्तुओं आदि का अभिरक्षक होगा;
 - (v) अधीक्षक सुरक्षित पेयजल, संस्था में उचित स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की स्थितियों, बालक / किशोरों के उचित स्वास्थ्य देखरेख आदि का उत्तरदायी होगा;
 - (vi) अधीक्षक रात्रि के समय पखवारा में कम से कम एक बार औचक निरीक्षण करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि रात्रि के समय संस्था का संस्थागत प्रबंधन नियंत्रित एवं सतर्कता में है;
 - (vii) अधीक्षक अंतःवासियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करेगा तथा विभिन्न सिमितियों की बैठक का आयोजन करेगा तथा कार्यवाही का संचालन करेगा और यह पर्यवेक्षण करेगा कि सिमितियों के निर्णय प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हों;
 - (viii) आवधिक तौर पर अंत:वासियों एवं कर्मचारियों के परिवार के आगंतुको का संचालन करेगा;
 - (ix) वह प्रत्येक बालक के लिए पुनर्वास योजना को बनाने का उतरदायी होगा।
- 77. उपाधीक्षक के कर्तव्य:- उपाधीक्षक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निम्न हैं:-
 - (क) स्थापन–आदेशों का अभिरक्षक,
 - (ख) भोजन की तैयारी, भोजन के वितरण का पर्यवेक्षण तथा संबंधित अभिलेखों आदि का रख–रखाव
 - (ग) क्रियाकलापों में बच्चों की सहभागिता प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों एवं कर्मचारियों के साथ खुली बैठक का संचालन करना

- (घ) बच्चों के माता—पिता के साथ अंतर्वीक्षा संचालित एवं बाह्य व्यक्तियों के साथ बच्चों के संवाद का नियमितीकरण
- (ङ) बच्चों के सेमिनार, सांस्कृतिक–कार्यक्रम, बैठक आदि में भाग लेना सुलभ कराना
- (च) सकारात्मक सुढ्ढ़ीकरण / ज्ञानात्मक पुनर्संरचना के उपयोजन को अनुश्रवण करना, गृह माता—पिता या वार्डन के परामर्श स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना,
- (छ) वाह्य भोजन पदार्थ का अनुश्रवण करना यदि बच्चों के माता-पिता द्वारा आपूरित किया जाता हो,
- (ज) बाल गृह में आपूरित कपड़े एवं बिछावन का अभिरक्षक,
- (झ) शिविर, पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउट, रेडक्रास के कार्य इत्यादि जैसे पाठयेत्तर क्रियाकलापों का आयोजन;
- (ञ) बच्चों के सुरक्षात्मक एवं विकासात्मक अधिकार को सुनिश्चित करना,
- (ट) यह सूनिश्चित करना कि बच्चों को मापदंड के अनुसार जरूरी भोजन एवं वस्त्र मिले,
- (ठ) पानी, बिजली आदि सहित परिसर की स्वच्छता एवं भौतिक आधारभूत संरचना का रख-रखाव सुनिश्चित करना,
- (ड) अधीक्षक द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्त्तव्य एवं दायित्व, उपाधीक्षक का पद नहीं रहने पर अधीक्षक द्वारा कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

78. प्रधानाध्यापक के रूप में उपाधीक्षक के कर्त्तव्य:- प्रधानाध्यापक के निम्नलिखित कर्तव्य है:-

- (i) अकादिमक क्रियाकलापों की समय सारणी तैयार करना,
- (ii) बच्चों की शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु खेल-कूद क्रियाकलापों का आयोजन करना,
- (iii) मंदगति से सीखने वालों की पहचान करना तथा संस्थाओं के विशेषज्ञों और अधीक्षक के परामर्श से समस्या समाधान के लिए समुचित कदम उठाना,
- (iv) शिक्षकों के कार्य की संवीक्षा करना तथा बेहतर कार्य संपादन के लिए उनका मार्गदर्शन करना,
- (v) शिक्षकों के प्रशिक्षण सिंहत शैक्षिक कार्यक्रमों में नवीन अवधारणा की शुरूआत के लिए संस्थाओं के अधीक्षक को सलाह देना,
- (vi) शिक्षकों के संबंध में व्यक्तिगत कार्य संपादन पत्र संधारित करना तथा बच्चों के संबंध में ऐसे ही कार्य पत्र संधारित करने हेतु कक्षा शिक्षकों को सलाह देना,
- (vii) सौंपे गये कोई अन्य कर्तव्य एवं दायित्व,

79. अवधायकों (केयर टेकर) के मुख्य दायित्व:— केयर टेकर के सामान्य कर्तव्य, कृत्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे:—

- (क) प्यार और रनेह के साथ बच्चों से व्यवहार करना,
- (ख) बच्चों की उचित देख-भाल एवं कल्याण करना,
- (ग) संस्था के निम्नलिखित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में बच्चों का विनियमन करना,
- (घ) स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का रख-रखाव करना,
- (ड.) दैनंदिन कार्यों का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन करना,
- (च) गृह की रक्षा-सुरक्षा की व्यवस्थाओं की देखभाल करना,
- (छ) जब कभी बच्चे गृह से बाहर जाएँ उनको मार्गरक्षण प्रदान करना,

- (ज) बच्चों के भोजन परोसे जाने के समय उपस्थित रहना,
- (झ) अधीक्षक के द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्त्तव्य एवं दायित्व।
- 80. परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर के कर्तव्यः—(1) प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर, बोर्ड या समिति अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा दिए गए सभी निदेशों का पालन करेगा और वह निम्नलिखित कर्तव्यों, कार्यो और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगाः—
 - (क) व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा परिवार, सामाजिक अभिकरणों और अन्य स्त्रोतों के माध्यम से किशोर (प्रपत्र—IV) अथवा बालक (प्रपत्र—XIII) का सामाजिक अन्वेषण करना;
 - (ख) बोर्ड या समिति की कार्रवाई में उपस्थित रहना और जब कभी अपेक्षा की जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
 - (ग) किशोरों या बालकों की समस्याओं को स्पष्ट करना तथा संस्थागत जीवन में उनकी कठिनाइयों को हल करना:
 - (घ) अभिविन्यास, मॉनीटरिंग, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना,
 - (ड.) किशोर या बालक तथा प्रभारी अधिकारी के बीच सहयोग और सद्भावना स्थापित करना;
 - (च) किशोर या बालक के परिवार के साथ सम्पर्क स्थापित करने में सहायता करना तथा परिवार के सदस्यों को भी सहायता प्रदान करना:
 - (छ) किशोर या बालक के साथ विचार—विमर्श करके प्रत्येक बालक के लिए देखरेख योजना तैयार करना तथा उसके क्रियान्वयन की कार्रवाई करना;
 - (ज) मुक्ति—पूर्व कार्यक्रम में भाग लेना तथा किशोर या बालक को सम्पर्क स्थापित करने में सहायता करना, जो उनको मुक्त करने के पश्चात भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं;
 - (झ) किशोरों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण को सुगम बनाने तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं तथा संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना;
 - (ञ) किशोरों की मुक्ति के पश्चात् अनुवर्ती कार्रवाई तथा उनकी सहायता और मार्गदर्शन करना;
 - (ट) उनके पर्यवेक्षणाधीन किशोरों या बालकों के आवास तथा रोजगार के स्थान या ऐसे विद्यालय का, जिसमें किशोर या बालक पढ़े हैं, नियमित दौरा करना और प्रपत्र—XXI में यथाविहित पाक्षिक रिपोर्ट पेश करना;
 - (ठ) जहाँ कहीं संभव हो, बोर्ड के कार्यालय से, यथास्थिति, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह अथवा उपयुक्त व्यक्ति तक, किशोर या बालकों के साथ जाना; और
 - (ड) केस फाइल और ऐसे रजिस्टरों का रखरखाव, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएँ।
- (2) अधीनियम की धारा 13 के खंड (ख) के अधीन, पुलिस से या किशोर से या पुलिस के बाल कल्याण पदाधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर परिवीक्षा पदाधिकारी, किशोर या बालक के पारिवारिक इतिहास एवं पूर्व के कार्यकलापों या अन्य यथावश्यक भौतिक परिस्थितियों की जाँच करेगा और तत्संबंधी सामाजिक अनुसंधान रिपोर्ट प्रपत्र IV या XIII में बोर्ड या सिमित के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

अध्याय -VI

विविध

81. उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त संस्थाओं को मान्यता :--

- (1) किसी भी व्यक्ति को, जो देखरेख, संरक्षण या उपचार के जरूरतमंद किशोरों या बालकों को अस्थायी रूप से ऐसी अवधि के लिए, जो आवश्यक हो, स्वीकार करने का इच्छुक है, उसके प्रत्यायक और प्रतिष्ठा की जाँच के बाद उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्थान के रूप में मान्यता दी जा सकेगी:
- (2) कोई संघ या व्यक्तियों के निकाय चाहे निगमित हो या बच्चों को ग्रहण करने या संरक्षण या बच्चों को कूरता से बचाने के उद्देश्य से स्थापित हो और जो उसकी देखरेख में दिए गए बच्चों के उसके जन्म के धर्म के अनुरूप पालन करने का जिम्मा लेता हो उसे योग्य संस्थान के अर्थ के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।
- (3) संपार्श्विक शाखाओं वाली उपयुक्त संस्था, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से उसके यहां सक्षम प्राधिकारी के आदेश से रखे गए किशोर या बालक को अपनी किसी शाखा में भेज सकेगी;
- (4) किसी संस्था को योग्य संस्था घोषित करने के पूर्व, सक्षम प्राधिकारी यथोचित जाँच करेगा और उसकी अनुशंसा राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग को करेगा, जो उसे योग्य संस्थान घोषित कर सकेगी।
- (5) किसी स्थान या संस्था को, जिसका प्रबंधक, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद किशोर या बालक को अस्थायी रूप से ऐसी अवधि के लिए, जो आवश्यक हो, स्वीकार करने का इच्छुक है, सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यता दी जा सकेगी।
- (6) उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था:-
 - (क) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई नियमावली में अभिकथित देखरेख के मानकों को पूरा करेगी।
 - (ख) अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई नियमावली में अभिकथित देखरेख के मानकों को पूरा करने की क्षमता तथा इच्छा होगी।
 - (ग) देखरेख ओर संरक्षण के जरूरतमंद किशोरों और बालकों को स्वीकार करेगी और बुनियादी सेवाएं प्रदान करेगी।
 - (घ) किशोर या बालक को किसी भी प्रकार की क्रूरता या शोषण या उपेक्षा का शिकार होने से बचाएगी।
 - (ड.) सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का पालन करेगी।
- (7) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उपयुक्त संस्थाओं की सूची बोर्ड और समिति के कार्यालय में रखी जाएगी।

82. अधिनियम के अधीन पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) :--

(1) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए संस्थागत अथवा गैर—संस्थागत देखरेख करने वाली सेवाओं का संचालन कर रही सभी संस्थाएं और संगठन, चाहे उनका संचालन सरकार या स्वैच्छिक संगठन कर रहे हों, अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन अपना पंजीकरण कराएंगे।

(2) ऐसी सभी संस्थाएं या संगठन राज्य सरकार के पास प्रत्येक नियम, उपविधियों, संगम ज्ञापन, शासी निकाय की सूची, पदाधिकारियों की सूची, पिछले 3 वर्षों के तुलनपत्र तथा संस्था या संगठन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सामाजिक या सार्वजिनक सेवाओं के पिछले अभिलेख दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति के साथ आवेदन करेंगे, जो देखरेख और संरक्षण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ठहरने और भोजन की सुविधाएं, यदि कोई हो, व्यावसायिक सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्था और पुनर्वास की परिधि के सत्यापन के पश्चात् इस अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन, ऐसे संगठनों को पंजीकरण प्रमाण—पत्र जारी कर सकेंगी।

83. संस्थाओं के प्रबंधन और परवर्ती देखरेख संगठनों का प्रमाणन या मान्यता प्रदान करना एवं हस्तांतरण :--

- (1) इस अधिनियम के अधीन प्रमाणन के इच्छुक किसी भी संगठन को राज्य सरकार के पास नियमों, संगम—अनुच्छेद के उपनियमों, सोसायटी या संगठन द्वारा प्रदान की जा रही बाल देखरेख विशेषज्ञों के सेवाओं की स्थिति और पिछला अभिलेख दर्शित करने वाले विवरण की एक प्रति के साथ आवेदन करना होगा। राज्य सरकार संगठन में ठहरने और भोजन, सामान्य स्वास्थ्य, शैक्षिक सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उपचार सेवाओं के लिए किये गए उपबंधों के सत्यापन के पश्चात् अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37, 41 और 44 के अधीन, यथास्थिति प्रमाणन या मान्यता प्रदान करेगी, परन्तु यह तब जब कि संगठन अधिनियम और उसके बनाए गए नियमों में अभिकथित सेवाओं के मानकों को पूरा करता हो और समय—समय पर यह भी सुनिश्चित करेगी कि उसके प्रभार में रखे गए किशोरों या बालकों का समग्र विकास और वृद्धि हो।
- (2) इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक कोई संगठन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जो आवश्यक जांच के पश्चात् मान्यता के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा।
- (3) राज्य सरकार, अधिनियम के अधीन राज्य द्वारा संचालित किसी संस्था का प्रबंधन प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठन को, जो ऐसी संस्था को चलाने की क्षमता रखता हो, हस्तांतरित करेगी तथा विनिर्दिष्ट समयाविध के लिए समझौते के ज्ञापन के अधीन अपेक्षित उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए उक्त स्वैच्छिक संगठनों को उपयुक्त संस्था के रूप में प्रमाणन या मान्यता प्रदान कर सकेगी।
- (4) राज्य सरकार, यदि इस अधिनियम के अधीन प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संगठन की शर्तों, नियमों, प्रबंधन से संतुष्ट नहीं है, किसी भी समय संगठन के प्रबंधक को सूचना जारी करके यह घोषित करेगी कि संगठन का प्रमाणन या मान्यता, यथास्थिति सूचना में उल्लिखित विशेष तारीख से वापस ली गयी है तथा उक्त तारीख से संगठन अधिनियम की घारा 8, 9, 34, 37, 41 अथवा 44 के अधीन, यथास्थिति प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में कार्य करना बंद कर देगा। परन्तु यह कि संबंधित संगठन को तीस दिन की अवधि के भीतर उस संगठन के प्रमाणन या मान्यता की वापसी कारणों के विरुद्ध लिखित में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।
- (5) प्रमाण पत्र या मान्यता को वापस लेने या पुनः प्रदान करने का विनिश्चय जिला बाल कल्याण सिमिति या राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकार के जांच के आधार पर लिया जा सकेगा।
- (6) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर संस्था के प्रभारी अधिकारियों को तीस दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा।
- (7) जब कोई संगठन अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37, 41 या 44 के अधीन प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संगठन के रूप में कार्य करना बंद कर देता है, तब वहां रखे गए किशोरों या बालकों को अधिनियम

की धारा 8, 9, 34, 37, 41 या 44 के अधीन प्रमाणित अथवा मान्यताप्राप्त किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान में स्थानान्तरित किया जाएगा या उनके छोड़ने और स्थानान्तरण से संबंधित अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन छोड़ दिया जाएगा तथा यथास्थिति उनके छोड़ने अथवा स्थानान्तरण की सूचना, बोर्ड या समिति को दी जाएगी।

84. प्रमाणित या मान्यताप्राप्त संगठनों को सहायता अनुदान :-

- (1) अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37 या 44 के अधीन प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संगठन, प्रमाणन या मान्यता प्राप्त या जब पंजीकरण प्रवृत हो, उस अविध के दौरान अधिनियम के उपबंधों के अधीन उनके द्वारा प्राप्त किशोरों या बालकों के रखरखाव के लिए तथा उनकी शिक्षा, उपचार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास पर किए गए व्यय के लिए राज्य सरकार से सहायता अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- (2) अगर कोई संगठन, सहायता अनुदान अनाथालय नियंत्रण बोर्ड या किसी विदेशी स्त्रोत से प्राप्त कर रहा हो तो उसे सहायता देय नहीं होगा।
- (3) अधिनियम की धारा 8, धारा 9, धारा 34, धारा 34 की उपधारा (3), धारा 37 और धारा 44 के अधीन सरकार द्वारा संचालित उस गृहों के प्रबंधन को स्वैच्छिक संगठनों को हस्तांतरण करने की दिशा में जो बजट सरकार उस गृह पर खर्च कर रही थी, उतनी ही राशि, दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित संगम—ज्ञापन के, जिसमें उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व का विवरण होगा, अधीन सहायता अनुदान के रूप में स्वैच्छिक संगठन को दी जाएगी।

85. छुट्टी:- किशोर को छुट्टी संबंधित गृह के अधीक्षक द्वारा दी जायेगी।

86. बाह्य व्यक्तियों का प्रवेश:-

- (1) संस्था के परिसर में किसी भी अजनबी व्यक्ति को, अधीक्षक की अनुमित या बोर्ड या समिति के आदेश के सिवाय प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- (2) विशिष्ट मामलों में जहाँ माता—पिता या अभिभावक अन्य राज्यों या जिलों से लम्बी दूरी तय करके आए हैं, अधीक्षक माता—पिता या अभिभावकों को पिरसर में प्रवेश करने और बालकों से मिलने की अनुज्ञा देगा परन्तु यह तब जबिक उनके पास उपयुक्त पहचान—पत्र हो तथा उनके बारे में किशोर या बालक को प्रताडित और उत्पीडित करने की रिपोर्ट न हो।

87. पहचान फोटो :-

- (1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित गृह में प्रवेश के समय प्रत्येक किशोर या बालक का फोटो खींचा जाएगा।
- (2) एक फोटो किशोर या बालक की केस फाइल में रखा जाएगा, एक फोटो सूचक—कार्ड में चिपकाया जाएगा, एक फोटो क्रमिक संख्या दी हुई एल्बम में रखा जाएगा तथा निगेटिव दूसरी एल्बम में रखा जाएगा। फोटो की एक—एक प्रति यथास्थिति बोर्ड या समिति को भेजने के साथ—साथ जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी।
- (3) संस्था से गुमशुदा बालक या संस्था द्वारा गुमशुदा बालकों को स्वीकार करने की दशा में संबंधित विवरण के साथ बालक का एक फोटो गुमशुदा ब्यूरो तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजा जाएगा।

- 88. पुलिस अधिकारी का सादा कपड़ों में होना:—इस अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किशोर या बालक से निपटते समय, गिरफ्तारी के समय को छोड़कर, पुलिस अधिकारी सादे कपड़े में होंगे न कि पुलिस की वर्दी में ताकि दोस्ताना माहौल हो।
- 89. हथकड़ी और बेड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध:—इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन विधि के उल्लंघन के मामले में किशोर या बालक को हथकड़ी या बेड़ी नहीं लगाई जाएगी।

90. मजिस्ट्रेट, जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है, द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया:-

- (1) जब किसी किशोर या बालक को बोर्ड या सिमित से भिन्न किसी मिजस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तथा मिजस्ट्रेट का यह विचार है कि पेश व्यक्ति एक किशोर या बालक है, वह कारण लेखाबद्ध करेगा तथा किशोर या बालक को उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी के पास भेजेगा।
- (2) यदि किशोर को ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है, ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट मामले को जाँच और निपटान के लिए बोर्ड को अंतरित करेगा।
- (3) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को अपराध के पीड़ित के रूप में ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है जिसे अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है, तो ऐसे मामले को मजिस्ट्रेट बालक की देखरेख और संरक्षण, पुनर्वास और वापस भेजने के लिए उपयुक्त समिति के पास भेज देगा।

91. स्थानान्तरण:-

(1) जॉच के दौरान यदि पाया जाता है कि किशोर या बालक बोर्ड या समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर के स्थान से है, तो बोर्ड या समिति किशोर या बालक के स्थानांतरण का आदेश करेगी तथा आदेश की एक प्रति संबंधित राज्य सरकार या राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी।

बशर्ते किः

- (i) ऐसा स्थानांतरण किशोर या बालक के सर्वोत्तम हित में हो
- (ii) किसी बालक के मात्र इस आधार पर कि बालक ने समस्याएँ पैदा की हैं या विद्यमान संस्थान में उसको संभालना मुश्किल हो गया है या किसी पुरानी या टर्मिनल बीमारी से पीड़ित होने या असमर्थता के कारण स्थानांतरण अथवा स्थानांतरण का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा;
- (iii) ऐसा स्थानांतरण साक्ष्यों के पूरा होने और उनकी प्रतिपरीक्षा के पश्चात् ही, जो किशोरों या बालकों से संबंधित विधायी प्रक्रिया में अपेक्षित हो, किया जाएगा और ऐसे स्थानान्तरण के कारण या परिस्थितियों को लेखाबद्ध किया जाएगा।
- (2) तदनुसार, राज्य सरकार या राज्य अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई:
 - (i) उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी को, जिसके कार्यक्षेत्र में बोर्ड या समिति द्वारा बालक के स्थानान्तरण का आदेश किया गया है, स्थानान्तरण की सूचना भेजेगी।
 - (ii) संस्था के प्रभारी अधिकारी को, जहाँ बालक को स्थानान्तरण आदेश के समय देखरेख और संरक्षण के लिए रखा गया है, सूचना की एक प्रति भेजेगी।

- (3) राज्य सरकार या राज्य या जिला बाल संरक्षण इकाई से सूचना की प्रति प्राप्त होने पर प्रभारी अधिकारी आदेश में उल्लिखित स्थान या व्यक्ति से बालक को लाने के लिए सरकारी खर्चे पर अनुरक्षक की व्यवस्था करेगा।
- (4) ऐसे स्थानांतरण पर किशोर या बालक की केस फाइल और अभिलेख किशोर या बालक के साथ भेजी जाएगी।

92. किशोर या बालक को सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर भेजने के लिए प्रक्रिया:--

- (1) किशोर या बालक, जिसका सामान्य निवास—स्थान सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र के बाहर आता है, सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 50 के अधीन कार्रवाई करना आवश्यक समझता है, वह परिवीक्षा अधिकारी या केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी, निवास स्थान पर, किशोर या बालक को प्राप्त करने के लिए नातेदारों या अन्य व्यक्ति की उपयुक्तता और इच्छा जानने तथा क्या ऐसा नातेदार या अन्य उपयुक्त व्यक्ति किशोर या बालक की उचित देखभाल और नियंत्रण कर सकता है, की जाँच करने के लिए निदेश देगा।
- (2) जहाँ किशोर या बालक को उसके सामान्य निवास—स्थान अथवा नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजने का आदेश किया जाता है, उक्त नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति से प्रपत्र—V या प्रपत्र—IX में वचन लेने के साथ—साथ प्रपत्र—VI में किशोर या बालक से किसी प्रतिभूति के बिना बंध पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा।
- (3) इस नियम के उपनियम (2) के अधीन दिए गए बंध-पत्र या वचन-पत्र या दोनों के किसी उल्लंघन से किशोर सक्षम प्राधिकारी के सामने लाए जाने का दायी होगा, जो किशोर को किसी संस्था या गृह में भेजने का आदेश कर सकेगा।
- (4) किसी भी किशोर या बालक को, जो विदेशी है तथा उसका परिवार से सम्पर्क टूट चुका है, संरक्षण का अधिकार होगा।
- (5) विदेशी किशोर या बालक को संबंधित देश के दूतावास और उच्च आयोग के साथ समन्वय करके उसके मूल देश को यथाशीघ्र प्रत्यावर्तित किया जाएगा।
- (6) बोर्ड या समिति अपने आदेशों पर प्रत्यावर्तित किए गए प्रत्येक विदेशी किशोर या बालक के बारे में विदेश मंत्रालय को सूचित करेगा।
- (7) अधिनियम की धारा 50 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाएगी:—
 - (क) परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी, जिसे इस नियम के उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था;
 - (ख) परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके कार्यक्षेत्र में वह स्थान आता है, जहाँ किशोर या बालक को भेजा जाना है;
 - (ग) सक्षम प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता में वह स्थान आता है, जहाँ किशोर या बालक को भेजा जाना है:
 - (घ) नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति, जिसे किशोर या बालक को प्राप्त करना है;
 - (ड.) अनुमोदित मार्गरक्षी या फैक्स या संचार के तात्कालिक साधन से;

- (8) इस नियम के उपनियम (6) के अधीन आदेश लम्बित रहने के दौरान सक्षम प्राधिकारी किशोर या बालक को यथास्थिति संप्रेक्षणगृह या बालगृह भेजेगा।
- (9) जब कभी सक्षम प्राधिकारी किशोर या बालक को धारा 50 के अधीन उनके निवास के सामान्य स्थान पर भेजना उपयुक्त समझता है, सक्षम प्राधिकारी नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को, जो किशोर या बालक को प्राप्त करेगा, सूचित करेगा तथा उक्त नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को गृह में आने के लिए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख को किशोर या बालक का प्रभार लेने के लिए आमंत्रित करेगा।
- (10) किशोर या बालक को भेजते समय, इस नियम के उपनियम (8) के अधीन उक्त नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को आमंत्रित करने वाला सक्षम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति की समुचित श्रेणी में दोनों ओर की यात्रा पर किए गए वास्तविक व्यय, किशोर या बालक की गृह से उसके निवास के सामान्य स्थान तक की यात्रा हेतु व्यय का भुगतान करने के लिए गृह के प्रभारी अधिकारी को निदेश भी दे सकेगा।
- (11) यदि नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति विनिर्दिष्ट तारीख को किशोर या बालक का कार्यभार लेने में असफल रहता है तो किशोर या बालक को उसके निवास के सामान्य स्थान पर संप्रेक्षण गृह के अनुरक्षक द्वारा ले जाया जाएगा तथा लड़कियों की दशा में कम से कम एक अनुरक्षक महिला होगी।

93. राज्य बाल संरक्षण इकाई:--

- (1) राज्य सरकार यथावश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ राज्य बाल संरक्षण इकाई की स्थापना करेगी।
- (2) राज्य बाल संरक्षण इकाई के विशिष्ट कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:— अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन तथा अधिनियम के अधीन स्थापित अभिकरणों एवं संस्थाओं के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण के अलावे यह इकाई निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कृत्यों के साथ—साथ अन्य कृत्यों का उत्तरदायी होगा:—
 - (क) जिला बाल संरक्षण इकाइयों की स्थापना, सहायता और मॉनीटर करना;
 - (ख) बोर्ड या समितियों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में सदस्य के रूप में राज्य बाल संरक्षण इकाई का प्रतिनिधित्व करना;
 - (ग) बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद्, जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर गृह एवं अन्य संस्था या अभिकरण को प्रभावकारी ढंग से कार्य करने के लिए वार्षिक बजट तैयार करना तथा आवश्यक निधि समय पर आवंटित करना;
 - (घ) बच्चों तथा अधिनियम के अधीन स्थापित इकाईयों से संबंधित सभी डाटा का दस्तावेजीकरण, समय—समय पर यथापेक्षित प्रतिवेदनों का प्रकाशन करना, जागरूकता एवं संवेदनशीलता के लिए आई०ई०सी० (सूचना, शिक्षा, संचार) सामग्री या इसी तरह की अन्य सामग्री तैयार करना जिसमें वृत चित्र, वेबसाईट पर सामग्री, पोस्टर, विवरणिका इत्यादि भी शामिल है।
 - (ड.) बाल संरक्षण के मुद्दों पर अन्तर क्षेत्रीय संबंध स्थापित करने के लिए सभी सरकारी विभागों (राज्य एवं केन्द्र), जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कल्याण, बाल श्रम, बाल विवाह, दुंध्यापार (ट्रैफिकिंग), दुराचार, बाल अधिकार, पुलिस, न्यायपालिका,

एच0आई0वी0 / एड्स इत्यादि से संबंधित विभाग भी सम्मिलित हैं, के साथ नेटवर्क एवं समन्वय स्थापित करना। यह इकाई बच्चों के कल्याण एवं संरक्षण के लिए राज्य में इस तरह सृजित या अवस्थित इकाईयाँ तथा किसी दूसरे राज्य की इकाईयों के साथ समन्वय स्थापित करेगी जिसमें राज्यस्तरीय दत्तक समन्वय अभिकरण, राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण, चाइल्ड लाईन आदि भी शामिल हैं।

- (च) बच्चों से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने वाले गैरसरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना एवं नेटवर्क तैयार करना, जिसमें मान्यता के लिए स्वयंसेवी संगठनों एवं सिविल सोसाइटी संगठनों के आवेदन पर कार्रवाई करना, प्रमाणन, रजिस्ट्रीकरण या सहायता अनुदान भी शामिल है।
- (छ) अधिनियम के अधीन कार्यरत सरकारी एवं गैरसरकारी संगठन के सभी कर्मियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना, एवं प्रशिक्षण हस्तकों और पाठ्यक्रम का निर्माण करना, संसाधनों की सूची बनाना तथा पणधारियों (स्टेक होल्डर) के बीच वितरित करने के लिए ऐसी सामग्री एवं हस्तकों का प्रकाशन करना;
- (ज) देख—रेख का न्यूनतम मापदंड स्थापित करना तथा अधिनियम के अधीन स्थापित सभी संस्थाओं में उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;
- (झ) समितियों के कार्यकलाप का पुनर्विलोकन करना।
- (ञ) यथास्थिति अधिनियम के उपबंधों तथा केन्द्र सरकार की किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक स्क्रीम बनाना तथ उसका कार्यान्वयन करना, जिसमें दतक ग्रहण, पालक देख—रेख, उत्तर देख रेख कार्यक्रम, प्रायोजन इत्यादि भी शामिल है।
- (ट) शोध एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ मिल कर क्षमता, जागरूकता, दस्तावेजीकरण, सर्वेक्षण, अध्ययन या प्रभाव मृल्यांकन तथा ऐसे अन्य कार्यक्रमों को पूरा करना।
- (ठ) जब जैसी जरूरत हो प्रभावी नीति निर्धारण सूत्रण एवं कार्यान्वयन हेतु समाज कल्याण विभाग, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उतरदायी संबद्ध विभाग चाहे किसी नाम से हों, को आवश्यक सामग्री (इनपुट) उपलब्ध कराना।

94. जिला बाल संरक्षण इकाई:-

- (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिला में एक जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना यथावश्यक पदाधिकारियों एवं वैसे कर्मचारियों एवं नियोजितों के साथ करेगी।
- (2) जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्य—अधिनियम के विभिन्न उपबंध के समग्र कार्यान्वयन, अधिनियम के अधीन स्थापित अभिकरणों और संस्थाओं का पर्यवेक्षण, अभिकरण एवं अनुश्रवण के अलावे जिला बाल संरक्षण इकाई निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कार्यो तथा अन्य कार्यो का उत्तरदायी होगा:—
 - (i) राज्य बाल संरक्षण इकाई के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देश का कार्यान्वयन करेगी।
 - (ii) जिला स्तरीय इकाई जैसे किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण सिमति, जिला सलाहकार बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बच्चों की संस्थाओं, किशोर गृह, बाल गृह आदि की सहायता करेगी तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना, निधि, कर्मचारी के साथ उनके कार्यालयों की स्थापना में सहयोग करेगी:

- (iii) बोर्ड के सदस्यों एवं समिति के कार्य सम्पादन का मूल्यांकन करेगी एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित करेगी।
- (iv) व्यक्तियों से किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों, बाल कल्याण सिमिति के सदस्यों, सलाहकार बोर्ड / निरीक्षण दल के सदस्यों हेतु आवेदन आमंत्रित करेगी तथा ऐसे सभी आवेदनों पर राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर दिए गए निदेश के अनुसार कार्रवाई करेगी,
- (v) सर्वेक्षण, अभियान या यथावश्यक ऐसे अन्य तरीके से देख—रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की पहचान करेगी और उनका डाटा बेस तैयार करेगी तथा उन्हें संरक्षण, आपातकालीन सेवा, देख—रेख, पुर्नस्थापन या पुर्नवास हेतु अभिकरणों की पहचान कर, उनके साथ जोडेगी:
- (vi) बाल संरक्षण मुद्दों पर अंतर—क्षेत्रीय संबंध बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, शहरी बुनियादी सेवाऍ, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों, युवा कार्य, पुलिस, न्यायपालिका, श्रम, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी सिहत सभी सरकारी विभागों से नेटवर्क और समन्वय करेगी:
- (vii) अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे नागरिक समाज के संगठनों के साथ नेटवर्क और समन्वय करनाः
- (viii) प्रायोजन, पालन—पोषण देखभाल, दत्तक—ग्रहण और परवर्ती देखभाल सहित परिवार आधारित गैर—संस्थागत सेवाओं का क्रियान्वयन करेगी;
- (ix) जोखिम में रह रहे परिवारों तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंदों बालकों की पहचान करेगी;
- (x) कठिन परिस्थियों में रह रहे बालकों की संख्या का निर्धारण करना तथा कठिन परिस्थितियों में बालकों की प्रवृति और पद्धित को मॉनीटर करने के लिए जिला विशिष्ट डाटा बेस तैयार करेगी;
- (xi) संसाधन निदेशिका तैयार करने के लिए जिला स्तर पर बालकों से संबंधित सभी सुविधाओं का नियतकालिक और नियमित मानचित्र तैयार करना तथा समय—समय पर समितियों और बोर्डों को सूचना उपलब्ध कराएगी;
- (xii) कार्यक्रमों के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन के साथ—साथ अपने कार्यो के निष्पादन हेतु जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों की स्थापना सुनिश्चित करेगी;
- (xiii) संस्थागत, दत्तक ग्रहण, पालन—पोषण देखभाल और प्रायोजन के माध्यम से बालकों का उनके परिवार में समेकन अथवा दीर्घकालिक अथवा अल्पकालिक पुनर्वास के लिए बालकों को रखने के लिए सभी स्तरों पर बालकों के स्थानांतरण में सहायता करेगी;
- (xiv) जिला स्तर पर परिवार आधारित गैर—संस्थागत सेवाओं के क्रियान्वयन में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण की सहायता करेगी;
- (xv) बाल कल्याण क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से जिले में अभिकरणों और संस्थाओं के दक्षतापूर्ण मॉनिटर और पर्यवेक्षण के लिए परिमाप और यंत्र विकसित करेगी।

- (xvi) जिले में बालकों को आवासीय सुविधा प्रदान कर रही सभी संस्थाओं या अभिकरणों का पर्यवेक्षण और मॉनीटर करेगी;
- (xvii) बालकों को प्रभावी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम का क्रियान्वयन करने वाले सभी व्यक्तियों (सरकारी और गैर—सरकारी) को प्रशिक्षण देगी और उनकी क्षमता निर्माण करेगी:
- (xviii) अधिनियम के क्रियान्वयन तथा प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए चाइल्डलाइन, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों, गृहों के प्रभारी अधिकारियों, गैर—सरकारी संगठनों तथा लोक सदस्यों सहित जिला स्तर पर सभी पक्षों के साथ तिमाही बैठकों का आयोजन करेगी;
- (xix) राज्य स्तर पर राज्य बाल कल्याण इकाई, राज्य दत्तक —ग्रहण संसाधन अभिकरणों तथा अन्य जिलों की जिला बाल संरक्षण इकाईयों के साथ सम्पर्क बनाएगी।

95. विशेष किशोर पुलिस इकाई:-

- (1) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर तथा देख—रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन करेगी।
- (2) विशेष किशोर पुलिस इकाई जिला के सभी पुलिस थाना, अन्य जिलों में स्थापित विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ समन्वय भी करेगी।
- (3) इस इकाई में विशेष किशोर पुलिस पदाधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून पंक्ति के) दो भुगतेय सामाजिक कार्यकर्ता (एक महिला) और जिला के सभी बाल कल्याण पदाधिकारी होंगे।
- (4) जिला के सभी पुलिस थाना में एक पुलिस पदाधिकारी को बाल कल्याण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा जो बालकों के मामलों के साथ संवेदनशील बर्ताव करेगा और जिला के विशेष किशोर पुलिस इकाई को मामले की रिपोर्ट करेगा।
- (5) सामाजिक अनुसंधान, परामर्श, देख-रेख, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास सिहत बालकों की देख-रेख और संरक्षण में उसे सहायता प्रदान करने वाली रीति से विशेष किशोर पुलिस पदाधिकारी के मार्गदर्शन में इकाई के सहायतार्थ विशेष किशोर पुलिस इकाई मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों या चाइल्ड लाईन को सहबद्ध कर सकेगा।
- (6) जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण इकाई या कोई अन्य अभिहित प्रशिक्षण संस्थान विशेष किशोर पुलिस पदाधिकारियों को तथा बालकों से संबंधित मामलों की कार्रवाई से सहबद्ध अन्य व्यक्तियों को नियमित प्रशिक्षण और यथावश्यक अभिविन्यास प्रदान करेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करना विशेष किशोर पुलिस पदाधिकारियों और बाल कल्याण पदाधिकारी के लिए आज्ञापक होगा।
- (7) एक ओर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (वर्ष 2006 में यथासंशोधित) तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के उपबंधों में तथा दूसरी ओर, बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 या उसके अधीन बनाई गई किसी अन्य नियमावली या किसी हस्तक या शासकीय निदेशों के उपबंधों में कोई विरोधाभाष होने की स्थिति में बालक के सर्वोत्तम हित में विनिश्चय किया जाएगा।

96. अवैतनिक या स्वैच्छिक कल्याण अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी—विद्यमान परिवीक्षा सेवा में वृद्धि करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त पाये गये स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में से अवैतनिक या स्वैच्छिक कल्याण अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी के आदेश से उनकी सेवाओं को क्रियान्वयन तंत्र में भी सहयोजित किया जाएगा।

97. अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी अथवा केस वर्कर और देखभाल करने वाले अन्य व्यक्तियों और कर्मचारीवृंद की निरर्हताएं:—

- (1) अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस—वर्कर और देखभाल करने वाले अन्य कर्मचारीवृंद अपने पर्यवेक्षण या स्वयं के प्रयोजनों के लिए देखरेख और संरक्षण या उनसे कोई निजी सेवा के लिए किसी किशोर या बालक का नियोजन नहीं करेंगे।
- (2) किसी देखभाल करने वाले के द्वारा किसी संस्था में या संस्था से बाहर किसी किशोर या बालक के शारीरिक, यौन या भावनात्मक शोषण संबंधी कोई रिपोर्ट सम्यक जाँच के पश्चात निरहर्ता का पात्र बनाएगी।

98. कार्मिकों का प्रशिक्षण:-

- (1) राज्य सरकार, राज्य बाल संरक्षण इकाई की सहायता से इस अधिनिमय और इसके अधीन बनाई गई नियमावली के कार्यान्वयन में संलग्न कार्मिकों के लिए उनकी कानूनी दायित्वों एवं कार्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं अथवा प्रशिक्षण और शोध संस्थान के सहयोग से नियमित प्रशिक्षण आयोजित करेगी और क्षमता निर्माण करेगी।
- (2) प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः
 - (क) नए भर्ती किए गए कर्मचारीवृंद का अभिविन्यास और प्रतिस्थापना प्रशिक्षण,
 - (ख) समस्त देखभालकर्ताओं के लिए वर्ष में एक बार पुनश्यर्चा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कौशल उन्नयन कार्यक्रम, तथा
 - (ग) कर्मचारीवृंद सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ।

99. चयन समिति तथा इसकी संरचना:-

- (1) राज्य सरकार, तीन वर्ष की अवधि के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा चयन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सात सदस्य होंगे:—
 - (क) अवकाश प्राप्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय या अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश या वह व्यक्ति जो राज्य सरकार के सचिव स्तर के पद से सेवानिवृत हुआ हो एवं सिक्रय सेवा से अवकाश प्राप्त हो, को अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा,
 - (ख) सदस्य सचिव के रूप में संबद्ध विभाग से एक प्रतिनिधि जो निदेशक से अन्यून पंक्ति का हो।
 - (ग) बाल अधिकार मुद्दे पर कार्यरत किन्तु बालकों से संबधित संस्थान का संचालन नहीं करने वाले जाने माने गैर सरकारी संगठन से एक प्रतिनिधि;
 - (घ) समाज कार्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, बाल विकास, शिक्षा, विधि, अपराध—विज्ञान आदि से और बाल मुद्दों संबंधी कार्य का अनुभव रखने वाले संबंधित शैक्षणिक निकायों से दो प्रतिनिधि, तथा

- (ड.) राज्य मानवाधिकार आयोग या राज्य बाल संरक्षण आयोग, का प्रतिनिधि अधिमानतः वह संबद्ध व्यक्ति जो बाल अधिकार के मुद्दे देखता हो — सदस्य
- (2) चयन समिति अपेक्षानुसार अपनी बैठकें आयोजित करेगा तथा सदस्य सचिव ऐसी बैठकों के आयोजन का उत्तरदायी होगा।
- (3) चयन सिमिति का कोई भी सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को लिखित त्यागपत्र सौंप सकेगा। त्याग-पत्र से उत्पन्न ऐसी कोई रिक्ति, चयन सिमिति की रचना के अनुसार, अधिमानतः चार सप्ताह में, तत्काल भरी जाएगी तथा ऐसे किसी सदस्य का कार्यकाल चयन सिमिति की बची हुई अविध तक होगा।

100. चयन समिति के कार्य:-

- (1) चयन सिमिति राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल कल्याण सिमिति के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सलाहकार बोर्ड या जिला या नगर स्तरीय निरीक्षण सिमिति / सलाहकार बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति के लिए नामों की सूची का चयन एवं अनुशंसा करेगी।
- (2) चयन सिमिति जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अनुशंसित नामों की सूची पर विचार करेगी। किसी भी राज्यस्तरीय सिमिति या बोर्ड के लिए राज्य बाल संरक्षण इकाई चयन सिमिति को नामो की अनुशंसा करेगी। चयन सिमिति व्यक्तिगत अन्तर्विक्षा के लिए छाँटे गये आवेदकों की व्यक्तिगत अन्तर्वीक्षा सिहत चयन हेतु आवेदनों पर कार्रवाई की पद्धित विहित कर सकेगी।
- (3) चयन सिमिति द्वारा इस प्रकार अनुशंसित नामों की सूची पर बोर्ड, सिमिति या इकाई के कार्यकाल के अन्तर्गत होनेवाली किन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा।
- (4) बोर्ड या समिति में नियुक्ति के हेतु सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
- (5) बोर्ड या समिति के सदस्यों की नियुक्ति करने में चयन समिति जिला या राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार के द्वारा इस आशय के सार्वजनिक विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी।
- (6) बोर्ड या सिमिति के किसी सदस्य के विरूद्ध किसी शिकायत की स्थिति में चयन सिमिति आवश्यक जाँच करेगी तथा यदि अपेक्षित हो तो ऐसे सदस्य की नियुक्ति रद्द करने की अनुशंसा राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को करेगी।
- (7) बोर्ड या सिमिति के सदस्य की नियुक्ति के लिए नाम की अनुशंसा करते समय चयन सिमिति प्रत्येक बोर्ड या सिमिति की ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए जो बोर्ड या सिमिति के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होती हो, नामों की सूची तैयार करेगी।
- (8) बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई, ऐसी रिक्तियों के भरने के लिए राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार को सूचित करेगी।
- (9) राज्य बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार चयन सिमित द्वारा अनुशंसित नामों की सूची के आधार पर रिक्तियों को भरेगी।

101. सलाहकार बोर्ड:-

- (1) राज्य सरकार, तीन वर्षों के लिए राज्य, जिला, नगर स्तर पर सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी।
- (2) राज्य सरकार, राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन निम्नलिखित रूप में करेगी :--
 - (कं) मुख्य सचिव–

अध्यक्ष

(ख) प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग

संयोजक

- (ग) स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, विधि, श्रम एवं भवन निर्माण विभागों से सचिव या उनके प्रतिनिधि
- (घ) चयन समिति के अध्यक्ष
- (ङ) जो बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि
- (च) विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधि
- (3) राज्य सलाहकार बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे :--
 - (i) गृह की स्थापना एवं रख-रखाव से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देना,
 - (ii) अधिनियम की धारा 61 के अधीन यथा उपबंधित रूप में निधि के सृजन एवं प्रबंधन के लिए सलाह देना.
 - (iii) विभिन्न उपबंधों, सुविधाओं और सेवाओं यथा संस्था में रह रहे बच्चों के लिए भोजन, कपड़ा, दवा, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक एवं सामाजिक पूनर्वास तथा उनकी दरों को निरीक्षण करना,
 - (iv) कोई अन्य विषय जो बच्चों के लिए लाभ नीति निर्धारण योजना बनाने तथा योजना के कार्यान्वयन में यथावश्यक समझा जाए.
 - (v) उच्चतम स्तर पर अंतर विभागीय समन्वय।
- (4) राज्य सरकार जिला सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:--
 - (क) जिला पदाधिकारी अध्यक्ष
 - (ख) असैनिक शल्य चिकित्सक सदस्य
 - (ग) जिला शिक्षा अधीक्षक सदस्य
 - (घ) जिला बाल संरक्षण इकाई का प्रधान संयोजक
 - (ड.) गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि सदस्य
- (5) सभी सलाहकार बोर्ड वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करेंगे।
- (6) इस अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (3) के अनुसार गठित जिला या नगर स्तरीय सलाहकार बोर्ड इस अधिनियम की धारा 35 के अधीन निरीक्षण समिति के रूप में भी कार्य करेगा।
- (7) ये सलाहकार बोर्ड, अपने संबंधित कार्यक्षेत्रों में विभिन्न संस्थागत या गैर—संस्थागत सेवाओं का निरीक्षण करेंगे और उनके द्वारा की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
- (8) राज्य सरकार, इस नियामवली के नियम 99 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से राज्य, जिला और नगर स्तर पर सलाहकार बोर्डों के सदस्यों के लिए नामों की सूची की अनुशंसा करेगी।
- (9) सलाहकार बोर्ड में सेवा—समाप्ति, त्याग—पत्र या अन्य किसी कारण से रिक्त हुए पद पर नए सदस्यों की नियुक्ति उसी तरह से की जाएगी, जैसे कि सक्षम प्राधिकारी की दशा में की जाती है।

102. किशोर न्याय निधि:-

- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम की धारा 61 के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आने वाले किशोरों या बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए जिसे राज्य स्तर पर एक निधि का सृजन करेगी जिसे 'किशोर न्याय निधि' (इसमें आगे निधि के रूप निर्दिष्ट) के नाम से जाना जाएगा।
- (2) धारा 61 की उपधारा (2) के अधीन आने वाले संदानों, अंशदानों अथवा अभिदायों के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार भी इस निधि में अभिदाय कर सकेगी।
- (3) सोसाईटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रिजस्ट्रीकृत एक स्वयंसेवी एवं अलाभकर निकाय होगा और निधि का प्रबधंन एवं प्रशासन, अधिनियम की धारा 62 के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड के अधीन होगा।
- (4) निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगाः
 - (क) किशोरों या बालकों के कल्याण, पुनर्वास और पुनरूद्धार के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करनाः
 - (ख) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देनाः
 - (ग) राज्य सलाहकार बोर्ड के व्यय तथा इसके प्रयोजन की पूर्ति करनाः और
 - (घ) अन्य सभी कार्य करना, जो उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए आनुषंगिक और आवश्यक हों।
- (5) इस निधि की परिसम्पत्तियों में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य किसी सांविधिक या गैर—सांविधिक निकायों से समस्त ऐसे अनुदानों या अंशदानों, आवर्ती या अनावर्ती और साथ ही किसी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त स्वैच्छिक संदान सम्मिलित होंगे।
- (6) निधि के सभी धन और सम्पत्तियों का सभी आय और व्यय का नियमित लेखा रखा जाएगा और चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की अधिसूचित फर्म या किसी अन्य मान्यताप्राप्त अधिकारियों द्वारा, जो बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जॉए, लेखा परीक्षा की जाएगी।
- (7) सभी संविदाएँ और अन्य आश्वासन, प्रबंधन बोर्ड के नाम से किए जाएँगे तथा सचिव—सह—खजांची तथा इस प्रयोजनार्थ इसके द्वारा प्राधिकृत प्रबंधन बोर्ड के एक सदस्य द्वारा उनकी ओर से हस्ताक्षर किए जाएँगे।
- (8) सभी राशियों का आहरण सचिव—सह—खजांची द्वारा हस्ताक्षरित, यथास्थिति, चेक या मांग पर्चियों द्वारा किया जायेगा और दस हजार रूपये से अधिक की रकम की दशा में, वे सचिव—सह—खजांची तथा राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबंध बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित किये जाएंगे।
- (9) बोर्ड प्रबंधन सम्पित की बिक्री अथवा अन्य निपटारों से मिलने वाली आमदनी तथा कोष के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तत्काल अनापेक्षित सम्पित्त या धन की जरूरत पड़ने पर न्यास धन के निवेशों के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किसी एक अथवा एक से अधिक निवेशों के लिए, जैसा कि बोर्ड प्रबंधन उपयुक्त समझे, इस्तेमाल करेगा।

103. लम्बित मामले:--

(1) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर या बालक को इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली के लाभों से वंचित नहीं रखा जाएगा।

- (2) सभी लम्बित मामले, जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया हो, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली के उपबंधों के अधीन निपटाए जाएंगे।
- (3) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर या बालक को, इस नियम के उपनियम (1) के अधीन फायदे दिए जाएंगे और इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे फायदे उन सभी आरोपियों को उपलब्ध कराए जाएंगें, जो किसी अपराध को करने के समय किशोर या बालक थे। ये फायदे उन्हें तब भी दिए जाएंगे जब वे किसी जाँच या विचारण के दौरान किशोर या बालक नहीं रह जाते हों।
- (4) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर या बालक के निरोध या रहने या दण्ड की अविध की संगणना करते समय, सभी ऐसी अविध, जिसे कोई किशोर या बालक अभिरक्षा, निरोध, ठहरने या कारावास के दण्ड के रूप में पहले से ही बिता चुका है उसकी गणना न्यायालय या बोर्ड के अंतिम आदेश में अनुर्विष्ट ठहरने या निरोध या कारावास दंड के अंश के रूप में की जाएगी।

104. खुलापन और पारदर्शिता :--

- (1) समस्त बाल गृह यथास्थिति, प्रभारी पदाधिकारी की अनुमित से आगन्तुकों के लिए खुला रहेगा और सिमिति या प्रभारी पदाधिकारी स्थानीय स्वैच्छिक स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, प्रख्यात व्यक्तियों, मीडिया के प्रतिनिधियों को तथा आगन्तुकों के रूप में किन्ही ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें प्रभारी पदाधिकारी बच्चों की सुरक्षा, कल्याण और हित का ध्यान रखते हुए उपयुक्त समझे को अनुमित दे सकेंगे।
- (2) यदि समुदाय के सदस्य संस्थाओं में सेवा करना चाहते हों या वे अपनी विशेषज्ञताओं के माध्यम से संस्था में योगदान देना चाहते हो, तो गृह के प्रभारी पदाधिकारी इन गृहों की स्थिति में सुधार लाने के लिए स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।
- (3) प्रभारी पदाधिकारी आगन्तुक पुस्तिका संधारित करेगा तथा इस पुस्तिका में आगन्तुकों द्वारा की गई टिप्पणियों पर सलाहकार निरीक्षण प्राधिकार द्वारा विचार किया जाएगा।
- (4) किसी संस्था का दौरा करते समय, आगन्तुक न तो ऐसा कुछ कहेंगे या न ऐसा कुछ करेंगे, जो प्रभारी पदाधिकारी के प्राधिकार को नीचा दिखाता हो या जो अधिनियम या नियमों के उल्लंघन मे हो या बालकों की गरिमा को ठेस पहुँचाता हो।
- (5) उपर्युक्त उप नियम में किसी बात के होते हुए भी प्रभारी पदाधिकारी द्वारा तब अनुमित अस्वीकार किया जाना विधि—पूर्वक होगा जब वह समझता हो कि ऐसा दौरा अंतःवासियों के हित या गृहों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
- (6) सक्षम प्राधिकारी की अनुमित से आगंतुकों को संप्रक्षेण गृहों और विशेष गृहों में जाने की अनुमित दी जा सकेगी।

105. अभिलेखों या दस्तावेजों का निपटान—विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर या बालक से संबंधित अभिलेख या दस्तावेजों को सात वर्ष के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा और उससे अधिक नहीं, और तत्पश्चात् यथास्थिति बोर्ड या समिति या बाल संरक्षण इकाई के परामर्श से नष्ट कर दिए जाएंगे।

106. विधि के विरोध में किशोरों के मामलों का निस्तारण:-

- (1) राज्य सरकार, या बोर्ड यथास्थिति, या तो स्वप्रेरणा से या इस प्रयोजन के लिए किये गये आवेदन पर, विधि के विरोध में किशोर या व्यक्ति के मामले का पुनर्विलोकन कर सकेगा। अधिनियम में अन्तर्विष्ट प्रावधानों और इस नियमावली के नियम 12 के प्रावधानों में अन्तर्विष्ट शर्तों के अनुसार उसकी किशोरता विनिश्चत कर सकेगा और विधि के विरोध में किशोर की तुरन्त विमुक्ति के लिए, अधिनियम की धारा 64 के अधीन विधि के विरोध में किशोर के हित में समुचित आदेश पारित कर सकेगा जिसके निरोध या कारावास की अविध उक्त अधिनियम की धारा 15 में उपबंधित अधिकतम अविध से अधिक हो गयी हो।
- (2) उपरोक्त प्रयोजनार्थ एक समीक्षा समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा जो, पुनर्विलोकन के पश्चात अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को सौंपेगी तथा राज्य सरकार समुचित आदेश पारित करेगी।
- 107. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई को संरक्षण:—सौंपे गये कर्तव्यों के संपादन के दौरान अधिनियम के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या करने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी कार्यकारी, स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों एवं सामाजिक कार्यकर्ता के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

108. निरसन एवं व्यावृति :--

- (1) बिहार राज्य किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2003 एतद् निसरित की जाती है।
- (2) इस नियमावली में अंतर्दिष्ट कोई बात इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व बिहार राज्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2003 के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई या जारी किए गए किसी आदेश को प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, संदीप पौण्डरीक, सरकार के सचिव।

अनुसूची–1

कपड़े, बिस्तर, प्रसाधन एवं अन्य सामग्री (नियम 48)

(1) किशोरों अथवा बालकों को निम्नलिखित वस्तुएँ प्रदान की जाएँगी:--

बिस्तर आदि

क0 सं0	वस्तु	प्रति बालक आपूर्ति की मात्रा
1	2	3
1	तौलिया	4 प्रति वर्ष
2	सूती चादर	2 प्रति २ वर्ष
3	तिकया (रूई भरा हुआ)	1 प्रति २ वर्ष
4	तकिया के कवर	2 प्रति २ वर्ष
5	उनी कम्बल	2 प्रति २ वर्ष
6	सूती दरी	2 प्रति 2 वर्ष
7	रूई भरी रजाई	1 प्रति 2 वर्ष (ठंडे इलाकों में)
8	गद्दा	1 प्रति २ वर्ष
9	मचछरदानी	1 प्रति २ वर्ष

	लड़कियों के लिए कपड़े			
1	स्कर्ट और ब्लाउज या सलवार कमीज	आयु और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर 5 सैट प्रति वर्ष		
	या आधी साड़ी के साथ ब्लाउज और			
	पेटीकोट			
2	बनियान (एक–एक मीटर)	छोटी लड़कियों के लिए 6 प्रति वर्ष		
3	ब्रेजर	बड़ी लड़कियों के लिए 6 प्रति वर्ष		
4	पेन्टीज (1 मीटर कपड़ा)	6 प्रति वर्ष		
5	सैनिटरी टॉवल	बड़ी लड़कियों के लिए 12 पैकेट प्रति वर्ष		
6	उनी स्वैटर	2 प्रति दो वर्ष (ठंडे इलाकों में)		
7	उनी शॉल	1 प्रति दो वर्ष (ठंडे इलाकों में		

लड़कों के लिए कपड़े		
1	कमीज	5 सैट प्रति वर्ष
2	निक्कर	छोटे बच्चों के लिए 5 सैट प्रति वर्ष
3	पैन्ट	बड़े बच्चों के लिए 5 सैट प्रति वर्ष
4	बनियान	4 सैट प्रति वर्ष
5	अण्डर वियर	4 सैट प्रति वर्ष
6	उनी जर्सी	2 प्रति 2 वर्ष (ठंडे इलाकों में)
7	स्कार्फ	2 प्रति 2 वर्ष (ठंडे इलाकों में)

	विविध वस्तुऍ			
1	चप्पल	1 जोड़ी प्रति वर्ष		
2	जूते	1 जोड़ी प्रति वर्ष		
3	स्कूल की वर्दी	संस्था से बाहर जाने वाले बच्चों के लिए 2 सैट प्रति वर्ष		
4	स्कूल के जूते	संस्था से बाहर जाने वाले बच्चों के लिए 1 सैट प्रति वर्ष		
5	स्कूल बैग और स्टेशनरी	संस्था से बाहर जाने वाले बच्चों के लिए 1 सैट प्रति वर्ष		
6	रूमाल	6 प्रति वर्ष		

टिप्पण:— उपर विनिर्दिष्ट पहनावे के अतिरिक्त, प्रत्येक बालक को समारोहों के अवसरों पर उपयोग के लिए, तीन वर्ष में एक बार, एक सूट दिया जाएगा, जिसमें एक सफेद कमीज, एक जोड़ी खाकी निकर या पैंट, एक जोड़ी कपड़े के सफेद जूते और एक ब्लेजर (ठंडे इलाकों में) शामिल होंगे। लड़िकयों को आधी साड़ी (सफेद) या एक सलवार कमीज या एक सफेद स्कर्ट तथा एक सफेद ब्लाउज, एक जोड़ी कपड़े के सफेद जूते और एक ब्लेजर (ठंडे इलाकों में) दिए जाएँगे।

(2) संस्था से जुड़े हुए प्रत्येक अस्पताल में, जहाँ दाखिल मरीजों के लिए शय्याओं का प्रावधान है, निम्नलिखित मापदण्ड अपनाए जाएँगे:—

	रात के कपड़े एवं बिस्तर	आपूर्ति हेतु मापदण्ड
1	गद्दा	एक प्रति शय्या प्रति तीन वर्ष
2	सूती चादरें	चार प्रति शय्या प्रति वर्ष
3	तिकया	एक प्रति शय्या प्रति दो वर्ष
4	तिकया के कवर	चार प्रति शय्या प्रति वर्ष
5	उनी कम्बल	एक प्रति शय्या प्रति दो वर्ष
6	पायजामा एवं ढीली कमीज (लड़कों हेतु हॉस्पीटल टाइप)	तीन जोड़ी प्रति बालक प्रति वर्ष
7	लड़िकयों हेतु स्कर्ट एवं ब्लाउज या सलवार कमीज	तीन जोड़ी प्रति बालक प्रति वर्ष
8	सूती दरी	एक प्रति शय्या प्रति तीन वर्ष

टिप्पण:–

- (i) जब तक बालक संस्था के अस्पताल में दाखिल रोगी के रूप में भर्ती रहता है, तब तक संस्था का डॉक्टर दाखिल रोगी को अस्पताल के कपड़े देगा तथा उसके द्वारा पहने हुए कपड़े रख लिए जाएँगे। अस्पताल से बालक की छुट्टी के समय उन कपड़ों को धुलवाकर उन्हें बालक को वापस दे दिया जाएगा।
- (ii) प्रत्येक बालक को सुविधानुसार एवं आवश्यकतानुसार किट बॉक्स अथवा लॉकर दिया जाएगा।
- (iii) अधीक्षक सुविधानुसार एवं आवश्यकतानुसार पारंपरिक चारपाइयों की जगह दो स्तरीय शय्याओं की व्यवस्था करेगा।
- 3 प्रसाधनः— गृह के प्रत्येक निवासी को निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार तेल, साबुन तथा अन्य सामग्री दी जाएगीः

बालों में लगाने के लिए तेल 100 मि0ग्रा0 प्रति मास

नहाने—धोने का साबुन अथवा कार्बोलिक साबुन 1 बड़ी टिकिया प्रति मास

टूथ पेस्ट एवं ब्रुश 1 बुश प्रति 3 मास एवं 50 ग्राम पेस्ट प्रति मास

कंघा १ प्रति वर्ष

टिप्पण:— (क) संस्था से बाहर विद्यालय जाने वाले बालकों को उनकी स्कूल यूनीफार्म धोने के लिए कपड़े धोने के साबुन की एक अतिरिक्त टिकिया (100 ग्राम) प्रति मास दी जाएगी।

(ख) कपड़े, तौलिए, चादरें आदि धोने के लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाया जाएगाः

1. कपड़े धोने का साबुन की 1 टिकिया (125 ग्राम) प्रति मास

2. सफेदी / विरंजक कर्मक सफेद कपड़े के लिए अपेक्षानुसार

तथापि, धुलाई के समय अन्य कपड़ों में अस्पताल के कपड़े शामिल नहीं किये जा सकते हैं तथा यदि आवश्यक हो, अधीक्षक, अस्पताल के कपड़े धोने के लिए उपरोक्त मदें अलग से दे सकता है। (4) गृहों को साफ-सथुरा रखने के लिए निम्नलिखित मदें उपलब्ध कराई जाएंगी:-

車。	मद	आपूर्ति का मापदण्ड
1	झाडू	संस्था के क्षेत्र के आधार पर 25 से 40 नग प्रति मास
2	डी०डी०टी० का छिड़काव	संस्था के डॉक्टर की सलाह के अनुसार
3	खटमलों को मारने वाले कारगर कर्मक	आवश्यकतानुसार
4	फिनाईल एवं सफाई करने वाले एसिड (प्रति दिन)	साफ किए जाने वाले शौचालय क्षेत्र के आधार पर संस्था के डॉक्टर की सलाह के अनुसार

अनुसूची-2 पोषण एवं आहार मापदण्ड (नियम 51)

कमांक	आहार की सामग्री का नाम	मपदण्ड प्रति व्यक्ति प्रति दिन	
1	2	3	
1	चावल / गेहूँ / रागी / ज्वार	600 ग्राम (700 ग्राम 16—18 वर्ष की आयु वर्ग	
		के लिए) जिसमें से कम से कम 100 ग्राम गेहूँ	
		या रागी या ज्वार हो।	
2	दाल / राजमा / चना	120 ग्राम	
3	खाद्य तेल	25 ग्राम	
4	प्याज	25 ग्राम	
5	नमक	25 ग्राम	
6	हल्दी	०६ ग्राम	
7	धनिया (पिसा हुआ)	०५ ग्राम	
8	अदरक	०५ ग्राम	
9	लहसुन	०५ ग्राम	
10	इमली / अमचूर	०५ ग्राम	
11	दूध (नाश्ते में) मिर्च	150 ਸਿ0लੀ0	
12		०५ ग्राम	
13	सब्जी (पत्तेदार)	100 ग्राम	
	(बिना पत्ते वाली)	130 ग्राम	
14	दही या छाछ	100 ग्राम / मि0ली0	
15	मुर्गा सप्ताह में एक बार अथवा अण्डे सप्ताह में 4 दिन	115 ग्राम	
16	गुड़ और मूंगफली (केवल 60—60 ग्राम) या पनीर (100 ग्राम) (शाकाहारी के लिए)	सप्ताह में एक बार	
17	चीनी	40 ग्राम	
	50 बच्चों के लिए प्रतिदिन नि		
18	काली मिर्च	25 ग्राम	
19	जीरा	25 ग्राम	
20	चना दाल	50 ग्राम	
21	सरसों	50 ग्राम	
22	अजवाईन	50 ग्राम	
	मुर्गा पकाने वाले दिन 10 कि0ग्रा०	मुर्गा पकाने के लिए	
23	गरम मसाला	10 ग्राम	
24	नारियल	150 ग्राम	
25	खसखस	150 ग्राम	
26	मूंगफली का तेल	500 ग्राम	
	रूग्ण बच्चों के रि		
27	ब्रेड	500 ग्राम	
28	दूध	500 मि0लि0	
अन्य मदें			
29	रसोई गैस	केवल खाना पकाने के लिए	

अनुदेशः

2. आहार में विविधता

- (क) तीन प्रकार की दालें अर्थात तूर (तुवारी), मूंग (हरा चना) तथा चना (बंगाली चना) बारी—बारी से वितरित की जाएँ।
- (ख) अधीक्षक स्व—विवेक से मुर्गे की जगह मछली की भी व्यवस्था कर सकता है, बशर्ते कि सरकार को कोई अतिरिक्त खर्च वहन न करना पड़े।

- (ग) मांसाहारी दिनों में, शाकाहारी बच्चों को लड्डू के रूप में प्रति बच्चा 60 ग्राम गुड़ एवं 60 ग्राम मूंगफली दाना अथवा अन्य कोई मिठाई अथवा 100 ग्राम पनीर वितरित किया जाए।
- (घ) सप्ताह में एक बार सब्जी की जगह आलू वितरित किए जाएं।
- (इ) सप्ताह में एक बार पत्तेदार सब्जियाँ जैसे कि मेथी, पालक, गौंगुरा थोटकुरा अथवा अन्य कोई साग भी वितिरत की जाए। यदि कही किसी संस्था में किचन गार्डन हो तो वहाँ सहजन के पेड़, कड़ी पत्ता के पेड़, धिनया के अलावा पत्तेदार सिब्जियाँ उगायी जानी चाहिए और अधीक्षक को अलग—अलग तरह की सिब्जियाँ वितिरत करनी चाहिए एवं ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रकार की सब्जी सप्ताह के भीतर पुनः वितिरत न की जाए।
- (च) अधीक्षक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अथवा संस्था के डॉक्टर की सलाह पर वह व्यक्ति विशेष मामलों में आहार के मापदण्ड में अस्थायी परिवर्तन कर सकता है, बशर्ते की निर्धारित मापदण्ड से मात्रा अधिक न हो।

(3) भोजन का समय एवं व्यंजन सूची

- (क) पूर्वाहन 8:00 बजे के बाद नाश्ता
 - (1) उपमा अथवा गेहूँ या रागी की रोटी अथवा अन्य कोई व्यंजन।
 - (2) गोंगूरा अथवा ताजा कड़ी पत्ता अथवा ताजे धनिया अथवा निरयल की चटनी और पुत्ना दाल / सब्जी को एक व्यंजन के रूप में वितरित किया जाए।
 - (3) दूध
 - (4) पर्याप्त मात्रा में कोई मौसमी फल
- (ख) लंच दोपहर 1:00 बजे तथा रात्रि का भोजन अपराहन 7:00 बजे के बाद
 - (1) चावल / चपाती अथवा दोनों
 - (2) पकी हुई सब्जी
 - (3) सांभर अथवा दाल
 - (4) दही अथवा छाछ

(4) अन्य:-

- (क) मौसम के अनुसार, अधीक्षक स्व-विवेक से भोजन वितरण के समय में परिवर्तन कर सकेगा।
- (ख) संस्था के डॉक्टर की सलाह पर प्रत्येक बीमार बच्चे को, जिसे उसके अस्वस्थ होने के कारण नियमित भोजन करने से रोका गया है, आहार मापदण्डों में यथानिर्दिष्ट चिकित्सीय आहार वितरित किया जाय।
- (ग) वजन बढ़ाने के लिए अथवा अन्य स्वास्थ्य कारणों से संस्था के डॉक्टर की सलाह पर नियमित आहार के अलावा पोषण हेतु दूध, अण्डा, चीनी एवं फल जैसे अतिरिक्त आहार दिए जाने चाहिए और दैनिक राशन की गणना के प्रयोजनार्थ बीमार बच्चों को उस दिन बच्चों की संख्या में शामिल न किया जाए।

(घ) निम्नलिखित राष्ट्रीय पर्वो एवं त्यौहारों के अवसर पर आयुक्त द्वारा समय—समय पर निर्धारित दर पर गृह के सभी बच्चों को मिठाई बांटी जाएः

1	गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
2	अम्बेडकर जयंती (14 अप्रैल)
3	स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
4	महात्मा गाँधी जयंती (2 अक्टूबर)
5	बाल दिवस (14 नवम्बर)
6	बाल अधिकार दिवस (20 नवम्बर)
7	दशहरा (विजय दशमी)
8	दीपावली
9	रमजान (ईद–उल–फितर)
10	बकरीद (ईद–उल–जुहा)
11	क्रिसमस (25 दिसम्बर)

राज्य स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर अतिरिक्त त्यौहार विनिर्दिष्ट कर सकते है।

प्रपत्र–I

(नियम 12(6) (ग))

पर्यवेक्षण आदेश

	जब किशोर को उसके माता–पिता, संरक्षक या अन्य किसी उपयुक्त व्यक्ति/उपयुक्त संस्था की देखरेख में
रखा जा	ए (दिनांक) की प्रोफाईल संख्या
	चूँकि (किशोर का नाम) को आज की तारीख में अपराध करते पाया गया है और इसे की देखरेख में उक्त (पता) की देखरेख में उक्त द्वारा बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर रखा गया है और बोर्ड का समाधान हो गया है कि उक्त 'किशोरी को पर्यवेक्षण में रखकर उसके मामले का निपटान किया जाना समीचीन है।
की अव जाएकि:-	एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि उक्त किशोर को निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन धि के लिए परिवीक्षा अधिकारी / मामला विशिष्ट कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण में रखा -
1.	किशोर/किशोरी इस आदेश और उक्त द्वारा निष्पादित बंधपत्र की प्रतियों के साथ उसमें नामित परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2.	किशोर / किशोरी को उपर्युक्त परिवीक्षा अधिकारी / मामला विशिष्ट कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण में सौंपा जाएगा।
3.	किशोर/किशोरी
4.	किशोर/किशोरी को परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता की अनुमित लिए बिना के जिला क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
5.	किशोर/किशोरी को दुष्चरित्र व्यक्तियों के साथ मिलने नहीं दिया जाएगा।
6.	किशोर/किशोरी ईमानदारी से और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा; तथा नियमित रूप से स्कूल जाएगा या ईमानदारी से जीविका कमाने का प्रयास करना।
7.	किशोर/किशोरी नियमित रूप से उपस्थिति केन्द्र में उपस्थित होगा।
8.	जिस व्यक्ति की देखरेख में इस किशोर/किशोरी को रखा गया है, वह व्यक्ति इसकी देखरेख, शिक्षा, एवं कल्याण की समुचित व्यवस्था करेगा।
9.	जिस व्यक्ति की देखरेख में किशोर/किशोरी को रखा गया है, उस व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करने होंगे कि किशोर/किशोरी ऐसा कोई अपराध न करे, जो भारत में किसी विधि के अनुसार दंडनीय हो।
10.	इस किशोर को स्वापक औषधियाँ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ या अन्य किसी प्रकार का नशा करने से रोका जाएगा।

किशोर न्याय बोर्ड

11. परिवीक्षा अधिकारी / मामला विशिष्ट कार्यकर्ता उपर उल्लिखित शर्तो के सम्यक अनुपालन के लिए

समय–समय पर जो निदेश देंगे, उनका अनुपालन किया जाएगा।	
(दिनांक)।	
leve	ताक्षर)
्रहरू प्रधान दंडाधि	-
प्रधान दलाध	१कारा

अतिरिक्त शर्त / शर्ते, यदि कोई हो, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अन्तः स्थापित की जा सकेंगी।

प्रपत्र II

(नियम 12 (6) (घ))

		((0) (.//	
धारा	की उपधारा	,धारा	की उपधारा	और धारा
की उपधारा	के			
अधीन निरोध के	आदेश			
प्रभारी अधिकारी	Ì			
	······			
चँकि	(दिनां	ਨ)	माइ. 20	(वर्ष) को
				निवासी
			_	का विरोधी आचरण करते पाया
				बोर्ड उक्त किशोर/किशोरी को किशोर
				अवधि तक पर्यवेक्षण गृह / विशेष गृह
	में रखे ज			
				जाती है कि आप उक्त किशोर/किशोरी
	Ç			करने के लिए उसे
	क्षण गृह/विशेष गृह/	-		
मेरे हस्त	ताक्षर और किशोर न्य	य बोर्ड की मुहर	के अधीन	(दिनांक)
(माह) 20	(वर्ष) को दिया	गया।		
				(हस्ताक्षर)
				प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड
संलग्नक:-				
न्याय नि	नेर्णय, यदि कोई हो,	या आदेशों की प्र	ति, गृह का विवरण, इ	तिवृत्त एवं व्यक्तिगत देखरेख योजना, यदि
कोई हो, का ब्यौ	राः			
जो अपेक्षित न ह	ो. उसे काट दें।			

प्रपत्र–III

(नियम 12(1) और 12 (6)(ङ)) सामाजिक अन्वेषण/जॉच का आदेश

सेवा में,

परिवीक्षा अधिकारी / मामला विशिष्ट कार्यकर्ता / स्वैच्छिक संगठन का प्रभारी व्यक्ति

चूंकि इस बोर्ड के समक्ष पेश किए गए	(किशोर / किशोरी का नाम)
पुत्र / पुत्री श्री आयु लगभग	
के संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण)	अधिनियम, 2000 की धारा के
अधीन रिपोर्ट / शिकायत प्राप्त हुई है।	
आपको एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि आप उक्त किशोर व) हे सामाजिक पूर्ववृत, पारिवारिक पृष्टभूमि और
उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की परिस्थितियों की जॉच करके	अपनी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट
को / या इससे पहले अथवा इस बोर्ड द्वारा अनुज्ञात समय	र सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।
आपको एतद्द्वारा यह निदेश भी दिया जाता है कि यदि आवश्यन	क हो तो आप बाल मनोविज्ञान, मनःचिकित्सा
उपचार या परामर्श के किसी विशेषज्ञ से परामर्श कर उनके विचार जाने त	ाथा अपनी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के साथ
यह रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।	
(दिनांक)(माह)20	.(वर्ष)

(हस्ताक्षर)

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड

प्रपत्र-IV

[नियम 13 (5) तथा नियम 80 (1) (क) और (2)]

सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट

क्र0 संख्या	
किशोर न्याय बोर्ड	(पता) को प्रस्तुत
परिवीक्षा विभाग / राज्य सरकार का संबद्ध प्राधि (हस्ताक्षर व मुहर)	।कार / स्वैच्छिक संगठन
प्रोफाइल संख्याः-	
धारा:– के अधीन	
प्रोफाईल का शीर्षकः	
थानाः	
आरोपित अपराध का स्वरूप :	
नाम	धर्म
पिता का नाम	जाति
स्थायी पता	जन्म का वर्ष
पकड़े जाने से पूर्व अंतिम पता	आयु लिंग

पूर्व का संस्थागत / केस इतिवृत तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना, यदि कोई हो,

परिवार

परिवार के सदस्य	नाम	आयु	स्वास्थ्य	शिक्षा	उप	मासिक	विकलांगता	अन्य कोई
					जीविका	आय		ब्यौरा, यथा
								सामाजिक
								आदतें
पिता								
सौतेला पिता								
माता								
सौतेली माता								
भाई-बहन								
अन्य कोई विधिक								
संरक्षक / नातेदार								

यदि	विवाहित	हो	तो	सुसंगत	विशिष्टियां

अन्य नजदीकी रिश्तेदार या इच्छुक एजेंसी
धर्म के प्रति दृष्टिकोण, गृह की सामान्य एवं आचार संहिता इत्यादि
समाजिक और आर्थिक स्थिति
परिवार के सदस्यों का अपचारिता रिकार्ड
वर्तमान जीवन दशा
माता—पिता / माता—पिता और बच्चों के बीच विशेषकर अन्वेषणाधीन किशोर / किशोरी के साथ संबंध
अन्य महत्वपूर्ण कारक, यदि कोई हो,

किशोर का इतिवृत्त

मानसिक स्थिति
(मौजूदा और विगत)
शारीरिक स्थिति
(मौजूद और विगत)
आदतें, रूचि
(नैतिक, आमोद–प्रमोदात्मक इत्यादि)
उत्कृष्ठ लाक्षणिक और व्यक्तित्व विषयक विशेषताऍ
साथी और उनका प्रभाव
बिना अनुमति गृह न्याग का ब्यौरा, यदि कोई हो
विद्यालय (विद्यालय के अध्यापकों, सहपाठियों के प्रति किशोर/किशोरी का और उसके प्रति उनका दृष्टिकोण)
विद्यालय (विद्यालय के अध्यापका, सहपाठिया के प्रांत किशार/ किशारा का और उसके प्रांत उनका दृष्टिकाण)
कामकाज का रिकार्ड (धारित कार्य, छोड़ देने के कारण, व्यावसायिक अभिरूचियां, कार्य या नियोक्ताओं के प्रति
दृष्टिकोण)
आस पड़ोस एवं पड़ोसियों से प्राप्त रिपोर्ट घर में अनुशासन के प्रति
माता–पिता का दृष्टिकोण और बालक की प्रतिकिया
अन्य कोई अभ्युक्ति

<u>जाँच का परिणाम</u>

भावनात्मक कारक
शारीरिक दशा
बौद्धिक क्षमता
सामाजिक व आर्थिक कारक
धार्मिक कारक
समस्याओं के संबंध में जताए गए कारण
अपचारिता के कारणों सहित मामले का विश्लेषण
परामर्शित विशेषज्ञों की राय
उपचार एवं इसकी योजना के संबंध में परिवीक्षा अधिकारी की सिफारिश

परिवीक्षा अधिकारी / मामला विशिष्ट कार्यकर्ता

प्रपत्र V

(नियम 15 का उप नियम (5), नियम 92 का उप नियम (2))

जिस माता-पिता/संरक्षक/नातेदार अथवा उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में किशोर/किशोरी को रखा गया हो उसके द्वारा निष्पादित किया जाने वाला वचनबंध/बंध पत्र

	चूॅकि मैं	माता—ि	वेता, संरक्षक, नार्	ोदार या उपयुक्त	व्यक्ति होने के नाते,	जिसकी
देखरेख	में	(किशोर / किशोरी का	नाम) को रखे जा	ने का आदेश किशो	र न्याय बोर्ड	
द्वारा	दिया गया है, उक्त ब	र्ड द्वारा मुझे प्रतिभूति	सहित	स्तृष	ाये (अंकों में)/	
	रूपये (शब्दे	ं में) अथवा प्रतिभूति वं	हे बिना वचनपत्र/	बंधपत्र निष्पादित व	करने का आदेश दिया	गया है,
इसलिए	मैं अपनी देखरेख में र	खे गए उक्त	के	संबंध में स्वयं को ए	रतद् द्वारा आबद्ध करत	ग हूँ। मैं
उक्त	र्क	ो समुचित देखरेख क	ो व्यवस्था कर्रुंग	ा और मैं यह भी	वचन देता हूँ कि	यह मेरी
जिम्मेदा	री होगी कि उक्त		अच्छा व्य	वहार करे और मैं	दिनांक	
	. से	व	र्ष की अवधि तक	निम्नलिखित शर्तो	का पालन कर्रुगाः–	
1.	में परिवीक्षा, अधिकारी	/ मामला विशिष्ट का	र्यकर्ता के माध्यम	से किशोर न्याय ब	ोर्ड को लिखित में पूर	र्ग सूचना
	दिए बिना अपना निव	ास स्थान नहीं बदलूँगा	;			
2.	में किशोर न्याय बो	र्ड की लिखित अनुम	ते प्राप्त किए वि	वेना किशोर/किशो	ारी को उक्त न्याय	बोर्ड के
	क्षेत्राधिकार की सीमा	से बाहर नहीं ले जाउँ	गा;			
3.	मैं उक्त किशोर/कि	शोरी को प्रतिदिन विद्	गालय/उक्त बोर्ड	द्वारा यथा अनुमो	देत व्यवसाय के लिए	भेजूॅगा,
	वशर्ते मेरे नियंत्रण से	परे किन्ही परिस्थितिय	ों के कारण मैं ऐर	ना करने में असमर्थ	न हो जाउँ;	
4.	में उक्त किशोर/कि	शोरी को नियमित रूप	से उपस्थिति के	न्द्र पर भेजूंगा बश	ार्ते मेरे नियंत्रण से पं	रे किन्हीं
	परिस्थितियों के कारप	ा मैं ऐसा करने में अस	मर्थ न हो जाउँ;			
5.	जब कभी बोर्ड द्वारा	रेसी अपेक्षा की जाएगी	मैं तुरन्त उसे रि	पोर्ट करूँगा;		
6.	यदि मेरी देखरेख में	रखे गए किशोर/किश	गोरी ने बोर्ड के	आदेशों का पालन	नहीं किया या उसका	व्यवहार
	मेरे नियंत्रण से बाहर	हो गया तो मैं उसे बो	र्ड के समक्ष प्रस्तु	त करूँगा;		
7.	में परिवीक्षा अधिकारी	/मामला विशिष्ट कार्य	कर्ता को अपना	पर्यवेक्षकीय दायित्व	निभाने के लिए हर उ	भावश्यक
	सहायता प्रदान करूँग	Т;				
8.	मैं वचन देता हूँ कि	उपर्युक्त शर्तो के पालन	। में मुझसे कोई व	त्रूक हो जाने पर मैं,	यथास्थिति, उपर्युक्त	कार्रवाई
	के लिए बोर्ड के समध	न उपस्थित होने या स	रकार को	रूप	ये (अंको में) (
		रूपये) (शब्दों में) अ	दा करने के लिए	आबद्ध करता हूँ।		
	दिन	Tab	(ਸਾਫ਼)20	(तर्ष) ।		

वचनबंध / बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

मेरे समझ हस्ताक्षर किया गया प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड

यदि	किशोर	न्याय	बोर्ड	कोई	अतिरिक्त	शर्त / शर्तें	जोड़ना	चाहे	तो	उसे / उन्हें	समुचित	संख्यांक	देते	हुए	जोड़ा	जा
सकेग	ПΙ															
(ਜਵੀਂ	ਧਰਿਘਰਿ	ने ग्रटि	त हंध	ਧਕ ਵਿ	नेष्णिटन न	हीं किया उ	गता टो	ਹਵ <u>ੀਂ</u>	निम्	नलिखित जो	.टे)					
(0161	Alici Alic	a viig	रा प्रभ	174 1	ાવ્યાવત ૧	ला १५७५। ०	iikii Qi,	परा	1.1.	nenga vii	9)					

प्रतिभू (प्रतिभूगण) के हस्ताक्षर

(मेरे समक्ष हस्ताक्षरिकया गया)

प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड

प्रपत्र-VI

[नियम 15 (6) तथा नियम 92 (2)]

किशोर/बालक द्वारा मुचलका

	उस किशोर/बालक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला मुचलका जिसे अधिनियम की धाराकी
उपधारा	के खंड के अधीन आदेश दिया गया हो
	चूँकि, किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धाराके अधीन
किशोर न	याय बोर्ड / बाल कल्याण समिति निवासी
	(पूरा ब्यौरा दें यथा मकान नं0 सड़क, गाँव/शहर, तहसील, जिला, राज्य को अपने मूल
निवास र	थान पर वापस भेज दिया गया है / प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और इस नियमावली के नियम
. उपनिय	ाम तथा नियम के उपनियम के अधीन मुचलका भरने पर मुझे इसमें
नीचे दी	गई शर्तों का पालन करना है। इसलिए, अब मैं सत्यनिष्ठा से यह वचन देता हूँ कि
	अवधि के दौरान इन शर्तों का पालन करूँगा।
	मैं एतद् द्वारा स्वयं को निम्नलिखित से आबद्ध करता हूँ:
1.	अविध के दौरान मैं सामान्यतः उस गाँव/शहर/जिला को छोड़कर कहीं नहीं जाउँगा, जहाँ
	मुझे भेजा जा रहा है और उक्त बोर्ड/समिति की पूर्वानुमित के बिना न तो
	लौटूँगा और न ही उक्त जिला से बाहर कहीं जाउँगा;
2.	उक्त अवधि के दौरान उस गाँव/शहर में अथवा उक्त जिला में जहाँ मुझे भेजा जा रहा है,
	स्कूल / व्यावसायिक प्रशिक्षण में भाग लूँगा।
3.	उक्त जिला में किसी अन्य स्थान पर स्कूल/व्यावसायिक प्रशिक्षण में भाग लेने की स्थिति में, मैं बोर्ड/समिति
	को अपने सामान्य निवास स्थान से अवगत रखूंगा।
मैं एतद्	द्वारा यह अभिस्वीकार करता हूँ कि मैं उपर्युक्त शर्ता, जो मुझे पढ़कर सुनाया / समझाया गया है, से अवगत हूँ
और मैं इ	इन्हें स्वीकार करता हूँ।
	(किशोर/बालक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)
	प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें(किशोर या
	वालक का नाम) को पढ़कर सुना या समझा दी गई है तथा उसने उन्हें ऐसी शर्तों के रूप में स्वीकार किया
है, जिन	पर उसकी सुरक्षित अभिरक्षा की अवधि रद्द की जा सकती है।
	तद्नुसार प्रमाणित किया जाता है कि उक्त किशोर या किशोरी/बालक को
(दिनांक)	को छोड़ / रिहा कर दिया गया है।

प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी अर्थात् संस्था के प्रभारी अधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम

प्रपत्र-VII

(नियम 17 का उप नियम 9) उन्मोचन आदेश

में	(उन्मोचन प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम)
	राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, इस आदेश के द्वारा
पुत्र / पुत्री	पोफाईल संख्या
जिसे किशोर न्या	य (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन
(वर्ष) व	को अवधि के लिए संप्रेक्षण गृह/विशेष गृह/उत्तर रक्षा गृह में निरूद्ध
करने / रखने का	आदेश दिया गया था और जिसे अब दिनांक को उक्त गृह को उक्त गृह
से उन्मोचित किए	ए जाने तथा उसके निवास की शेष अवधि के दौरान उसे के पर्यवेक्षण एवं
प्राधिकार में रखे	जाने की अनुमति देता हूँ।
यह आ	देश आगे दर्शाई गई शर्तो के अध्यधीन दिया गया है और इनमें से किसी भी शर्त को भंग किए जाने
की स्थिति में यह	रद्द किये जाने योग्य होगा।
	उन्मोचन प्राधिकारी
	के हस्ताक्षर व पदनाम
दिनांक:–	
स्थान:–	
	<u>शर्तें</u>
1.	उन्मोचित व्यक्ति निरूद्ध किए जाने की अवधि के समाप्त होने तक, यदि यह माफी उससे पूर्व ही
	रद्द न की गई हो, के पर्यवेक्षण एवं
	प्राधिकार में रहेगा / रहेगी।
2.	वह की सहमति के बिना उस स्थान या उक्त
	या बताए गए किसी अन्य स्थान से कहीं नहीं जाएगा/जाएगी।
3.	वह स्कूल में / व्यावसायिक प्रशिक्षण पर या अन्यथा कहीं समयनिष्ठ और नियमित उपस्थिति के संबंध
	में उक्त/करेगी।
4.	वह स्थित उपस्थित केंद्र में नियमित रूप से उपस्थित होगा / होगी।
5.	वह कोई भी अपराध करने से बचेगा/बचेगी और के लिए समाधान परक
	दंग से सीधा—सादा एवं परिश्रमी जीवन व्यतीत करेगा / करेगी।
6.	उसके द्वारा किसी भी उपर्युक्त शर्त को भंग किए जाने की स्थिति में एतद्द्वारा निरोध की अवधि की
	दी गई माफी रद्द किए जाने योग्य होगी और माफी रद्द किए जाने पर उसके साथ किशोर न्याय
	(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 59 की उप धारा (3) के अनुसार
	व्यवहार किया जाएगा।

में एतद् द्वारा यह अभिस्वीकार करता/करती हूँ कि मैं उपर्युक्त शर्तो से अवगत हूँ, जो मुझे पढ़कर सुनाई/समझाई गई हैं और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ/करती हूँ।

	(उन्मोचित किशोर/किशोरी
	के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें	(किशोर या
किशोरी / बालक का नाम) को पढ़कर सुनाई / समझाई गई है तथा उसने इन्हें	ऐसी शर्तो के रूप में स्वीकार किया है
जिनके आधार पर उसके निरोध की अवधि को रद्द किया जा सकेगा।	
तद्नुसार प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त किशोर या किशोरी/बात	नक को
है।	

प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी अर्थात् संस्था के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर एव पदनाम

प्रपत्र-VIII

[नियम 27 (18)] पर्यवेक्षण आदेश

जब बच्चे को उसके माता–पिता, संरक्षक या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा जाए
--

	2	.0	_का मामला संख्या	
	चुँकि, आज के दिन यह पा	या गया है कि	(बालक का	नाम) को देखरेख व संरक्षण
की	आवश्यकता है तथा	(नाम), पता		
तथ	ा उक्त	(नाम) द्वारा बं	धपत्र निष्पादित किए जाने	पर उसे उसकी देखरेख एवं
पर्यः	वेक्षण में रखा गया और समिति का	समाधान हो गया है कि	उसे पर्यवेक्षण में रखने का	आदेश पारित करने से उक्त
बाल	नक के साथ व्यवहार करना समीची	न है।		
	इसलिए, एतद्द्वारा उक्त बा	लक को निम्नलिखित श	र्तों के अध्यधीन	अवधि के लिए
	(नाम) निवासी		(पता) के पर्यवेक्षण	ा में रखा
जाप	₹:			
1.	जब कभी बंधपत्र निष्पादित	करने वाले व्यक्ति से अपे	क्षा की जाए, आदेश तथा	द्वारा
	निष्पादित बंधपत्र, यदि कोई हो,	की प्रतियों के साथ बालक	o को समिति के समक्ष प्रस्तृ	त किया जाएगा।
2.	बालक को उपर्युक्त माता–पि	lता / संरक्षक / उपयुक्त व्य	प्रक्ति के पर्यवेक्षण में रखा र	जाएगा ।
3.	बालक	अवधि के लिए	पर निवा	स करेगा।
4.	बालक को समिति की अनुमति व	क्रे बिना	के जिला क्षेत्राधिक	onर से बाहर नहीं जाने दिया
	जाएगा।			
5.	बालक नियमित रूप से विद्यालय	जाएगा / ईमानदारी से अ	ाजीविका कमाने का प्रयास	करेगा।
6.	जिस व्यक्ति की देखरेख में बाल	क को रखा जाएगा, वह	उक्त बालक की समुचित	देखरेख, शिक्षा व कल्याण की
	व्यवस्था करेगा।			
7.	बालक को अवांछनीय तत्वों के र	ांपर्क में आने की अनुमति	नहीं दी जाएगी तथा उसे	कानून का उल्लंघन करने से
	रोका जाएगा।			
8.	बालक को नशीली औषधियों अ	थवा नशीले पदार्थ लेने य	ग अन्य किसी प्रकार का न	शा करने से रोका जाएगा।
9.	उर्पयुक्त शर्तों के सम्यक अनुष	गलन के लिए समिति द्व	ारा समय–समय पर दिए	जाने वाले निर्देशों का पालन
	किया जाएगा।			
	दिनांक	(माह)	20	(वर्ष)

(हस्ताक्षर) अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति

अतिरिक्त शर्तें यदि कोई हों, बाल कल्याण समिति द्वारा अन्तःस्थापित की जा सकेगी।

प्रपत्र–IX

[नियम 27 (18) तथा नियम 92 (2)]

माता-पिता अथवा 'उपयुक्त व्यक्ति' जिसे बालक सुपुर्द किया जाता हो,

द्वारा वचनबंध

जिला राज्य एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं निम्निलिखित शर्तों के अध्यधीन बाल कल्याण समिति के आदेशों के अनुसार (बालक का नाम) आयु की देखरेख का दायित्व संभालने का इच्छुक हूँ : (i) यदि उसका आचरण असंतोषजनक हुआ तो मैं तत्काल समिति को सूचित करूंगा। (ii) जब तक यह बालक मेरी देखरेख में रहेगा, तब तक मैं उसके कल्याण एवं शिक्षा के लिए यथासंभव सर्वोत्तम प्रयास करूंगा और उसकी समुचित देखरेख की व्यवस्था करूंगा। (iii) उसके बीमार होने पर निकटवर्ती अस्पताल में उसकी समुचित चिकित्सा कराई जाएगी। (iv) मैं यह वचन देता हूँ कि जब कभी अपेक्षा की जाएगी मैं उक्त बालक / बालिका को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ। (दिनांक) (माह) 20 (वर्ष)	म		ानवासा, मंं० नं०	गला	गाव / शहर
(बालक का नाम) आयु		जिला	राज्य	एतद्द्वारा घो	षित करता हूँ कि
 (i) यदि उसका आचरण असंतोषजनक हुआ तो मैं तत्काल समिति को सूचित करूंगा। (ii) जब तक यह बालक मेरी देखरेख में रहेगा, तब तक मैं उसके कल्याण एवं शिक्षा के लिए यथासंभव सर्वोत्तम प्रयास करूंगा और उसकी समुचित देखरेख की व्यवस्था करूंगा। (iii) उसके बीमार होने पर निकटवर्ती अस्पताल में उसकी समुचित चिकित्सा कराई जाएगी। (iv) मैं यह वचन देता हूँ कि जब कभी अपेक्षा की जाएगी मैं उक्त बालक ∕ बालिका को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ। (दिनांक) (माह) 20 (वर्ष) हस्ताक्षर	मैं निम्नलिखित श	ार्तों के अध्यधीन बाल	कल्याण समिति	_ के आदेशों के अनुसार	
(ii) जब तक यह बालक मेरी देखरेख में रहेगा, तब तक मैं उसके कल्याण एवं शिक्षा के लिए यथासंभव सर्वोत्तम प्रयास करूंगा और उसकी समुचित देखरेख की व्यवस्था करूंगा। (iii) उसके बीमार होने पर निकटवर्ती अस्पताल में उसकी समुचित चिकित्सा कराई जाएगी। (iv) मैं यह वचन देता हूँ कि जब कभी अपेक्षा की जाएगी मैं उक्त बालक / बालिका को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ। (दिनांक) ————————————————————————————————————	(बालक का नाम)	आयु	की देखरेख का दारि	पेत्व संभालने का इच्छुक हूँ :	
सर्वोत्तम प्रयास करूंगा और उसकी समुचित देखरेख की व्यवस्था करूंगा। (iii) उसके बीमार होने पर निकटवर्ती अस्पताल में उसकी समुचित चिकित्सा कराई जाएगी। (iv) मैं यह वचन देता हूँ कि जब कभी अपेक्षा की जाएगी मैं उक्त बालक / बालिका को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ। ———————————————————————————————————	(i)	यदि उसका आचरण	असंतोषजनक हुआ तो मैं त	ात्काल समिति को सूचित करूंग	ТІ
(iii) उसके बीमार होने पर निकटवर्ती अस्पताल में उसकी समुचित चिकित्सा कराई जाएगी। (iv) मैं यह वचन देता हूँ कि जब कभी अपेक्षा की जाएगी मैं उक्त बालक / बालिका को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ। (दिनांक) (माह) 20 (वर्ष)	(ii)	जब तक यह बालक	मेरी देखरेख में रहेगा, तब	तक मैं उसके कल्याण एवं शिक्ष	ा के लिए यथासंभव
(iv) मैं यह वचन देता हूँ कि जब कभी अपेक्षा की जाएगी मैं उक्त बालक / बालिका को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ। (दिनांक) (माह) 20 (वर्ष)		सर्वोत्तम प्रयास करूं	गा और उसकी समुचित देख	रेख की व्यवस्था करूंगा।	
के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ। (दिनांक) (माह) 20 (वर्ष)	(iii)	उसके बीमार होने प	र निकटवर्ती अस्पताल में उर	सकी समुचित चिकित्सा कराई ज	गएगी ।
(दिनांक) (माह) 20 (वर्ष) हस्ताक्षर	(iv)	मैं यह वचन देता हूँ	कि जब कभी अपेक्षा की ज	ाएगी मैं उक्त बालक/बालिका व	को सक्षम प्राधिकारी
हस्ताक्ष र		के समक्ष प्रस्तुत कर	ने का वचन देता हूँ।		
हस्ताक्ष र					
		— (दिनांक) ———	(माह) 20	(वर्ष)	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				हस्ताक्षर

गवाह (गवाहों) के हस्ताक्षर और पता

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए) अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति

प्रपत्र–X

[नियम 27 (19)]

जांच के लंबित रहने के दौरान अल्पकाल के लिए रखे जाने का आदेश

बालक का नाम	:
लिंग	;
आयु	:
पिता का नाम	;
माता का नाम	:
पता	:
संगठन / संस्था द्वारा प्राप्त किए जाने	
की तारीख	:
प्रस्तुत करने वाला	:
इस आदेश द्वारा आपको यह प्राधिव	कार व निर्देश दिया जाता है कि आप उक्त बालक को अपने प्रभाराधीन
स्वीकार करें और उसे किशोर न्याय (बालकों	की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 33 (1) के अधीन
आश्रय गृह / बाल गृह में रखें।	

अगली तारीख:

(हस्ताक्षर) अध्यक्ष / सदस्य बाल कल्याण समिति

प्रपत्र–XI

[नियम 27 का उप—नियम (20)]

किसी संस्था को बालक सुपुर्द किए जाने का आदेश

प्रभारा	अधिक	ारा

चुँकि	(दिनांक)	(माह) 20	(वर्ष) को किशोर न्याय
(बालकों की देखरेख	और संरक्षण) अधिनियम, 2000 व	की धारा 33 (4) के अधी	ान देखरेख व संरक्षण में रह रहे
	(बालक का नाम), पुत्र/पुत्री	3	गयु निवासी
	को अवधि	के लिए बाल गृह/आश्रय	गृह में
रखे जाने का आदेश	बाल कल्याण समिति द्वारा दिया गय	ा है।	
एतद्द्वारा अ	गापको यह प्राधिकार दिया जाता है व	तथा आपसे यह अपेक्षा की	जाती है कि आप उपर्युक्त आदेश
के विधिवत कार्यान्व	यन हेतु उक्त बालक को अपने	प्रभाराधीन स्वीकार करें	और उसे बाल गृह/आश्रय गृह
	में रखें।		
मेरे हस्ताक्षर	एवं बाल कल्याण समिति की मुहर	से दिया गया।	
	(दिनांक)	_(माह) 20	(वर्ष)
			(हस्ताक्षर)
			अध्यक्ष / सदस्य
			बाल कल्याण समिति

अनुलग्नक :

आदेशों की प्रतियां, गृह और पूर्व रिकॉर्ड की विशिष्टियां, मामले का इतिवृत्त तथा व्यक्तिगत देखरेख योजना, जो भी लागू हो ।

प्रपत्र-XII

[नियम 28 (1)]

जाँच आदेश

सेवा में,

बाल कल्याण अधिकारी / स्वैच्छिक संगठन का प्रभारी व्यक्ति / सामाजिक कार्यकर्ता / मामला

विशिष्ट कार्यकर्त्ता

चूंकि र्	केशोर न्याय (बालकों	की देखरेख	और संरक्षण)	अधिनियम, 2	2000 की	धारा
के	उ अधीन इस समिति के	समक्ष प्रस्तुत कि	ए गए	(बालक का	नाम),
आयु (लगभग)	वर्ष, पुत्र / ए	पुत्री	, निव	ासी		_ के
संबंध में	से किशोर न्याय	(बालकों की दे	खरेख और संरक्ष	ाण) अधिनियम,	2000 की	धारा
के अ	धीन रिपोर्ट प्राप्त हुई है।					
इसलिए आपको प	एतद्द्वारा यह निदेश दिर	ग जाता है कि	आप उक्त बालव	o की सामाजिब	_ह एवं पारिक	ग्रारिक
पृष्ठभूमि की जाँच करके उ	भ्रपनी जाँच रिपोर्ट		_ को या उससे	पहले अथवा	इस समिति	द्वारा
अनुज्ञेय समय सीमा के भीत	र प्रस्तुत करें।					
आपको एतद्द्वारा	यह निदेश दिया जाता	है कि आप, यदि	आवश्यक हो तो	, बाल मनोविज्ञ	ान, मनोचिर्व	केत्सा
उपचार या परामर्श के किसी	ो विशेषज्ञ से परामर्श कर	उनकी राय जाने	तथा अपनी जाँच	व रिपोर्ट के सा	थ ऐसी रिपो	ार्ट भी
प्रस्तुत करें।						
आपको एतद्द्वारा	निदेश दिया जाता है कि	जाप उक्त किशं	ोर के चरित्र एवं	सामाजिक पूर्वव	वृत्त की जाँच	ग्र करें
और अपनी सामाजिक अन्वे	षण रिपोर्ट तारीख		_ को या उससे	पहले अथवा बं	ोर्ड / समिति	द्वारा
अनुज्ञेय समय सीमा के भीत	र प्रस्तुत करें।					
(fa	देनांक)	(माह) 20		(वर्ष)		

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष / सदस्य

बाल कल्याण समिति

मुहर :

учя–XIII

[नियम 28 (3); 33 (3) (ज) (ii); और 33(4) (च): 80 (1) (क) और (2)] जांच—रिपोर्ट का प्रपत्र

क्रम संख्या	
बाल कल्याण समिति (पता) के समक्ष प्रस्	नुत ।
मामला संख्या	
संबद्ध सरकारी विभाग / स्वैच्छिक संगठन	
देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक की कोटि :	
नाम	धर्म :
पिता का नाम	जाति :
स्थायी पता	जन्म का वर्ष :
अंतिम निवास का पता :	आयु :
	लिंगः

पिछली संस्थागत / मामले का इतिवृत्त और व्यक्तिगत देखरेख योजना, यदि कोई हो

<u>परिवार</u>

परिवार के सदस्य	नाम	आयु	स्वास्थ्य	शिक्षा	व्यवसाय	मासिक आय	विकलांगता	अन्य कोई ब्यौरा यथा सामाजिक आदतें
पिता								
सौतेला पिता								
माता								
सौतेली माता								
सहोदर भाई-बहन								
अन्य कोई विधिक संरक्षक / नातेदार								

यदि विवाहित हो तो सुसगत विशिष्टिया	
	_ अन्य इच्छुक
नजदीकी रिश्तेदार या एजेंसी	
धर्म तथा गृह की सामान्य एवं नैतिक संहिता इत्यादि के प्रति दृष्टिकोण	
सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति	
परिवार के सदस्यों का अपचारिता रिकॉर्ड	
मौजूदा जीवन दशा	
माता—पिता / माता—पिता एवं बालकों, विशेषकर उक्त बालक के साथ संबंध	_
अन्य कोई महत्त्वपूर्ण कारक, यदि कोई हो,	

बच्चे का पूर्ववृत्त

मानसिक स्थिति
(मौजूदा एवं विगत)
शारीरिक स्थिति
(मौजूदा एवं विगत)
आदतें एवं रूचियां
(नैतिक, मनोरंजनात्मक इत्यादि)
चरित्र एवं व्यक्तित्व की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं
साथी एवं उनके प्रभाव
बिना अनुमति के गृह से बाहर रहने का मामला, यदि कोई हो
विद्यालय (विद्यालय, अध्यापकों, सहपाठियों के प्रति बालक का और उसके प्रति उनका दृष्टिकोण)
कामकाज का रिकॉर्ड (किए गए कार्य, छोड़ने के कारण, व्यवसाय संबंधी अभिरूचि, कार्य अथवा नियोक्ताओं के प्रति दृष्टिकोण)
पास–पड़ोस एवं पड़ोसियों से प्राप्त रिपोर्ट
घर में अनुशासन बनाए रखने के प्रति माता—पिता का दृष्टिकोण और बालक की प्रतिक्रिया
कोई अन्य अभ्यक्ति

जाँच के परिणाम

भावनात्मक कारक :
भौतिक परिस्थितियां :
बौद्धिक क्षमता :
सामाजिक एवं आर्थिक कारक :
धार्मिक कारक :
बालक के देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद होने के कारण :
परामर्शित विशेषज्ञों की राय :
बालक को प्रदान की जाने वाली मनोवैज्ञानिक सहायता, पुनर्वास और पुनर्समेकन सेवाओं के संबंध में बाल
कल्याण अधिकारी / मामला विशिष्ट कार्यकर्ता / सामाजिक कार्यकर्त्ता की सिफारिश तथा सुझाई गई योजना।

बाल कल्याण अधिकारी / मामला विशिष्ट कार्यकर्त्ता / सामाजिक कार्यकर्त्ता का हस्ताक्षर

प्रपत्र-XIV

[नियम 33 (3) (घ)] बालक को कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण घोषित करने संबंधी आदेश

1.	किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा की उपधारा
	तथा इस नियमावली के नियम के उप—नियम के अधीन
	गठित बाल कल्याण समिति में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, बाल
	कल्याण समिति के (दिनांक) के आदेश के
	द्वारा विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (नाम व पता) की अभिरक्षा
	में रखे गए (दिनांक) को जन्मे अवयस्क को आगे दिए गए ब्यौरे के
	आधार पर दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से योग्य घोषित किया गया हैः
	(क) बाल कल्याण अधिकारी / सामाजिक कार्यकर्ता / मामला विशिष्ट कार्यकर्ता द्वारा की गई जाँच / पारिवारिक
	पृष्ठभूमि का अध्ययन
	(ख) माता—पिता द्वारा निष्पादित अभ्यर्पण के दस्तावेज और इस नियमावली के नियम—21 के उपनियम—12 (ड.)
	और (ग) के अधीन समितियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित अभ्यर्पण विलेख
	(ग) इस नियमावली के नियम—21 के उपनियम—11 (छ) (iii) के अधीन विशेष दत्तक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत घोषणा।
2.	(विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी का नाम) किशोर न्याय
	(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 तथा तत्संबंधी नियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करेगा
	और इस अवयस्क के संबंध में समिति एवं राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा यथापेक्षित दत्तक
	ग्रहण डिक्री / संरक्षकता आदेश की प्रति प्रस्तुत करेगा।
	अध्यक्ष / सदस्य
	बाल कल्याण समिति
दिन	नांक :
स्थ	ान :

विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा संपन्न किए जाने के लिए।

(i) मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अध्याय—III एवं IV तथा तद्धीन नियमों को पढ़ एवं समझ लिया है और मैं उक्त अवयस्क का दत्तक ग्रहण कराते समय इन उपबंधों से आबद्ध होने/पालन करने के लिए सहमत हूँ।

(ii) मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि मेरे द्वारा दिनांक ______ को प्रस्तुत घोषणा में उल्लिखित ब्यौरा सत्य एवं सही है। यदि वे असत्य अथवा गलत पाए जाते हैं तो समिति को यह अधिकार है कि वह ______ (अवयस्क का नाम) के रिहाई आदेश को निलंबित कर उक्त अवयस्क को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने को कहे।

बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता

दिनांकः

स्थानः

प्रपत्र—XV [नियम 33 (4) (ग)] अभ्यर्पण विलेख

में	पुत्र अथवा पुत्री	
निवासी	सामाजि	ाक कारणों
से / एकल / बी	वर्ष के अपने बालव्य	p (नाम, यदि
कोई हो)	की देखभाल करने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे	बाल कल्याण
अधिकारी / सा	ामाजिक कार्यकर्ता (नाम) तथा बाल कल्याण समिति	
	द्वारा मेरे बच्चे के अभ्यर्पण के परिणामों के बारे में बताया गया है। इन सभी तथ्यों	को पूरी तरह
जानते हुए, मै	मैं आज, दिनांक को समिति के समक्ष अपने बच्चे को	अभ्यर्पित कर
रहा / रही हूँ। उक्त तिथि से दो माह के भीतर यदि मैं अपने बच्चे को वापस लेने के अपने निर्णय का पुनरीक्षण नहीं		
करता / करती हूँ तथा इसके लिए उक्त समिति से संपर्क नहीं करता / करती हूँ, तो समिति मेरे बच्चे को दत्तक ग्रहण		
हेतु वैध होने की घोषणा करेगी तथा आगे मेरा अपने बच्चे पर कोई दावा नहीं होगा।		
माता-पिता / संरक्षक का हस्ताक्षर		
दिनांक		
मैंने	बाल कल्याण अधिकारी / सामाजिक कार्यकर	र्गा ने दिनांक
	को संबंधित माता–पिता / संरक्षक को बच्चे के अभ्यर्पण की प्रक्रिया तथा	परिणामों से
अवगत करा वि	दिया है।	
बाल कल्याण	अधिकारी / सामाजिक कार्यकर्ता का हस्ताक्षर	

बाल कल्याण अधिकारी / सामाजिक कार्यकर्ता का हस्ताक्षर दिनांक

> (मेरे समक्ष हस्ताक्षरित) अध्यक्ष / सदस्य, बाल कल्याण समिति

учя-XVI

[नियम 35 (3)]

(क) पालन-पोषण करने वाले देखभालकर्ता का मूल्यांकन

1. एजेंसी का ब्यौरा

एजेंसी का नाम

पता

टेलीफोन नं0

फैक्स

ई-मेल

सामाजिक कार्यकता का नाम

टेलीफोन नं0

तारीख _____ (प्रपत्र भरने की)

2. आवेदक का ब्यौरा

उपनाम

पूरा नाम

जन्म तिथि

धर्म

घर पर बोली जाने वाली भाषा/भाषाएँ

व्यवसाय

कार्य की प्रकृति

कार्य के घण्टे

पता

टेलीफोन नं0

3. पसन्द किए गए बालक का ब्यौरा

देखभालकर्ता किस प्रकार के बालक के पालन—पोषण पर विचार करेगा। (देखभालकर्ता के साथ पूर्ण विचार—विमर्श के पश्चात् भरा जाए)

आयु वर्ग 2 वर्ष से कम आयु 3-6 वर्ष 7-12 वर्ष 13-15 वर्ष 16-18 वर्ष

कम सं0 स्थापना का प्रकार

अवधि

- (i) दत्तक ग्रहण-पूर्व
- (ii) आपातकालीन
- (iii) अल्प-अवधि
- (iv) मूल्यांकन
- (v) दीर्घ-अवधि

आवेदक किस बालक की देखभाल कर सकता है (कृपया चिन्हित करें)

वह बालक जोः

- (i) उपेक्षित है
- (ii) अनाथ है
- (iii) शारीरिक रूप से नि:शक्त है
- (iv) मानसिक रूप से नि:शक्त है
- (v) बधिर है
- (vi) मूक है
- (vii) विशेष शिक्षा का जरूरतमंद है
- (viii) सीखने में कठिनाई है
- (ix) शारीरिक रूप से उत्पीड़ित है
- (x) यौन उत्पीडन का शिकार है
- (xi) जो आसानी से दूसरों से संबंध स्थापित नहीं करता
- (xii) जिसे नियंत्रण की जरूरत है/जो प्राधिकारी की अवज्ञा कर सकता है।
- (xiii) बलात्कार / कौटुंबिक व्याभिचार से उत्पन्न बालक
- (xiv) जिसके माता-पिता रोग से पीडित हैं
- (xv) जिसके माता-पिता एच0आई0वी0 पॉजिटिव के शिकार हैं
- (xvi) जिसके माता-पिता एड्स रोग के रोगी है
- (xvii) जिसके माता-पिता शराबी हैं
- (xviii) नशीली दवाओं के आदी हैं
- (xix) कारागार में हैं
- (xx) त्यागे हुए बच्चे
- (xxi) दूसरी जाति के हैं
- (xxii) भिन्न धर्म के हैं

4. परिवार की संक्षिप्त रूपरेखा

नाम	लिंग	लगभग आयु	व्यवसाय	शिक्षा	आवेदक से संबंध

(व्यक्तित्व, पारिवारिक जीवन, अनुभव आदि का ब्यौरा दें। परिवार के ऐसे विशिष्ट गुणों को भी उजागर करें, जो बालक की आवश्यकताओं से मेल खाते हों। ब्यौरे ऐसे होने चाहिए जिससे विनिर्दिष्ट बालक के साथ संभावित मिलान कर प्रारंभिक पहचान करने में सहूलियत हो)

आवास (घर)

प्रकार, आकार, अपना / किराए का स्थान, सुविधाओं आदि का ब्यौरा पास-पड़ोस संरचना, सुख-सुविधाएँ, सार्वजनिक यातायात के साधन आदि का ब्यौरा

5. आवेदक की पहचान का सत्यापन

निवास स्थान

निवास की अवधि

राष्ट्रीयता

वैवाहिक स्थिति

(विवाह की तारीख / विवाह हुए कितने वर्ष हो चुके हैं)

क्या आवेदक में से कोई पूर्व में विवाह किया है? ब्यौरा दें

यदि पूर्व के विवाह से बच्चे हैं तो उनका ब्यौरा;

देखे गए दस्तावेज तथा उन्हें देखने की तारीख विनिर्दिष्ट करें;

6. आजीविका का इतिवृत्त

शिक्षा, रोजगार, स्वैच्छिक कार्य, अंशकालीन कार्य, अवकाश क्रियाकलाप का ब्यौरा

7. एजेंसी की जाँच :

चिकित्सा जांच

पुलिस जाँच

नियोक्ता

8. व्यक्तिगत संदर्भ (दो व्यक्तियों से)

दो संदर्भ व्यक्तियों के साक्षात्कार के पश्चात् यह खण्ड भरा जाए और इन साक्षात्कारों से प्राप्त सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल होनी चाहिए :

- कितने समय से जानते हैं
- आवेदक से संबंध
- _____ में संलग्न कार्यों को निष्पादित करने की आवेदक की योग्यता का साक्ष्य दें

बालकों की देखरेख

सुरक्षित एवं देखरेख वाला वातावरण प्रदान करना

पडोसी के रूप में आवेदक

अभिरूचि, प्रतिभा, व्यक्तित्व

• सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा इन संदर्भों का मूल्यांकन

(ख) पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की रिपोर्ट

उपर्युक्त प्रपत्र में एकत्रित सूचना के आधार पर विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज अति महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पालन—पोषण देखरेखकर्ता(ओं) की पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन की रिपोर्ट में व्यापक रूप से निम्नलिखित सूचना शामिल होनी चाहिए :

- सामाजिक स्थिति तथा पारिवारिक पृष्टभूमि
- घर का विवरण
- जीवन स्तर, जैसा कि घर में हो
- घर के सदस्यों के बीच वर्तमान में संबंध
- पहले से घर में मौजूद बालकों के विकास की स्थिति
- रोजगार तथा आर्थिक स्थिति
- स्वास्थ्य का ब्यौरा

- आस—पड़ोस में उपलब्ध शिक्षा, चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षणों की सुविधाओं का ब्यौरा
- पालन—पोषण देखभाल हेत् किसी बालक को चाहने के कारण
- दादा–दादी तथा अन्य संबंधियों का दृष्टिकोण
- पोष्य बालक के लिए प्रत्याशित योजना
- पालन—पोषण देखरेखकर्त्ता(ओं) की विधिक स्थिति
- प्रशिक्षण लेने की रजामंदी

(ग) आवेदक (आवेदकों) का ब्यौरा

1. पृष्टभमि

माता—पिता तथा सहोदर भाई—बहनों के ब्यौरे के साथ पारिवारिक संरचना, परिवार के अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण ब्यौरा, बचपन से संबंधित अनुभव आदि

2. संबंध

यदि दम्पति है—तो वैवाहिक जीवन की अवधि, सहभागिता रखने में प्रत्येक आवेदक की क्या—क्या गुणवत्ताएँ हैं, कौन सी बात एक—दूसरे के लिए सकारात्मक संबंध बनाता है? संबंध बनाए रखने में आवेदक समस्याओं/तनाव/क्रोध का सामना किस प्रकार करता है? आवेदक किस तरह एक—दूसरे की सहायता करते हैं? पालन—पोषण के लिए दिए जाने पर उनका संबंध किस प्रकार प्रभावित होगा, इस बारे में प्रत्येक आवेदक का मूल्यांकन क्या है?

3. विनिश्चय करनाः

इस संबंध में किस तरह से निर्णय लिया जाता है तथा हरेक आवेदक का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है? क्या दम्पत्ति के निर्णय लने की प्रक्रिया में परिवार की व्यापक भागीदारी होती है? यदि हां, तो यह दिए जाने वाले बालक को किस तरह से प्रभावित करेगा?

इस भागीदारी की मजबूती और कमजोरियाँ क्या हैं?

- बच्चे
- बच्चे और उनके माता-पिता के बीच संबंध
- किसी सहोदर भाई—बहन के पालन—पोषण स्थापन हेतु बच्चों के दृष्टिकोण एवं तत्परता, प्रत्येक बालक और उनके स्वभाव, किसी विशेष प्रतिभा एवं आवश्यकता का वर्णन करें, बालक इस तैयारी आदि में कैसे शामिल किए गए।

4. आवेदकों की सहायता का नेटवर्क :

आवेदकों द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त समर्थन प्रणालियों का एक सामान्य ब्यौरा दें, जिसमें स्थल के ब्यौरे सहित परिवार, मित्रों, पड़ोंसियों, धार्मिक क्रियाकलापों, सामुदायिक समूहों आदि का विस्तृत ब्यौरा हो।

5. परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य :

घर में अथवा घर से बाहर रहने वाले हों। आवेदकों के साथ उनका संबंध, वे कितना समय घर में व्यतीत करते हैं, प्रस्तावित स्थापन के बारे में उनका दृष्टिकोण, स्थापन के लिए उनकी स्वीकारोक्ति आवेदक हेतु कितनी महत्वपूर्ण है?

6. परिवार की जीवन शैली का वर्णन

परिवार किसे महत्वपूर्ण समझता है, उदाहरणार्थ धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवहार कितने महत्वपूर्ण हैं, रूपरेखा दें। परिवार में किस तरह की अनुरक्ति है? सदस्य कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं? व्यक्तिगत स्थान के बारे में परिवार के सदस्यों की क्या अपेक्षाएँ हैं? शिक्षा / शौक तथा अवकाश क्रियाकलाप पर पूरे परिवार की सहमित को कितना महत्व दिया जाता है?

7. पालन-पोषण की क्षमताएँ :

आवेदकों का बालकों की देखभाल एवं उनके साथ कार्य करने संबंधी अनुभव। माता—पिता के साथ उनके सामंजस्य का वर्णन करें। बच्चों का विकास कैसे होता है इस बारे में उनकी समझ क्या है?

बचपन के अपने अनुभवों का प्रयोग करते हुए वे पालन—पोषण का कौन सा पैटर्न दोहराएंगे तथा वे क्या परिवर्तन करेंगे? व्यक्ति विशेष बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने खुद के पालन—पोषण शक्तियों /क्षमताओं के बारे में तथा पालन—पोषण की अपनी कुशलता के बारे में उनकी क्या समझ है। वे अपने बच्चों / दिए गए बच्चों के पालन पोषण में परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग की कितनी अपेक्षा करते हैं?

वे किस तरह से सुनिश्चित करेंगे कि कोई बालक उनके परिवार में तथा और अधिक व्यापक सहायता नेटवर्कों के भीतर शारीरिक यौन उत्पीड़न से सुरक्षित रहेगा?

8. अस्वीकार्य व्यवहार को संभाालना :

घर में क्या नियम हैं? आवेदक कैसे अनुमोदन / अननुमोदन दर्शाते हैं? वे कौन—कौन से अनुशासनात्मक उपाय करते हैं? दण्ड के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है? उनके लिए, उनके बच्चों के लिए तथा उनके सहायता नेटवर्क के लिए कौन—कौन से मुद्दे और किठनाईयाँ होगी होंगी इसके संबंध में उनका अनुमान क्या है? वे बालकों के लिए भावी मुद्दों एवं किठनाइयों का क्या पूर्वानुमान लगाते हैं? वे अपनी जीवन शैली में क्या—क्या परिवर्तन करने का पूर्वानुमान लगाते हैं?

9. समाजिक कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन :

प्रपत्र के माध्यम से एकत्रित समस्त सूचना तथा पालन—पोषण कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आवेदक की क्षमता के बारे में इसकी महता का इसमें विश्लेषण होना चाहिए :

(बालकों से संबंधित तथा बालकों के साथ कार्य करने के संबंध में आवेदकों की कुशलता आवेदक एजेंसी तथा जन्म देने वाले माता—पिताओं के साथ कितनी अच्छी तरह से कार्य करेंगे? आवेदकों के सामर्थ्य तथा संसाधन क्या हैं तथा वो कौन सा क्षेत्र है जहां उन्हें कठिनाई महसूस हो सकती हैं? सामाजिक कार्यकर्ता और आवेदकों के बीच असहमित का बिन्दु को भी यहां अभिलिखित किया जाना चाहिए)

10. बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता की सिफारिशें

(हस्ताक्षर)

учя–XVII

	ा- गलन–पोषण संबंधी	ायम ३४ (१)] - चेन्स्यान्य स्थाप		भानेका				
श्री								. अथवा
सुश्री			का	पुत्र/पु	त्री	(नाम	एवं	पता)
	जिसकी	आयु लगभग _				है, को	किसी	परिवार
की देखरेख तथा संरक्षण की उ	नरूरत है।							
	(पता) संगठन के बा	ाल कल्याण अधि	कारी /	⁄ सामाजि	क क	ार्यकर्ता	सुश्री /	श्री
की गृह अध्य	ायन रिपोर्ट के आध	ग्रार पर श्री			और	श्रीमती		
या सुश्री	निवासी						(पृ	ूरा पता
और सम्पर्क सं0) को पालन पो	षण संबंधी देखभात	त स्थापन के लि	ए उप	युक्त व्या	क्ते घ	प्रोषित वि	केया ज	ाता है।
उपर्युक्त	(नाम तथ	ा सम्पर्क सं0) बात	न कल्य	पाण अधिव	कारी /	⁄ सामाजि	क कार्य	कर्ता की
देखरेख में		(दिनों / मासों)	की	अवधि	के	लिए	बालक	(नाम)
	का पालन-पोषण व	देखभाल गृह में स्थ	गपन वि	केया जात	ा है।			

अध्यक्ष / सदस्य

बाल कल्याण समिति

प्रपत्र–XVIII

[नियम ४३ (५)] प्रायोजक के स्थापन का आदेश

प्रायोजक के स्थापन का आदेश
श्री तथा श्रीमती अथवा
सुश्री का / की पुत्र अथवा पुत्री किशोर / बालक
(नाम एवं पता) जिसकी आयु लगभग है, को राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तत्काल
देखभाल और सरक्षण के जरूरतमंद जोखिम में रह रहे किशोर/बालक के रूप में चिन्हित किया गया है। राज्य/जिला
बाल संरक्षण इकाई/बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के आधार पर यह
सिद्ध हुआ है कि उक्त किशोर/बालक को शिक्षा/स्वास्थ्य/पोषण/अन्य विकासात्मक जरूरतों
(कृपया विनिर्दिष्ट करें) हेतु प्रायोजक सहायता की जरूरत है। उक्त किशोर/बालक
को अवधि (दिवस/मासों) के लिए रूपये प्रतिमाह और एक बार की प्रायोजक सहायता के रूप
में तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए (रुपये) निर्मुक्त करने के लिए
राज्य / जिला बाल संरक्षण इकाई को एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
राज्य / जिला बाल संरक्षण इकाई को यह निदेश भी दिया जाता है कि प्रायोजक सहायता तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु
निबंधन एवं शर्तें स्पष्टतः विनिर्धारित करें।
मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड / अध्यक्ष / सदस्य, बाल कल्याण समिति।

प्रतिः

राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई/राज्य सरकार का संबंधित विभाग

प्रपत्र–XIX

[नियम 44 (4)] उत्तररक्षा स्थापन का आदेश

किशोर / बालक (नाम)	पुत्र अथवा पुत्री	तारीख
को 18 वर्ष की आयु का हो गया है/होने जा रहा है	। उसे पुनर्वास	तथा
पुनःएकीकरण के प्रयोजनार्थ अभी भी देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत है। उसे पश्चात	वर्ती देख—रेख वे	३ लिए
(संगठन का नाम) में रखा जाता है। संगठन के प्रभारी को निव	देश दिया जाता है वि	के वह
बालक को स्वीकार करे तथा उसे पुनर्वास और सही अर्थों में उसके पुनः एकीकरण के लिए	र सभी संभव अवसर	प्रदान
करे। इस व्यक्ति को अधिकतम 21 वर्ष की आयु होने तक ही अथवा समाज की मुख्यधारा	से पुनः जुड़ने तक,	जो भी
पहले, हो, ये सभी अवसर प्रदान किए जाएंगे। संगठन का प्रभारी, बाल कल्याण समिति को	। बालक / युवक की	स्थिति
पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजेगा।		
राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को एतदद्वारा निदेश दिया जाता है कि	_ (दिन / मास) अर्वा	धे तक
उक्त किशोर/बालक की पश्चातवर्ती देख—रेख की व्यवस्था का प्रबंध करने के लिए आवश	यक अनुवर्ती कार्रवाई	िकरें।
राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई को यह भी निदेश दिया जाता है कि पश्चातवर्ती देख—	रेख कार्यक्रम तथा ः	अनुवर्ती
कार्रवाई करने के लिए निबंधनों और शर्तों का स्पष्टतः विनिर्धारण करें।		

मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति।

प्रतिः राज्य या जिला बाल संरक्षण इकाई / राज्य सरकार का संबद्ध विभाग

प्रपत्र—XX [नियम 57 (8), 61 (1) (न)]

		के जरूरतमंद बालकों के इतिवृत्त का प्रपत्र	
	ला / प्रोफाइल सं		
	ख एवं समय		
(क)	व्यक्तिगत आंकड़े		
1. 2. 3.	नाम पुरूष / महिला (उचित कोटि पर सही का वि (क) भर्ती के समय आयु (ख) वर्तमान आयु	निशान लगाएं)	
4.	कोटि		
–पर्ा	रेवार से अलग किया गया		
_ T	रित्यक्त / अभित्यक्त		
- 7	उत्पीड़न और हिंसा (ब्यौरा दें) का शिकार		
— £	गग हुआ		
— ব	गेई अन्य		
5.	धर्म	हिन्दू (अन्य जाति/पिछड़ी जाति/अनु० जाति/अ	नु० जनजाति)
		मुस्लिम / इसाई / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
6.	निवास अवस्थिति	शहरी / अर्द्धशहरी / ग्रामीण / मलिन बस्ती /	
		औद्योगिक क्षेत्र / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
7.	मूल जिला और राज्य		
8.	आवास का विवरणः		
	(i) पक्का भवन/खपरैल का मकान/		
	झोपड़ी / गली में / अन्य (कृपया विनिवि	ईष्ट करें)	
	(ii) तीन शयनकक्ष का / दो शयनकक्ष का /	/एक शयनकक्ष का/	
	कोई पृथक शयन कक्ष नहीं		
	(iii) अपना / किराए का		
9.	बाल कल्याण समिति के समक्ष किशोर किर	प्तके द्वारा लाया गयाः	
	(i) पुलिस-स्थानीय पुलिस/विशेष किशो	ोर पुलिस इकाई/रेलवे पुलिस/महिला पुलिस	
	(ii) परिवीक्षा अधिकारी		
	(iii) समाज कल्याण संगठन		
	(iv) सामाजिक कार्यकर्ता		
	(v) माता-पिता / संरक्षक (संरक्षकों) (कृपर	या संबंध विनिर्दिष्ट करें)	
	(vi) बालक / बालिका स्वयं		

- 10. परिवार छोडने के कारणः
 - (i) माता-पिता / अभिभावक (कों) / सौतेले माता-पिता द्वारा दुर्व्यवहार
 - (ii) रोजगार की खोज में
 - (iii) मित्र मंडली का प्रभाव
 - (iv) माता-पिता की असमर्थता
 - (v) माता-पिता का आपराधिक व्यवहार
 - (vi) माता-पिता का अलगाव
 - (vii) माता-पिता का अलगाव
 - (viii) गरीबी
 - (ix) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- 11. बालक के प्रति किए गए दुरूपयोग के प्रकारः
 - (i) मौखिक दुरूपयोग-माता-पिता / सहोदर भाई या बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 - (ii) शारीरिक दुरूपयोग
 - (iii) यौन दुराचार-माता-पिता / सहोदर भाई-बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 - (iv) अन्य–माता–पिता / सहोदर भाई–बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- 12. बालक के प्रति किए गए बुरा-बर्ताव के प्रकारः
 - (i) भोजन न देना-माता-पिता / सहोदर भाई-बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 - (ii) निर्दयतापूर्वक पीटा जाना— माता—पिता / सहोदर भाई—बहन / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 - (iii) चोट पहुंचाना-माता-पिता / सहोदर भाई-बहन / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
 - (iv) अन्य- माता-पिता / सहोदर भाई-बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- 13. बालक द्वारा झेला गया शोषणः
 - (i) बिना वेतन दिए काम कराना
 - (ii) अल्प (निम्न) मजदूरी देकर अधिक समय तक काम लेना
 - (iii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- 14. प्रवेश होने से पूर्व बालक के स्वास्थ्य की स्थितिः
 - (i) श्वसन संबंधी व्यतिक्रम— विद्यमान/अज्ञात/अविद्यमान
 - (ii) बहरापन– विद्यमान/अज्ञात/अविद्यमान
 - (iii) नेत्र रोग- विद्यमान/अज्ञात/अविद्यमान
 - (iv) दन्त रोग- विद्यमान/अज्ञात/अविद्यमान

 - (vi) चर्म रोग- विद्यमान/अज्ञात/अविद्यमान
 - (vii) यौन संक्रमित रोग- विद्यमान/अज्ञात/अविद्यमान

- (viii) तंत्रिका संबंधी रोग- विद्यमान/अज्ञात/अविद्यमान
- (ix) मानसिक विकलांगता- विद्यमान/अज्ञात/अविद्यमान
- (x) शारीरिक विकलांगता- विद्यमान/अज्ञात/अविद्यमान
- (xi) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)— विद्यमान/अज्ञात/अविद्यमान
- 15. भर्ती होने से पूर्व बालक किसके साथ रहता थाः
 - (क) माता-पिता-माता / पिता / दोनों
 - (ख) अभिभावक-नातेदार
 - (ग) मित्र
 - (घ) बेसहारा (गलियों में)
 - (ङ) रात्रिकालीन आश्रय गृह
 - (च) अनाथालय / होस्टल / इसी तरह के अन्य गृह
 - (छ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- 16. बालक से मिलने हेतु माता-पिता का आगमनः
 - (क) संस्थागत किए जाने के पूर्व— बार—बार / यदा—कदा / विरले / कभी नहीं
 - (ख) संस्थागत किए जाने के बाद बार-बार / यदा-कदा / विरले / कभी नहीं
- 17. बालक का अपने परिवार में जाना :
 - (i) संस्थागत किए जाने के पूर्व— बार—बार/यदा—कदा/विरले/त्योहारों पर/गर्मी की छुट्टियों में/बीमार होने पर/कभी नहीं
- (ii) संस्थागत किए जाने के बाद— बार—बार/यदा—कदा/विरले/त्योहारों पर/गर्मी की छुट्टियों में/बीमार होने पर/कभी नहीं 18. माता—पिता के साथ पत्र व्यवहार :
 - (i) संस्थागत किए जाने के पूर्व— बार—बार / यदा—कदा / विरले / त्योहारों पर / गर्मी की छुट्टियों में / बीमार होने पर / कभी नहीं
 - (ii) संस्थागत किए जाने के बाद— बार—बार/यदा—कदा/विरले/त्योहारों पर/गर्मी की छुट्टियों में/बीमार होने पर/कभी नहीं

(ख) बचपन का इतिवृत्त (12 वर्ष की आयु तक)

- 19. गर्भावस्था के दौरान मां का भोजन :
 - (क) पौष्टिक भोजन लिया गया
 - (ख) सामान्य भोजन
 - (ग) अपर्याप्त भोजन
- 20. गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य :
 - (क) मॉ संक्रामक रोग से संक्रमित हुई
 - (ख) मां द्वारा गर्भ निरोधकों का सेवन / प्रयोग किया गया
 - (ग) एंटीबायटिक (प्रतिजैविक) दवाओं का सेवन
 - (घ) ऐसा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं
- 21. जन्म से संबंधित ब्यौरा :
 - (क) सामान्य प्रसव / दीर्घकालीन प्रसव / शल्य क्रिया द्वारा प्रसव
 - (ख) कम वजन / सामान्य वजन / अधिक वजन
- 22. प्रतिरक्षण संबंधी ब्यौरा :
- 23. निःशक्तता संबंधी ब्यौरा :
 - (i) बहरापन जन्मजात / दुर्घटना / बीमारी के बाद
 - (ii) गूंगापन जन्मजात / दुर्घटना / बीमारी के बाद
 - (iii) शरीरिक नि:शक्तता जन्मजात / दुर्घटना / बीमारी के बाद
 - (iv) मानसिक निःशक्तता जन्मजात / दुर्घटना / बीमारी के बाद
 - (v) अन्य निःशक्तता (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ग) परिवार का ब्यौरा :

24. घरेलू संरचना :

क्र0सं0	नाम व संबंध	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय
1	2	3	4	5	6	7

स्वास्थ्य	मानसिक रूग्णता का	नि:शक्तता	आदत	समाजीकरण
	पूर्ववृत्त			
8	9	10	11	12

25. परिवार का प्रकार:

एकल परिवार / संयुक्त परिवार / खंडित परिवार

- 26. परिवार के सदस्यों के बीच संबंध :
 - (i) माता-पिता सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
 - (ii) पिता-बालक सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
 - (iii) माता-बालक सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
 - (iv) पिता-सहोदर सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
 - (v) माता-सहोदर सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
 - (vi) किशोर-सहोदर सौहार्दपूर्ण / कटुतापूर्ण / अज्ञात
- 27. परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए अपराध का पूर्ववृत्त :

क्र0सं0	नातेदारी	अपराध का स्वरूप	गिरफ्तारी, यदि हुई हो	परिरोध की अवधि	दण्ड
1.	पिता	(404	ुद्ध हा		
2.	सौतेला पिता				
3.	माता				
4.	सौतेली माता				
5.	भाई (क) (ख) (ग) (घ)				
6	बहन (क) (ख) (ग) (घ)				
7.	बालक				
8.	अन्य (चाचा / दादा / दादी)				

परिवार

28. परिवार के नाम संपत्तियों का ब्यौरा :

- (i) भू-संपत्ति (कृपया क्षेत्रफल विनिर्दिष्ट करें)
- (ii) घरेलू सामग्री / संपत्ति (गायें / मवेशी / सांड)
- (iii) वाहन दुपहिया / तिपहिया / चार पहिया (लॉरी / बस / कार / ट्रैक्टर / जीप)
- (iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- 29. परिवार के सदस्यों का वैवाहिक ब्यौरा :
 - (i) माता-पिता बातचीत से तय विवाह / विशेष विवाह / स्थानीय मेल-मिलाप
 - (ii) भाई बातचीत से तय विवाह / विशेष विवाह / स्थानीय मेल-मिलाप
 - (iii) बहनें बातचीत से तय विवाह / विशेष विवाह / स्थानीय मेल-मिलाप
- 30. परिवार के सदस्यों की सामाजिक गतिविधियां :
 - (i) सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में भाग लेते हैं
 - (ii) सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं
 - (iii) सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में भाग नहीं लेते
 - (iv) अज्ञात
- 31. भर्ती से पूर्व माता-पिता द्वारा किशोर की देखरेख:
 - (i) अति संरक्षण
 - (ii) स्नेहपूर्ण
 - (iii) सतर्कतापूर्ण
 - (iv) उपेक्षापूर्ण
 - (v) सतर्कतारहित
 - (vi) तिरस्कारपूर्वक

(घ) किशोरावस्था का इतिवृत्त (12 से 18 वर्ष के बीच) :

- 32. (i) यौवनागम
 - (ii) समय पूर्व
 - (iii) मध्य आयू में
 - (iv) विलम्ब स्

•	
33. अपचारी आचरण का ब्यौरा, यदि कोई हो :	
(i) चोरी	
(ii) जेब कतरी करना	
(iii) ताड़ी बेचना	
(iv) नशीली दवाइयां बेचना	
(v) छोटे–छोटे अपराध	
(vi) हिंसक अपराध	
(vii) बलात्कार	
(viii) उपर्युक्त में से कोई नहीं	
(ix) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
34. अपचारी आचरण के कारण :	
(i) माता—पिता द्वारा उपेक्षा	
(ii) माता—पिता द्वारा अति संरक्षण	
(iii) माता—पिता का आपराधिक व्यवहार	
$(\mathrm{i} \mathrm{v})$ माता $-$ पिता का प्रभाव (नकारात्मक)	
(v) संगी—साथियों का प्रभाव	
(vi) नशीली दवाइयां \diagup शराब खरीदने के लिए	
(vii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
35. आदतें :	
(ক)	(ख)
(i) धूम्रपान	(i) टी0वी0/सिनेमा देखना
(ii) मद्यपान	(ii) इंडोर/आउटडोर खेल खेलना
(iii) नशीली दवाओं का सेवन	(iii) पुस्तकें पढ़ना
करना (विनिर्दिष्ट करें)	
(iv) जुआ खेलना	(iv) धार्मिक गतिविधियां
(v) भिक्षाटन करना	(v) आरेखण / रंगसाजी / अभिनय / गायन
(vi) कोई अन्य	(vi) कोई अन्य

(ड.) रोजगार का विवरण

गृह में आने से पूर्व किशोरों के रोजगार के ब्यौरे :

क्र.सं.	रोजगार के ब्यौरे	अवधि	कमाई गई मजदूरी
i.	कुली		
ii.	रद्दी (कबाड़) बीनना		
iii.	मैकेनिक		
iv.	होटल कार्य		
v.	चाय की दुकान में कार्य		
vi.	जूता पालिश		
vii.	घरेलू कार्य		_
viii.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

- 36. आय की उपयोगिता के ब्यौरे :
 - (i) परिवार की जरूरतें पूरी करने हेतु परिवार में भेजना
 - (ii) कपड़े बनवाने के लिए
 - (iii) जुआ खेलने के लिए
 - (iv) वेश्यावृत्ति के लिए
 - (v) शराब / नशे के लिए
 - (vi) औषध के लिए
 - (vii) धूम्रपान के लिए
 - (viii) बचत के लिए
- 37. बचत के ब्यौरे:
 - (i) नियोक्ता के पास
 - (ii) मित्रों के पास
 - (iii) बैंक / डाकघर में
 - (iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- 38. कार्य करने की अवधिः
 - (i) छः घंटे से कम
 - (ii) छः से आठ घंटे के बीच
 - (iii) आठ घंटे से अधिक
 - (च) शैक्षिक विवरणः

- 39. बाल गृह में भर्ती होने से पूर्व किशोर का शैक्षिक ब्यौराः
 - (i) अशिक्षित
 - (ii) पांचवी कक्षा तक पढ़ा हुआ
 - (iii) पांचवी कक्षा से अधिक परन्तु आठवीं से कम पढ़ा हुआ
 - (iv) आठवीं कक्षा से अधिक परन्तु दसवीं से कम पढ़ा हुआ
 - (v) दसवीं कक्षा से अधिक पढ़ा हुआ
- 40. विद्यालय छोडने का कारणः
 - (i) अध्ययनरत अंतिम कक्षा में अनुतीर्ण होना
 - (ii) विद्यालय के क्रियाकलाप में अभिरूचि की कमी
 - (iii) शिक्षकों की उदासीन प्रवृति
 - (iv) संगी साथियों का प्रभाव
 - (v) परिवार के लिए अर्जन करना तथा सहायता करना
 - (vi) माता-पिता की अचानक मृत्यु
 - (vii) विद्यालय का सख्त माहौल
 - (viii) विद्यालय से अनुपस्थित रहना और फिर भाग जाना
 - (ix) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- 41. उस विद्यालय का ब्यौरा जहाँ से अन्तिम अध्ययन कियाः
 - (i) निगम / नगर पालिका / पंचायत यूनियन
 - (ii) सरकारी / अनुसूचित जाति कल्याण विद्यालय / पिछड़ी जाति कल्याण विद्यालय
 - (iii) निजी प्रबंधन
 - (iv) कान्वेंट
- 42. शिक्षा का माध्यमः

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/तिमल/मलयालम/कन्नड़/तेलगू/अन्य भाषा (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

43. बाल गृह में प्रवेश के बाद आगमन की तारीख से आज की तारीख तक प्राप्त शिक्षाः

वर्षों की संख्या

कक्षा. जिसमें अध्ययन किया

प्रोन्नत / रोक रखना

44. बाल गृह में आगमन की तारीख से अब तक प्राप्त किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षणः

वर्षो की संख्या

व्यावसायिक ट्रेड का नाम

प्राप्त प्रवीणता

- 45. बाल गृह में आगमन की तारीख से आज की तारीख तक विकसित पाठयक्रमेतर कार्यकलाप
 - (i) स्काउट
 - (ii) खेलकूद (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- (iii) व्यायाम (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- (iv) चित्रकला
- (v) पेंटिंग
- (vi) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(छ) चिकित्सीय इतिवृतः

- 46. प्रवेश के समय लम्बाई और वजनः
- 47. शारीरिक स्थिति
- 48. बालक का चिकित्सीय इतिवृत्त (संक्षेप में)
- 49. माता-पिता / अभिभावक का चिकित्सीय इतिवृत्त (संक्षेप में)
- 50. बालक की वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति

क्रमांक	वार्षिक प्रेक्षण	प्रथम तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
1	2	3	4	5	6
1	पुनर्विलोकन की तारीख				
2	लम्बाई				
3	वजन				
4	दिया गया पौष्टिक आहार				
5	तनावजनित बीमारी				
6	दंत रोग				
7	नाक, कान और गला–टांसिल				
8	बाहय नेत्र समस्याएँ: बायीं ऑख दायीं ऑख				

51. लम्बाई और वजन का चार्टः

तारीख, माह एवं वर्ष	लम्बाई	स्वीकार्य वजन	वास्तविक वजन

(ज) सामाजिक इतिवृत्तः

- 52. बाल गृह में प्रवेश से पूर्व मित्रों का ब्यौराः
 - (i) सहकर्मी
 - (ii) विद्यालय के सहपाठी
 - (iii) पड़ोसी
 - (iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- 53. अधिकतर मित्रः
 - (i) शिक्षित हैं
 - (ii) अशिक्षित हैं
 - (iii) हम उम्र हैं

- (iv) आयु में बड़े हैं
- (v) आयु में छोटे हैं
- (vi) उसी लिंग के हैं
- (vii) विपरित लिंग के हैं
- 54. समूह में सदस्यता का ब्यौरा (कृपया सविस्तार विनिर्दिष्ट करें)
 - (i) सिने प्रंशसक संगम से सहबद्ध हैं
 - (ii) धार्मिक समूह से सहबद्ध हैं
 - (iii) कला एवं खेलकूद क्लब से सहबद्ध हैं
 - (iv) गिरोहों से सहबद्ध हैं
 - (v) स्वैच्छिक सामाजिक सेवा लीग से सहबद्ध हैं
 - (vi) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- 55 समूहों / लीग में बालक का स्थान
 - (i) नेतृत्वकर्ता
 - (ii) दोयम स्तरीय नेतृत्वकर्ता
 - (iii) मध्यस्तरीय कार्यकर्ता
 - (iv) सामान्य सदस्य
- 56 समूह की सदस्यता लेने का प्रयोजनः
 - (i) सामाजिक सेवा कियाकलाप के लिए
 - (ii) खाली समय व्यतीत करने के लिए
 - (iii) सुखदायक कियाकलाप के लिए
 - (iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- 57 समूह / लीग का दृष्टिकोण
 - (i) सामाजिक मानदण्डों का सम्मान तथा नियमों का पालन करने वाला
 - (ii) मानदण्डों के उल्लंघन करने में अभिरूचि
 - (iii) नियमों के उल्लंघन करने में प्रेरक
- 58 समूहों की अवस्थिति / मिलने का स्थल
 - (i) सामान्यतः नियत स्थान पर
 - (ii) बार-बार स्थान परिवर्तित किए जाते हैं
 - (iii) कोई विनिर्दिष्ट स्थान नहीं
 - (iv) मिलने का स्थान सुविधानुसार नियत किया जाता है
- 59 बालक जब पहली बार परिवार से बाहर आया तब समाज की प्रतिकिया
 - (i) समर्थनकारी
 - (ii) तिरस्कार

- (iii) प्रताङ्ना
- (iv) दुर्व्यवहारपूर्ण
- (v) शोषणपरक

60 बालकों के प्रति पुलिस की प्रतिकिया

- (i) भावपूर्ण
- (ii) कूरतापूर्ण
- (iii) अपमानजनक
- (iv) शोषण का और
- (v) दुर्व्यवहारपूर्ण
- 61 बालक के प्रति जन सामान्य की प्रतिक्रिया

बालक का इतिवृत (संक्षेप में)

- (i) शिक्षा
- (ii) स्वास्थ्य
- (iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण
- (iv) पाठयक्रमेतर कार्यकलाप
- (v) अन्य

किशोर/बालक के अभिविन्यास के बाद तथा अभिविन्यास के प्रति बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी का सुझाव प्रतिक्रिया।

बाल कल्याण अधिकारी / परिवीक्षा अधिकारी / केस वर्कर / सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई। प्रबंधन समिति द्वारा मामला विशिष्ट इतिवृत का तिमाही पुनर्विलोकन।

अधीक्षक / कल्याण अधिकारी / परिवीक्षा अधिकारी

प्रपत्र–XXI

(नियम 57(11)(क), 61(1)(ण), 80(1) (ट))

व्यक्तिगत देखरेख योजना

प्रत्येक बालक के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना बालक के सर्वोत्तम हित के सिद्धान्त को अपनाते हुए तैयार की जाएगी। व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करते समय देखरेख संबंधी विकल्पों को निम्नलिखित क्रम में प्राग्रता देने पर विचार किया जाएगाः

- (i) जन्मदाता परिवार को बनाए रखना
- (ii) बांधव्य देख-रेख
- (iii) देशज दत्तक ग्रहण
- (iv) पालन-पोषण देखरेख
- (v) अन्तरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण
- (vi) संस्थागत देखरेख

बोर्ड / समिति का वर्ष 20..... का मामला / प्रोफाईल सं0

प्रवेश संख्या

प्रवेश की तारीख

- क. व्यक्तिगत ब्यौरे
- 1. बालक का नाम
- 2. आय्
- 3. लिंगः पुरूष / महिला
- 4. पिता / माता का नाम
- 5. राष्ट्रीयता
- 6. धर्म / जाति
- 7. शैक्षिक उपलब्धि
- 8. मामले के इतिवृत का सारांशः
 - स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें
 - भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता संबंधी जरूरतें
 - शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संबंधी जरूरतें
 - अवकाश, रचनात्मकता तथा खेलकूद
 - अनुरक्ति एवं नातेदारी
 - धार्मिक विश्वास
 - सभी प्रकार के उत्पीड़न, तिरस्कार एवं दुर्व्यवहार से संरक्षण
 - समाज की मुख्य धारा में लाना
 - बाल गृह से रिहा किए जाने / प्रत्यावर्तन के बाद अनुवर्ती कार्रवाई

ख परिवीक्षाधीन व्यक्ति की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट

			भाग-1			
1	١.	परिवीक्षा अधिकारी / केस वर्कर का नामः				
2	2.	माह के				
3	3.	रजिस्ट्रीकरण संख्याः				
4	ŀ.	सक्षम प्राधिकारीः				
5	5.	प्रोफाईल संख्याः				
6). बालक का नामः					
7	7 .	पर्यवेक्षण आदेश की तारीखः				
8	3.	बालक का पताः				
ç).	पर्यवेक्षण की अवधिः				
			भाग-2			
साक्षा	का	गर के स्थल	तारीख			
1	١.	बालक कहाँ रह रहा है?				
2	2. किसी शैक्षिक / प्रशिक्षण पाठ्यकम में की गई प्रगति					
3	3.	 वह कौन सा काम कर रहा / रही है तथा यदि नियोजित हो तो उसका औसत मासिक आमदनी 				
4	ı. डाकघर में रखी गई बचतें					
5	5.	उसके नाम से बचत बैंक खाता				
6	6.	उसके सामान्य आचरण एवं प्रगति पर टिप्पणी				
7	7 .	क्या सम्पति की देखभाल की गई हैं?				
			भाग–3			
1	١.	सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही याः				
(ক) ৰ	ांधा	1पत्र की शर्तो में फेर–बदल				
(ख) f	नेव	वास स्थान में परिवर्तन				
(ग) 3	ग्न्य	य विषय				
2	2.	तारीख को पूरे किए गए	पर्यवेक्षण की अवधि			
3	3.	टिप्पणी यदि कोई हो, के साथ सहित पर्यवेक्षण	ग का परिणाम			
4	ŀ.	माता—पिता या अभिभावक या उपयुक्त व्यक्ति	का नाम एवं पता, जिसकी देख–रेख	व में किशोर को पर्यवेक्षण के		
		बाद रहना है				
रिपोर्ट	र्क	की तारीख परिवीक्षा अधि	कारी / केस वर्कर के हस्ताक्षर			
ग. नि	र्मुवि	क्ति पूर्व रिपोर्ट				
, ज	ो त	लागू हो उस पर सही का निशान लगाएँ				
अ	न्ति	तम निर्मुक्ति	स्थानान्तरण			
		I	i e			

- 1. स्थानान्तरण स्थान का ब्यौरा तथा स्थानान्तरण / निर्मुक्ति के स्थान का उत्तरदायी सम्बद्ध प्राधिकारी
- 2. विभिन्न संस्थाओं में किशोर / बालक को भेजने संबंधी ब्यौरे
- लिया गया प्रशिक्षण एवं अर्जित कौशल
- प्रभारी अधिकारी / परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / केस वर्कर / सामाजिक कार्यकर्ता की अंतिम प्रगति
 रिपोर्ट (संलग्न की जाए)
- 5. निर्मुक्ति / स्थानान्तरण की तारीख
- संप्रत्यावर्तन की तारीख
- 7. मार्गरक्षी की मांग, यदि अपेक्षित हो।
- मार्गरक्षी की पहचान
- 9. संभावित स्थापन सहित अनुशंसित पुनर्वास योजना
- 10. प्रायोजित किए जाने की अपेक्षा और रिपोर्ट, यदि लागू हो।
- 11. निर्मुक्ति के पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई हेतु परिवीक्षा अधिकारी / केस वर्कर / सामाजिक कार्यकर्ता / गैर सरकारी संगठन को चिन्हित करना
- 12. निर्मुक्ति के पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई हेतु चिन्हित किए गए गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन।
- 13. बालक की रिहाई के बाद उसको प्रायोजित करने वाली एजेंसी / व्यक्तिगत प्रायोजक, यदि कोई हो, को चिन्हित करना।
- 14. प्रायोजित करने वाली एजेंसी और व्यक्तिगत प्रायोजक के बीच समझौता ज्ञापन
- 15. बालक के बचत खाते का विस्तृत ब्यौरा, यदि कोई हो
- 16. बालक की आमदनी तथा सामान, यदि कोई हो, का ब्यौरा
- 17. बालक को मिले पुरस्कार का ब्यौरा, यदि कोई हो
- 18. बालक की राय
- 19. कोई अन्य सूचना

<u>टिप्पणी:-</u> निर्मुक्ति पूर्व रिपोर्ट किशोर / बालक की निर्मुक्ति / स्थानान्तरण की तारीख से 6 माह पूर्व तैयार की जाएगी तथा अंतिम पुनर्विलोकन रिपोर्ट की सिफारिशों और अन्य सभी सुसंगत जानकारी में उस पर ध्यान दिया जाएगा ।

घ. निर्मुक्ति पश्चात रिपोर्ट

- 1. बैंक खाते की स्थितिः बन्द / अंतरित
- 2. बालक की आमदनी तथा सामान बालक को दिया गया या उसके माता-पिता/अभिभावकों को -हाँ/नहीं
- 3. निर्मुक्ति के बाद बालक के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई हेतु चिन्हित करने गए परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर/साामाजिक कार्यकर्ता/गैर सरकारी संगठन के प्रथम विचार-विमर्श की रिपोर्ट
- 4. किशोर / बालक का स्थापन, यदि कोई हो
- 5. बालक के प्रति परिवार का व्यवहार
- 6. बालक का सामाजिक वातावरण, खास तौर पर पड़ोसियों / समुदाय का दृष्टिकोण
- 7. बालक अर्जित कौशलों का किस प्रकार उपयोग कर रहा है ?
- क्या बालक को किसी विद्यालय या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भर्ती कराया गया है? विद्यालय / संस्थान / किसी अन्य एजेंसी का नाम एवं भर्ती की तारीख दें।
- 9. दूसरी व तीसरी अनुवर्ती रिपोर्ट–कमशः दो माह और छः माह के बाद बालक से दूसरी एवं तीसरी अनुवर्ती बातचीत की रिपोर्ट।

प्रपत्र—XXII

(नियम 73(2))

मार्गरक्षण आदेश

मा	मल	ग र-	ख्य	Γ	

मामला संख्या
बालक / बालिका के मामले में
उम्र लगभग वर्ष को
किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की
धारा 33(3) के अधीन एकमात्र अभिरक्षा के लिए
प्रभार में लिया गया / ली गई।
बालक / बालिका के माता—पिता के स्थान पर एहने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अतः
समुचित पुलिस / गैर सरकारी संगठन मार्गरक्षण में अधीक्षण के अधीन बालक / बालिका को
(स्थान) पर भेजा जाए। उपर्युक्त बालक / बालिका के माता–िपता या निकट नातेदारों का पता लगाने हेतु तथा
बालक / बालिका को उन्हें सौंपेने के लिए बालक / बालिका द्वारा दर्शाए गए उनके निवास स्थान के पते पर पुलिस की
उचित निगरानी / गैर सरकारी संगठन के मार्गरक्षण में उन्हें भेज दिया जाए। यदि माता-पिता या नातेदार का पता नहीं
चलता हो या पता चल जाता हो लेकिन वे बालक/बालिका का प्रभार लेने के लिए अनिच्छुक हो तो बालक/बालिका
को बाल गृह के अधीक्षक की अभिरक्षा में रखा जाए और अगले आदेश के लिए उक्त
बालक / बालिका को संबद्ध बाल कल्याण सिमति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
आदेश
मार्गरक्षण की व्यवस्था होने तक उक्त बालक / बालिका बाल गृह में रहेगी, जो वर्तमान में
पते पर रह रहे हैं। राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई या पुलिस विभाग या गैर सरकारी
संगठन / चाइल्ड लाईन तुरंत इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों की अन्यून अवधि के भीतर निश्चित रूप से व्यवस्था
करेगा तथा उपर्युक्त बालक / बालिका को उपर्युक्त निवास स्थान पर भेज देगा।
तारीख मास वर्ष
अध्यक्ष / सदस्य
बाल कल्याण समिति
प्रतिलिपिः
1. अधीक्षक, बाल गृह
2. राज्य / जिला बाल संरक्षण इकाई / गैर सरकारी संगठन / चाइल्ड लाईन
को प्रेषित।
सन्दर्भः– 1. अवयस्क जन्म तिथि
गोफरिल का भर्ती आदेश

9 अगस्त 2012

सं० 10/प्र0गृ०स्था0—21/2002—1695 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, संदीप पौण्डरीक, सरकार के सचिव।

The 9th August 2012

Bihar Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2012

মৃত 10/ঘ্রতম্থাত–21/2002–1695—In exercise of the power conferred by Section 68 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, (No. 56 of 2000) as amended by the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2006 (No. 33 of 2006), the State Government of Bihar makes the following Rules, namely:-

CHAPTER - I

PRELIMINARY

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Bihar State Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2012.
 - (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
 - (3) It shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Definition.— In these rules, unless the context otherwise requires:-
 - (a) "Act" means the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act,2000 (56 of 2000) as amended by the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2006 (33 of 2006);
 - (b) "Abandoned" means an unaccompanied and deserted child who is declared abandoned by the Committee after due inquiry;
 - (c) "Best interest of the child" means a decision taken to ensure the physical, emotional, intellectual, social, cultural and moral development of juvenile or child;
 - (d) "Child abuse" means the maltreatment which includes any of the following:
 - i) Physical, mental, or sexual or emotional maltreatment;
 - ii) Any act by word or deed which degrades the dignity of the child;
 - iii) Deprivation of his basic needs for survival;

- (e) "Child friendly" means any process and interpretation, attitude, environment and treatment, that is humane, considerate and in the best interest of the child;
- (f) "Community service" implies service rendered to the society by juveniles in conflict with law in lieu of or in addition to other judicial remedies and penalties, which is not degrading and dehumanizing;

Examples of this may include (only non hazardous part);

- (i) Cleaning a park/setting up of a garden;
- (ii) Serving the elderly in nursing homes or Old Age Homes;
- (iii) Helping out at a local hospital or nursing home;
- (iv) Serving children with disabilities;
- (v) Community care of elderly person;
- (vi) Group works;
- (vii) Getting involved with Habitat for Humanity;
- (g) "Detention" in case of juveniles in conflict with law means "protective custody" in line with the principles of restorative justice;
- (h) "Form" means the form annexed to these rules;
- "Foster care" means, the care and protection of a child in need of care and protection for a stipulated period by a foster parent as ordered by the Child Welfare Committee;
- (j) "Group Counseling" means an order under Section 16 of the Act by the Juvenile Justice Board for the participation of juvenile in any group counseling programme organized by the State Government or by any recognized voluntary organisation;
- (k) "Individual care plan" is a comprehensive development plan for a juvenile or child based on age specific and gender specific needs and the case history of the juvenile or child, prepared in consultation with the juvenile's or child's self-esteem, dignity and self-worth and nurture him into a responsible citizen and accordingly the plan shall address the following needs of a juvenile or a child:
 - (i) Health needs;
 - (ii) Emotional and psychological needs;
 - (iii) Educational and training needs;
 - (iv) Leisure, creativity and play;
 - (v) Attachments and relationships;
 - (vi) Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment;
 - (vii) Social mainstreaming; and
 - (viii) Follow-up post release and restoration.

- (1) "Institution" means an Observation Home or a Special Home, or a Children's Home or a Shelter Home set up, certified or recognized and registered under sections 8, 9, 34, sub-section (3) of section 34 and section 37 of the Act respectively;
- (m) "Superintendent" means a person appointed for the control and management of the institution;
- (n) "Orphan" means a child who is without parents or willing and capable legal or natural guardian;
- (o) "Place of safety" means any institution set up and recognized under subsection (3) of section 12 and sub-section (1) of section 16 of the Act for juvenile in conflict with law or children;
- (p) "Fit person", "fit institution" means a person found fit by the competent authority or, an institution found fit by the State Government on the recommendation of the competent authority as per clauses (h) and (i) of section (2) of the Act. This shall be done on a case to case basic for a temporary period of time for that specific child. These institutions may be registered under any Act;
- (q) "Registered" means all institutions or agencies or voluntary organizations providing residential care or any other care to children in need of care and protection registered under sub-section (3) of section 34;
- (r) "State Government" means the Government of Bihar;
- (s) "Street and working children" means children without ostensible means of livelihood, care, protection and support in accordance with the provisions laid down under clause (d) (1) of section 2 of the Act;
- (t) "Surrendered child" means a child, who in the opinion of the Committee, is relinquished on account of physical, emotional and social factors beyond the control of the parent or guardian;
- (2) All words and expressions defined in the Act and used, but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER - II

JUVENILE IN CONFLICT WITH LAW

- 3. *Juvenile Justice Boards*.—The State Government shall set up by notification in Official Gazette, Juvenile Justice Board in every district as per section 4 of the Act.
 - 4. Composition of the Juvenile Justice Board:-
 - (1) The Board shall consist of Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate of the first class, as Principal Magistrate and, two social workers as members of the Board of whom at least one shall be a woman, forming a bench:

The Principal Magistrate of the Board shall assess the pendency of cases before the Board and take such steps, as may be necessary in the expeditious disposal of the cases.

- (2) Every such bench shall have the powers conferred by the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974).
- (3)(i) A Magistrate with special knowledge or training in child psychology or child welfare shall be designated as the Principal Magistrate of the Board.
 - (ii) In case the Principal Magistrate with such special knowledge or training is not available, then, the State Government shall provide for such shortterm training in child psychology or child welfare as it considers necessary immediately thereafter or preferably one month of their designation as the Principal Magistrate.
- (4) The two social workers, of whom at least one shall be a woman, shall be appointed by the State Government from a panel of names on the recommendation of the Selection Committee set up under Rule 99 of these rules;
- (5) The State Government shall provide for such training and orientation in child psychology, child welfare, child rights, national and international standards for juvenile justice to all members of the Board, as it considers necessary, in accordance with the schemes and programmes of the State Government/Central Government.

5. Tenure of the Board :-

- (1) The Board shall have a tenure of three years and the appointment of members shall be co-terminus with the tenure of the Board.
- (2) A social worker being a member of the Board shall be eligible for appointment for a maximum of two consecutive terms.
- (3) Any re-appointment of the member of the Board shall be on the basis of his performance appraisal by the District Child Protection Unit or the State Government and on the recommendation of the Selection Committee set up under Rule 99 of these rules and the performance assessment of members of the Board shall necessarily assess their participation in the proceedings of the Board and contribution in case disposal;
- (4) A Member may resign any time, by giving one month's advance notice in writing or may be removed from his office as provided in sub-section (5) of section 4 of the Act.
- (5) Any vacancy in the Board may be filled by appointment of another person from the panel of names prepared by the Selection Committee, and the person so appointed shall hold office for the remaining term of the Board.

6. Qualifications for Members of the Board :-

- (1) The social worker to be appointed as a member of the Board shall be a person not less than 35 years of age and not more than 65 years of age, who has a post-graduate degree in social work/sociology/health/education/psychology, child development or law and has been actively involved and engaged in planning, implementing and administering measures relating to health, education, child rights and other development activities related to children for at least five years.
- (2) In Case suitable candidates having minimum qualifications as per (1) are not available in the district, Selection Committee can recommend candidates having graduate degree in subjects mentioned in (1) and experience for at least 3 years.
- (3) No person shall be considered for selection as a Member of the Board, if he,
 - a) has been convicted under any law;

- b) has ever indulged in child abuse or employment of child labour or any other human rights violations or immoral act;
- c) is holding such other occupation that does not allow him to give necessary time and attention to the work of the Board;
- d) does not fulfill the qualification and experience prescribed in the Act and these rules and in such a case the Selection Committee shall, after due inquiry and on establishment of such fact, reject his application and recommend the name of the next person from the list of names prepared for filling the vacancies.
- 7. *Sitting and conveyance allowances*—The Social Worker members of Board shall be paid such travel and sitting allowance as the state government may determine.
 - 8. Sittings of the Board:-
 - (1) The Board shall hold its sittings in the premises of an observation home or at suitable premise in any institution run under the Act, other than court premises.
 - (2) The State Government shall provide infrastructure like Board room, waiting room, office room, record room, hall, toilets/urinals and safe drinking water facility and other office accessories.
 - (3) The state government shall provide secretarial assistance to the Board.
 - (4) The premises where the Board holds its sittings shall be child-friendly and shall not look like a court room in any manner whatsoever; for example, the Board shall not sit on a raised platform and the sitting arrangement shall be uniform, and there shall be no witness boxes.
 - (5) The proceedings of the Board shall be like a conference in which the Juvenile Justice Board members, the juvenile, the parents, the Probation Officer, the Police Officer, the legal representative etc., shall participate in the proceedings.
 - (6) It shall follow the State Government calendar.
 - (7) The Board shall meet at least three days in a week, but the sitting frequency can be extended by the Principal Magistrate. The State Government may also extend the number of sittings in a week by a general or special order.
 - (8) A minimum of three-fourth attendance of the Principal Magistrate and members of the Board is necessary in a year.

- (9) Every member of the Board shall attend a minimum of five hours per sitting.
- (10) The proceedings of the Board shall not become invalid for absence of any of the member during any stage of proceedings.
- (11) The final disposition of the case shall be passed by at least two members, of whom one shall be the Principal Magistrate.
- (12) In case of difference of opinion in the case, or interim order, if any, the opinion of the majority shall prevail. In case where there is no such majority, the opinion of the Principal Magistrate shall prevail. In such a case, the Principal Magistrate shall record in writing the circumstances that led to the Principal Magistrate to take the final decision.

9. Functions of the Board:-

- (1) The Board shall perform the following functions to achieve the objectives of the Act, namely:-
 - (a) Adjudicate and dispose cases of juveniles in conflict with law;
 - (b) Take cognizance of crimes committed under sections 23 to 28 of the Act;
 - (c) Monitoring institutions for juvenile in conflict with law and seeking compliance from them in cases of any noticeable lapses and improvement based on suggestions of the Board;
 - (d) Deal with non-compliance of any order passed by the Board on the part of concerned government functionaries or functionaries of voluntary organizations, as the case may be, in accordance with due process of law;
 - (e) Pass necessary direction to the district authority and police to create or provide necessary infrastructure or facilities so that minimum standards of justice and treatment are maintained in the spirit of the act;
 - (f) Maintain liaison with the Committee in respect of cases needing care and protection;
 - (g) Liaison with Boards in other districts and other states or union territories to facilitate speedy inquiry and disposal of cases through due process of law;

- (h)Take suitable action for dealing with unforeseen situations that may arise in the implementation of the Act and remove such difficulties in the best interest of the juvenile;
- (i) Send quarterly information about juveniles in conflict with law produced before them to the District Child Protection Unit, State Child Protection Unit, the State Government and to the Chief Judicial Magistrate for review under Para (2) of section 14 of the Act;
- (j) Any other function assigned by the State Government from time to time relating with juveniles in conflict with law;
- (k) The Board shall initiate action against any media for publishing any matters relating to the children in conflict with law which would lead to the identification of the child;
- (l) The Board shall order to keep the child in an Observation Home or in a place of safety as the case may be if the child could not be released on bail to the care of parents/guardians;
- (m) The Board shall ensure that no girl child was taken charge by police between sunset and sunrise;

Provided if the circumstances warrants the police to take charge of a girl child during such time, the Board should ensure that the girl child was kept under the care of a female fit person or a relative of the girl child, who shall also be a female fit person or in a place of safety or in an Observation Home;

- (n) The Board shall, at any stage during the course of enquiry if satisfied that the attendance of the child is not essential for the purpose of enquiry, may dispense with his attendance and proceed with the enquiry in the absence of the child;
- (o) The Board shall not effect any final disposal of the enquiry without calling the report of the Probation Officer/Case Worker;
- (p) The Board can also direct the Probation Officer to conduct social enquiry and furnish the report to the Board and also direct him to cause the professional/expert opinion on cases pertaining to the psychological/psychiatric problems of the Child, provided the Board,

- can also direct the professionals to furnish a special report about the child in conflict with law;
- (q) The Department of Pediatric/Psychiatric medicines of the Medical colleges/hospitals shall be recognized as nodal agencies for giving professional opinion.
- (2) In all dealings with children, the Juvenile Justice Board shall follow the following guidelines,-
 - (a) child victims/witnesses are informed of their role in regard to Board proceedings;
 - (b) Their views are allowed to be heard and respected;
 - (c) inconvenience to them is minimized and their privacy is respected;
 - (d) delays in the proceedings are reduced;
 - (e) aggressive questioning or cross examination of child victims is avoided and the same, if necessary, is done through the judge;
 - (f) provisions are made for trials in camera;
 - (g) the identity of the child victim is protected;
 - (h) child victims are prepared for the judicial process and prosecution of alleged abusers is not rushed if a child is not ready to go to court;
 - the investigator ascertains the need for medical examination of the child victim and when examination is undertaken, ensures that multiple re-examination is avoided;
 - (j) the medical examination should be conducted in the presence of the parent/guardian/social worker/counsellor;
 - (k) child's testimony should be recorded in the presence of a social worker/counselor as early as possible after the abusive incident;
 - (l) adequate translation/interpretation and translators/interpreters who are sensitive to the children's needs should be provided wherever needed;
 - (m) in case of a mentally challenged child, the competent service provider should depose on behalf of the child;
 - (n) the special needs of the child victims/witness should be catered for.

10. Pre and Post-Production action of police and other agencies-

(1) As soon as a juvenile alleged to be in conflict with law is apprehended by the police, the concerned police officer shall inform:

- (a) the designated juvenile or the child welfare officer of the concerned police station to take charge of the matter;
- (b) the parents or guardian of the juvenile in conflict with law about the apprehension of the juvenile, about the address of the Board where the juvenile will be produced, physical location of the juvenile and the date and time when the parents or guardian need to be present before the Board.
- (c) The concerned Probation Officer, of such apprehension to enable him to obtain information regarding social background of the juvenile and other material circumstances likely to be of assistance to the Board for conducting the inquiry.
- (2) Soon after apprehension, the juvenile shall be placed under the charge of the Juvenile or Child Welfare Officer who shall produce the juvenile before the Board within twenty four hours as per sub-section (1) of section 10 of the Act and where such Juvenile or the Child Welfare Officer has not been designated as per provisions laid down under sub-section (2) of section 63 of the Act or is not available for some official reasons, the police officer who had apprehended the juvenile shall produce him before the Board within 24 hours as per sub section (1) of section 10 of the Act.
- (3) In case the Board is not sitting, the juvenile in conflict with law shall be produced before the single member of the Board as per the provisions laid down under sub-section (2) of section 5 of the Act.
- (4) When a juvenile is produced before an individual member of the Board, and an order obtained, such order shall need ratification by the Board in its next meeting.
- (5) The Police apprehending a juvenile in conflict with law shall in no case send the juvenile in lock-up or delay his charge being transferred to the Juvenile or the Child Welfare Officer of the concerned police station, if such an officer has been designated.
- (6) A list of all designated Juvenile or the Child Welfare Officers in a district and members of the Special Juvenile Police Unit with contact details shall be prominently displayed in every police station.

- (7) For gathering the best available information it shall be incumbent upon the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer to contact the parents or guardians of the juvenile and also apprise them of the juvenile's law breaking behaviour.
- (8) The Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer shall also record the social background of the Juvenile, taking assistance from the social worker members and circumstances of apprehension and offence alleged to have been committed in the case diary of each juvenile, which shall be forwarded to the Board forthwith.
- (9) The Police or the Juvenile/Child Welfare Officer shall exercise the power of apprehending the juvenile only in cases of his alleged involvement in offences involving a punishment of more than 5 years (entailing a punishment of more than 5 years imprisonment for adults).
- (10) In such cases where apprehension apparently seems to be in the interest of the juvenile, the police or the Juvenile/Child Welfare Officer, shall rather treat the juvenile as a child in need of care and protection and produce him before the Board, clearly explaining the juvenile's need for care and protection in its report and seek appropriate orders from the Board under 13 (6) (b) of these rules.
- (11) For all other cases involving offences of non-serious nature (entailing a punishment of more than 5 years imprisonment for adults) and cases where apprehension is not necessary in the interest of the Juvenile, the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer shall intimate the parents or guardian of the Juvenile above forwarding the information regarding nature of offence alleged to be committed by their child or ward along with his socio-economic background to the Board, which shall have the power to call the juvenile for subsequent hearings.
- (12) The State Government shall recognize only such voluntary organizations that are in a position to provide the services of probation, counseling, case work, a safe place and also associate with the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the Special Juvenile Police Unit, and have the capacity, facilities and expertise to do so as protection agencies that may assist the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the Police at the

time of apprehension, in preparation of the report containing social background of the juvenile and circumstances of apprehension and the alleged offence, in taking charge of the juvenile until production before the Board, and in actual production of the juvenile before the Board within twenty-four hours.

(13) The Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the Special Juvenile Police Unit, or the recognized voluntary organization shall be responsible for the safety and provision of food, medicine and basic amenities to the juveniles apprehended or kept under their charge during the period such juveniles are with them.

11. Procedure to be followed in determination of Age:-

- (1) In every case concerning a child or a juvenile in conflict with law, the court or the Board or the Committee referred to in Rule 20 of these rules, as the case may be, shall determine the age of such juvenile or child or a juvenile in conflict with law within a period of thirty days from the date of making of the application for that purpose.
- (2) The Court or the Board or the Committee shall decide the juvenility or otherwise of the juvenile or the child in need of care and protection, as the case may be, the juvenile in conflict with law, prima facie on the basis of physical appearance or documents, if available and send him to the observation home or in prison as the case may be.
- (3) In every case concerning a child or juvenile in conflict with law, the age determination inquiry shall be conducted by the Court or the Board or the Committee, as the case may be, by seeking evidence by obtaining-
 - (a) (i) the matriculation or equivalent certificate, if available; and/or,
 - (ii) the date of birth certificate from the school (other than a play school) first attended; and in the absence whereof;
 - (iii) the birth certificate given by municipal corporation or a municipal authority or a panchayat; and
 - (b) only in the absence of either (i) and/or (ii) or (iii) of clause (a) above, or in case the court or the board or the committee finds it necessary, the medical opinion will be sought from a duly constituted Medical Board, which will declare the age of the juvenile or child. In case exact

assessment of the age cannot be done, the Court or the Board or, as the case may be, the Committee, for the reasons recorded by them, may, if to be considered necessary, give benefit to the child or juvenile by considering his/her age on lower side within the margin of 6 months and, while passing orders in such case shall, after taking into consideration such evidence as may be available or the medical opinion as the case may be, record a finding in respect of his age and either of the evidence specified in any of the clauses (a) (i), (ii), (iii) or in the absence whereof, clause (b) shall be proof of the age as regards such child or the juvenile in conflict with law.

- (4) The duly constituted Board shall submit medical opinion to the concerned authority within one week from the date of receipt of the order.
- (5) If the age of a juvenile or child or the juvenile in conflict with law is found to be below 18 years on the date of offence, on the basis of any of the proof specified in sub-rule (3), the Court or the Board or, as the case may be, the Committee shall in writing pass an order stating the age and declaring the status of juvenility or otherwise, for the purpose of the Act and these rules and a copy of the order shall be given to such juvenile or the parent/guardian/person concerned.
- (6) To avoid misuse of the provision of the Rules, the Social Welfare Department, Director, Social Welfare or the District Magistrate of the concerned district may set up a medical board, for the determination of age of such juveniles in conflict with law residing in observation homes, who apparently appear to be above 18 years of age. The constitution of medical board and final report from the board will be given within two weeks from the date of order issued by the concerned authorities.

12. Post-production processes by the Board:-

(1) In accordance with the rules made under sub-section (2) of section 10 of the Act, the Board shall, in Form III, order a Probation Officer, or otherwise to conduct a social investigation, reporting on the character and antecedents of the juvenile with a view to assessing the best possible mode for placement in an institution, restoration with the family, or otherwise permissible under the Act.

- (2) The Probation Officer shall make suggestion in his report with regard to placement of the child keeping his best interest in mind. Juvenile, under supervision of Probation officer, must be monitored regularly by him and update the Board of their development.
- (3) In the best interest of child, Board must fix minimum time limit to Probation Officer or any other fit person or agencies to submit their report (which is directly concerned with the case of Juvenile) before Board.
- (4) The Board may hold in camera proceeding in the matter of a juvenile; At the time of proceeding the Board may allow only the concerned Juvenile or their respective representative or concerned person in that matter. Others not related to that particular child's matter should not be allowed to be present in the room.
- (5) Contrary to the provision of Criminal procedure code, 1973, inquiry shall be done in accordance with section 14 of The Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 only.
- (6) On production of the juvenile before the Board, the report containing social background of the juvenile and circumstances of apprehension and offence alleged to have been committed provided by the officers, individuals, agencies producing the juvenile shall be reviewed by the Board, and the Board shall pass the following order in the first summary inquiry on the same day, namely:-
 - (a) Dispose off the case, if the evidence of his conflict with law appears to be unfounded or where the juvenile is involved in trivial law breaking;
 - (b) Transfer to the Committee, matters concerning juveniles clearly stated to be in need of care and protection in the police report submitted to the Board at the time of production of the juvenile;
 - (c) Release the juvenile in the supervision or custody of fit person or fit institution or probation officer as the case may be, through an order in Form I with a direction to appear or present a juvenile for an inquiry on a next date;

- (d) Detain the juvenile in an observation home or fit institution pending inquiry, only in cases of juvenile's involvement in serious offences, as per an order in Form II;
- (e) In all cases of release pending inquiry, the Board shall notify the next date of hearing, not later than 15 days of the first summary enquiry and also seek social investigation report from the concerned Probation Officer/Social Worker through an order in **Form III**:

13. Enquiry:-

- (1) The Board shall take the following steps to ensure fair and speedy inquiry, namely:-
 - (a) at the time of initiating the inquiry, the Board shall satisfy itself that the juvenile in conflict with law has not been subjected to any ill-treatment by the police or by any other person, including a lawyer or probation officer and take corrective steps in case of such ill- treatment;
 - (b) in all cases under the Act the proceedings shall be conducted in as simple a manner as possible and care shall be taken to ensure that the juvenile, against whom the proceedings have been instituted, is given child-friendly atmosphere during the proceedings;
 - (c) Every juvenile brought before the Board shall be given the opportunity to be heard and participate in his inquiry;
 - (d) Cases of petty offences, if not disposed off by the Special Juvenile Police Unit or at the police station it self, may be disposed of by the Board through summary proceedings or inquiry within one month, while in cases of heinous offences entailing punishment of 5 years or more, due process of inquiry in detail may follow;
 - (e) Even in cases of inquiry pertaining to serious offences the Board shall follow the procedure of trial in summons cases.
- (2) When witnesses are produced for examination in inquiry relating to a juvenile in conflict with law, the Board shall keep in mind that the inquiry

- is not to be conducted in the spirit of strict adversarial proceedings and it shall use the powers conferred by section 165 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) so as to question the juvenile and proceed with the presumptions that favour the juvenile's right to be restored.
- (3) While examining a juvenile in conflict with law and recording his statement, the Board shall address the juvenile in a child-friendly manner in order to put the juvenile at ease and to encourage him to state the facts and circumstances without any fear, not only in respect of the offence of which the juvenile is accused, but also in respect of the home and social surroundings and the influence to which the juvenile might have been subjected.
- (4) The record of the examination shall be in such form as the Board may consider suitable having regards to contents of the statement and circumstances in which it was made.
- (5) The Board may take into account the report of the police containing circumstances of apprehension and offence alleged to have been committed and the social investigation report in Form IV prepared by the Probation officer or the voluntary organization on the orders of the Board as per Form III, along with the evidence produced by the parties for arriving at a conclusion about the juvenile.
- (6) Every inquiry by the Board shall be completed within a period of four months from the date of commencement of the case and only in exceptional cases involving trans-national criminality, large number of accused and inordinate delay in production of withnesses, the period of inquiry may be extended by two months on recording of reasons by the Board.
- (7) In all other cases except where the nature of alleged offence is serious, delay beyond four to six months shall lead to the termination of the proceedings.
- (8) Where the proceedings are delayed beyond six months on account of serious nature of the offence alleged to have been committed by the juvenile, the Board shall send a periodic report of the case to the District

Judge stating the reason for delay as well as steps being taken to expedite the matter.

14. Legal Aid:-

- (1) The proceedings before the Board shall be conducted in non-adversarial environment, but with due regard to all the due process guarantees such as right to counsel and free legal aid.
- (2) Bihar State Legal Services Authority shall nominate a lawyer to facilitate the legal services to juvenile in conflict with law. Their service may include to obtaining relief in cases of abuse or exploitation of the child.
- (3) The Board shall ensure that the Legal Officer in the District Child Protection Unit and the State Legal Aid Services Authority shall extend free legal services to all juvenile in conflict with law.
- (4) The Legal Officer in the District Child Protection Unit and the State Legal Aid Services Authority shall be under an obligation to provide legal services sought by the Board.
- (5) The Board may also deploy the services of the student, legal services volunteers and non-governmental organization volunteers in Para-legal tasks such as contacting the parents of juveniles in conflict with law and gathering relevant social and rehabilitative information about the juveniles
- (6) The Board shall initiate action against any media for publishing any matter relating to the identification of the juvenile in conflict with law.
- (7) The Board shall, during the course of inquiry may dispense with the attendance of the juvenile and proceed with the inquiry in the absence of the child.
- (8) The Board can obtain professional opinion in any case relating to psychiatric/psychological problems of the child.

15 Completion of Inquiry and Dispositional Alternatives:-

- (1) The Board shall complete every inquiry within the stipulated time of four months and on recording a finding about juvenile's involvement in the alleged offence, pass one of the seven dispositional orders enumerated in section 15 of the Act.
- (2) Before passing an order, the Board shall obtain a social investigation report prepared by the probation officer or by a recognized voluntary

- organization ordered to do so by the Board, and take the findings of the report into account.
- (3) All dispositional orders passed by the Board shall necessarily an individual care plan for the concerned juvenile in conflict with law, prepared by a probation officer on the basis of interaction with the juvenile and his family where possible.
- (4) Where the Board decides to release the juvenile after advice and admonition or after participation in group counseling or orders him to perform community service, necessary direction may also be made by the Board to the District or State Child Protection Unit or the State Government for arranging such individual counseling, group counseling and community service.
- (5) Where the Board decides to release the juvenile in conflict with law on probation and place him under the care of the parent or guardian or fit person, the person in whose custody the juvenile is released may be required to submit a written undertaking in **Form V** for the good behaviour and well-being of the juvenile for a maximum period of three years.
- (6) The Board may order release of a juvenile in conflict with law on execution of a personal bond without surety in **Form VI**.
- (7) In the event of placement of a juvenile in conflict with law in care of a fit institution or special home, the Board shall keep in mind that the fit institution or special home is located nearest to the place of residence of the juvenile's parent or guardian.
- (8) The Board, where it releases a juvenile in conflict with law on probation and places him under the care of parent or guardian or fit person or where the juvenile is released on probation and places him under the care of fit institution, may order that the juvenile be placed under the supervision of a probation officer. The period of supervision shall be a maximum of three years.
- (9) Where the Board decides that a juvenile in conflict with law ought to be treated as a child in need of care and protection, it shall make necessary

- orders for production of such juvenile before the nearest Committee for suitable care, protection and rehabilitation.
- (10) Where it appears to the Board that the juvenile in conflict with law has not complied with probation conditions, it may order the juvenile to be sent for detention in a Special Home.
- (11) Where a juvenile in conflict with law who has attained the age of sixteen years and the offence committed by him is of such a serious nature that in the satisfaction of the Board, it is neither in the interest of the juvenile himself nor in the interest of other juveniles of the special home, the Board may order the juvenile to be kept in a place of safety and in a manner considered most appropriate by it.
- (12) The State Government shall make arrangement for complying with the detention of special category of juveniles in conflict with law in place of safety other than the special home.
- (13) In no case, the period of detention shall exceed beyond the maximum period provided in clause (g) of sub-section (1) of section 15 of the Act.

16. Institutions for juveniles in conflict with law:-

- (1) The State Government, either by itself or under an agreement with the recognized voluntary organization, shall set up separate observation homes and special homes for boys and girls in every district or in group of districts as per requirement.
- (2) The observation homes and special homes shall set up separate residential facilities for boys and girls up to the age of 12 years, 13-15 years and 16 years and above.
- (3) Every institution shall keep a copy of the Act, the rules made by the State, for use by both staff, juveniles and children residing therein.
- (4) The State Government shall develop an Operational Manual and make available simplified and child friendly versions of the Act and the rules in regional languages.
- (5) All facilities and services for juveniles in conflict with law shall be made available and maintained as per the provisions of the Act and the State rules.

17. Release:-

- (1) The Superintendent shall maintain a roster of the cases of juveniles in conflict with law to be released on the expiry of the period of stay as ordered by the Board.
- (2) Each case shall be placed before the Management Committee set up under Rule 62 of these rules by the concerned superintendent, probation officer, child welfare officer or case worker for ensuring proper release and social mainstreaming of the juvenile post- release.
- (3) The release shall be as per the pre-release and post release plan prepared under the individual care plan and reviewed from time to time by the management committee set up under rule 62 of these rules and in all cases of release, necessary action and preparation shall be initiated well before the time of release and shall include preparation for post release follow up.
- (4) Timely information of the release of a juvenile and of the exact date of release shall be given to the parent or guardian and the parent or guardian shall be invited to come to the institution to take charge of the juvenile on that date.
- (5) If the parent or guardian, as the case may be, fails to come and take charge of the juvenile on the appointed date, the juvenile shall be taken to his parent or guardian by the escort of the institution; and in case of a girl, she shall be escorted by a female escort, who shall hand over her custody to her parent/guardian.
- (6) At the time of release or discharge, a juvenile shall be provided with a set of clothing and essential toiletries.
- (7) If the juvenile has no parent or guardian, he may be sent to an Aftercare Home/Child Welfare committee for appropriate direction, or in the event of his employment, to the person who has undertaken to employ the juvenile.
- (8) The Superintendent of a girl's institution may, subject to the consent of the girl and the approval of the Board, help the girl with her social reintegration by way of sending a girl above the age of eighteen years to an after care home or helping her with some vocation or gainful employment or, helping her settle into family life as per the procedure laid down by the state government from time to time.

- (9) The Superintendent shall order the discharge in Form VII of any juvenile whose detention period has come to an end and inform the Board and Director of Social Welfare within seven days of the action taken and if the date of release falls on a Sunday or a public holiday, the juvenile may be discharged on the preceding day with an entry to that effect being made in the register of discharge. The Superintendent shall be liable for disciplinary action including initiation of departmental proceeding, if he/she fails to release the juvenile on the date of such release or implement the order.
- (10) The Superintendent shall in appropriate cases, order the payment of subsistence money, at such rates as may be fixed from time to time, by the State Government, and the railway or road, or both, fares, as the case may be.
- (11) In deserving cases, the Superintendent may provide the juvenile with such small tools, as may be necessary to start a work or business subject to such maximum cost as may be fixed by the institution which shall also form part of the post-release plan.
- (12) Where a Juvenile in Conflict with law has no place to go after release or in order to complete the course and requests for stay in the institution after the period of his/her stay is over, the Superintendent may, subject to the approval of the competent authority, allow his/her to stay till the time some other suitable arrangements are made; or may be transferred to an After Care Home.
- 18. Procedure to be followed in respect of sections 21, 22, 23, 24, 25 and 26 of the Act:-
 - (1) In the event of violation of provisions laid down under section 21 of the Act,-
 - (a) The Board/Committee shall take cognizance of such violation by print or electronic media and shall initiate necessary inquiry and pass appropriate orders as per provisions contained in sub-section (2) of section 21 of the Act; and;
 - (b) Where the National or the State Commission for Protection of Child Rights takes *suo motu* cognizance of violation under section 21 of the Act, it shall inform the District or the State Child Protection Unit

- of the concerned district and the State directing them to initiate necessary action through the Board.
- (2) In the event of an escape of a juvenile in conflict with law or a child, the following action shall be taken within twenty-four hours,-
 - (a) The Superintendent of the institution shall immediately send a report to the area Police Station or Special Juvenile Police Unit along with the details and description of the juvenile or child, with identification marks and a photograph, with a copy to the Board/Committee, District Child Protection Unit and other authorities concerned;
 - (b) The Superintendent of institutions other than shelter homes or dropin-centre shall send the guards or concerned staff in search of the juvenile, at places like railway stations, bus stands and other places where the juvenile is likely to go;
 - (c) The parents or guardians, if any shall be informed immediately about such escape; and
 - (d) The Superintendent of the institution other than a shelter home or drop-in-centre shall hold an inquiry about such escape and send his report to the Board or Committee and the authorities concerned and the report shall be placed before the Management Committee set up under Rule 62 of these rules in the next meeting for review.
- (3) The offences against a juvenile in conflict with law or a child specified in sections 23, 24, 25 and 26 shall be either bailable or non-bailable besides being cognizable under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and the procedures shall apply on the Police, the Board and the concerned authorities and functionaries accordingly

CHAPTER III

CHILD WELFARE COMMITTEE

19. Child Welfare Committee.— There shall be a Child Welfare Committee in every district, which shall be constituted by the State Government through a notification in the Official Gazette as per sub-section (1) of section 29 of the Act. The State Government shall provide necessary infrastructure, human and financial resources for its smooth functioning.

20. Composition of the Child Welfare Committee:-

- (1) The Committee shall consist of a Chairperson and four other members, of whom at least one shall be a woman.
- (2) The Chairperson and members of the Committee shall be appointed on the recommendation of a Selection Committee set up by the State Government, for the purpose under Rule 99.
- (3) The Selection Committee, while selecting the Chairperson and Members of the Committee, shall as far as possible ensure that none of them are from any specialized adoption agency or children institutions.
- (4) The State Government shall provide for such training and orientation in child psychology, child welfare, child rights, socialization and rehabilitation, national and international standards for juvenile justice and the relevant legal system to Chairperson and all the members of the Committee as it considers necessary.

21. Tenure of the Committee:-

- (1) The Committee shall have a tenure of three years and the tenure of Chairperson and Members shall be co-terminus with the tenure of the Committee.
- (2) The Chairperson and a member of the Committee may be eligible for reappointment for a maximum of two consecutive terms.
- (3) Extension of the tenure of members of the Committee shall be on the basis of their performance appraisal by the State Government and on the recommendation of the Selection Committee.
- (4) With a view to ensuring continuity on completion of the tenure of a Committee, the State Government shall constitute a new Committee before the expiry of the term of the existing Committee; whereafter the existing

- Committee shall handover all records and information to the newly formed Committee.
- (5) The Chairperson and Members may resign at any time by giving one month's notice in writing or may be removed from office as provided in subsection (4) of Section 29 of the Act.
- (6) Any casual vacancy in the Committee may be filled by appointment of another person from the panel of names prepared by the Selection Committee, and shall hold office for the remaining term of the Committee.

22. Qualifications for Chairperson and Members of the Committee:-

- (1) A person to be selected as a Chairperson or Member of the Committee shall have either of the following qualifications, in addition to a minimum of five years experience in their respective field preferably:
 - (i) A person with post graduate degree in social work, psychology, child development, education, sociology or degree in Law, criminology; and where such a person is not available, a person with at least a graduate degree in any of the social science disciplines;
 - (ii) A teacher, doctor or a social worker who has been involved in work related to children.
- (2) The Chairperson or Member of the Committee shall be a person not less than 35 years of age and not more than 62 years of age at the time of appointment/extension.
- (3) A person with an experience of seven years in respected field will be preferred for Chairperson.
- (4) In Case suitable candidates having minimum qualifications as per (1) are not available in the district, selection committee can recommend candidates having graduate degree in subjects mentioned in (1) and experience for at least 3 years.
- (5) No person shall be considered for Selection as a Chairperson or Member of the Committee, if he,
 - (i) has a previous conviction record;
 - (ii) has been involved in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour;

- (iii) is holding such full-time occupation that may not allow him to give necessary time and attention to the work of the Committee as per the Act and these rules;
- (iv) does not fulfill the qualification and experience prescribed in the Act and the rules made there under, and in such a case the Selection Committee shall after due inquiry and on establishment of such fact, reject his application and recommend the name of the next person from the list of names prepared for filling the vacancies.
- 23. Sitting and conveyance allowances.— The Chairperson and Members of the Committee shall be paid such travel and sitting allowance, as the State Government may determine. The allowances of the Chairperson and Members shall be disbursed by the Director, Social Welfare.

24. Sitting of the Committee:-

- (1) The Committee shall hold its sittings in the premises of the Children's Home or, at a place in proximity to the Children's Home or, at a suitable premise in any institution running under the Act.
- (2) On receiving information about child or children in need of care and protection, if circumstances are such that the child or children cannot be produced before the Committee, the Committee may move out to reach the child or children and hold its sitting at a place that is convenient for such child or children.
- (3) The premises where the Committee holds its sittings shall be child-friendly and shall not look like a court room in any manner whatsoever; for example, the Committee shall not sit on a raised platform and the sitting arrangement shall be uniform and there shall be no witness boxes.
- (4) The Committee shall meet at least a minimum of three days a week, which may be extended by the State Government depending on case and pendency of work.
- (5) A minimum of three-fourth attendance of the Chairperson and Members of the Committee is necessary in a year.
- (6) Every member of the Committee shall attend a minimum of five hours per sitting during the official working hours which may be extended by the state government depending on the pendency of the work.

- 25. Functions and Powers of the Committee.— The Committee shall perform the following functions to achieve the objectives of the Act, namely:-
 - (a) Take cognizance of and receive child produced before the Committee;
 - (b) Decide on the matters brought before the Committee at the earliest;
 - (c) Reach out to such children in need of care and protection who are not in a position to be produced before the Committee, being in difficult circumstances, with support from the District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or the State Government;
 - (d) Conduct necessary inquiry on all issues relating to and affecting the safety and well being of the child;
 - (e) Direct the Child Welfare Officers or Probation Officers or non-governmental organizations to conduct social inquiry and submit a report to the Committee;
 - (f) Prepare individual care plan for the children;
 - (g) Ensure necessary care and protection to the child, including immediate shelter;
 - (h) Ensure appropriate rehabilitation and restoration, including passing necessary directions to parents or guardians or fit persons or fit institutions in this regard, in addition to follow-up and coordination with District Child Protection Unit or State Adoption Resource Agency and other agencies;
 - (i) Direct the Superintendent of children's home/shelter homes/drop-in-centres to receive children requiring shelter and care;
 - (j) Document and maintain detailed case record along with a case summary of every case dealt by the Committee;
 - (k) Ensure a child-friendly environment for children;
 - (l) Recommend 'fit institutions' to the State Government for the care and protection of children;
 - (m) Declare 'fit persons'; and 'fit institution' for temporary period for specific cases;
 - (n) Declare a child legally free for adoption;
 - (o) Keep information about and take necessary follow-up action in respect of missing children in their jurisdiction;
 - (p) Maintain liaison with the Board in respect of cases needing care and protection;

- (q) Visit each institution where children are kept and sent for care and protection and specialized adoption agency at least once in three months to review the condition of children in institutions, with support of the State Government and suggest necessary action;
- (r) Monitor associations and agencies within their jurisdiction that deal with children in order to check on the exploitation and abuse of children;
- (s) Co-ordinate with the Education, Health, Police, Labour Department and other agencies involved in the care and protection of children with the support of District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or State Government;
- (t) Liaison and network with the corporate sector and non-governmental organisations for any of the above, including for social inquiry, restoration and rehabilitation, as and when required; and
- (u) Maintain a suggestion box to encourage inputs from children and adults alike and take necessary action.
- (v) The Committee may, with the help of District Child Protection Unit or any NGO, maintain a list of various governmental, non-governmental, corporate and community agencies for facilitating the rehabilitation and social reintegration of the child;
- (w) Liaison with Committees in other districts and other concerned bodies to facilitate speedy inquiry and restoration or rehabilitation of the child;
- (x) Prepare and send monthly information about child and any other related matter as and when required, to the District Child Protection Unit and the State Child Protection Unit;
- (y) Any other function assigned by the State Government from time to time relating with Children in need of care and protection;
- (z) The CWC can issue order to the local authority to issue the birth certificate of the abandoned child after conducting necessary enquiries.

26. Procedure in relation to Committee:-

- (1) The quorum for the meeting shall be three members attending, which may include the Chairperson.
- (2) Any decision taken by an individual member, when the Committee is not sitting, shall require ratification by the Committee in its next sitting.

- (3) The Committee shall take into consideration the age, developmental stage, physical and mental health, opinion of the child and the recommendation of the child welfare officer or caseworker, prior to disposal of cases.
- (4) For final disposal of a case, the order of the Committee shall be signed by at least two members, including the Chairperson.

27. Production of a Child before the Committee:-

- (1) A child in need of care and protection shall be produced before the Committee within twenty-four hours, excluding journey time, by one of the following persons-
 - (a) any police officer or Special Juvenile Police Unit or a designated police officer;
 - (b) any public servant;
 - (c) childline, a registered voluntary organization or by such other voluntary organization or an agency as may be recognized by the State Government;
 - (d) social worker;
 - (e) any public spirited citizen; or
 - (f) by the child himself.
- (2) Whenever the above mentioned person/s takes charge of child in need of care & protection, the information shall be given to the police control room and childline as soon as possible, giving details of child, the situation from which rescued, the time at which the person took charge of the child including the place. The person taking charge of the child shall also give his details like name, address and organization for which he is working and other relevant details of members of rescue team.
- (3) In case of a child under two years of age, who is medically unfit, the person or the organization shall send a written report along with the photograph of the child to the Committee within twenty-four hours and produce the child before the Committee as soon as the child is medically fit along with a medical certificate to that effect.

- (4) The Committee can *suo motu* take cognizance of cases brought to its notice and reach out to a child in need of care and protection where necessary and the District or the State Child Protection Unit or the State Government shall provide necessary support and assistance to the Committee for carrying out such functions.
- (5) In case the Committee is not sitting, the child may be produced before the single member of the Committee as per the provisions laid down under sub-section (2) of section 30 of the Act for being placed in safe custody of parent or guardian or fit person or fit institutions, as the case may be, till such time that the child can be produced before the Committee.
- (6) In case the single member is also not accessible, or that the hours are odd, the child shall be taken by any non-governmental organisation or Childline or Police to an appropriate institution for children registered under the Act with all the necessary documents, and be placed in such institution till the time of production before the Committee.
- (7) The concerned institution shall inform the Chairperson or a member of the Committee about such child and produce the child before the Committee within twenty four hours and in such cases, it may not be necessary for the person who brings a child in need of care and protection to an institution to be present at the time of production of the child before the Committee. If the institution is Government Children Home, the child may be produced during the next sitting of the committee.
- (8) Whoever produces a child before the Committee may submit a report on the circumstances under which the child came to their notice and efforts made by them in informing the police and the missing persons squad and in cases where a recognized voluntary organization or any police personnel produce a child before the Committee, they shall also submit a report on the efforts made by them for tracing the family of the child.
- (9) Any general medical or gynaecological examination of child shall not be a pre-requisite for production of the child before the Committee or admission in an institution.

- (10) The Committee shall facilitate the filing of a police complaint and First Information Report in cases of missing children as well as matters of violence, exploitation and abuse of children and arrange for required legal aid through the Legal Officer in the District Child Protection Unit or District or State Legal Aid Services Authority or voluntary organizations.
- (11) Each Committee shall send quarterly information about children in need of care and protection received by them to the District or State Child Protection Unit or State Government.
- (12) Child shall be provided a child-friendly environment during the proceedings of the Committee.
- (13) The Committee shall have an empanelled list of lawyers, social workers and mental health experts who may assist the Committee in dealing with cases of abused children and who may also interface with the Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor to facilitate legal services to the abused children, when the cases relating to such children are taken up in regular criminal courts. As far as possible, the public prosecutor or Assistant public prosecutor may preferably be a female in case of girl child.
- (14) Every possible effort shall be made to trace the family with support from the District Child Protection Unit, and assistance of recognized voluntary organizations, Childline or police may also be taken.
- (15) The Committee shall send the child to the designated place of safety, with age and gender appropriate facilities, pending inquiry and in such eventuality, the State Government shall provide transport or make necessary budgetary allocations for such expenses based on the actual fare.
- (16) The child may be escorted by the police officer in plain clothes or representative of the voluntary organization or by any other arrangement as considered appropriate by the Committee with support from the District Child Protection Unit and in case of a girl child, a female escort shall accompany the child.

- (17) A list of all recognized child care institutions along with their capacity and appropriate facilities as prescribed under section 34 of the Act, a list of all child related resource services and a list of contact details of all Child Welfare Committees across the country shall be provided to the Committee by State Government.
- (18) The Committee may, while making an order in **Form VIII** placing a child under the care of a parent, guardian or fit person pending inquiry or at the time of restoration, as the case may be, direct such parent, guardian or fit person to enter into an undertaking in **Form IX.**
- (19) Whenever the Committee orders a child to be kept in an institution, it shall forward to the Superintendent of such institution a copy of the order of short term placement pending inquiry, in **Form X** with particulars of the home and parents or guardian and previous record.
- (20) Whenever the Committee orders a child to be kept in a fit institution as part of restoration under clause (f) of sub-section (3) of section 39 of the Act, it shall forward a copy of its order of restoration in **Form XI** to the Superintendent of such institution.
- (21) (a) The Committee should also satisfy that, the child has not been subjected to any harassment either by the Police or by any other person, who takes charge of the child for the purpose of bringing before the Child Welfare Committee.
 - (b) The Committee may release the child to the care of parents/guardian with without surety till such time the final disposition in made.
 - (c) The Committee shall conduct the proceeding in an informal way to ensure that child's interest is of paramount importance.
 - (d) The Committee shall initiate action against any media for publishing any matter relating to the children in need of care and protection, which would affect the interest of the child.
 - (e) The Committee shall enquire the child in need of care and protection and shall record the statements in accordance to the procedure as laid down in the Code Criminal Procedure, 1973.

- (f) The Committee shall if at any stage during the course of the enquiry is satisfied that the attendance of the child is not essential for the purpose of enquiry, dispense with his attendance and proceed with the enquiry in the absence of child.
- (22) The child shall be placed in an institution closest to where his parents or guardians belong as far as possible, unless the child has been subjected to abuse or exploitation by parents or guardians.

28. Procedure for inquiry:-

- (1) When a child is brought before the Committee, the Committee shall assign the case to a social worker or probation officer or case worker or child welfare officer for conducting the inquiry through and order in **Form-XII**.
- (2) The Committee shall direct the concerned person or organization about the details or particulars to be enquired into for developing an individual care plan and suitable rehabilitation.
- (3) All inquiries conducted by a probation officer or case worker or child welfare officer shall be as per **Form-XIII** and must provide an assessment of the family situation of the child in detail, and explain in writing whether it will be in the best interest of the child to restore him to his family.
- (4) The inquiry must be completed within four months or within such shorter period as may be fixed by the Committee. Provided that the Committee may, in the best interest of the child and for the reasons to be recorded in writing, extend the said period under special circumstances.
- (5) After completion of the inquiry, if, the child is under orders to continue in the children's home, the Committee shall direct the Superintendent of the home to submit quarterly progress report of such child and produce the child before the Committee for an annual review of the progress.

29. Children's Home:-

- (1) The State Government itself or in association with voluntary organizations, shall set up separate homes for children in need of care and protection, in the manner specified below:
 - a) All children's homes shall be registered as child care institutions under sub section (3) of section 34 of the Act and rule 83 of these rules;

- b) All Children's home shall be certified as per the procedure laid down in rule 83;
- c) All children's homes shall report to the concerned Committee about every child in need of care and protection received by them;
- d) Children of both sexes below ten years may be kept in the same home but separate facilities shall be maintained for boys and girls in the age group 5 to 10 years;
- e) Every children's home shall have separate facilities for children in the age group of 0-5 years with appropriate facilities for the infants;
- f) Separate children's homes shall be set up for boys and girls in the age group 10 to 18 years;
- g) Children in the age group of 10 to 18 years shall be further segregated into two groups of 10 to 15 years and 15 to 18 years.
- (2) Each children home shall be a comprehensive child care center with the primary objective to promote an integrated approach to child care by involving the community and local Non-Governmental Organizations through the Management Committee set up under Rule 62 of these rules and the District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or the State Government shall make an annual performance review of functioning of the children's homes run by the state government or by any recognized voluntary organization, besides the regular reviews.
- (3) The activities of such centre shall focus on:
 - a) preparing and following individual care plans for every child, with rights based approach, specifically addressing the child's physical and mental health, emotional needs, education, skill development, protection and special needs if any;
 - b) family based non-institutional services, such as, foster family care, adoption and sponsorship;
 - c) specialized services in situations of conflict or disaster and for juvenile or children affected by terminal or incurable disease to prevent neglect by providing family counseling, nutrition, health interventions, psycho-social interventions and sponsorship;

- d) emergency outreach service through childline (toll free Help Line no. 1098);
- e) linkages with Integrated Child Development Services to cater to the needs of children below six years;
- f) linkages with organizations and individuals who can provide support services to children;
- g) opportunities to volunteers willing to provide various services for children;
- *h*) ensure that the child develop positive attitudes towards the family and creates a linkage with family; and
- i) arrange group counseling like alternatives to violence project.

30. Shelter Home:-

- (1) For children in urgent need of care and protection, such as street children and run-away children, the State Government shall support creation of requisite number of shelter homes or drop-in- centres either on its own or through the voluntary organizations.
- (2) Shelter homes shall include:-
 - (a) short-stay homes for children needing temporary shelter, care and protection for a maximum period of one year,
 - (b) transitional facilities for providing immediate care and protection to a child for a maximum period of four months,
 - (c) 24 hour drop-in-centres for children needing day care or night shelter facility.
- (3) The shelter homes or drop-in-centres shall have the minimum facilities of boarding and lodging, besides the provision for fulfillment of basic needs in terms of clothing, food, health care and nutrition, safe drinking water and sanitation.
- (4) There shall be separate shelter homes for girls and boys as per Rule 47(2)(d) of these rules.
- (5) All shelter homes shall provide requisite facilities for education, vocational training, counseling and recreation or make arrangements for it in collaboration with voluntary organizations or corporate sector.

- (6) The Committee, Special Juvenile Police Unit, public servants, Child Lines, voluntary organizations, social workers and the children themselves may refer a child to such shelter homes.
- (7) All shelter homes shall submit a report of children using the shelter home facility along with a photograph of the child to the Committee, the missing persons bureau or special juvenile police unit and the District Child Protection Unit or the State Child Protection Unit.
- (8) The requirements of producing a child received by a shelter home before the Committee, inquiry and disposal under sections 32, 33, 38 and 39 of the Act shall apply only to shelter homes other than drop-in-centres as specified in Rule 30 (2) (c) of these rules.
- (9) The services of officer-in-charge, child welfare officer, social worker shall be provided for the proper care, protection, development, rehabilitation and reintegration needs of children in shelter homes.
- (10) No child shall ordinarily stay in a shelter home for more than a year except in special circumstances with the approval of the Committee.
- 31. Guidelines for prevention of sexual abuse of children.— The State Government, the Juvenile Justice Board, the Child Welfare Committee, other competent authorities and agencies shall, in the best interest of children, ensure that every person, school or such other educational institutions abide by the guidelines issued from time to time by Central Government and state Government.

CHAPTER IV

REHABILITATION AND SOCIAL REINTEGRATION

32. Rehabilitation and Social Reintegration.— The primary aim of rehabilitation and social reintegration is to help children in restoring their dignity and self-worth and mainstream them through rehabilitation within the family where possible, or otherwise through alternate care programmes and long-term institutional care shall be of last resort.

33. Adoption:-

- (1) The primary aim of adoption is to provide a child who cannot be cared for by his biological parents with a permanent substitute family.
- (2) For all matters relating to adoption, the guidelines issued by the Central Adoption Resource Authority and notified by the Central Government under sub-section (3) of section 41 of the Act, shall apply.
- (3) In case of orphaned and abandoned children the following procedure shall apply, namely:-
 - (a) Wherever a Specialized Adoption Agency receives an abandoned children it shall within twenty four hours inform the matter to the police station.
 - (b) Specialized Adoption Agencies shall produce all orphaned and abandoned children who are to be declared legally free for adoption before the Committee within twenty-four hours of receiving such children, excluding the time taken for journey;
 - (c) A child becomes eligible for adoption when the Committee has completed its inquiry and declares the child legally free for adoption;
 - (d) Such declaration shall be made in **Form XIV**;
 - (e) A child must be produced before the Committee at the time of declaring such child legally free for adoption;
 - (f) Whenever intimation is received by the police about an abandoned infant, the police shall take charge of the infant and arrange to provide immediate medical assistance and care;
 - (g) Subsequently, the child shall be placed in a specialized adoption agency or recognized and certified children's home or in a pediatric unit of a Government hospital followed by production of the child before the Committee within twenty-four hours;

- (h) Procedure for declaring a child abandoned and certifying him legally free for adoption:-
 - (i) in case of an abandoned child, the recognized agency shall within twenty four hours, report and produce the child before the Committee with the copy of the report filed with the police station in whose jurisdiction the child was found abandoned;
 - (ii) the Committee will institute a process of inquiry, which shall include a thorough inquiry conducted by the Probation Officer or Child Welfare Officer, as the case may be and who shall give report in **Form XIII** to the Committee containing the findings within one month;
 - (iii) there shall be a declaration by the specialized adoption agency, stating that there has been no claimant for the child even after making notification in at least one leading national newspaper and one regional language newspaper for children below two years of age and for children above two years, an additional television or any other prevalent mode or radio announcement and notification to the missing persons squad or bureau shall be made;
 - (iv) the steps stated in (iii) shall be taken within a period of sixty days from the time when the child is found in case of a child below two years of age and in case of children above two years of age, this period shall be four months;
 - (v) the period of notification shall run concurrently with the inquiry to be conducted and report submitted under clause (ii) of this subrule;
 - (vi) The Committee shall declare the child legally free for adoption on completion of the process of inquiry, including declaration of the specialized adoption agency made under clauses (ii) and (iii) of this sub-rule;
 - (vii) No child above seven years who can understand and express his opinion shall be declared free for adoption without his consent recorded before Child Welfare Committee.

- (4) In case of surrendered child the following procedure shall apply, namely:-
 - (a) A surrendered child is one who had been declared as such after due process of inquiry by the Committee and in order to be declared legally free for adoption, a 'surrendered' child shall be any of the following:
 - (i) born as a consequence of non-consensual relationship;
 - (ii) born of an unwed mother or out of wedlock;
 - (iii) a child in whose case one of the biological parents is dead and the living parent is incapacitated to take care;
 - (iv) a child where the parents or guardians are compelled to relinquish him due to physical, emotional and social factors beyond their control;
 - (b) serious efforts shall be made by the Committee for counseling the parents, explaining the consequences of adoption and exploring the possibilities of parents retaining the child and if, the parents are unwilling to retain, then, such children shall be kept initially in foster care or arranged for their sponsorship;
 - (c) if the surrender is inevitable, a deed of surrender in Form XV shall be executed on a non-judicial stamp paper in the presence of the Committee.
 - (d) the adoption agencies shall wait for completion of two months reconsideration time given to the biological parent or parents after surrender;
 - (e) in case of a child surrendered by his biological parent or parents, the document of surrender shall be executed by the parent or parents before the Committee;
 - (f) after due inquiry, the Committee shall declare the surrendered child legally free for adoption in **Form XIII** as the case may be after a sixty days' reconsideration period as per Central Adoption Resource Agency guidelines.
- (5) For the purposes of section 41 of the Act, 'court' implies a civil court, which has jurisdiction in matters of adoption and guardianship and may include the court of the district judge, family courts and civil court.

34. Foster Care:-

- (1) For children who cannot be placed in adoption, order shall be issued by the competent authority in Form XVII for carrying out foster care, as given in sub-section (2) of section 42 of the Act under the supervision of a probation officer or case worker or social worker, as the case may be, and the period of foster care shall depend on the need of the child.
- (2) State Government shall design its own foster care programme so as to reduce institutionalization of children and enable a nurturing family environment for every child.
- (3) The State Government shall consult the Boards or Committees, non-governmental organizations, academicians and organizations working on alternative care for children in developing the foster care programme.
- (4) De-institutionalisation of children and placing them in foster care shall be made with the concurrence of the Child Welfare Committee.

35. Criteria for selection of families for foster care:-

- (1) In case of the children covered under Rule 34 of these rules, the following criteria shall apply for selection of families for foster care, namely:-
 - (i) foster parents should have stable emotional adjustment within the family;
 - (ii) foster parents should have an income in which they are able to meet the needs of the child and are not dependent on the foster care maintenance payment;
 - (iii) the monthly family income shall be adequate to take care of foster children and approved by the Committee;
 - (iv) medical reports of all the members of the family residing in the premises should be obtained including checks on Human Immuno Deficiency Virus (HIV) and Hepatitis B to determine that they are medically fit;
 - (v) the foster parents should have experience in child caring and the capacity to provide good child care;
 - (vi) the foster parents should be physically, mentally and emotionally stable;
 - (vii) the home should have adequate space and basic facilities;

- (viii) the foster care family should be willing to follow rules laid down including regular visits to pediatrician, maintenance of child health and their records;
- (ix) the family should be willing to sign an agreement and to return the child to the specialized adoption agency whenever called to do so;
- (x) the foster parents should be willing to attend training or orientation programmes;
- (xi) the foster parents should be willing to take the child for regular (at least once a month in the case of infants) checkups to a pediatrician approved by the agency; and
- (xii) Single parents cannot be given foster care of children of the opposite sex, having age difference less than 20 years.
- (2) There shall be no discrimination in selection of foster-parents on the basis of caste, religion, ethnic status, disability, or health status and the best interest of the child shall be paramount in deciding foster care placement.
- (3) The foster parents shall be declared 'fit persons' by the Committee before placing the child as per the provisions laid down in clause (i) of section 2 of the Act after thorough assessment done by the Child Welfare Officer or Social Worker as per Form XVI.
- 36. Pre-adoption Foster Care.— In case of pre-adoption foster care, the provisions contained in sub-section (1) of section 42 and the corresponding guidelines notified under subsection (3) of section 41 of the Act, shall apply.
- 37. Maintenance grant.— The amount to be paid to the Foster parents if a blood relative for the maintenance of child shall be fixed by the state government from time to time. The amount shall be paid to the foster family as per the scheme developed by the State Government.

38. Target Group:-

- (1) Children from dysfunctional families or from institutions or the children whose biological parents are either incapacitated or in a state of crisis and unable to provide the care and protection to the child shall be target group for foster care.
- (2) children who can not be placed on adoption due to various reasons can be considered for foster care.

39. Programme Implementation— The foster care shall be implemented in each district by the Child Welfare Committee.

The District Child Protection Unit and the Superintendent of Children's Home shall perform the following functions:-

- a) Selection of foster family;
- b) Foster families shall be screened, oriented and trained for receiving the children;
- c) Provide counseling support, information to families and children;
- d) Periodical review regarding relationship between the family and the child;
- e) If the biological family is available, the agency shall keep the relationship alive, provided, if it is a safe relationship;
- f) Workout rehabilitative measures for the child in the foster family either in the form of continuing education or through vocational training or by any skilled development programme to ensure a safe future for the child;
- g) Provide counseling and other support;
- h) The Child Welfare Committee shall monitor the progress of the child.
- 40. (1) Recognition of fit persons for foster placement:-
 - (i) Any person desiring recognition under these rules as foster parent shall make an application to the Child Welfare Committee. He/She shall enclose with the application consent of other spouse, if any, a certificate from a registered medical practitioner about the health condition of the members of his/her family, an income certificate, a character certificate from a gazetted officer or recommendations from the local resident welfare association.
 - (ii) The decision to grant or withdraw recognition shall be taken by the Committee after thorough examination of the report of welfare officer and/or voluntary organization.
 - (iii) The Committee may transfer the custody of a child kept in foster care from one fit person to another duly explaining reasons thereof. The person concerned shall transfer custody of the child within 24 hours of such order of the Committee, failing which Committee shall take appropriate action as per law.

(2) Engagement of voluntary organization

- application together with a copy each of the rules, bye-laws, articles of association, list of members of the society or the association running the organization, office bearers and a statement showing the status and past records of specialized child care services provided by the organization to the Child Welfare Committee, who after verifying the capacity of the organization, in this regard, may approve the engagement of the voluntary organization under these rules on the condition that the organization shall always comply with the standards of services laid down under the Act and the rules framed there under from time to time.
- (ii) The voluntary organization shall submit to the Child Welfare Committee concerned all reports as directed by the Committee in connection with the foster care placement in the time prescribed by the Committee. These reports shall give all necessary details including the points covered in form XVI.
- (iii) The Child Welfare Committee shall ensure payment of the prescribed fee to the voluntary organization for all reports submitted by it, as per directions of the Committee.

41. Agreement to be executed by foster parents:-

- (1) The foster parents should enter into an agreement with the Child Welfare Committee to ensure the following during the period of Foster Care-
 - (i) that the foster parent shall ensure that the child is provided proper education;
 - (ii) that the child shall be treated with love and affection and ensure a suitable atmosphere conducive to overall growth and development of child;
 - (iii) that the child shall not be abused;
 - (iv) that foster parent shall allow the visits of biological parents of the child and respect their views on the child's care and development;
 - (v) that foster parent shall comply with the directions of the ChildWelfare Committee and the State Government with due urgency;

- (vi) the foster parent shall attend the Child Welfare Committee whenever called to discuss the future plan in respect of child;
- (vii) the foster parent shall submit to the welfare officer or the authorized voluntary organization information about child's health, education, behaviour, conduct and any such matters concerning the child as may be required from time to time;
- (viii) The foster parent shall return the child to the Child Welfare Committee whenever so directed by the Committee;
- (ix) The foster parent shall intimate immediately the welfare officer, Child Welfare Committee, and the voluntary organization if the child is seriously ill;
- (x) The foster parent shall intimate about the change in residential address to the Child Welfare Committee and the voluntary organization concerned;
- (xi) The foster parent shall take written permission of the Child Welfare Committee before taking the child out of station for more than a week;
- (xii) The foster parent shall immediately inform the police and the committee if child placed in foster care goes missing;
- (xiii) That the minimum needs of children have been met without denial;
- (xiv) The foster parent shall comply with any other conditions that may be imposed in respect of individual cases;
- (xv) That the foster parents are fully aware that in case of violation of conditions or abuse of children, the child will be withdrawn from their custody. In case of physical or sexual abuse of children, criminal proceedings will be initiated against the foster parents (s).

42. Role of State Government:-

- (1) The State Government shall allocate funds for the implementation of the scheme keeping in view the resources of the state. The Director of social welfare shall be the nodal authority for effective implementation of the scheme.
- (2) The Department of Social Welfare or State Child Protection Society shall-

- (i) implement the foster care programme through the Child Welfare Committee;
- (ii) monitor and evaluate performance of the scheme;
- (iii) in the event of failure to fulfill the condition on the part of the foster parent for the implementation, de-recognise the Foster parent after conducting the necessary enquires and under intimation to the Child Welfare Committee;
- (iv) Take appropriate steps for awareness creation, co-ordination and networking, training of functionaries etc.
- (3) The District Child Protection Unit or Superintendents of Children's Home/Case workers/ Social Worker shall;
 - a) maintain records and case files, follow up records etc. in prescribed format;
 - submit periodical reports with the details of accounts, disbursement assistance of foster care family, child development details etc. to the Committee.
 - c) Appoint one or more professionally qualified Social Workers to implement the scheme, who shall be paid an honorarium at the rate Rs: 5,000/- month which may be revised from time to time by government order.

43. Sponsorship:-

- (1) The State Government shall prepare sponsorship programme in consultation with the Non Governmental Organizations, Child Welfare Committees, other relevant government agencies and the corporate sector.
- (2) The State Government, with the help of District or State Child Protection Unit shall identify families and children at risk and provide necessary support services in the form of sponsorship for child's education, health, nutrition and other developmental needs.
- (3) The children's homes and special homes shall promote sponsorship programmes as laid down in section 43 of the Act.
- (4) The institutions receiving sponsorship, shall maintain proper and separate accounts of all the receipts and payments for the programme.

- (5) The Board or the Committee shall make an order in Form XVIII for support to a juvenile or child through sponsorship and send a copy to the District or State Child Protection Unit or the State Government for appropriate action.
- (6) The State Government may allow individuals, institutions, corporate sectors, financial institutions, industries etc. to sponsor or support the following without expecting any gain in return,-
 - (i) any child or his family shall be supported under sponsorship for education, to withdraw children from child labour;
 - (ii) any activity pertaining to improve the behaviour of children, the personality development programme;
 - (iii) cultural programmes, picnics, holiday camps, medical assistance, immunization programmes, special medical assistance, inter school sports activities, creative arts, competition and seminars for children involving eminent personalities;
 - (iv) Any activities pertaining to the job oriented training programme, establishment of vocational training-cum-rehabilitation centres, community college etc;
 - (v) Establishment of libraries, sports activities, art and competition etc.or any other development programme;
 - (vi) Improving infrastructures and amenities, construction or alteration etc.
- (7) The Director of Social Welfare shall permit the Superintendent of an institution to accept any sponsorship under intimation to the Director of Social Welfare.
- (8) The Superintendent who receives sponsorship shall maintain a proper account and special report shall be sent to The Director of Social Welfare once in a quarter.
- (9) The District Child Protection Unit or any Competent Authority authorized to inspect the activities shall verify the relevant records on sponsorship during inspection and a report shall be sent to the Director of Social Welfare for follow up.

44. After Care Organisation:-

- (1) The state Government shall set up an after care programme for care of juveniles or children after they leave special homes and children's homes.
- (2) The State Government shall notify a 'place of Safety' to accommodate juveniles who have been referred by the Board under clause (2) of Section 16 of the Act, in such manner as may be prescribed from time to time.
- (3) After care programmes shall be made available for persons up to age group of 18-21 years, who have no place to go to or are unable to support themselves, for the purpose of section 44 of the Act and this rule.
- (4) Once the Board or the Committee passes an order in Form XIX for placing a juvenile or a child completing 18 years of age under the after care programme, a copy of such order shall be sent to the District and the State Child Protection Unit and the Director of Social Welfare, who shall be responsible for arranging aftercare. A copy of information shall be made available to the superintendent of the concerned home.
- (5) The Board or the Committee shall have jurisdiction over persons placed in after care programme.
- (6) The objective of these organizations shall be to enable such children to adapt to society and during their stay in these transitional homes these children will be encouraged to move away from an institution based life to a normal one.
- (7) All juveniles or children enrolled into an after care programme must be considered a beneficiary in all appropriate schemes and programmes run by the state government on priority basis.
- (8) The key component of the programme shall include:-
 - (a) community group housing on a temporary basis for groups of young persons aged 18-21 years;
 - (b) imparting vocational training, job oriented training and encouragement to contribute towards the rent or other expenses of the accommodation and maintenance;
 - (c) encouragement to gradually sustain themselves without state support and move out of the group home to stay in a place of their own after saving sufficient amount through their earnings;

- (d) provision for a peer counselor to stay in regular contact with these groups to discuss their rehabilitation plans and provide creative outlets for their energy and to tide over crisis periods in their life.
- (9) Loans may be arranged for the youth in an after care programme aspiring to set up entrepreneurial activities on the basis of an application made by them and after due verification of the need for such a loan, and necessary professional advice and training shall be made available to the youth in the after care programme in this regard.
- (10) The After Care Organization shall facilities for the issuance of the documents such as Voter's ID Card, Bank Savings Account, Residence Certificate, etc. in the name of the person enrolled into the after care programme.

45. Linkages and co-ordination:-

- (1) The State government shall establish effective linkages between various government, non government, corporate and other community agencies for facilitating the rehabilitation and social reintegration of juvenile or children through the Board or the Committee as the case may be.
- (2) The Government shall identify the roles and responsibilities of each department at State or district levels for effective implementation of the Act and the rules and inform them through a notification.
- (3) The State Government shall arrange for appropriate training and sensitization of functionaries of these departments from time to time in coordination with any appropriate agency.
- (4) The State Government through State or District Child Protection Unit shall develop effective networking and linkages with local non-governmental organizations for specialized services and technical assistance like vocational training, education, health care, nutrition, mental health intervention, drug de-addiction, legal aid services etc.
- (5) Voluntary participation of organization of retired persons, social workers, health, personnel shall be encouraged, to organize workshops, cultural programme, sports, camps counseling and recreational services.

- 46. Victim Assistance Centre— Child Victim who are produced before the Child Welfare Committee or brought before Juvenile Justice Boards or victims of the offence committed by the juveniles brought before the Board, often needs immediate assistance or follow up actions in the form of medical, legal, monetary, counseling, or other forms of rehabilitation. To provide such immediate help a service centre comprising the following members may be constituted by the Director of Social Welfare.
 - 1. Superintendent of Special Home/Observation Home-Member/Secretary
 - 2. Medical officer of the nearby Government hospital- Member
 - 3. An advocate nominated by District Legal Service Authority- Member
 - 4. District Probation Officer- Member
 - 5. Two social workers involved in rehabilitation of children and nominated by the Director of Social Welfare- Member
 - A child counselor/pediatrician nominated by Director of Social Welfare-Member

The Victim Service Centre may be attached to the Children's Home/Observation Home/District Probation office in a district. Immediate assistance may be provided by the individual members alone or as a group. The members may meet once or more in a month and review the progress of cases. Such work shall be coordinated by the District Probation Officer, with a view to get compensation or take other remedial measures for physical abuse, sexual abuse, economic abuse, mental abuse and or emotional abuse meted towards children.

CHAPTER V

STANDARDS OF CARE FOR INSTITUTIONS

47. Physical infrastructure:-

- (1) The homes for juveniles in conflict with law and children in need of care and protection shall function from separate premises.
- (2) The accommodation in each institution shall be as per the following criteria, namely:-

(a) Observation Home:

- (i) Separate observation homes for girls and boys;
- (ii) Classification and segregation of juveniles according to their age group preferably 7-12 years, 12-16 years and 16-18 years, giving due consideration to physical and mental status and the nature of the offence committed.

(b) Special Home:

- (i) Separate special homes for girls and boys above 10 years and boys in the age group of 11 to 16 and 16 to 18 years;
- (ii) Classification and segregation of juveniles on the basis of age and nature of offences and their mental and physical status.
- (iii) The State Government shall notify a 'Place of Safety' to accommodate juveniles who have been referred by the Board under clause (2) of Section 16 of the Act, in such manner as prescribed from time to time.

(c) Children's Home:

- (i) While children of both sexes below 10 years can be kept in the same home, separate bathing and sleeping facilities shall be maintained for boys and girls in the age group of 5-10 years;
- (ii) Separate children's homes for boys and girls in the age group of 11 to 16 and 16 to 18 years;
- (iii) Separate facilities for children in the age group of 0-5 years with appropriate facilities for infants.

- (d) Shelter Home:
 - (i) Separate shelter homes for girls and boys;
 - (ii) Separate shelter homes for girls above the age of 10 years and boys in the age groups of 11 to 16 and 16 to 18 years.
- (3) The building or accommodation for an institution with 50 juveniles or children may include space for:-
 - (i) 2 Dormitories or living room,
 - (ii) 2 Classrooms,
 - (iii) Sickroom/First aid room,
 - (iv) Kitchen and Dining Hall, Store
 - (v) Recreation room or hall, Library,
 - (vi) Bathrooms, toilets/latrines,
 - (vii) Counseling and guidance room
 - (viii) Office rooms,
 - (ix) Superintendent's room,
 - (x) Residence for Superintendent,
 - (xi) Rooms for Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee,
 - (xii) Play ground of sufficient area according to the total number of juveniles or children.
- (4) The Superintendent shall stay within the institution and will be provided with quarters and in case he is not able to stay in the home for legitimate reasons (prior written permission of Director, Social Welfare shall be obtained) and in such case any other senior staff member of the institution shall stay in the institution and be in a position to supervise the overall care of the children or juvenile and, take decisions in the case of any crisis or emergency.
- (5) (i) the standards of accommodation as per the norms laid down in Rule 47(3) shall be observed and shall include following facilities to the extent possible:
 - (a) Dormitory or living rooms: 40 Sq. ft. per juvenile or child.
 - (b) Toilet and bathrooms: at least one for every 8 children.
 - (c) Classroom: 300 Sq. ft for each classroom for 25 children.
 - (d) Sickroom/First aid room: 375 Sq. ft for each room.

- (e) Workshop: 75 Sq. ft. per juvenile or child.
- (f) Play ground:-Sufficient play ground area shall be provided in every institution according to the total number of juveniles in institution
- (ii) there shall be proper and smooth flooring for preventing accidents;
- (iii) There shall be adequate lighting, ventilation, heating and cooling arrangements, safe drinking water and clean toilets, in terms of gender, age appropriateness and accessibility to persons with disability.
- (iv) All institutions under the Act shall make provision of first aid kit, fire extinguishers in kitchen, dormitories, store rooms, counseling room, periodic review of electrical installations, proper storage and inspection of articles of food stuffs, stand-by arrangements for water storage and emergency lighting.
- 48. Clothing and Bedding.— The clothing and bedding shall be as per the scale and climatic conditions. The requirements of each juvenile or child and the minimum standards for clothing and bedding are laid down in Schedule-I of these rules.
- 49. Sanitation and Hygiene:- Every institution shall have the following facilities, namely:-
 - (a) sufficient treated drinking water; water filters shall be installed;
 - (b) sufficient water for bathing and washing clothes, maintenance and cleanliness of the premises;
 - (c) proper drainage system;
 - (d) arrangements for disposal of garbage;
 - (e) protection from mosquitoes by providing mosquito nets;
 - (f) annual pest control;
 - (g) sufficient number of well lit and airy toilets and bathrooms in the proportion of at least one for 8 children;
 - (h) sufficient space for washing;
 - (i) clean and fly proof kitchen and separate area for washing utensils;
 - (j) sunning of bedding and clothing;
 - (k) maintenance of cleanliness in the sick room/ first aid room/Medical Centre.

50. Daily Routine :-

- (1) Every institution shall have a daily routine for the juveniles or children developed in consultation with the Children's Committees, which shall be prominently displayed at various places within the institution.
- (2) The daily routine shall provide, *inter alia*, for a regulated and disciplined life, personal hygiene and cleanliness, physical exercise, yoga, educational classes, vocational training, organized recreation and games, moral education, group activities, prayer and community singing and special programmes for Sundays and holidays.
- 51. Nutrition and Diet Scale.—The following nutrition and diet scale shall be followed by the institutions, namely:-
 - (a) the children shall be provided four meals in a day including breakfast;
 - (b) the menu shall be prepared with the help of a nutritional expert or doctor to ensure balanced diet and variety in taste as per the minimum nutritional standard and diet scale set out in Schedule II of these rules;
 - (c) every institution under this Act shall strictly adhere to the minimum nutritional standard and diet scale specified in Schedule II;
 - (d) Juveniles or children may be provided special meals on holidays and festivals;
 - (e) Infants and sick juveniles or children shall be provided special diet according to the advise of the doctor on their dietary requirement.

52. Medical Care.—Every institution shall:-

- (a) maintain a medical record of each juvenile or child on the basis of monthly medical check-up and provide necessary medical facilities;
- (b) ensure that the medical record includes weight and height record, any sickness and treatment, and other physical or mental problem;
- (c) have arrangement for the medical facilities, including a doctor on call available on all working days for regular medical check-ups and treatment of juveniles or children;
- (d) have sufficient medical equipments to handle minor health problems including first aid kit with stock of emergency medicines and consumables;
- (e) train all staff in handling first aid;

- (f) tie-up with local Primary Health Centre, government hospital, medical colleges, other hospitals, clinical psychologists and psychiatrists and mental health institutes for regular visits by their doctors and interns and for holding periodic health camps within the institutions;
- (g) make necessary arrangements made for the immunization coverage and maintain proper records in respect thereof;
- (h) take preventive measures against out break of contagious or infectious diseases;
- (i) set up a system for referral of cases with deteriorating health or serious cases to the nearest civil hospital or recognized treatment centres;
- (j) keep sick children under constant medical supervision;
- (k) admit a juvenile or child without insisting on a medical certificate at the time of admission;
- (l) not carry out any surgical treatment on any juvenile or child without the previous consent of his parent or guardian, unless either the parent or guardian cannot be found and the condition of the juvenile or child is such that any delay shall, in the opinion of the medical officer, involve unnecessary suffering or injury to the health of the juvenile or child, or otherwise without obtaining a written consent to this effect from the superintendent of the institution;
- (m) provide or arrange for regular counselling of every juvenile or child and ensure specific mental health interventions for those in need of such services, including separate rooms for counselling sessions within the premises of the institution;
- (n) refer such children who require specialized drug abuse prevention and rehabilitation programme, to an appropriate centre administered by qualified personnel where these programmes shall be adopted to the age, gender and other specifications of the concerned child.

53. Mental Health:-

(1) A mental health record of every juvenile or child shall be maintained by the concerned institutions.

(2) Both mileu-based interventions that is creating an enabling environment for children and individual therapy are must for every child and shall be provided in all institutions.

Explanation.— For the purpose of this sub-rule, mileu based intervention is a process of recovery, which starts through providing an enabling culture and environment in an institution so as to ensure that each child's abilities are discovered and they have choices and right to take to decisions regarding their life and thus, they develop and identify beyond their negative experiences and such intervention has a critical emotional impact on the child.

- (3) The environment in an institution shall be free from abuse, allowing juveniles or children to cope with their situation and regain confidence.
- (4) All persons involved in taking care of the juveniles or children in an institution shall participate in facilitating an enabling environment and work in collaboration with the therapists.
- (5) Individual therapy is a specialized process and each institution shall make provisions for it as a critical mental health intervention.
- (6) Every institution shall have the services of trained counselors or collaboration with external agencies such as child guidance centres, psychology and psychiatric departments or similar government and nongovernmental agencies, for specialized and regular individual therapy for every juvenile or child in the institution.
- (7) A mental health care plan shall be developed for every juvenile or child by the child welfare officers in consultation with mental health experts associated with the institution and integrated into the individual care plan of the concerned juvenile or child.
- (8) The recommendations of mental health experts shall be maintained in every case file and integrated into the care plan for every child.
- (9) All care plans shall be produced before the Management Committee set up under rule 62 of these rules every month and before the Child Welfare Committee every quarter.
- (10) No juvenile or child shall be administered medication for mental health problems without a psychological evaluation and diagnosis by appropriately trained mental health professionals.

54. Education :-

- (1) Every institution shall provide formal, non-formal and life skill education to all juveniles or children according to the age and ability, both inside the institution or outside, as per the requirement.
- (2) There shall be a range of educational opportunities including, mainstream inclusive schools, bridge school, open schooling, non formal education and learning and input from special educators where needed.
- (3) Wherever necessary, extra coaching shall be made available to school going children in the institutions by encouraging volunteer services or tying up with coaching centers.

55. Vocational Training:-

- (1) Every institution shall provide gainful and market oriented income generating vocational training to juveniles or children.
- (2) The institutions shall develop networking with recognized Institute of Technical Instruction, Jan Shikshan Sansthan, Government and Private Organization or Enterprises, Agencies or non governmental organizations with expertise or placement agencies.
- (3) Superintendent of the institution shall make reasonable efforts for placement of children of 16-18 years of age as an apprentice.

56. Recreation facilities:-

- (1) A provision of guided recreation shall be made available to all juveniles or children in the institutions.
- (2) It shall include indoor and outdoor games, music, television, picnics and outings, cultural programmes and library.
- (3) Every institution shall provide materials, toys, games in sufficient quantity to all children for recreational activities.

57. Institutional Management of juveniles or children:-

- (1) The following procedure shall be followed in respect of the newly admitted juvenile:
 - (a) receiving and search. The girl juvenile or child shall be searched by a female member of the staff, and both the girl and boy shall be searched with due regard to decency and dignity;

- (b) disinfection and storing of juvenile's personal belongings and other valuables, entry of belongings in a separate register;
- (c) bath and haircut (unless prohibited by religion);
- (d) issue of toiletry items, new set of clothes, bedding and other outfit and equipment (as per scales);
- (e) medical examination and treatment where necessary and in case of every juvenile suspected to be suffering from contagious or infectious diseases, mental ailments or addiction;
- (f) segregation in specially earmarked dormitories or wards or hospitals in case of a child suffering from contagious disease requiring special care and caution;
- (g) attending to immediate and urgent needs of the juveniles like appearing in examinations, interview, letter to parents, personal problems and verification by the superintendent of age of juvenile as per order of the Board or the Committee.
- (2) Every newly admitted juvenile or child shall be allotted a case worker from amongst the probation officers or child welfare officers or professionally trained social workers or counselors attached to the institution or professionally trained voluntary social workers or counselors.
- (3) Every newly admitted juvenile shall be familiarized with the institution and its functioning and shall receive orientation in the following areas:
 - (a) personal health, hygiene and sanitation;
 - (b) institutional discipline and standards of behaviour, respect for elders and teachers;
 - (c) daily routine, peer interaction, optimum use of developmental opportunities; and
 - (d) rights, responsibilities and obligations within the institution.
- (4) The designed officer shall enter the name of the juvenile or child in the Admission Register and allocate appropriate accommodation facility.
- (5) The photograph shall also be taken immediately for records and the case worker or probation officer or welfare officer shall begin the investigation and correspondence with the person, the juvenile or child might have named.

- (6) The Superintendent shall see that the personal belongings of the juvenile or child received by the institution is kept in safe custody and recorded in the Personal Belonging Register and the item must be returned to the juvenile or child when he leaves the institution.
- (7) The educational level and vocational aptitude of the juvenile admitted, may be assessed on the basis of test and interview conducted by the teacher, the workshop supervisor and other technical staff and necessary linkages may also be established with outside specialists and community-based welfare agencies, psychologist, psychiatrist, child guidance clinic, hospital and local doctors, open school or Jan Sikshan Sansthan.
- (8) A case history of the juvenile or the child admitted to an institution shall be maintained as per **Form XX**, which shall contain information regarding his socio-cultural and economic background and this information may invariably be collected through all possible and available sources, including home, parents or guardians, employer, school, friends and community.
- (9) A well conceived programme of pre-release planning and follow up of cases discharged from special homes shall be organized in all institutions in close collaboration with existing governmental and voluntary welfare organizations.
- (10) In the event of a juvenile or child leaving the institution without permission or committing an offence within the institution, the information shall be sent by the Superintendent of the concerned institution to the police and the family, if known; and the detailed report of circumstances along with the efforts to trace the juvenile or child where the juvenile or child is missing, shall be sent to the Board or the Committee, as the case may be.
- (11) An individual care plan for every juvenile or child in institutional care shall be developed with the ultimate aim of the child being rehabilitated and reintegrated based on their case history, circumstances and individual needs and the individual care plan shall be based on following guidelines:
 - (a) the Superintendent along with the child welfare officer or case worker, or social worker shall prepare an individual care plan for every child in an institution within one month of his admittance as per

Form XXI;

- (b) all care plans shall include a plan for the juvenile's or child's restoration, rehabilitation, reintegration and follow-up;
- (c) the care plan shall be reviewed quarterly by the Management Committee set up under rule 62 of these rules for appropriate development and rehabilitation including options for release or restoration to family or sponsorship or foster care or adoption;
- (d) juveniles or children shall be consulted while determining their care plan;
- (e) continuity of care plan shall be ensured in cases of transfer or repatriation or restoration.
- 58. Prohibited Articles.— No person shall bring into the institution the following prohibited articles, namely:
 - (a) fire-arms or other weapons, whether requiring license or not (like knife, blades, lathe, spears and swords);
 - (a) alcohol and spirit of any description;
 - (b) bhang, ganja, opium or other narcotic or psychotropic substances;
 - (c) tobacco, cigarette, gutka; or
 - (d) any other article specified in this behalf by the State Government by a general or special order.

59. Articles found on search and inspection:-

- (1) The Superintendent shall see that every juvenile received in the institution is searched, without adversely affecting the dignity of the juvenile, his personal belongings inspected and money or any valuables found with the juvenile is kept in the safe custody of the Superintendent/officer-in-charge.
- (2) The girls shall be searched by a female member of the staff and both the girls and boys shall be searched with due regard to decency and dignity.
- (3) In every institution, a record of money, valuables and other articles and found with a juvenile shall be maintained in the "Personal Belongings Register".
- (4) The entries made in the Personal Belongings Register, relating to each juvenile, shall be read over to juvenile in the presence of a witness, whose signature shall be obtained in token of the correctness of such entries and it shall be countersigned by the Superintendent.

- 60. Disposal of articles.— The money or valuables belonging to a juvenile received or retained in an institution shall be disposed of in the following manner, namely:
 - (a) on an order made by the competent authority in respect of any juvenile, directing the juvenile to be sent to an institution, the Superintendent shall deposit such juvenile's money together with the sale proceeds in the manner laid down from time to time in the name of the juvenile;
 - (b) the juvenile's money shall be kept with the Superintendent and valuables, clothing, bedding and other articles, if any, shall be kept in safe eustody;
 - (c) when such juvenile is transferred from one institution to another, all his money, valuables and other articles, shall be sent along with the juvenile to the Superintendent of the institution to which he has been transferred together with a full and correct statement of the description and estimated value thereof;
 - (d) at the time of release of such juvenile, the valuables and other articles kept in safe custody and the money deposited in name of the juvenile shall be handed over to the juvenile or the child himself or the parent or guardian, as the case may be, with an entry made in this behalf in the register and signed by the Superintendent;
 - (e) when a juvenile in an institution dies, the valuable and other articles left by the deceased and the money deposited in the name of the juvenile shall be handed over by the Superintendent to any person who establishes his claim thereto and executes an indemnity bond;
 - (f) a receipt shall be obtained from such person for having received such valuables and other articles and the amount;
 - (g) if no claimant appears within a period of six months from the date of death or escape of such juvenile, the valuables and other articles and amount shall be disposed of as per the decision taken by Management Committee set up under rule 62 of the rules. Any money shall be deposited in the Fund as described in Section 61 of the Act.

61. Maintenance of case file:-

(1) The case file of each juvenile and child shall be maintained in the institution containing the following information;

- (a) report of the person or agency who produced the juvenile before the Board;
- (b) Superintendent's, probation officer's or child welfare officer's, counselor's and caseworker's reports;
- (c) information from previous institution, if any;
- (d) report of the initial interaction with the juvenile, information from family members, relatives, community, friends and miscellaneous information;
- (e) source of further information;
- (f) observation reports from staff members;
- (g) regular health status reports from Medical Officer, drug de-addiction progress reports, progress reports *vis-à-vis* psychological counselling or any other mental health intervention, where applicable;
- (h) Intelligence Quotient (I.Q) testing, aptitude testing, educational or vocational tests;
- (i) social history;
- (j) summary and analysis by case-worker and Superintendent;
- (k) instruction regarding training and treatment programme and about special precautions to be taken;
- (l) leave and other privileges granted;
- (m) special achievements and violation of rules, if any;
- (n) quarterly progress reports;
- (o) individual care plan, including pre-release programme, post release plan and follow-up plan as prescribed in **Form XXI**;
- (p) leave of absence or release under supervision;
- (q) final discharge;
- (r) follow-up reports;
- (s) annual photograph;
- (t) case history duly filled in prescribed **Form XX**;
- (u) follow-up report of post release cases as per direction of the competent authority if any; and;
- (v) remarks.

(2) All the case files maintained by the institutions and the Board or Committee shall, as far as possible, be computerized and networked so that the data is centrally available to the State and the District Child Protection Unit and the State Government.

62. Management Committee:-

- (1) Every institution shall have a Management Committee for the management of the institution and monitoring the progress of every juvenile and child, constituted through an order of the concerned District Child Protection Unit.
- (2) In order to ensure proper care and treatment as per the individual care plans, a juvenile or child shall be grouped on the basis of age, nature of offence or kind of care required, physical and mental health and length of stay order.
- (3) The Management Committee shall consist of the following persons:
 - 1. District Child Protection Officer (District Child Protection Unit)-Chairperson
 - 2. Superintendent- Member-Secertary
 - 3. Probation officer or child welfare officer or Case Worker- Member
 - 4. District Medical Officer-Member
 - 5. Psychologist or counselor- Member
 - 6. Workshop supervisor or Instructor in Vocation-Member
 - 7. Teacher- Member
 - 8. Social Worker Member of Juvenile Justice Board or Child Welfare Committee- Member
 - A Juvenile or child representative from each of the Children's Committees (on a monthly rotation basis to ensure representation of juveniles of children from all age groups)-Member
 - 10. A representative from senior citizen forum and/or Resident welfare Association-Member
 - 11. One Non-government organization Representative-Member
- (4) Where voluntary organization are involved in providing professional and technical services like education, vocational training, psychosocial care, mental health intervention and legal aid, the Management Committee may

- invite four representatives of such voluntary organization as a special invitee to the Management Committee meetings.
- (5) In the district where District Child Protection Unit is not constituted, the District Magistrate shall be the Chairperson of this committee.
- (6)(a) The Management Committee shall meet as frequently as possible but at least once in every three months to consider and review;-
 - (i) custodial care or care in the institution, housing, area of activity and type of supervision or interventions required;
 - (ii) medical facilities and treatment;
 - (iii) food, water, sanitation and hygiene conditions;
 - (iv) mental health interventions with the juveniles and children;
 - individual problems of juveniles and children, provision of legal aid services and institutional adjustment, leading to the quarterly review of individual care plans;
 - (vi) vocational training and opportunities for employment;
 - (vii) education and life skills development programmes;
 - (viii) social adjustment, recreation, group work activities, guidance and counseling;
 - (ix) review of progress, adjustment and modification of residential programmes to the needs of the juveniles and children;
 - (x) planning post-release or post-restoration rehabilitation progamme and follow-up for a period of two years in collaboration with aftercare services;
 - (xi) pre-release or pre-restoration preparation;
 - (xii) release or restoration;
 - (xiii) post release or post-restoration follow-up;
 - (xiv) minimum standards of care, including infrastructure and services available;
 - (xv) daily routine;
 - (xvi) community participation and voluntarism in the residential life of children such as education, vocational activities, recreation and hobby;

- (xvii) oversee that all registers as required under the Act and rules are maintained by the institution, check and verify these registers, duly stamped and signed in the monthly review meetings;
- (xviii) matters concerning the Children's Committees;
- (xix) any other matter which the Superintendent may like to bring up.
- (b) The Superintendent shall file a quarterly progress report of every juvenile or child in the case file and send a copy to the District Child Protection Unit and Board or Committee, as the case may be.
- (7) The Management Committee shall set up a complaint and redressal mechanism in every institution and a Children's Suggestion Box shall be installed in every institution at a place easily accessible or rooms or dormitories of the children.
- (8) (a) The Children Suggestion Box, whose key shall remain in the custody of the Chairperson of the Management committee, shall be checked every week by the Chairperson of the Management committee or his representative from District Child Protection Unit, in the presence of the members of the Children's Committees.
 - (b) If there is a problem or suggestion that requires immediate attention, the Chairperson of the Management Committee shall call for an emergency meeting of the Management Committee to discuss and take necessary action.
 - (c) The quorum for conducting the emergency meetings shall be five members, including two members of Children's Committees, Chairperson of the Management Committee, Member of Child Welfare Committee or the Board as the case may be and the Superintendent of the institution.
 - (d) In the event of a serious allegation or complaint against the Superintendent of the institution, he shall not be part of the emergency meeting and another available member of the Management Committee shall be included in his place.
 - (e) All suggestions received through the suggestion box and action taken as a result of the decisions made in the emergency meeting or action required to be taken shall be placed for discussion and review in the quarterly meeting of the Management Committee.

- (9) A Children's Suggestion Book shall be maintained in every institution where the complaints and action taken by the Management Committee are duly recorded and such action and follow up shall be communicated to the Children's Committees after quarterly meeting of the Management Committee.
- (10) The Board or Committee shall review the Children's Suggestion Book at least once in six months.

63. Children's Committees:-

- (1) Superintendent of every institution for juveniles or children shall facilitate the setting up of Children's Committee for three different age group of children, viz., 6-11 years, 11-16 years and 16-18 years and these Children's Committee shall be constituted solely by children. There may be cleaning and hygiene committee, education and vocational training committee, sports and cultural committee, recreational committee etc.
- (2) Such Children's Committee shall be encouraged to participate in following activities.-
 - (a) improvement of the condition of the institution;
 - (b) reviewing the standards of care being followed;
 - (c) preparing daily routine and diet scale;
 - (d) developing educational, vocational and recreation plans;
 - (e) supporting each other in managing crisis;
 - (f) reporting abuse and exploitation by peers and caregivers;
 - (g) creative expression of their views through wallpapers or newsletters or paintings or music or theater;
 - (h) management of institution through the Management Committee.
- (3) The Superintendent shall ensure that the Children's Committees meet every month and maintain a register for recording its activities and proceedings, and place it before the Management Committee in their quarterly meetings.
- (4) The Superintendent shall ensure that the Children's Committees are provided with essential support and materials including stationary, space and guidance for effective functioning.
- (5) The local voluntary organization or counselor may support the Children's Committees in the following,-

- (a) selecting their leaders;
- (b) conducting the monthly meetings;
- (c) developing rules for the functioning of Children's Committees and following it;
- (d) maintaining records and Children's Suggestion Book and other relevant documents;
- (n) any other innovative activity.
- (6) The Management Committee shall seek a report from the Superintendent on the setting up and functioning of the Children's Committees, review these reports in their quarterly meetings and take necessary action where required.

64.Rewards and Earnings.— The rewards to a juvenile or child, at such rates as may be fixed by the management of the institution from time to time, shall be granted by the Superintendent as an encouragement to steady work and good behaviour and at the time of release, the reward shall be handed over after obtaining a receipt from the parent or the guardian who comes to take charge of the juvenile or child or juvenile or child himself.

- 65. Visits to and communication with juveniles or children:-
 - (1) The parents and relatives of the juveniles or children shall be allowed to visit at least twice in a month or in special cases, more frequently at the discretion of the Superintendent as per the visiting hours laid down by him, except where parents or relatives or guardian have been found to be responsible for subjecting the juvenile or child to violence, abuse and exploitation.
 - (2) The receipt of letters by the juveniles or children of the institution shall not be restricted and they shall have freedom to write as many letters as they like at all reasonable times and the institution shall ensure that where parents, guardians or relatives are known, at least one letter is written by the juvenile or children every month for which the postage shall be provided by the institution.
 - (3) The Superintendent may peruse any letter written by or to the juvenile or children, and may for the reasons that he considers sufficient refuse to deliver or issue the letter and forward it to the Committee after recording his reasons in a book maintained for the purpose.

- (4) The Superintendent shall, in special circumstances or as per orders of the Board or Committee, allow a juvenile or child to make telephonic communication with his parents or guardians or relatives.
- 66. Death of a juvenile or child:- On the occurrence of any case of death or suicide in any institution the procedure to be adopted shall be as under: -
 - (1) In the event of an unnatural death or suicide of a juvenile or child in an institution it is imperative for the institution to ensure that an inquest and post-mortem examination is held at the earliest.
 - (2) In case of natural death or due to illness of a juvenile or child, the Superintendent shall obtain a report of the Medical Officer stating the cause of death and a written intimation about the death shall be given immediately to the State Government, nearest Police Station, the Board or Committee, the State Commission for the Protection of Child Rights, District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or any other concerned authority and the parents or guardians or relatives of the juvenile or child.
 - (3) Whenever a sudden or violent death or death from suicide or accident takes place, immediate information shall be given by the case worker or probation officer or welfare officer to the Superintendent and the Medical Officer and the Superintendent shall immediately inform the nearest police station, Board or Committee and parents or guardians or relatives of the deceased juvenile or child.
 - (4) If a juvenile or child dies within twenty four hours of his admission to the institution, the Superintendent of the institution shall report the matter to the Officer in charge of the Police Station having jurisdiction and the District Medical Officer or the nearest Government Hospital and the parents or guardians or relatives or such juvenile or child without delay.
 - (5) The Superintendent shall also immediately give intimation to nearest Magistrate empowered to hold inquests and to the Board or as the case may be the Committee.
 - (6) The Superintendent and the Medical Officer at the institution shall record the circumstance of the death of the child and send a report to the concerned Magistrate, the Officer in charge of the police station having jurisdiction, the Committee and the District Medical Officer or the nearest government

hospital where the dead body of the juvenile or child is sent of examination, inspection and determination of the cause of death and the Superintendent and the Medical Officer shall also record in writing their views on the cause of the death and submit it to the concerned Magistrate and the Officer in charge of the police station having jurisdiction.

- (7) The Superintendent and the Medical Officer shall make themselves available for any inquiries initiated by the police or the Magistrate concerning the cause of death and other details regarding such juvenile or child.
- (8) As soon as the inquest is held, the body shall be handed over to the parents or guardian or relatives or, in the absence of any claimant, the last rites shall be performed under the supervision of the Superintendent in accordance with the known religion of the juvenile or child.

67. Abuse and exploitation of the juvenile or child:-

- (1) Every institution shall ensure the observance of the Protocol for prevention and protection of children from abuse, exploitation and neglect and maltreatment within the institutions, as prescribed by the State Government from time to time.
- (2) Superintendent of the institution shall ensure that there is no abuse, neglect and maltreatment and this include the staff being aware of what constitutes abuse, neglect and maltreatment as well as early indicators of abuse, neglect and maltreatment and how to respond to these.
- (3) The following action shall be taken in the event of any physical, sexual or emotional abuse, including neglect of juveniles and children in an institution by those responsible for care and protection:-
 - the incidence of abuse and exploitation or any crime must be reported by any staff member of the institution immediately to the Superintendent;
 - (ii) when an allegation of physical, sexual or emotional abuse comes to the knowledge of the Superintendent, a report shall be placed before the Board or Committee, who in turn, shall order for special investigation.

- (iii) the Board or Committee shall direct the local police station or Special Juvenile Police Unit to register a case, take due cognizance or such occurrences and conduct necessary investigations;
- (iv) the Board or Committee shall take necessary steps to ensure completion of all inquiry and provide protection, legal aid as well as counseling to the juvenile or child victim;
- (v) the Board or Committee shall transfer such a juvenile or child to another institution or place of safely or fit person;
- (vi) in the event of any other crime committed in respect of juveniles or children in institutions, the Board or committee shall take cognizance and arrange for necessary investigation to be carried out by the local police station or Special Juvenile Police Unit;
- (vii) the superintendent of the institution shall also inform the chairperson of the Management Committee and place a copy of the report of the incident and subsequent action taken before the Management Committee in its next meeting;
- (viii) the Board or Committee may consult Children's Committee set up in each institution to enquire into the fact of abuse and exploitation as well as seek assistance from relevant voluntary organizations, child rights experts, mental health experts or crisis intervention centres in dealing with matters of abuse and exploitation of juveniles or children in an institution.

68. Mode of dealing with Child suffering from dangerous diseases or mental health problems:-

(1) When a child kept in an institution under the provisions of the Act or under care of a fit person or a fit institution is found to be suffering from a disease or physical or mental health problems requiring prolonged medical treatment or is found addicted to a narcotic drug or psychotropic substance, the child shall be removed by an order of the competent authority to an approved place set up for the purpose for the remainder of the term for which he has to be kept in custody under the order of the competent authority or for such period as may be certified by medical officer to be necessary for the proper treatment of the child.

- (2) Where it appears to the authority ordering the removal of the child under sub rule (1) above that the child is cured of disease or physical or mental complaint the child is still liable to be kept in custody, order the person having charge to send to the institution or fit person from which or from whom he was removed or if the child's is no longer liable to be kept in home, order him to be discharged.
- (3) Where action has been taken under sub-rule(1) in the case of a child suffering from an infectious or contagious disease, the authority empowered under the sub rule before restoring the said child to his parent or to the guardian, as the case may be, where it is satisfied that such action will be in the interest of the said child, call upon parents or the guardian, as the case may be, to satisfy it that such parents or guardian not re-infect the child.
- (4) Where there is no organization either within the jurisdiction of the competent authority, or nearby District or State for care and protection of juveniles or children suffering from serious psychiatric or physical disorder and infection, as required under section 58 of the Act, the child or the juvenile shall be referred to a suitable place or institution, as it may deem fit to cater to the special needs of such juveniles or children.

69. Leave of absence of a juvenile or child:-

- (1) A juvenile or child in an institution may be allowed to go on leave of absence or released under supervision for examination or admission, special occasions like marriage or emergencies like death or accident or serious illness in the family.
- (2) While the leave of absence for short period generally not exceeding seven days excluding the journey time may be recommended by the Superintendent, but granting of such leave shall be by the Board or Committee.
- (3) The parents or guardian of the juvenile or the Superintendent on behalf of the juvenile or child may submit an application to the Board or Committee requesting for relieving the juvenile or child on leave, stating clearly the purpose for the leave and the period of leave.

- (4) While considering the application of leave of absence, the Board or Committee shall hear the juvenile or child or the parents or guardians of the juvenile or child and if the Board or Committee considers that granting of such leave is in the interest of the juvenile or child, appropriate order shall be made and the Board or Committee may call for a report from the probation officer or child welfare officer in case the preliminary information gathered from the juvenile or child or concerned parent or guardian is not sufficient for the purpose.
- (5) While issuing orders sanctioning the leave of absence or relieving under supervision, as the case may be, the competent authority shall mention the period of leave and the conditions attached to the leave order, and if any of these conditions are not complied with during the leave period, the juvenile or child may be called back to the institution.
- (6) The parent or guardian shall arrange to escort the juvenile or child from and to the institution and where this is not possible, the Superintendent may arrange to escort the juvenile or child to the place of the family and back. In case the parents or guardian is willing to arrange escort but does not have requisite financial means, the Superintendent shall arrange for the traveling expenses as admissible under the rules.
- (7) If the juvenile or child runs away from the family during the leave period, the parent or guardian is required to inform the Superintendent of the institution immediately, and try to trace the juvenile or child and if found, the juvenile or child shall be brought back to the institution immediately.
- (8) If the juvenile or child is not found within twenty four hours, the Superintendent shall report the matter to the nearest police station and missing person's bureau, but no adverse disciplinary action shall be taken against he juvenile or child and procedure laid down under the Act shall be followed.
- (9) If the parent or guardian does not take proper care of the juvenile or child during the leave period or does not bring the juvenile or child back to the institution within the stipulated period, such leave may be refused on later occasions.

- (10) If the juvenile or child does not return to the institution on expiry of the sanctioned leave, the Board or Committee shall refer the case to police for taking charge of the juvenile and bring him back to the institution.
- (11) The period of such leave shall be counted as a part of the period of stay in the institution and the time which elapses after the failure of a juvenile to return to the institution within the stipulated period, shall be excluded while computing the period of his stay in the institution.

70. Inspection:-

- (1) The State Government shall constitute State, District or City level inspection committee on the recommendation of Selection Committee, constituted under Rule 100 of these rules, for a period of 3 years.
- (2) The inspection committee shall visit and oversee the conditions in the institutions and appropriateness of the processes for safety, well being and permanence, review the standards of care and protection being followed by the institutions, look out for any incidence of violation of child rights, look into the functioning of the Management Committee and Children's Committees set up under rules 62 and 63 of these rules and give appropriate directions.
- (3) The team shall also make suggestions for improvement and development of the institution.
- (4) The team shall consist of seven members with representation from the Judiciary/State Government, local authority, the Board or Committee, the State Commission for the Protection of Child Rights or the State Human Rights Commission, medical and other experts, voluntary organizations and reputed social workers.
- (5) The inspection shall be carried out at least once in every three months.
- (6) The inspection visit shall be carried out by not less than three members.
- (7) The team shall visit the institutions either by prior intimation or make a surprise visit.
- (8) The team shall interact with the children during the visits to the institution, to determine their well being and uninhibited feed back.
- (9) the follow up action on the findings and suggestion of the children shall be taken by all concerned authorities.

(10) The action taken report, finding and suggestions from the Inspection Committee shall be sent to the District Child Protection Unit and the State Government.

71. Social Audit:-

- (1) The State Government shall monitor and evaluate the implementation of the Act annually by reviewing matters concerning establishment of Board or Committee or Special Juvenile Police Unit where required, functioning of Board or Committee or Special Juvenile Police Unit, functioning of institutions and staff, functioning of adoption agencies, child friendly administration of juvenile justice and any other matter concerning effective implementation of the Act in the State.
- (2) The Social audit shall be carried out with support and involvement of organizations working in the field of mental health, child care and protection and public accountability.

72. Restoration and Follow-up:-

- (1) The order for restoration of the juvenile or child shall be made by the Board or Committee on the basis of a fair hearing of the juvenile or child and his parents or guardian, as well as on the reports of the Probation Officers or Child Welfare Officers or non-governmental organizations directed by the Board or Committee to conduct the home study and any other relevant document or report brought before the Board or Committee for deciding the matter.
- (2) The Board or Committee shall send a copy of the restoration order along with a copy of the order for escort as per **Form XXII** to the District Child Protection Unit or State Government who shall provide funds for restoration of the juvenile or child.
- (3) Every restoration shall be planned for as part of the individual care plans prepared by the case-workers or counselors or child welfare officers or probation officer, as the case may be, and shall be based on the review and recommendations of the Management Committee set up under Rule 62 of these rules.

- (4) Besides police, the Board or Committee may seek collaboration with non-governmental organizations to accompany juveniles or children back to their family for restoration.
- (5) In case of girls, the juvenile or child shall necessarily be accompanied by female escorts.
- (6) The expenses incurred on restoration of a juvenile or child, including travel and other incidental expenses, shall be borne by the District Child Protection Unit or State Government, if directed by the competent authority.
- (7) When a juvenile or child expresses his unwillingness to be restored back to the family, the Board or Committee shall make a note of it in its records in writing and such juvenile or child shall not be coerced or persuaded to go back to the family, particularly if the social investigation report of the child welfare officer or probation officer establishes that restoration to family may not be in the best interest of the juvenile or child or, if the parents or guardians refuse to accept the juvenile or child back.
- (8) A follow-up plan shall be prepared as part of the individual care plan by the Child Welfare Officers or Probation Officers or non-governmental organizations assigned by the Board or Committee to assist in restoration of the child.
- (9) A quarterly follow up report shall be submitted to the Board or Committee by the concerned Child Welfare Officer or Probation Officer or nongovernmental organization for a period of two years with a copy to the superintendent of the institution from where the juvenile or child is restored.
- (10) The follow up report shall clearly state situation of the juvenile or child post restoration and the juvenile's or child's needs to be met by State Government in order to reduce further vulnerability of the juvenile or child.
- (11) The Superintendent shall file the follow up report in the case-file of the juvenile or child and place the report before the Management Committee set up under Rule 62 of these rules in its next meeting.
- (12) The Superintendent shall also send a copy of the follow up reports to the District Child Protection Unit.

(13) Where a follow up in not possible due to unavailability of government functionaries or nongovernmental organizations, the concerned District Child Protection Unit shall provide necessary assistance and support to the concerned Board or Committee.

73. Visitor's Book:-

- (1) A Visitor's Book shall be maintained, in every institution, in which the person visiting the home shall record the date of his visit with remarks or suggestions, which he may think proper.
- (2) The Superintendent shall forward a copy of every such entry to the District Child Protection Unit or Director of Social Welfare, with such remarks as he may desire to offer in explanation or otherwise; and thereon, the designated authority shall issue such orders as he may consider necessary.
- 74. Maintenance of Registers.— The Superintendent shall maintain in his office, registers and forms, as required by the Act and as specified by these rules made thereunder and the list of registers or files or books to be maintained shall minimally comprise of,-
 - (a) Admission and discharge register;
 - (b) Supervision register;
 - (c) Medical file or medical report;
 - (d) Nutrition diet file;
 - (e) Stock register;
 - (f) Log book;
 - (g) Order book;
 - (h) Meeting book;
 - (i) Cash book;
 - (j) Budget statement file;
 - (k) Inquiry report file;
 - (l) Individual case file with individual care plan;
 - (m) Children's suggestion book;
 - (n) Visitor's book;
 - (o) Staff movement register;
 - (p) Personal belongings register;
 - (q) Minutes register of Management Committee;
 - (r) Minutes register of Children's Committees;

- (s) Attendance register for staff and juveniles or children;
- (t) Complaint & action taken report register; and
- (u) Rewards & punishment register of inmates.

75. Personnel or Staff of a Home:-

- (1) The personnel strength of a home and the number of posts in each category shall be determined by the State Government.
- (2) The institutional organizational set up shall be fixed in accordance with the size of the home, the capacity, workload, distribution of functions and requirements of programmes.
- (3) The whole-time staff in a home may consist of Superintendent, Probation Officer (in case of Observation home or Special home), Case Workers (in case of Children's home or shelter home or after care organization), Counselor, Educator, Vocational Training Instructor, Medical Staff, Administrative staff, Care Takers, volunteers, store keeper, cook, helper, washerman, safai karamchari, gardener as required.
- (4) The part-time staff, shall include Psychiatrist, Psychologist, Occupational therapist, and other professionals as may be required from time to time.
- (5) The staff of the home shall be subject to control and overall supervision of the Superintendent who by order, shall determine their specific responsibilities and shall keep the concerned authority informed of such orders made by him from time to time.
- (6) The duties and responsibilities of the staff under the Superintendent shall be fixed in keeping with the statutory requirements of the Act.
- (7) The staff shall be appointed in accordance with the rules prescribed by the State Government.
- (8) The suggested staffing pattern for an institution with a capacity of 100 juveniles or children could be as mentioned below:-

Sl.	Staff/Personnel	No. of Posts
1	Officer-in-Charge (Superintendent)	1
2	Counsellor (one for every 50 children)	2
3	Probation Officer or Child Welfare Officer or Case Worker	2
4	House Mother or House Father (one for every 20 children)	5
5	Educator (voluntary or part time)	2
6	Doctor	1
7	Paramedical staff	2

Sl.	Staff/Personnel	No. of Posts
8	Store-keeper cum Accountant	1
9	Art & Craft cum Music Teacher	1(part time)
10	PT Instructor cum Yoga Trainer	1 (part time)
11	Driver	1
12	Cook	2
13	Helper	2
14	Cleaner	2
15	Gardener	1 (part time)
16	Security Guards	4
	Total	30

- (9) In case of institutions housing infants or children up to 12 years of age or physically or mentally challenged ones provision for ayahs and paramedical staff shall be made as per the need.
- 76. Duties and responsibilities of Superintendent of an institution:-
 - (1) The Superintendent shall have the primary responsibility of maintaining the institution and shall stay within the institutional premises to be readily available as and when required by the juvenile or children and the staff and in case where an accommodation is not available within the institutional premises, the Superintendent shall stay at a place in close proximity to the institution till such time that such an accommodation is made available within the institution.
 - (2) The general duties and functions of the Superintendent shall include:
 - (a) compliance with provisions of the Act and the rules and orders made there under;
 - (b) compliance with the orders of the Board or Committee;
 - (c) providing homely atmosphere of love, affection, care, development and welfare for juveniles or children;
 - (d) maintaining minimum standards of care in the institution.
 - (e) proper maintenance of buildings and premises;
 - (f) security measures and periodical inspection, including daily inspection and rounds of the institution, proper storage and inspection of food stuffs as well as food being served;
 - (g) supervision and monitoring of juvenile's or children's discipline and well being;

- (h) planning, implementation and coordination of all institutional activities, programmes and operations, including training and treatment programmes or correctional activities as the case may be;
- (i) prompt action to meet emergencies including regular fire drills and evacuation plan;
- (j) ensuring accident and fire preventive measures within the institutional premises;
- (k) stand by arrangements for water storage, power plant, emergency lighting;
- (l) careful handling of plants and equipments;
- (m) segregation of a juvenile or child suffering from contagious or infectious diseases;
- (n) observance and follow up of daily routine;
- (o) filling of monthly report of juvenile or child in the case file;
- (p) organize local and national festivals in the institution;
- (q) organize recreational activities including trips or excursions or picnics for juveniles or children;
- (r) preparation of budget and control over financial matters;
- (s) allocation of duties to personnel;
- (t) supervision over office administration, including attending to personnel welfare and staff discipline;
- (u) prompt, firm and considerate handling of all disciplinary matters;
- (v) organize the meetings of the Management Committee and provide necessary support;
- (w) maintenance of all documents and registers required under the Act and the rules;
- (x) liaison, coordination and cooperation with the District Child Protection Unit or State Government as and when required; and
- (y) coordination with the legal officer in the District Child Protection Unit to ensure that every juvenile is legally represented and provided free legal aid and other necessary support or, where the District Child Protection Unit has not been set up, services of the District or State Services Authority shall be made available.

- (z) organize child committee and provide necessary support.
- (3) The Superintendent also have the other duties like,-
 - (i) to ensure the Rights of child in all possible manner within the frame of rules and regulations;
 - (ii) he shall exercise control over the staff and shall issue instructions for the smooth and effective functioning of the institutions;
 - (iii) the Superintendent shall ensure that all the staff are discharging their duties in accordance with the rules and regulations and the children are provided with quality and quantity of food, educational and vocational training in accordance with the aptitude and need base of the children, control over budget and accounts, financial management of the institution, propose plan and non-plan schemes for the further development of the institution;
 - (iv) the Superintendent of the institution shall be the custodian of important confidential documents, deeds, agreements, personal files of staff, valuable articles of children etc;
 - (v) the Superintendent shall be responsible for safe drinking water, proper sanitary and hygienic conditions in the institution, proper health care of children/juveniles etc;
 - (vi) the Superintendent shall pay surprise visits at least once in fortnight during night and ensure that the institutional management is in control and vigil during night;
 - (vii) the Superintendent shall nurture a congenial relationship among inmates and convene the meetings of various committees and conduct the proceedings and supervise that the decisions of the Committees are implemented effectively;
 - (viii) conduct family gather of inmates and staff periodically;
 - (ix) he shall be responsible for evolving a rehabilitation plan for every child.

- 77. Duties of Deputy Superintendent.— The duties and responsibilities of Deputy Superintendent will be as follows:-
 - (a) Custodian of placement orders.
 - (b) Supervision of food preparation, food distribution and maintenance of related records etc.
 - (c) To conduct open house meeting with children and staff to encourage children's participation in the activities.
 - (d) To conduct interviews with parents of children and regulation of communication of children with outsiders.
 - (e) To facilitate the children to participate in seminars, cultural programmes, meetings etc.
 - (f) Monitor the application of positive reinforcement/cognitive restructuring, prepare a status report in consultation with the house parents or wardens.
 - (g) To monitor the supply of external eatables if any supplied to children by parents.
 - (h) Custodian of clothing and bedding being supplied to Children's Home.
 - (i) Organization of camps, picnics, cultural progemmes, extra curricular activities like Scouts, Red Cross work etc
 - (j) To see that the protective and developmental rights of children are ensured.
 - (k) Ensuring that the children's need of food and cloth are met as per standard...
 - (l) Ensuring the cleanliness of the premises and maintenance of physical infrastructure including provisions of water and electricity etc.
 - (m) Any other duties and responsibilities assigned by the Superintendent. In the absence of the post of Deputy Superintendent the work shall be performed by the Superintendent.
- 78. Duties of Deputy Superintendent as Head Master.— The following are the duties of the Head Masters.-
 - (i) prepare the time table for academic activities;
 - (ii) organize sports activities for the physical and personality development or children.
 - (iii) identify the slow learners and initiate appropriate measures to overcome the problems in consultation with the professionals and the Superintendent of the institutions;

- (iv) scrutinize the performance of teachers and guide them for better performance;
- (v) advice the superintendent of the institutions to initiate new concept in the educational programmes including the training of teachers;
- (vi) maintain individual performance sheet in respect of teachers and advice the class teachers to maintain such performance sheet in respect of children;
- (vii) any other duties and responsibilities assigned.
- 79. Key Duties of Care Takers.—The general duties, functions and responsibilities of care takers shall be as follows:-
 - (a) Handling children with love and affection.
 - (b) Taking proper care and welfare of children.
 - (c) Regulate the children into following the rules and regulations of the institutions.
 - (d) Maintenance of sanitation and hygiene.
 - (e) Implementing daily routine in an effective manner.
 - (f) Looking after the security and safety arrangements of the home.
 - (g) Escorting children whenever they go out of the home.
 - (h) Present at the time of serving food to children.
 - (i) Any other duties and responsibilities assigned by the Superintendent.
 - 80. Duties of a Probation Officer or Child Welfare Officer or Case Worker:-
 - (1) Every probation officer or child welfare officer or case worker shall carry out all directions given by the Board or Committee or concerned authority and shall perform the following duties, functions and responsibilities:
 - (a) making social investigation of the juvenile (Form IV) or the Child (Form XIII) through personal interview and from the family. Social agencies and other sources;
 - (b) attending the proceedings of the Board or Committee and submitting reports as and when required;
 - (c) clarifying problems of the juvenile or the child and dealing with their difficulties in institutional life;
 - (d) participating in the orientation, monitoring, education, vocational and rehabilitation programmes;

- (e) establishing co-operation and understanding between the juvenile or the child and the superintendent;
- (f) assisting the juvenile or the child to develop contacts with family and also providing assistance to family members;
- (g) developing a care plan for every child in consultation with the juvenile or child and following up with its implementation;
- (h) participating in the pre-release progrmme and helping the juvenile or the child to establish contacts which can provide emotional and social support to juvenile or child after their release;
- (i) establishing linkages with voluntary workers and organizations to facilitate rehabilitation and social reintegration of juveniles and to ensure the necessary follow up;
- (j) follow up of juveniles after their release and extending help and guidance to them;
- (k) visiting regularly the residence of the juvenile or child under their supervision and also places of employment or school attended by such juvenile or child and submitting fortnightly reports as prescribed in Form XXI;
- (l) accompanying juveniles or children wherever possible, from the office of the Board to observation home, special home, children's home or fit person, as the case may be; and
- (m) maintaining case file and such registers as may by specified from time to time.
- On receipt of information from the Police or Juvenile or Child Welfare Officer of the police under clause (b) of section 13 of the Act, the Probation Officer shall inquire into the antecedents and family history of the juvenile or the child and such other material circumstances, as may be necessary and submit a social investigation report as early as possible, in Form IV or XIII, to the Board.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

- 81. Recognition of fit persons or fit institution :-
 - (1) Any individual or a suitable institution, the occupier or manager of which is willing temporarily to receive a child in the care, protection or treatment for so long a period as may be necessary, be recognized as fit person or fit institution after due verification of their credentials and reputation.
 - (2) Any association or body of individuals, whether incorporated, established for or having for its object the reception or protection of children or prevention of cruelty to children and which undertakes to bring up or to give facilities for bringing up any child entrusted to its care in conformity with the religion of his birth be included within the meaning of fit institution.
 - (3) A fit institution with collateral branches may send the juvenile or child placed therein by an order of the competent authority to any of its branches after seeking permission from the competent authority.
 - (4) Before declaring any person as a fit institution competent authority shall hold due enquiry and recommend it to the Government in Social Welfare Department of the State Government, who in turn may declare it as fit institution.
 - (5) Any suitable place or institution, the manager of which is willing temporarily to receive a juvenile or child in need of care and protection for a period as may be necessary, may be recognized by the State Government as a fit institution on the recommendation of the competent authority.
 - (6) An institution recognized as a fit institutions shall:-
 - (a) meet the standards of care laid down in the Act and the rules made thereunder;
 - (b) have the capacity and willingness to meet the standards of care laid down in the Act and the rules;
 - (c) receive and provide basic services for care and protection of the juveniles and children;
 - (d) prevent subjection of juvenile or child to any form of cruelty or exploitation or neglect; and

- (e) abide by the orders of the competent authority.
- (7) A list of fit institutions approved by the State Government shall be kept in the office of the Board and the Committee.

82. Registration under the Act:-

- (1) All institutions and organizations running institutional or non-institutional care services for children in need of care and protection, whether run by government or voluntary organization, shall get themselves registered under sub-section (3) of section 34 of the Act.
- (2) All such institutions shall make an application together with a copy each of rules, byelaws, memorandum of association, list of governing body, office bearers, balance sheet of past three years, statement of past record of social or public service provided by the institution or organization to the State Government, who shall after verifying that provisions made in the institution or organization for the care and protection of children, health, education, boarding and lodging facilities, if any, vocational facilities and scope of rehabilitation, may issue a registration certificate to such organization under sub-section (3) of section 34 of the Act and as per this rule.

83. Certification or recognition and transfer of Management of Institutions and After Care Organizations:-

(1) Any organization requiring certification under the Act shall make an application together with a copy each of the rules, bye-laws, articles of association, list of members of the society or the association running the organization, office bearers and a statement showing the status and past record of specialized child care services provided by the organization, to the State Government, along with a copy to competent authority. The state government shall after getting verified the provisions made by the organization for the boarding and lodging, general health, educational facilities, vocational training and treatment services may grant certification or recognition for a maximum period of 3 years at a time, under sections 8, 9, 34, 37,41 or 44 of the Act, as the case may be, on the condition that the organization shall comply with the standards or services as laid down under the Act and the rules framed there under, from time to time and to ensure

an all round growth and development of juvenile or child placed under its charge.

- (2) Any organization desiring recognition under the Act shall make an application to the District Child Protection Unit or any other authority prescribed by the State Government from time to time. The competent authority within a month or receipt of the application shall after due inquiry, recommend or advice otherwise the state government for such recognition.
- (3) The State Government may, transfer the management of any State run institution under the Act to a voluntary organization, who has the capacity to run such an institution; and certify or recognize the said voluntary organization as a fit institution to own the requisite responsibilities under a Memorandum of Understanding for a specified period of time.
- (4) The State Government may, if dissatisfied with the conditions, rules, management of the organization certified or recognized under the Act, at any time, by notice served on the manager of the organization, declare that the certificate or recognition of the organization, as the case may be, shall stand withdrawn as from a date specified in the notice and from the said date, the organization shall cease to be an organization certified or recognized under sections 8, 9, 34,37,41 or 44 of the Act, as the case may be:

Provided that the concerned organization shall be given an opportunity of making a representation in writing, within a period of thirty days, against the grounds of withdrawal of certificate or recognition of that organization.

- (5) The decision to withdraw or to restore the certificate or recognition of the organization may be taken, on the basis of a thorough investigation by the District Child Protection Unit or any other authority prescribed by the State Government.
- (6) On the report of the District Child Protection Unit or such other authority, the Officer- in- charge of the institution shall be asked to show cause so as to give an explanation within thirty days.

(7) When an organization ceases to be an organization, certified or recognized under sections 8, 9, 34, 37,41 or 44 of the Act, the juvenile or the child kept therein shall, be transferred to some other institution of like nature, certified or recognized under sections 8, 9, 34, 37,41 or 44 of the Act or discharged, in accordance with the provisions of the Act and the rules relating to their discharge and transfer by giving intimation of such discharge or transfer to the Board or the Committee, as the case may be.

84. Grant in aid to certified or recognized organization:-

- (1) An organization certified or recognized or registered under sections 8, 9, 34, 37 or 44 of the Act may during the period of certification or recognition in force, may apply for grants in aid to the State Government for maintenance of children received by them under the provision of Act and for expenses incurred on their education, treatment, vocational development and rehabilitation; and the government may sanction the amount as per availability of funds.
- (2) The grants-in-aid shall not be admissible if the organization is receiving grant in aid under Orphanage Control Board or from foreign sources.
- (3) In case of transfer of management of government run homes under sections 8, 9, 34, sub section (3) of section 34 and 37 or 44 of the Act to a voluntary organization, the same budget which the Government was spending on that home, shall be given to the voluntary organization as grant-in-aid under the Memorandum of Understanding signed between both the parties describing their role and obligations.
- 85. Leave.— Leave shall be granted to the juvenile by the Superintendent of concerned institution.

86. Admission of outsiders:-

- (1) No stranger shall be admitted to the premises of the institution, except with the permission of the Superintendent or on an order from the Board or Committee.
- (2) In special cases, where parents or guardians have travelled a long distance from another state or district, the Superintendent shall allow parents or guardians entry into the premises and a meeting with their children, provided

they possess proper identification and are not reported to have subjected the juvenile or child to abuse and exploitation.

87. Identity Photos:-

- (1) On admission to a home established under the Act, every juvenile or child shall be photographed.
- (2) One photograph shall be kept in the case file of the juvenile or the child, one shall be fixed with the index card, a copy shall be kept in an album serially numbered with the negative in another album, and a copy of the photograph shall be sent to the Board or Committee as the case may be, as well as to the District or State Child Protection Unit.
- (3) In case of a child missing from an institution or in case of lost children received by an institution, a photograph of the child with relevant details shall be sent to the missing person's bureau and the local police station.
- 88. police Officers to be in plain clothes.— While dealing with a juvenile or a child under the provisions of the Act and the rules made thereunder, except at the time of arrest, the Police Officer shall wear plain clothes and not the police uniform to maintain friendly atmosphere.
- 89. Prohibition on the use of handcuffs and fetters.— No child or the juvenile in conflict with law dealt with under the provisions of the Act and the rules made thereunder shall be handcuffed or fettered.
 - 90. Procedure to be followed by a Magistrate not empowered under the Act:-
 - (1) When any juvenile or child is produced before a Magistrate other than Board or Committee, and the Magistrate is of the opinion that such person is a juvenile or child, he shall record his reasons and send the juvenile or child to the appropriate competent authority.
 - (2) In case of a juvenile produced before a Magistrate not empowered under this Act, such Magistrate shall direct the case to be transferred o the Board for inquiry and disposal.
 - (3) In case of a child in need of care and protection produced as a victim of a crime before a Magistrate not empowered under the Act, such Magistrate shall transfer the matter concerning care and protection, rehabilitation and restoration of the child to the appropriate Committee.

91. Transfer:-

- (1) During the inquiry, if it is found that the juvenile or child hails from a place outside the jurisdiction of the Board or Committee, the Board or Committee shall order the transfer of the juvenile or child and send a copy of the order to the State Government or State or District Child Protection Unit, provided that:
 - (i) such transfer is in the best interest of the juvenile or child;
 - (ii) no child shall be transferred or proposed to be transferred only on the ground that the child has created problems or, has become difficult to be managed in the existing institution or, is suffering from a chronic or terminal illness or, on account of disability;
 - (iii) Such transfer shall only take place after the completion of evidence and cross examination that may be required in a legal proceeding involving a juvenile or child and the reasons for and circumstances of such transfer are recorded in writing.
- (2) The State Government or State or District Child Protection Unit shall accordingly:-
 - (i) send the information of transfer to the appropriate competent authority having jurisdiction over the area where the child is ordered to be transferred by the Board or Committee; and
 - (ii) send a copy of the information to the Superintendent of the institution where the child is placed for care and protection at the time of the transfer order.
- (3) On receipt of copy of the information from the State Government or State or District Child Protection Unit, the Superintendent shall arrange to escort the child at government expenses to the place or person as specified in the order.
- (4) On such transfer, case file and records of the juvenile or child shall be sent along with the juvenile or child.
- 92. Procedure for sending a juvenile or child outside the jurisdiction of the competent authority:-
 - (1) In the case of a juvenile or a child whose ordinary place of residence lies outside the jurisdiction of the competent authority, and if the competent

authority considers it necessary to take action under section 50 of the Act, it shall direct a probation officer or case worker or child welfare officer, as the case may be, to make enquiries as to the fitness and willingness of the relative or other person to receive the juvenile or the child at the ordinary place of residence, and whether such relative or other fit person can exercise proper care and control over the juvenile or the child.

- (2) Where a juvenile or child is ordered to be sent to the ordinary place of residence or to a relative or fit person, execution of a bond by the juvenile or child without any surety, in **Form VI**, is necessary along with an undertaking by the said relative or fit person in **Form V or IX** as the case may be.
- (3) Any breach of a bond or undertaking or of both given under sub rule (2) of this rule, shall render the juvenile liable to be brought before the competent authority, who may make an order directing the juvenile to be sent to an institutional home.
- (4) Any juvenile or a child, who is a foreign national and who has lost contact with his family shall also be entitled for protection.
- (5) The Juvenile or the child, who is a foreign national, shall be repatriated, at the earliest, to the country of his origin in coordination with the respective Embassy or High Commission.
- (6) The Board or Committee shall keep the Ministry of External Affairs informed about repatriation of every juvenile or child of foreign nationality carried out on the orders of the Board or Committee.
- (7) A copy of the order passed by the competent authority under section 50 of the Act shall be sent to-
 - (a) The probation officer or child welfare officer who was directed to submit a report under sub-rule (1) of this rule;
 - (b) The Probation Officer or child welfare officer, if any, having jurisdiction over the place where the juvenile or the child is to be sent;
 - (c) The competent authority having jurisdiction over the place where the juvenile or the child is to be sent;
 - (d) The relative or the person who is to receive the juvenile or the child,; and

- (e) The approved escort by fax or any other instantaneous mode of communication.
- (8) During the pendency of the order under sub-rule (6) of this rule, the juvenile or the child shall be sent by the competent authority to an observation home or children's home as the case may be.
- (9) Where the competent authority considers it expedient to send the juvenile or the child back to his ordinary place of residence under section 50, the competent authority shall inform the relative or the fit person, who is to receive the juvenile or the child accordingly and shall invite the said relative or fit person to come to the home, to take charge or the juvenile or the child on such date, as may be specified by the competent authority.
- (10) The competent authority inviting the said relative or fit person under sub rule (8) of this rule may also direct, if necessary, the payment to be made by the Superintendent of the home, of the actual expenses of the relative or fit person's journey both ways, by the appropriate class and the juvenile's or child's journey from the home to his ordinary place of residence, at the time of sending the juvenile or the child.
- (11) If the relative or the fit person fails to come to take charge of the juvenile or the child on the specified date, the juvenile or the child shall be taken to his ordinary place of residence by the escort as decided by the competent authority and in the case of a girl, at least one escort shall be a female.

93. State Child Protection Unit:-

- (1) The state government shall set up an office of a State Child Protection Unit with such officials and employees as it considers necessary.
- (2) Functions of the State Child Protection Unit:- Besides the overall implementation of various provisions of the Act and supervision and monitoring of the agencies and institutions setup under the Act, the Unit shall be responsible for, but not limited to, the following specific functions:
 - (a) set up, support and monitor the District Child Protection Units;
 - (b) represent State Child Protection Unit as a member in the Selection Committee for appointment of members of Boards or Committees;
 - (c) prepare annual budget and facilitate for necessary and timely allocation of funds to the Child Welfare Committee, Juvenile Justice

- Boards, District Child Protection Units, Juvenile homes, or any other institutions or agencies to ensure their effective functioning.
- (d) documentation of all data related to children and units established under the Act, publishing such reports as required from time to time, development of IEC (Information, Education, Communication) materials or other such materials for awareness and sensitization, including documentary, materials on website, posters, brochures etc;
- (e) network and coordinate with all government departments (state and central) to build inter-sectoral linkages on child protection issues, including departments dealing with health, education, social welfare, welfare child labour, child marriage, trafficking, abuse, child rights, police, judiciary, HIV/AIDS etc. The Unit shall coordinate with any other state units in the State so created for the welfare and protection of children, including State level Adoption Coordinating Agency, State Adoption Resource Agency, Child Line, etc;
- (f) network and coordinate with NGOs and civil society organizations working on the issues related to children, including the processing of the NGO's and civil society organisation's application for recognition, certification, registration or grant-in-aid;
- (g) training and capacity building of all personnel (Government and Non Government) working under the Act and development of training manuals and curriculum, development of a list of resource persons and publication of such materials and manuals for distribution among the stakeholders;
- (h) establish minimum standards of Care and ensure its implementation in all institutions set up under the Act;
- (i) review of the functioning of Committees;
- (j) formulation and implementation of such schemes and programmes necessary for implementation of the provisions of the Act and any scheme of the Central Government, as the case may be, including non-institutional services such as adoption, foster care, after care programme, sponsorship etc;

- (k) to accomplish capacity building, awareness, documentation, survey, studies or impact assessment and such other programmes in association with research and training institutes;
- (1) to provide necessary inputs to the Department of Social Welfare or the concerned Department responsible for the implementation of the Act by any other name, as and when required for effective policy planning, formulation and implementation.

94.District Child Protection Unit:- (1) The State Government shall constitute a District Child Protection Unit in every district with such officials and employees as it considers necessary.

- (2) Functions of the District Child Protection Unit:- Besides the overall implementation of various provisions of the Act and supervision and monitoring of the agencies and institutions set up under the Act, the District Child Protection Unit shall be responsible for, but not limited to, the following specific functions,-
 - (i) work under the overall guidance from the State Child Protection Unit and implement the directions issued from the State Government from time to time;
 - (ii) support to district level units such as Juvenile Justice Board, Child Welfare Committee, District Advisory Board, Special Juvenile Police Unit, children's institutions, juvenile homes, etc. and facilitate to set up their offices with adequate infrastructure, funding and staff;
 - (iii) performance appraisal of the Board members and the Committee and send the report to the State Government;
 - (iv) invite applications from the individuals for the Juvenile Justice Board members, Child Welfare Committee members, Advisory Board/Inspection Team members and process all such applications as directed by the State Child Protection Unit or the State Government from time to time;
 - (v) identify and maintain data base of such children in need of care and protection through survey, campaigns or such other methods as may by necessary and like them to agencies for protection, emergency services, care, restoration or rehabilitation;

- (vi) network and coordinate with all government departments to build intersectoral linkages on child rights issues, including Departments of Health, Education, Social Welfare, Welfare, Urban Development, Backward classes & Minorities, Youth Sports and Culture, Police, Judiciary, Labour, State AIDS Control Society, among others through monthly meetings;
- (vii) network and coordinate with civil society organizations working under the Act;
- (viii) implement family based non-institutional services including sponsorship, foster care, adoption and after care;
- (ix) identify families at risk and children in need of care and protection;
- assess the number of children in difficult circumstances and creating district specific database to monitor trends and patterns of children in difficult circumstances;
- (xi) periodic and regular mapping of all child related services in the district for creating a resource directory and making the information available to the Committees and Boards from time to time;
- ensure setting up of District, Block and Village level Child Protection
 Committees for effective implementation of programmes as well as discharge of its functions;
- (xiii) facilitate transfer of children at all levels for either their restoration to their families or placing the child in long or short-term rehabilitation through institutionalization, adoption, foster care and sponsorship;
- (xiv) supporting State Adoption Resource Agency in implementation of family based non institutional services at district level;
- (xv) develop parameters and tools for effective monitoring and supervision of agencies and institution in the district in consultation with experts in child welfare;
- (xvi) supervise and monitor all institutions or agencies providing residential facilities to children in district;
- (xvii) train and build capacity of all personnel (Government and Non government) implementing the Act to provide effective services to children;

- (xviii) organize quarterly meeting with all stakeholders at district level including CHILDLINE, Specialized Adoption Agencies, Superintendent of homes, non-government organizations and members of public to review the progress and implementation of the Act; and
- (xix) liaison with the state Child Protection Unit, State Adoption Resource Agency at State level and District Child Protection Unit of other districts.

95. Special Juvenile Police Unit:-

- (1) The State Government shall constitute special Juvenile Police Unit at the district level to handle cases related to juvenile in conflict with law and the children in need of care and protection.
- (2) The Special Juvenile Police Unit shall also coordinate with all the police stations in the District, Special Juvenile Police Units established in other districts and the District Child Protection Unit.
- (3) The Unit shall consist of Special Juvenile Police Officer (not below the rank of Deputy Superintendent of Police) along with two paid social worker (one women) and all the Child Welfare Officers of the district.
- (4) A police officer shall be designated as Child Welfare Officer in all the police stations of the district, who shall sensitively handle the cases of children and report the matter to Special Juvenile Police Unit in the District.
- (5) The Special Juvenile Police Unit may associate recognized voluntary organizations or Child Line to assist the Unit under the guidance of the Special Juvenile Police Officer in a manner which may help him/her in the care and protection of children, including social investigation, counseling, care, restoration and rehabilitation.
- (6) The District Child Protection Unit or State Child Protection Unit or any other designated training institute shall provide regular training and such orientation as may be necessary, to the Special Juvenile Police Officers and other persons associated with the handling of child related matters. It shall be mandatory for the Special Juvenile Police Officers and Child Welfare Officer to undertake the trainings.

- (7) In case there is any contradiction between the provisions of the juvenile Justice (Care and Protection of children) Act, 2000 (as amended in 2006) and the Rule framed there under on the one hand and other provisions of the Bihar Police Act, 2007 or any other Rules made thereunder or any Manual or Official Directions, it shall be decided in the best interest of the child.
- 96. Honorary or Voluntary Welfare Officers and Probation Officers.— To augment the existing probation service, honorary or voluntary welfare officers and probation officers may be appointed from the voluntary organization and social workers found fit for the purpose by the competent authority and their services may also be co-opted into the implementation machinery by the orders of the competent authority.
- 97. Disqualification for officer-in-charge, probation officer or child welfare officer or case worker and other care givers and staff:-
 - (1) The Superintendent, Probation officer or child welfare officer or case worker and other care givers and staff shall not employ a juvenile or child under their supervision or care and protection for their own purpose or take any private service from them.
 - (2) Any report of physical, sexual or emotional abuse of a juvenile or a child in an institution or outside, by a caregiver, shall hold them liable for disqualification after due inquiry.

98. Training of Personnel:-

- (1) The State Government with the help of the State Child Protection Unit, shall organize regular training and capacity building of personnel involved in the implementation of the Act and the rules made thereunder, in keeping with their statutory responsibilities and specific jobs requirements, either itself or in collaboration with training and research institutes.
- (2) The training programme shall include-
 - (a) orientation and training or the newly-recruited officials, staff, care givers, officials, members, Police etc;
 - (b) refresher training courses and skill enhancement progammes for all care givers once a year;
 - (c) staff conferences, seminars, workshops.

99. Selection Committee and its composition:-

- (1) The State Government shall constitute a Selection Committee by notification in the official gazette, for a period of three years, consisting of the following seven members, namely:
 - (a) a retired Judge of a high court or a retired district Judge or a person who has served as Secretary to the Government of Bihar and has retired from active service to be nominated as the Chairperson.
 - (b) One representative from the concerned department not below the rank of Director as the Member-Secretary.
 - (c) one representative from a reputed non-governmental organization, working on the child rights issues but not running any children's institution;
 - (d) one representative from academic bodies concerned with social work, psychology, sociology, child development, education, law, criminology and with experience or working on children's issues; and
 - (e) a representative of the State Human Rights Commission or State Commission for Protection of Child Rights preferably the concerned person dealing with the issues of child rights as its member.
- (2) The selection committee shall hold its sittings as per requirement and the member secretary shall be responsible for organizing such a sitting.
- (3) Any member of the selection committee may resign any time giving in writing to the state government. Any vacancy so arising from resignation shall be immediately filled preferably within 4 weeks as per the composition of the selection committee and tenure of such a member shall be co-terminus with the remaining period of the selection committee.

100. Functions of the Selection Committee:-

(1) The Selection Committee shall select and recommend a panel of names to the State Child Protection Unit or State Government for appointment as members of the Juvenile Justice Board, the Chairperson and Members of the Child Welfare Committee, the non official members of the State

- Advisory Board or District or City Level Inspection Committee/Advisory Board.
- (2) The Selection Committee shall take into consideration the panel of names recommended by the District Child Protection Unit. For any State level Committee or Board, the State Child Protection Unit shall recommend the names to the Selection Committee. The Selection Committee may prescribe the manner for processing application for selection including a personal interview with the short-listed applications.
- (3) The panel of names so recommended by the Selection Committee shall be considered by the State Government to fill in any vacancies, which may arise during the tenure of the Board, Committee or the Unit.
- (4) Applications of appointment in the Board or committee shall be invited through public advertisement in the prescribed format.
- (5) In making appointment of members of the Board or Committee, the Selection Committee shall take into consideration the applications received in this regard in response to a public advertisement to this effect by the District or State Child Protection Unit or the State Government.
- (6) In the event of any complaint against a member of the Board or Committee, the Selection Committee shall hold necessary inquiry and recommend termination of appointment of such member to the State Child Protection Unit or State Government, if required.
- (7) The Selection Committee, at the time of recommending names for appointment as member of Board or Committee shall also prepare a panel of names for each Board or Committee to fill in vacancies, which may arise during the tenure of the Board or Committee.
- (8) In the event of a vacancy in the Board or Committee, the District Child Protection Unit shall inform the State Child Protection Unit or State Government for filling up such vacancy.
- (9) The State Child Protection Unit or State Government shall fill the vacancies on the basis of the panel of names recommended by the Selection Committee.

101. Advisory Boards:-

- (1) The State Government shall constitute Advisory Board at State, District and City levels for a period of 3 years.
- (2) The State Government shall constitute the State Advisory Board consisting of:-
 - (a) The Chief Secretary-Chairperson;
 - (b) Principal Secretary, Department of Social Welfare-convenor
 - (c) Secretary or its representative from the departments of Health, Education, Police, Law, Labour, and Building Construction Department;
 - (d) Chairperson of the Selection Committee
 - (e) Two representatives from NGOs working in the field of child welfare;
 - (f) Representatives from Legal Services Authority.
- (3) The functions of the State Advisory Board shall be:-
 - (i) To advise the government on matters relating to the establishment and maintenance of the homes,
 - (ii) To advise on creation and management of the Fund as prescribed under Section 61 of the Act,
 - (iii) To inspect various provisions, facilities and services such as food, clothes, medicine, education, vocational training, economic and social rehabilitation for the children in institution and their rates.
 - (iv) Any other matter considered necessary for policy, planning and implementation of any scheme for the benefit of the children
 - (v) Inter-departmental coordination at the apex level.
- (4) The State Government shall constitute District Advisory Board consisting of:-
 - (a) The District Magistrate-Chairperson,
 - (b) Civil Surgeon- Member,
 - (c) District Superintendent of Education- Member,
 - (d) Head of the District Child Protection Unit-Convener
 - (e) Two representatives from NGOs.

- (5) All the Advisory Boards shall hold at least two meetings in a year.
- (6) The District or City level Advisory Board constituted in terms of subsection (3) of section 62 of the Act shall also function as the inspection committee under section 35 of the Act.
- (7) The Advisory Boards shall inspect the various institutional or non-institutional services in their respective jurisdictions; and the recommendations made by them, shall be considered by the State Government.
- (8) The State Government, through the Selection Committee constituted under Rule 99 of these rules, shall recommend a panel of names for the nonofficial members of the State, District and City level Advisory Boards.
- (9) The termination, resignation, or other vacancy with regard to the non-official members, caused in an advisory board and appointment of new members therein shall be done in the same manner as is done in case of the competent authority.

102. Juvenile Justice Fund:-

- (1) The State Government shall create a Fund at the State level under Section 61 of the Act to be called the 'Juvenile Justice Fund' (herein under referred to as the Fund) for the welfare and rehabilitation of the juvenile or the child dealt with under the provisions of the Act.
- (2) In addition to donations, contributions or subscriptions coming under Sub-Section (2) of Section 61, the Central Government shall also make contribution to the Fund
- (3) There shall be an autonomous and non-profit body registered under the Societies Registration Act, 1860 and the management and administration of the Fund shall be under the State Advisory Board, constituted under Section 62.
- (4) The Fund shall be applied, -
 - (a) To formulate and implement programmes and schemes necessary for the welfare, rehabilitation and restoration of juveniles or children;
 - (b) To pay grant-in-aid to non governmental organizations;
 - (c) To meet the expenses of State Advisory Board and its purpose;

- (d) To do all other things that are incidental and necessary for the above purpose.
- (5) The assets of the Fund shall include all such grants and contributions, recurring or non-recurring, from the Central Government and State Government or any other statutory or non-statutory bodies set up by the Central or State Government as well as the voluntary donations from any individual or organization.
- (6) The regular accounts shall be kept of all money and properties, and all incomes and expenditure of the Fund and shall be audited by a registered firm of Chartered Accountants, or any other recognized authorities as may be appointed by the Board.
- (7) All contracts and other assurances shall be in the name of the board of management and signed on their behalf by the secretary-cum-treasurer and one member of the board of the management authorized by it for the purpose.
- (8) All withdrawals shall be made by cheques or requisitions, as the case may be, signed by the secretary-cum-treasurer and in the case of amount exceeding rupees ten thousand, they shall be signed duly by the secretary-cum-treasurer and a member of the board of management to be nominated by the State Advisory Board.
- (9) The board of management shall invest for the time being the proceeds of sale or other disposal of property, as well as any money or property not immediately required to be used to serve the objective of the Fund, in any one or more of the modes of investment authorized by law for the investment of trust moneys as the board of management may think proper.

103. Pending Cases:-

- (1) No Juvenile in conflict with law or a child shall be denied the benefits of the Act and the rules made thereunder.
- (2) All pending cases which have not received a finality shall be dealt with and disposed of in terms of the provisions of the Act and the rules made thereunder.
- (3) Any juvenile in conflict with law, or a child shall be given the benefits under sub rule (1) of this rule, and it is hereby clarified that such benefits

- shall be made available to all those accused who were juvenile or a child at the time of commission of an offence, even if they cease to be a juvenile or a child during the pendency of any inquiry or trial.
- (4) While computing the period of detention or stay or sentence of a juvenile in conflict with law or of a child, all such period which the juvenile or the child has already spent in custody, detention, stay or sentence of imprisonment shall be counted as a part of the period of stay or detention or sentence of imprisonment contained in the final order of the court or the Board.

104. Openness & Transparency:-

- (1) All Children's homes shall be open to visitors with the permission of the Officer-in-charge and the Committee or Officer-in-charge as the case may be, may consider appropriate to allow representatives of local self-government, voluntary organizations, social workers, researchers, medicos, academicians, prominent personalities, media and any other persons as visitors, as the Officer-in-charge considers appropriate keeping in view the security, welfare and the interest of the children.
- (2) The Officer-in-charge of the home shall encourage active involvement of local community in improving the conditions in the homes, if, the members of the community want to serve the institution or want to contribute through their expertise.
- (3) The officer-in-charge shall maintain a visitors book and the remarks of the visitors given therein shall be considered by the advisory inspecting authority.
- (4) While visiting an institution, the visitors will not say or do anything that undermines the authority of the Officer-in-charge or is in contravention of the Act or rules or impinges on the dignity of the children.
- (5) Notwithstanding anything contained in the above sub-rules it shall be lawful for the officer in charge to refuse permission when he thinks that such visit will be prejudicial to the interest of the inmates or the running of homes.
- (6) The visitors may be allowed to visit observation homes and special homes with the permission of the competent authority.

105. Disposal or records or documents.— The records or documents in respect of a juvenile or a child or a juvenile in conflict with law shall be kept in a safe place for a period of seven years and no longer, and thereafter be destroyed in consultation with the Board or the Committee, or the Child Protection Unit, as the case may be.

106. Disposed off cases of juveniles in conflict with law.-

- 1. The State Government or the Board (as the case may be) may, either suo motu or on an application made for this purpose, review the case of a person or a juvenile in conflict with law, determine his juvenility in terms of the provisions contained in the Act and rule 12 of these rules and pass an appropriate order in the interest of the juvenile in conflict with law under section 64 of the Act, for the immediate release of the juvenile in conflict with law whose period of detention or imprisonment has exceeded the maximum period provided in section 15 of the said Act.
- 2. For the purpose aforementioned a Review Committee will be constituted by the State Government which will submit its recommendation after reviewing the matter and the state government will pass appropriate order.
- 107. Protection of action taken in good faith.— No suit or legal proceedings shall lie against any functionary under the Act including the members of the voluntary organization and social worker, in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the Act during the performance of the duties assigned to them.

108. Repeal and Saving:-

- (1) The Bihar State Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2003 in hereby repealed.
- (2) Nothing contained in these rules shall be deemed to affect any act done or order issued in pursuance of the Bihar State Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2003 before these rules come into force.

By order of the Governor of Bihar, SANDEEP POUNDRIK, Secretary to Government.

SCHEDULE-1

Clothing, bedding, toiletries and other articles (rule 48)

(1) Juvenile or children shall be provided with the following articles:

Bedding				
Sl. No.	Article	Quantity to be provided per child		
1	Towels	4 per year		
2	Cotton Bed Sheets	2 per 2 year		
3	Pillow (Cotton Stuffed)	1 per 2 year		
4	Pillow Covers	2 per 2 year		
5	Woolen blankets	2 per 2 years		
6	Cotton Durry	2 per 2 years		
7	Cotton filled quilt	1 per 2 year (in cold regions)		
8	Mattress	1 per 2 years		
9	Mosquito Net	1 per 2 years		

	Clothing for girls				
1	Skirts & Blouse or Salwar Kameez or Half sari with blouses and regional prefernces				
	petticoats	regional prefernces			
2	Banyans (1 Metre each)	6 per year for younger girls			
3	Brassieres	6 per year for older girls			
4	Panties (1 Metre Cloth each)	6 per year			
5	Sanitary Towels	12 packs per year for older girls			
6	Woolen Sweaters	2 in 2 years (in cold regions)			
7	Woolen Shawls	1 in 2 years (in cold regions)			

Clothing for boys			
1	Shirts	5 sets per year	
2	Shorts	5 sets per year for younger boys	
3	Pants	5 sets per year of older boys	
4	Vest	4 set per year	
5	Underwear	4 set per year	
6	Woolen Jerseys	2 in 2 years (for cold regions)	
7	Scarfs	2 in 2 years (for cold regions)	

Miscellaneous Articles			
1	Slipers	1 pair per year	
2	Shoes	1 pair per year	
3	School Uniform	2 sets per year for children attending outside schools	
4	School shoes	1pair per year for children attending outside schools	
5 School Bag and Stationery 1 set per year for children attending outside schools		1 set per year for children attending outside schools	
6	Handkerchiefs	6 per year	

Note:-In addition to the clothing specified above, each child shall be provided, once in three years, with a suit consisting of one white shirt, one pair of khaki shorts or pants, one pair of white canvas shoes and one blazer (for cold regions) for use during ceremonial occasions. In the case of girls it shall be one white half sari or one salwar kameez or one white skirt and one white bolouse, a pair of white convas shoes and a blazer (for cold regions).

(2) In every hospital attached to the institution where there is provision for in patient cots the following scale has to be followed:

Sl.	Night clothing & bedding	Scale for supply
1	Mattress	One per bed per 3 years
2	Cotton Bed Sheets	Four per bed per year
3	Pillows	One per bed per two year
4	Pillows Covers	Four per bed per year
5	Woollen blankets	One per bed per 2 year
6	Pyiamas and loose shirts (Hospital type for boys)	3 Pairs per child per year
7	Skirts and blouses or salwar kameez for girls	3 Pairs per child per year
8	Cotton durry	One per bed per three years

Note:-

- (i) When a child is admitted as an in patient in the institution Hospital, the Institution Doctor shall issue the in patient with the hospital clothing, the clothes on body being preserved duly washed and handed back an the time of the child's discharge from the hospital.
- (ii) Each child shall be provided with kit Box or a Locker as per convenience and necessity.
- (iii) The Superintendent shall make arrangement for two-tier bed system in place or conventional cots, as per convenience and necessity.
- (3) Toiletry: Every resident to the Home shall be issued with oil, soap and other material for in accordance with the following scales:

Hair oil for grooming the hair	100 mgs per month		
Toilet soap or carbolic soap	1 large bar per month		
Tooth Paste and brush	1 Brush per 3 months 50 gms paste per month		
Comb	1 Per Year		

Note:-(a)For washing of cloth and towels, bed-sheet etc, the following scale may be followed:

(i) Washing Soap 1 Soap for one month (125gms)

(ii) Whitening/bleaching agent to the extent required only for

white clothing

- Provided, however, the hospital clothing is not mixed with other clothing at the time of washing and if necessary, the Superintendent can issue the above items separately for washing of hospital clothing.
 - (b) The children attending school outside the institution may be issued with one additional bar of washing soap (100 gms) per head per month for washing their school uniform.
- (4) The following items shall be provided for maintaining the Homes in a healthy and sanitary condition:

Sl. No.	Item	Scale of supply		
1	Broom Stick	25 to 40 Nos per month depending on the		
		area of the institution		
2	DDT spary	As per the institution Doctor's advice		
3	Effective bugs killing agent	As required		
4	Phenyl and cleaning acid	Depending on the area of lavatories to be		
	(daily)	cleaned as per institution Doctor's advice		

SCHEDULE II Nutrition and Diet Scale (rule 44)

Sl.	Name of the articles of diet	Scale per head per day			
1	Rice/Wheat/Ragi/Jowar	600 Gms (700 Gms for 16-18 yrs age) of			
		which atleast 100 gms to be either wheat			
		or ragi or jower			
2	Dal/Rajma/Chana	120 Gms			
3	Edible Oil	25 Gms			
4	Onion	25 Gms			
5	Salt	25 Gms			
6	Turmeric	05 Gms			
7	Coriander Seed Powder	05 Gms			
8	Ginger	05 Gms			
9	Garlic	05 Gms			
10	Tamarind/Mango Powder	05 Gms			
11	Milk (at breakfast)	150 ml			
12	Dry Chillies	05 Gms			
13	Vegetables Leafy	100 Gms			
14	Vegetables Non Leafy	130 Gms			
15	Curd or Butter Milk	100 Gms/Ml			
16	Jaggery & Ground Nut Seeds or Paneer	60 Gms each (100 Gms for paneer) Once			
	(vegetarian only)	in a week			
17	Sugar	40 Gms			
Follo	wing items for 50 Children per day				
18	Pepper	25 Gms			
19	Jeera Seeds	25 Gms			
20	Black Gramdall	50 Gms			
21	Mustard Seeds	50 Gms			
22	Ajwain Seeds	50 Gms			
	Chicken Day for 10 kg. of Chicken				
23	Garam Masala	10 Gms			
24	Kopra	150 Gms			
25	Khas Khas	150 Gms			
26	Groundnut Oil	500 Gms			
	Sick Children				
27	Bread	500 Gms			
28	Milk	500 Ml			
Other Items					
29	LP Gas for Cooking only	29 LP Gas for Cooking only			

Instructions:

(2) Variation in Diet

- (a) Three varieties of dal i.e., Toor (Tuvari), Moong (Green Gram) and Chana (Bengal Gram) may be issued alternatively.
- (b) The Superintendent may also arrange to substitute chicken with fish at his discretion, provided that there is no extra expenditure to Government.
- (c) On non-vegetarian days, vegetarian children shall be issued with either 60 Gms of Jaggery and 60 Gms of Groundnut seeds per head in the shape of laddus or any other sweet dish or 100 gms paneer.
- (d) Potatoes shall be issued in lieu or vegetables once in a week.
- (e) Leafy vegetables such as Fenugreek(Methi), Spinach (Palak), Sarson (Mustard leaves) Gongura Thotkaura or any other saag etc., may also be issued once in a week. If a kitchen graden is attached to any institution leafy vegetables, in addition to drumstick trees, curry leaves trees and coriander leaves, should be grown and issued and the Superintendent should try to issue variety of vegetables and see that the same vegetable is not repeated for at least a period of one week.
- (f) The Superintendent may make temporary alternations in the scale of diet in individual cases when considered necessary by him, or on the institution Doctor's advice subject to the condition that the scale laid down is not exceeded.

(3) Meal Timing and Menu:-(a) Breakfast after 8:00 am

- (i) Upma or chapattis made of Wheat or Ragi or any other dish.
- (ii) Chutneys from Gongura or fresh curry leave or fresh coriander or Coconut and putnadal etc., dal/vegetable may be issued as a dish.
- (iii) Milk
- (iv) Any seasonal fruit in sufficient quantity

(b) Lunch at 1:00 P.M. and Dinner After 7:00 P.M.

- (i) Rice/Chapattis or combination of both
- (ii) Vegetable Curry
- (iii) Sambar or Dal
- (iv) Butter Milk or curd

(4) Others:-

- (a) Depending on the season, the Superintendent shall have the discretion to alter the time for distribution of food.
- (b) On the advise of the Institution Doctor, every sick who is prevented from taking regular food, on account of his ill, health, may be issued with medical diet, as indicated in diet scale.
- (c) Extra diet for nourishment like milk, eggs, sugar and fruits shall be issued to the children on the advice of the institution Doctor in addition to the regular diet, to pick up weight or for other health reasons and for the purpose of calculation of the daily ration, the sick children shall be excluded from the day's strength.
- (d) On the following national and festival occasions, sweet dishes may be distributed to all the children at the Home at the rate fixed by the Commissioner from time to time.
 - 1. Republic Day (26th January)
 - 2. Ambedkar's Birthday (14th April)
 - 3. Independence Day (15th August)
 - 4. Mahatma Gandhi's Birth Day (2nd October)
 - 5. Children's Day (14th November)
 - 6. Child Rights Day (20th November)
 - 7. Dussehra (Vijayadasami)
 - 8. Deepavali
 - 9. Ramzan (Id-Ul-Fitr)
 - 10. Bakrid (Id-Ul-Zuha)
 - 11. Christmas (25th December)

The States may specify additional festivals depending upon local preferences.

Form-I

[Rule 12(6)(c)]

SUPERVISION ORDER

When the juvenile is placed under the care of a parent, guardian or other fit person/fit institution Profile No
Whereas (name of the juvenile) has this day found to have committed an officence and has been placed under the care of (name)
bond by the said
It is hereby ordered that the said juvenile be placed under the supervision of probation
officer/case worker, for a period of
1. that the juvenile along with the copies of the order and the bond executed by the said shall be produced
before the probation officer/caseworker named therein
2. That the juvenile shall be submitted to the supervision of the aforesaid probation officer/case worker.
3. That the juvenile shall reside at for a period of
4. That the juvenile shall not be allowed to quit the district jurisdiction of
without the permission of the probation officer/case worker.
5. That the juvenile shall not be allowed to associate with bad characters.6. That the juvenile shall live honestly and peacefully; and will go to school
regularly/endeavour to earn an honest livelihood.
7. That the juvenile shall attend the attendance centre regularly.
8. That the person under whose care the juvenile is placed shall arrange for the proper care, education and welfare of the juvenile.
9. That the preventive measures will be taken by the person under whose care the juvenile is placed to see that the juvenile does not commit any offence punishable by any law in India.
10. That the juvenile shall be prevented from taking narcotic durgs or psychotropic substances or any other intoxicants.
11. That the directions given be the probation officer/case worker from time to time, for the due observance of the conditions mentioned above, shall be carried out.
Dated thisday of20
(signature)
Principal Magistrate, Juvenile Justice Board
Additional, conditions, of any may be inserted by the Juvenile Justice Board

FORM-II

[Rule 12(6)(d)]

Order of detention under	Sub-Section.			of Se	ection.	,
Sub-Section	of	Section			and	Sub-Section
	of Sect	ion		•••••		
То						
The Officer in charge						
XXII			C			20
Whereas on the			•			
		•		•		_
, residing at				_		
is orde	-			_	_	
Justice Board under section						
kept in the Observati	•	•				•••••
for a period of						
This is to authorize and rec	•			_		•
keep him/her in the Obse		-				
for the aforesaid orde	er to be carried	into exec	ution accor	rding to lav	V.	
Given under my hand and the	ne seal of Juve	nile Justic	e Board			
This	day of				. 20	
						(signature)
		Princi	nal Magist	trate Inv <i>e</i>	nile I	ustice Board
		1 I IIICI	pai magisi	iiaw, juv	anic J	usuce Duaru
Encl:						
Conv of the judgment if an	y or orders n	articulare	of home o	nd casa his	tory o	nd individual

Copy of the judgment, if any, or orders, particulars of home and case history and individual care plan, if any:

Strike which is not required.

FORM-III

ORDER OF SOCIAL INVESTIGATION/INQUIRY

[Rule 12(1) and 12(6) (e)]

То			
Probation Officer/Case Worker/Person-in-charge of Voluntary Organization/Case Worker			
Whereas a report/complaint under section of the Juvenile			
Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 has been received from			
in respect of			
(name of the juvenile), son/daughter of			
approximate age residing at			
, who has been			
produced before the Board.			
You are hereby directed to enquire into the social antecedents family background and			
circumstances of the alleged offence by the said juvenile and submit your social			
investigation report on or before or within such time allowed to you			
by the Board.			
You are also hereby directed to consult an expert in child psychology, psychiatric treatment			
or counselling for their expert opinion if necessary and submit such report along with your			
Social Investigation Report.			

(signature) Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

FORM IV

[Rules 13(5) and 80(1)(a) and (2)]

SOCIAL INVESTGATION REPORT

Sl. No	
Submitted to the Juvenile Justice B	oard (address)
<u>-</u>	State Government Authority/Voluntary Organisation (Signature and Stamp)
Profile No.	
Under section:	
Title of Profile:	
Police Station:	
Nature of offence charge:	
Name	Religion
Father's Name	Caste
Permanent Address	Year of birth
Last address before apprehension	Age
	Sex
Previous institutional/case history a	and individual care plan if any

FAMILY

					AIVIILI			
Members of family	Name	Age	Health	Education	Occupation	Monthly	Disabilities	Any other e.g. Social habits
Father								
Step-Father								
Mother								
Step-mother								
Siblings								
Any other legal guardian/ relative								

If married, relevant particulars
Other near relatives or agencies
Interested
Attitude towards religion normal
And ethical code of the home etc.
Social and economic status
Delinquency record of members
of family
Present living conditions
Relationship between parents/
Parents and children especially
With the juvenile under investigation
Other factors of importance if any
JUVENILES HISTORY
Mental condition
(Present and past)
Physical condition
(Present and past)
Habits, interests
(moral,recreational etc.).
Outstanding characteristics and
Personality traits
Companions and their influence
Truancy from home, if any
School (attitude towards school,
Teachers, class mates and vice-versa)
Work record (jobs held, reasons for leaving,
Vocational interests, attitude towards job or employers)
Neighbourhood and neighbours report

Signature of the Probation Officer/Case Worker

FORM V

[Rules 15(5) and 92 (2)]

UNDERTAKING/BOND TO BE EXECUTED A PARENT/GUARDIAN/ RELATIVE/FIT PERSON WHOSE CARE A JUVENILE IS PLACED

Whereas I being the parent, guardian, relative or fit person under
whose care (name of the juvenile) has been ordered to be
placed by the Juvenile Justice Board
have been directed by the said Board to execute an undertaking/bond with surety in the sum
of Rs/- (Rupees)
or without surety. I hereby bind myself on the said or
being placed under my care. I shall have the said
properly taken care of and I do further bind myself to be responsible for the good behavior
of the said
conditions for a period of years
w.e.f
1. that I shall not charge my place of residence without giving previous intimation in writing to the Juvenile Justice Board through the Probation Officer/Case Worker;
2. that I shall not remove the said juvenile from the limits of the jurisdiction of the Juvenile Justice Board without previously obtaining the written permission of the
Board; 3. that I shall send the said juvenile daily to school/to such vocation as is approved by the Board unless prevented from so doing by circumstances beyond my control;
4. that I shall send the said juvenile to an Attendance Centre regularly unless prevented from doing so by circumstances beyond my control;
5. that I shall report immediately to the Board whenever so required by it;
6. that I shall produce the said juvenile in my care before the Board, if he/she does not
follow the orders of Board or his/her behaviour is beyond control; 7. that I shall render all necessary assistance to the probation Officer/Case Worker to enable him to carry out the duties of supervision;
8. in the event of my making default herein, I undertake to produce myself before the Board for appropriate action or bind myself, as the case may be, to forfeit to Government the sum of Rs
Dated this

Signature of person executing the Undertaking/Bond.

(Signed before me)

Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

Additional conditions, if any, by the Juvenile Justice Board may be entered numbering them properly;
(Where a bond with sureties is to be executed add)
I/We
Rs
(Signed before me)

Principal Magistrate, Juvenile Justice Board

FORM VI

[Rules 15(6) and 92 (2)]

PERSONAL BOND BY JUVENILE/CHILD

Personal Bond to be singed by juvenile/child who has been ordered under Clause
Whereas, I
native place by the Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 on my entering into a personal bond under sub rule
I hereby bind myself as follows: 1. That during the period
(Signature or thumb impression of the juvenile/child)
Certified that the conditions specified in the above order have been read over/explained to (Name of Juvenile/Child)

Signature and Designation of the certifying authority i.e. Officer-in-charge of the institution

FORM VII [Rule 17(9)] DISCHARGE ORDER

	Iname and designation of the discharging
author	ity
	nment/Union Territory Administration, do by this order permit
	son/daughter of
	residence Profile
Numbe	er
observ	ration home/special home/after care home by the Juvenile Justice Board
	under section of the Juvenile Justice (Care and Protection of
Childre	en) Act, 2000, for a term of on the day of
	20 and who is now in the home, at to be
discha	rged from the said home and supervision and the authority of
	during the remaining period of stay.
	order is granted subject to the conditions hereon, upon the breach of any of which is the liable to be revoked.
Dated	Signature and Designation of
	Releasing Authority
Place:	
Condit	tions: The discharged person shall proceed to
	live under the supervision and authority of
_	the expiry of the period of his/her detention unless the remission is sooner cancelled.
2.	He/She shall not, without the consent of the remove
	himself/herself from that place or any other place, which may be named by the said
3.	He/She shall obey such instruction as he/she may receive from the said
	with regard to punctual and regular attendance
	at school/vocation or otherwise.

4.	He/She	shall	attend	the	Attendance	Centre	located	at				
	regularly	y.										
5	He/She	shall	abstain	from	committing	any o	ffence a	nd	shall lead	а	soher	and

5. He/She shall abstain from committing any offence and shall lead a sober and industrious life to the satisfaction of

6. In the even of his/her committing a breach of any of the above conditions the remission of the period of detention hereby granted shall be liable to be cancelled and on such cancellation he/she shall be dealt with under sub section (3) of section 59 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

I hereby acknowledge that I am aware of the above conditions which have been read over/explained to me and that I accept the same.

(Signature or mark of the released juvenile)

Certified 1	that the condit	tions s	specif	ied in	the above order	have	been r	ead over/exp	olaine	d to
(Name of	Juvenile/chil	d)	••••			a	nd that	he/she has	acce	pted
them as th	e conditions u	pon w	hich	his/her	r period of deten	tion r	nay be 1	evoked.		
Certified	accordingly	that	the	said	juvenile/child	has	been	discharged	on	the

Signature and Designation of the certifying authority i.e. Officer-in-charge of the institution

FORM VIII [Rule 27(18)] SUPERVISION ORDER

When the Child is placed under the case of a parent/guardian or other fit person
Case No
Whereas (name of the child)
found to be in need of care and protection, and has been placed under the care an
supervision of (name)
on executing a bond by the sai
expedient to deal with the said child by making an order placing him/her under supervision
It is hereby ordered that the said child be placed under the supervision of (name(address)
for a period of subject to the following conditions that:
1. the child along with the copies of the order and the bond, if any, executed by the sai
shall be produced before the Committee as an
when required by the person executing the bond.
2. the child shall be placed under the supervision of the aforesaid parent/guardian/f
person
3. the child shall reside at for a period of
4. the child shall not be allowed to quit the district jurisdiction of
within the permission of the Committee.
5. the child shall go to school regularly/endeavour to earn an honest livelihood.
6. the person under whose care the child is placed shall arrange for the proper care education and welfare of the child.
7. the child shall not be allowed to associate with undesirable characters and shall be
prevented from coming in conflict with law.the child shall be prevented from taking narcotic drugs or psychotropic substances of any other intoxicants.
9. the directions given by the Committee from time to time, for the due observance of the conditions mentioned above, shall be carried out.
Dated thisday of20
(Signature

Chairperson, Child Welfare Committee

• Additional conditions, if any may be inserted by the Child Welfare Committee

FORM IX

[Rules 27(18) and 92(2)]

UNDERTAKING BY THE PARENT OR 'FIT PERSON' TO WHOM CHILD IS RESTORED

resident of House no. Street
Do hereby declare that I am willing to take charge of (name of the
child)
Welfare Committee subject to the following terms and
conditions:
(i) If his/her conduct is unsatisfactory I shall at once inform the Committee.
(ii) I shall do my best for the welfare and education of the said child as long as he/she
remains in my charge and shall make proper provision for his/her maintenance.
(iii) In the event of his/her illness, he/she shall have proper medical attention in the nearest hospital.
(iv) I undertake to produce him/her before the competent authority as and when required.
Date thisday of
Signature
Signature and address of witness (es)
(Signed before me) Chairperson, Child Welfare Committee

FORM X [Rule 27 (19)] ORDER OF SHORT TERM PLACEMENT PENDING INQUIRY

Name of the child	:
Sex	:
Father's Name	:
Mother's Name	:
Address	:
Date of receiving by Organia	zation/Institution :
Produced by	:
in the Shelter Home/Childre	ct you to receive the said child in your charge, and keep her/him en's home for care and protection under section 33 (1) of the rotection of Children) Act, 2000.
Next Date:	

(Signature) Chairperson/Member Child Welfare Committee

FORM XI [Rule 27(20)] ORDER OF RESTORATION OF A CHILD TO AN INSTITUTION

To

The Officer-in-Charge

Whereas on the
(name of the child), son/daughter of
aged
residing at being in
care and protection under section 33 (4) of the Juvenile Justice (Care and Protection of
Children) Act, 2000 is ordered by the Child Welfare Committee
, to be kept in the children's Home/Shelter
Home for a period
of
This is to authorize and require you to receive the said child in your charge, and to kept
him/her in the Children's Home/Shelter Home for the aforesaid
order to be carried into execution according to law.
Given under my hand and the seal of Child Welfare Committee.
Thisday of20.

(Signature) Chairperson/Member Child Welfare Committee

Encl:

Copy of the orders, particulars of home and previous record, case-history and individual care plan, whichever is applicable:

FORM XII [Rule 28 (1)] ORDER FOR ENQUIRY

To Child Welfare Officer/Person in charge of Voluntary Organization/Social Worker/Case Worker
Whereas a report under section
You are hereby directed to enquire into the social and family background of the said child and submit your inquiry report on or before or within such time allowed to you by the Committee.
You are also hereby directed to consult an expert in child psychology, psychiatric treatment or counselling for their expert opinion if necessary and submit such report along with your Inquiry Report.
You are hereby directed to enquire into the character and social antecedents of the said juvenile and submit your social investigation report on or before
Dated this

Child Welfare Committee

SEAL

FORM XIII

[Rules 28(3); 33(3) (h)(ii); and 33(4)(f); 80(1)(a) and (2)]

FORMAT FOR INQUIRY REPORT

Sl. No						
Produced before the Child Welfare Committee(address)						
Case No.						
Concerned Government Department/Voluntary Organisation						
Category of child in need of care a	nd protection:					
Name	Religion					
Father's Name	Caste					
Permanent Address	Year of birth					
Address of last residence	Age					
	Sex					

Previous institutional/case history and individual care plan, if any

FAMILY

Members of family	Name	Age	Health	Education	Occupation	Monthly earnings	Disabilities	Any other eg. Social habits
Father								
Step-Father								
Mother								
Step- mother								
Siblings								
Any other legal guardian/ relative								

If married, relevant particulars
Other near relatives or agencies
interested
Attitude towards religion, normal and ethical code of the home etc
Social and economic status
Delinquency record of members of family
Present living conditions
Relationship between parents/
parents and children especially
with the said child
Other factors of importance if any
CHILD'S HISTORY
Mental condition
(Present and past)
Physical condition
(Present and past)
Habits, interests
(moral, recreational etc)
Outstanding characteristics and Personality traits
Companions and their influence
Truancy from home, if any
School (attitude towards school, teachers, class mates and vice-versa

	v	ld, reasons f	for leaving Vo	ocation	al intere	ests, attitu	de towar	ds job or
Neighbour	rhood and ne	eighbour's re	port					
Parent's reaction	attitude	towards	discipline	In	the	home	land	child's
Any other	remarks							

RESULT OF INQUIRY

Emotional factors

Physical condition

Intelligence

Social and economic factors

Religious factors

Reasons for child's need for care and protection

Opinion of experts consulted

Recommendation of Child Welfare Officer/Case-Worker/Social Worker regarding psychological support, rehabilitation and reintegration of the child and suggested plan

Signature of the Child Welfare Officer/Case Worker/Social Worker

FORM XIV

[Rule 33 (3) (d)]

ORDER FOR DECLARING CHILD LEGALLY FREE FOR ADOPTION

In exercise of the powers vested in the Child Welfare Committee					
constituted under sub-section of section of the Juvenile Justice (Care					
and Protection of Children) Act, 2000 and sub-rule of rule of these rules,					
minor born on (date) placed in custody of					
Specialised Adoption Agency (name & address),					
vide order dated of the					
Chairperson, Child Welfare Committee, has been					
declared legally free for adoption on the basis of details furnished through:					
a) Inquiry/home study conducted by Child Welfare Officer/Social Worker/Case-Worker					
b) Document of surrender executed by the parents(s) and surrender deed signed in					
the presence of the Committees under sub-rules of rule of					
these rules.					
c) Declaration submitted by the specialised Adoption agency under sub-rules of rule of these rules.					
(name of the Specialised Adoption					
Agency) shall fulfill all conditions specified in Juvenile Justice (Care and Protection					
of Children) Act, 2000 and the rules relating thereto and furnish a copy of adoption					
decree/guardianship order in respect of the minor as may by required by Committee					
and the concerned Department of the State Government of					
Chairperson/Member					
Child Welfare Committee					
mpletion by the Specialised Adoption Agency.					
I have read and understood Chapters III and IV of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 and the rules thereunder and agree to abide/be bound by the same while placing said minor in adoption.					
I further declare that the particulars stated in the declaration submitted by me on are true and correct. In case they are found to be false or					
incorrect, the Committee has right to suspend this Release Order for (name of the minor) and ask for production of said minor before the Committee.					

Child Welfare Officer/Social Worker

FORM XV

[Rule 33 (4) (c)]

DEED OF SURRENDER

Id/o or s/o residing
at am
not in a position due to social reasons/due to being single/ill/disabled to take care of my
child (name, if any) approximate age years.
I am explained the consequences of surrendering my child by the Child Welfare
Officer/Social Worker (name) and the Child Welfare Committee
In full knowledge of all these facts, I am surrendering my child before the
Committee today, dated Within two months from this stated date if I do
not revise my decision to take back my child and do not approach the said Committee for
the same, the Committee shall declare my child legally free for adoption and I shall have no
further claim on my child.
Signature of parent/guardian
Date
That I Child Welfare Officer/Social Worker have explained the
procedure and the consequences of surrendering the child to the concerned parent/guardian
on (date)
Signature of Child Welfare Officer/Social worker
Date
(Signed before me)

Chairperson/Member
Child Welfare Committee

FORM XVI

[Rule 35 (3)]

A. FOSTER CARER'S ASSESSMENT

1.	Agency Details						
	Name of the Agency						
	Address						
	Telephone						
	Fax						
	E-mail						
	Name of the Social Worker						
	Tel						
	Date(Form Completed)						
2.	Details of the Applicant						
	Surname						
	Full Name						
	Date of Birth						
	Religion						
	Language (s) spoken at home						
	Occupation						
	(a) Nature of Work						
	(b) Hours of Work						
	Address						
	Telephone						
3	Description of a preferred child						
J.	The type of child, the foster-carer would consider						
	(To be filled after a full discussion with the Foster-carer)						
	Age Range Under 2 years 3-6 years 7-12 years 16-18 years						

Sl. No.	Type of placement	Duration
(i)	Pre adoption	
(ii)	Emergency	
(iii)	Short term	
(iv)	Assessment	
(v)	Long term	

The Child an applicant can care for (please Tick)

A child who is:

- i. Neglected
- ii. Orphaned
- iii. With Physical impairment
- iv. Mental impairment
- v. Hearing impairment
- vi. Speech impairment
- vii. Special Education needs
- viii. Learning difficulties
- ix. Physical abuse
- x. Sexual abuse
- xi. Who does not relate easily
- xii. Who needs control/may defy authority
- xiii. Born of rape/incest
- xiv. Whose parent (s) is suffering from disease
- xv. Whose parent (s) is HIV positive
- xvi. Whose parent (s) are AIDS patient
- xvii. Whose parent (s) is alcoholic
- xviii. Drug addicts
- xix. Are in jail
- xx. Relinquished
- xxi. Belong to another caste
- xxii. Are of different religion

4. Profile of the family

	Brief Family Profile						
Name	Gender	Approx. Age	Occupation	Education	Relationship with the applicant		

(Give details of personalities, family life, experiences etc, Also highlight specific qualities of the family that can match with a child's needs. The details should facilitate initial identification of a potential match with a specific child.)

Accommodation (House)

(Details of type, size, own/ rented space, amenities etc.)

Neighbourhood

(Details of composition, amenities and facilities, public transport etc.)

5. Verification of applicant's identity

Place of residence

Period of stay

Nationality

Marital status (date/ length of marriage)

Has either of the applicant had a previous marriage? Details

If children from previous marriage? Details

Specify documents seen with date

6. Career History

(Details of education, employment, voluntary work, part-time work, leisure activities)

7. Agency Inquiries:

Medical check

Police check

Employer

8. Personal references (from 2 persons)

This section to be completed after interviews with two references; information gathered through these interviews should include:

- Length of time known
- Relationship to the applicant

- Provide evidence on the applicant's ability to perform the tasks involved in
 - > Caring for children
 - > Providing a safe and caring environment
 - > Applicant as a neighbor
 - > Interests, talents, personality

Assessment of the social worker for these references

B. HOME STUDY REPORT

A Home Study Report of the foster carer(s) being a crucial document being prepared by the social worker of the Specialised Adoption Agency based on the information collected by the format given above should broadly include the following information:

- Social Status and family background
- Description of the home
- Standard of living as it appears in the home
- Current relations amongst the members in the home
- Status of development of the children already in the home
- Employment and economic status
- Health details
- Details of facilities of education, medical, vocational trainings available in the neighborhood
- Reasons for wanting a child in foster care
- Attitudes of the grandparents and other relatives
- Anticipated plans for the foster child
- Legal status of the foster carer(s)
- Willingness to undergo training

C. DETAILS OF APPLICANT(S)

- 1. Background.—Family structure with details of parents and siblings, significant details of other family members, childhood experiences, etc.
- 2. Relationship.—If couple- Length of married life, what qualities does each applicant bring to the partnership, what makes the relationship positive for each other? Within the relationship how do applicants cope with problems/stress/anger? How do applicants support each other? What is each applicant's assessment of how the Foster placement will affect his or her relationship?
- 3. Decision making.—How is decision—making exercised in this relationship and how does each of the applicants view this? Is there wider extended family involvement in the couple's decision—making process? If so, how will this affect the child to be placed?

What are the strengths and vulnerabilities of this partnership?

- Children
- Children and their parents' relationships
- Children's attitude and readiness for a foster placement sibling. Describe each child and their temperament, any special talent and need, how children have been involved in preparation etc.
- 4. Applicants support networks.—Give a general picture of support systems currently used by the applicants including expended family, friends, neighbours, religious activities, community groups etc. including details of the location etc.

- 5. Other significant members of the family.—Living in the house or not. Their relationship to the applicants, how much time they spent within the home, their attitude to the proposed placement. How important is their acceptance of placement to the applicants.
- 6. Description of the family life style.—Outline what family considers important e.g. how important are religious and cultural practices. How is affection show in the family? How do the members spend their time? What expectations family members have with regard to personal space? What value is placed on education/hobbies and leisure activities that the whole family undertakes?
- 7. Parenting capacities.—Experience of the applicants of caring and working with children. Describe their adjustment to parenthood. What is their understanding of how children develop?

Using their own childhood experiences what patterns of parenting would they repeat and what would they change? What is their understanding of their own parenting strengths/potentials and about their parenting skills to meet the needs of individual child? To what extent they would expect other family members to be involved in parenting of their children/placed children.

How will they ensure that a child will be safe from physical sexual abuse in their family and within wider support networks?

8. Managing Unacceptable Behabior. -

What are the rules in the household? How do the applicants show approval/disapproval? What are the discipline measures that they use? Their attitude towards punishment?

What do they anticipate would be the issues and difficulties for themselves and for their own children and for their support network? What do they anticipate would be the issues and difficulties for the child? Which changes do they anticipate would be needed in their lifestyle?

Social Workers assessment:

It should provide an analysis of all the information collected through the format and its significance with regard to the capacity of the applicant to carryout fostering task:

(What skills do the applicants have in relating to and working with children? How well will the applicant work with the agency, with biological parents? What are the strengths and resources of the applicants and which are the areas where they may experience difficulty? Also the point of disagreement between the social worker and the applicants should be recorded here.)

Recommendations of the Child Welfare Officer/Social Worker

(Signature)

FORM XVII

[Rule 34 (1)]

ORDER OF FOSTER CARE PLACEMENT

The child (name and address)				_ approx	imate
age d/o or s/o Mr				and	Mrs.
or	Ms				is in
need of care and protection of a f	amily. Mr				_ and
Mrs	or Ms			res	sident
of (complete address and conta	act numbers)				
			is/are	declare	d fit
person/persons for foster-care place					
Child Welfare Officer/Social Wor	rker Ms./Mr				of
the organization (address)					_•
The child (name)			is placed	in foster	r care
for a period of	(days/	months), un	der the super	vision c	of the
aforesaid Child Welfarer	Officer/Social	Worker	(name ar	nd co	ntact)

Chairperson/Member

Child Welfare Committee

Government

FORM XVIII

[Rule 43 (5)]

ORDER OF SPONSORSHIP PLACEMENT

The juvenile/child (name and address)
approximate aged/o or s/o Mr and Mrs.
or Ms
has been identified by the State/District Child Protection Unit as a juvenile/child at risk
needing urgent care and protection. On the basis of the Inquiry Report submitted by the
State/District Child Protection Unit/Child Welfare Officer/Social Worker it is established
that the said juvenile/child needs sponsorship support for education/health/nutrition/other
developmental needs (please specify).
The State/District Child Protection Unit is hereby directed to release Rs per
month/Rs as one time sponsorship support to the said juvenile/child for a period of
(days/month) and carryout necessary follow up.
State/District Child Protection Unit is also directed to clearly lay down the terms and
conditions for sponsorship support and follow up.
Pricipal Magistrate, Juvenile Justice Board/
Chairperson/Member, Child Welfare Committee
Copy to: State/District Child Protection Unit or concerned Department of the State

FORM XIX

[Rule 44(4)]

ORDER OF AFTER CARE PLACEMENT

The juvenile/child (name)	d/o or
s/o	has /will be completing 18 years of age on
(date) She/he is still	l in need of care and protection for the purpose of
rehabilitation and reintegration. Sh	e/he is placed in (name of organization)
for providing aftercare. The in-cha	arge of the organization is directed to admit the child and
providing all possible opportunities	es for her/his rehabilitation and reintegration in its truest
sense. The person shall be provided	d all these opportunities maximum till the age of 21 years
only or till reintegration in the	society, whichever is earlier. The in-charge will send
halfyearly report on the status of th	e child/youth to the Child Welfare Committee.
The State/District Child Protection	n Unit is hereby directed to arrange for aftercare for the
said juvenile/child for a period of	(days/month) and carryout necessary follow up.
The State/District Protection Unit	it is also directed to clearly lay down the terms and
conditions for aftercare programme	e and carryout necessary follow up.
Pricipal Magistrate, Juvenile Jus	stice Board/

Copy to: State/District Child Protection Unit or concerned Department of the State Government

Chairperson/Member, Child Welfare Committee

FORM XX

[Rule 57(8) and 61(1) (t)]

CASE HISTORY FORM FOR CHILDREN IN NEED OF CARE FAND PROTECTION

Case/l	Profile No	
Date &	& Time	
A.	PERSONAL DATA	
1.	Name	

- 2. Male/Female (tick the appropriate category)
- 3. a.) age at the time of admission
 - b.) present age:
- 4. Category:
 - Separated from family
 - Abandoned/deserted
 - Victim of exploitation and violence (give detail)
 - Run-away
 - Any other
- 5. Religion Hindu(OC/BC/SC/ST)

Muslim/Christian/Other(pl. specify)

- 6. Location of Residence Urban/Sub-urban/Rural/Slum/industrial/Other (pl. specify)
- 7. Native District & State:
- 8. Description of the Housing:
 - i) Concrete building Tiled house/Hut/On the street/Others (please specify)
 - ii) Three bed room/two-bedroom/one-bed room/no separate bed room
 - iii) Owned/rental
 - 9. By whom the juvenile was brought before the Child Welfare Committee:
 - i) Police-Local Police/Special Juvenile

Police Unit/Railway Police/Women Police

- ii) Probation Officers
- iii) Social Welfare Organization
- iv) Social Worker
- v) Parent (s)/Guardian (s) (please specify the relationship)
- vi) Child himself/herself
- 10. Reasons for leaving the family
 - i) Abuse by parent(s) guardian(s) /step parents(s)
 - ii) In search of employment
 - iii) Peer group influence
 - iv) Incapacitation of parents
 - v) Criminal behaviour of parents
 - vi) Separation of parents
 - vii) Demise of parents
 - viii) Poverty
 - ix) Others (please specify)
- 11. Types of abuse met by the child
 - i) Verbal abuse Parents/siblings/ employers/others (pl. specify)
 - ii) Physical abuse
 - iii) Sexual abuse-Parents/siblings/ employers/others (pl. specify)
 - iv) Others Parents/siblings/Employers/others(pl. specify)
- 12. Types of ill-treatment met by the child.
 - i) Denial of food parents/siblings/ employers/other(pl. specify)
 - ii) Beaten mercilessly parents/ siblings/employers/other (pl. specify)
 - iii) Causing injury parents/ siblings/employers/other (pl. specify)
 - iv) Other (pl. specify) parents/siblings/employers/other (pl. specify)
- 13. Exploitation faced by the child
 - i) Extracted work without payment
 - ii) Little (low) wages with longer duration of work
 - iii) Other (pl. specify)

14. Health status of the child before admission.

i) Respiratory disorders - present/not known/absent ii) Hearing impairment - present/not known/absent iii) Eye diseases - present/not known/absent iv) Dental disease - present/not known/absent v) Cardiac diseases - present/not known/absent - present/not known/absent vi) Skin disease vii) Sexually transmitted diseases - present/not known/absent viii) Neurological disorders - present/not known/absent ix) Mental handicap - present/not known/absent

xi) Other (pl. specify) - present/not known/absent 15. With whom the child was staying prior to admission

- a. Parent(s) Mother/Father/Both
- b. Guardian(s) Relationship
- c. Friends
- d. On the street

x) physical handicap

- e. Night shelter
- f. Orphanages/Hostels/Similar Homes
- g. Other (pl. specify)
- 16. Visit of the parents to meet the child
 - a. Prior to institutionalization –
 Frequently/Occasionally/Rarely/Never
 - b. After institutionalization Frequently/Occasionally/Rarely/Never
- 17. Visit of the child to his family
 - a. Prior to institutionalization -

Frequently/Occasionally/Rarely/During festival times/During summer holidays/Whenever fallen sick/Never

- present/not known/absent

b. After institutionalization – Frequently/Occasionally/Rarely/During festival times/During summer holidays/Whenever fallen sick/Never

- 18. Correspondence with parents
 - i) Prior to institutionalization –
 Frequently/Occasionally/Rarely/During festival times/During summer holidays/Whenever fallen sick/Never
 - ii) After institutionalization –
 Frequently/Occasionally/Rarely/During festival times/During summer holidays/Whenever fallen sick/Never

B. CHILDHOOD HISTORY (up to the age of 12 years)

- 19. Diet of Mother during pregnancy
 - a. Taken nutritious diet
 - b. Ordinary diet
 - c. Inadequate food intake
- 20. Health during pregnancy
 - a. Mother infected with contagious diseases
 - b. Mother consumed/used contraceptives
 - c. Intake of antibiotics
 - d. No such details available

e.

21. Birth details

- a. Normal delivery/prolonged delivery/caesarian
- b. Under weight/normal weight/over weight
- 22. Details of immunization provided
- 23. Details of handicap/disability

i) Hearing impairment

By birth /After accident/diseases

ii) Speech impairment

By birth /After accident/diseases

iii) Physical handicap/disability

By birth /After accident/diseases

iv) Mental handicap/disability

By birth /After accident/diseases

v) Other (please specify)

C. FAMILY DETAILS:

24. Household Composition:

S. No.	Name & Relationship	Age	Sex	Education	Occupation	Income
1	2	3	4	5	6	7

Health	History of Mental illness	Handicap/Disability	Habit	Socialization
8	9	20	11	12

25. Type of family:

Nuclear family / Joint family/ Broken family

26. Relationship among the family members:

i) Father & mother	Cordial/ Non cordial/ Not known
ii) Father & child	Cordial/ Non cordial/ Not known
iii) Mother & child	Cordial/ Non cordial/ Not known
iv) Father & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known
v) Mother & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known
vi) Juvenile & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known

27. History of crime committed by family members:

S.No.	Relationship	Nature of	Arrest if	Period of	Punishment
		crime	any made	confinment	awarded
1.	Father				
2.	Step-father				
3.	Mother				
4.	Step-mother				
5.	Brother				
	(a)				
	(b)				
	(c)				
	(d)				
6.	Sister				
	(a)				
	(b)				
	(c)				
	(d)				
7.	Child				
8.	Others				
	(uncle/aunty/grandp				
	arents)				

- 28. Properties owned by the family:
 - i) Landed properties (pl. specify the area)
 - ii) Household articles-Crows/cattle/Bull
 - iii) Vehicles-two wheeler/three wheeler/four wheeler (lorry/bus/car/tractor/jeep)
 - iv) Others (please specify)
- 29. Marriage details of family members:

i) Parents Arranged/Special Marriage/Local Union
 ii) Brothers Arranged/Special Marriage/Local Union
 iii) Sisters Arranged/Special Marriage/Local Union

- 30. Social activities of family members:
 - i) Participate in social and religious functions
 - ii) Participate in cultural activities
 - iii) Does not participate in social and religious function
 - iv) Not known
- 31. Parental care towards juvenile before admission:
 - i) Over protection
 - ii) Affectionate
 - iii) Attentive
 - iv) Not affectionate
 - v) Not attentive
 - vi) Rejection
- D. ADOLESCENCE HISTORY (Between 12 and 18 years)
- 32. puberty

Early

Middle age

Late

- 33. Details of delinquent behaviour if any
 - i) Stealing
 - ii) Pick pocketing
 - iii) Arrack selling
 - iv) Drug pedaling
 - v) Petty offences
 - vi) Violent crime
 - vii) Rape
 - viii) None of the above
 - ix) Others (Please specify)
- 34. Reason for delinquent behaviour
 - i) Parental neglect
 - ii) Parental overprotection
 - iii) Parents criminal behaviour
 - iv) Parents influence (negative)
 - v) Peer group influence
 - vi) To buy drugs/ alcohol
 - vii) Others (pl. specify)
- 35. Habits

Α

В

- i) Smoking
- ii) Alcohol consumption
- iii) Drug use (specify)
- iv) Gambling
- v) Begging
- ·) D0881118
- vi) Any other

- i) Watching TV/movies
- ii) Playing indoor/outdoor games
- iii) Reading books
- iv) Religious activities
- v) Drawing/painting/acting/singing
- vi) Any other

E. EMPLOYMENT DETAILS

Employment details of the juveniles prior to entry into the Home:

S.	Details of employment	Duration	Wages earned
No.			
i.)	Cooly		
ii.)	Rag picking		
iii.)	Mechanic		
iv.)	Hotel work		
v.)	Tea shop work		
vi.)	Shoe Polish		
vii.)	Household works		
viii.)	Others (Pl specify)		

36. Details of income utilization:

- (i) Sent to family to meet family need
- (ii) For dress materials
- (iii) For gambling
- (iv) For prostitution
- (v) For alcohol
- (vi) For drug
- (vii) For smoking
- (viii) Savings

- 37. Details of savings
 - i) With employers
 - ii) With friends
 - iii) Bank/post Office
 - iv) Others (pls specify)
- 38. Duration of working hours
 - i) Less than six hours
 - ii) Between six and eight hours
 - iii) More than eight hours

F. EDUCATIONAL DETAILS

- 39. The details of education of the juvenile prior to the admission to Children's Home
 - (i) Illiterate
 - (ii) Studied up to V Standard
 - (iii) Studied above V Std but below VIII Standard
 - (iv) Studied above VIII Std but below X Standard
 - (v) Studied above X Standard
- 40. The reason for leaving the school
 - (i) Failure in the class last studied
 - (ii) Lack of interest in the school activities
 - (iii) Indifferent attitude of the teachers
 - (iv) Peer group influence
 - (v) To earn and support the family
 - (vi) Sudden demise of parents
 - (vii) Rigid school atmosphere
 - (viii) Absenteeism followed by running away from school
 - (ix) Other (pls specify)
- 41. The details of the school in which studied last:
 - (i) Corporation/Municipal/Panchayat Union
 - (ii) Government/SC welfare School/BC Welfare School
 - (iii) Private management
 - (iv) Convents
- 42. Medium of instruction:

Hindi/English/Urdu/Tamil/Malayalam/Kannada/ Telugu

Other language (please specify)

43. After admission to Children's Home, the education attainment from the date of admission till date:

No. of years Class studied Promoted/ detained

44. Vocational training undergone from the date of admission into Children's Home till date.

No. of years Name of Vocational Trade Proficiency Attained

- 45. Extra curricular activities developed form the date of admission into the Children's Home till date.
 - i.) Scout
- ii.) Sports (please specify)
- iii.) Athletics (please specify)
- iv.) Drawing
- v.) Painting
- vi.) Others (pl. specify)

G. MEDICAL HISTORY

- 46. Height and weight at the time of admission:-
- 47. Physical condition:
- 48. Medical History of child (gist):
- 49. Medical History of parent/guardian (gist):
- 50. Present Health Status of the Child:

S1.	Annual Observation	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter
No.					
1.	Date of review				
2.	Height				
3.	Weight				
4.	Nutritious diet given				
5.	Stress disease				
6.	Dental				
7.	ENT-Tonsils				
8.	External eye				
	problem: vision				
	Left				
	Right				

51. Height and Weight Charr:

Date, Month & Year	Height	Admissible weight	Actual weight

H. SOCIAL HISTORY

- 52. Details of friendship prior to admission into Children's Home:
 - i. Co-workers
 - ii. School/Classmate
 - iii. Neighbours
 - iv. Others (pl. specify)
- 53. Majority of the friends are
 - i. Educated
 - ii. Illiterate
 - iii. The same age group
 - iv. Older in age
 - v. Younger in age
 - vi. Same sex
 - vii. Opposite sex
- 54. Details of membership in group (please specify details)
 - i. Associated with cine fans association
 - ii. Associated with religious group
 - iii. Associated with arts and sports club
 - iv. Associated with gangs
 - v. Associated with voluntary social service league
 - vi. Others (please specify)
- 55. The position of the child in the groups/league
 - i. Leader
 - ii. Second level leader
 - iii. Middle level functionary
 - iv. Ordinary member
- 56. Purpose of taking membership in the group:
 - i. For social service activities
 - ii. For leisure time spending
 - iii. For pleasure seeking activities
 - iv. For deviant activities
 - v. Others (please specify)
- 57. Attitude of the group/league
 - i. Respect the social norms and follow the rules
 - ii. Interested in violating the norms
 - iii. Impulsive in violating the rules
- 58. The location/meeting point of the groups
 - i. Usually at fixed place
 - ii. Places are changed frequently
 - iii. No specific places
 - iv. Meeting point is fixed conveniently
- 59. The reaction of the society when the child first came out of the family
 - i. Supportive
 - ii. Rejection
 - iii. Abuse
 - iv. Ill-treatment
 - v. Exploitation

- 60. The reaction of the police towards children
 - i. Passionate
 - ii. Cruel
 - iii. Abuse
 - iv. Exploitation
 - v. Ill-treatment
- 61. The response of the general public towards the child

HISTORY OF THE CHILD(GIST)

- i. Education
- ii. Health
- iii. Vocational training
- iv. Extra curricular activities
- v. Others

Suggestion of Child Welfare Officer/Probation Officer after orientation to juvenile/child and the response towards orientation.

Follow up by Child Welfare Officer/Probation Officer/Case-Worker/Social Worker

Quarterly Review of Case History by Management Committee

SUPERINTENDENT/

WELFARE OFFICER/PROBATION OFFICER

FORM XXI

[Rules 57(11)(a), 61(1)(o) and 80(1)(k)]

INDIVIDUAL CARE PLAN

Individual care plan for each child shall be prepared following the principle of the best interest of the child. In preparing individual care plan the care options in the following order of preferences shall be considered:-

- (i) Preserving the biological family
- (ii) Kinship Care
- (iii) In-country adoption
- (iv) Foster Care
- (v) **Inter-country Adoption**
- (vi) **Institutional Care**

Case/profile No......of 20 -----(year) of the Board/Committee Admission No.

Date of Admission:

A. PERSONAL DETAILS

- 1. Name of the Child:
- 2. Age:
- 3. Sex: Male/Female
- 4. Father's/Mother's name:
- 5. Nationality:
- 6. Religion/Caste:
- 7. Educational attainment:
- 8. Summary of Case History:
 - Health needs
 - Emotional and psychological support needed
 - Educational and Training needs
 - Leisure, creativity and play
 - Attachments and Relationships
 - Religious beliefs
 - Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment

- Social mainstreaming
- Follow-up post release/restoration

B. FORTNIGHTLY PROGRESS REPORT OF PROBATIONER

\mathbf{r}	4	\sim	
Pa	rt		ne
1 a	ıι	ι,	ш

	Part One		
1.	Name of the Probation Officer/Case-Worker		
2.	For the month of		
3.	Registration No.		
4.	Competent Authority		
5.	Profile No.		
6.	Name of the Child		
7.	Date of Supervision Order		
8.	Address of the Child		
9.	Period of Supervision		
	Part Two		
Places of interview		Date	
1.	Where the child is residing?		
2.	Progress made in any educational/training course.		
3.	What work he/she is doing and his/her monthly average earning, if employed.		
4.	Savings kept in the Post Office.		
5.	Savings Bank Account in his/her name.		
6.	Remarks on his/her general conduct and progress		
7.	Whether property cared for?		
	Part Three		
1.	Any proceedings before the competent authority of or		
a)	Variation of conditions of bond		
b)	Change of residence		
c)	Other matters		
2. Peri	od of supervision completed on		

- 3. Result of supervision with remarks (if any)
- 4. Name and Addresses of the parent or guardian or fit person under whose care the juvenile is to live after the supervision is over.

Date of report	Signat	ture of the Probation Offi	icer/Case Wo	orker		
C. PRE-RELEASE REPORT Tick whichever is applicable.						
Final Release		Transfe	r			

- 1. Details of place of transfer and concerned authority responsible in the place of transfer/release
- 2. Details of placement of the juvenile/child in different institutions
- 3. Training undergone and skills acquired
- 4. Final progress report of the officer-in-charge/probation officer/ child welfare officer/ case worker/ social worker (to be attached)
- 5. Date of release/transfer
- 6. Date of repatriation
- 7. Requisition for escort if required
- 8. Identification of escort
- 9. Recommended rehabilitation plan including possible placements
- 10. Sponsorship requirement and report, if applicable
- 11. Identification of Probation Officer/ Case-worker/ social worker/non-governmental organization for post-release follow-up
- 12. Memorandum of Understanding with non-governmental organization identified for post-release follow-up
- 13. Identification of sponsorship agency/individual sponsor for the child post-release, if any
- 14. Memorandum of Understanding between the sponsoring agency and individual sponsor
- 15. Details of Savings Account of the child, if any

- 16. Details of child's earnings and belongings if any
- 17. Details of awards/rewards due to the child if any
- 18. Opinion of the child
- 19. Any other information

Note:— Pre-release reports shall be prepared 6 months prior to the date of release/transfer of juvenile/ child and shall take into account the recommendations of the last review report and all other relevant information.

D. POST-RELEASE REPORT

- 1. Status of Bank Account: Closed/ Transferred
- 2. Earnings and belongings of the child: handed over to the child or his/her parents/guardians-Yes/ No
- 3. First interaction report of the probation officer/child welfare officer/ case worker/social worker/non-governmental organisation identified for follow-up with the child post-release
- 4. Placement of the juvenile/child if any
- 5. Family's behaviour towards the child
- 6. Social milieu of the child, particularly attitude of neighbours/ community
- 7. How is the child using the skills acquired?
- 8. Whether the child has been admitted to a chool or vocation? Give date and name of the school/ institute/ any other agency
- 9. Report of second and third follow-up interaction with the child after two months and six months respectively

FORM XXII [Rule 73 (2)] ESCORT ORDER

Case No	In the matter of Boy/Girl Child
	Aged about year taken Charged for sole custody under Section 33(3) of the Juvenile Justice Act 2000
The Parents of the boy/girl child are reported to be res	siding at:
He/She therefore be sent under supervision of a prope organization escort to the	-
For tracing and for handing over to the parents or clo Child residing at the aforesaid address or at other place no such parents or relative are traced or if traced but to boy/girl be kept in the custody of the Superintendent Children's Home and the said Boy/Girl child be Welfare Committee for further orders. Orders	ose relatives of the said Boy Child/Girl ce which may be shown by the Child, if they are unwilling to take charge of the produced before the concerned Child
Pending Escort, the said Boy/Girl Child shall remain is at	
Dated this day of	20
CC to:	Chairperson/Member Child Welfare Committee
1. The Superintendent, Children's Home,. 2. The State/District Child Protection Unit or non gove	ernmental organization or Childline.
Ref.: 1. Order of admission of minorbor	rn onProfile No
अधीक्षक, सचिवालय म्	रुद्रणालय,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 400-571+2000-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in